

भारत के
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष

छत्तीसगढ़ सरकार

भारत के
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष

छत्तीसगढ़ सरकार

विषय सूची

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
प्राक्कथन		IX
विहंगावलोकन		XI
पहला अध्याय		
राज्य शासन का वित्त		
प्रस्तावना	1.1	1
गत वर्ष के संदर्भ से वित्त की प्रवृत्ति	1.2	3
वर्ष के लिए प्राप्तियों और संवितरण का सार	1.3	4
लेखापरीक्षा कार्य प्रणाली	1.4	4
आधार भूत सूचकों द्वारा राज्य की वित्तीय स्थिति संसाधनों का परिमाण एवं स्रोत	1.5	6
संसाधनों की प्रयुक्ति	1.6	9
आवंटन प्राथमिकताओं पर व्यय	1.7	12
परिसम्पत्तियां एवं देयताएँ	1.8	15
घाटे का प्रबन्धन	1.9	20
राजकोषीय अनुपात	1.10	21
दूसरा अध्याय		
विनियोग लेखापरीक्षा एवं व्यय पर नियंत्रण		
प्रस्तावना	2.1	25
विनियोग लेखे का सारांश	2.2	25
आवंटीय प्राथमिकताओं की पूर्ति	2.3	26
व्यय का पुनर्मिलान न किया जाना	2.4	31
दोषपूर्ण पुनर्विनियोग	2.5	31
व्यय की अधिकता	2.6	31
पांच अनुदानों की नमूना जांच के परिणाम	2.7	32
ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त अनुदानों का उपयोग	2.8	33

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
तीसरा अध्याय		
निष्पादन मूल्यांकन		
लेखापरीक्षा समीक्षाएं		
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग		
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	3.1	35
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग		
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की लेखा परीक्षा	3.2	52
भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी	3.3	69
श्रम विभाग		
बाल श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 का क्रियान्वयन	3.4	80
चौथा अध्याय		
लेन-देन लेखापरीक्षा प्रेक्षण		
लेखापरीक्षा कंडिकाएँ		
निष्फल/निरर्थक व्यय एवं अधिक भुगतान	4.1	91
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग		
नलकूपों पर विद्युत पम्प संस्थापित न किया जाना	4.1.1	91
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग		
ब्लीचिंग पाउडर के क्रय पर अनियमित एवं निष्फल व्यय	4.1.2	92
लोक निर्माण विभाग		
दो बार माप लेने एवं त्रुटिपूर्ण संगणना के कारण अधिक भुगतान	4.1.3	93
ग्रामीण सड़क के अवांछित सुदृढ़ीकरण पर निष्फल व्यय	4.1.4	94

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
<i>अनुबंधीय बाध्यताओं का उल्लंघन/ठेकेदारों का अनुचित पक्ष</i>	4.2	95
लोक निर्माण विभाग		
ग्रामीण मार्गों पर अधिक गुणवत्ता युक्त एवं मँहगी विशिष्टियों को अपनाने के कारण अतिरिक्त लागत	4.2.1	95
ओपन ग्रेडेड प्रिमिक्स कारपेट का अधिक मोटाई में निष्पादन	4.2.2	96
सड़क कार्यों में मँहगे टेक कोट को अविवेकपूर्ण रूप से अपनाया जाना	4.2.3	97
<i>नियामक मुद्दे एवं अन्य बिन्दु</i>	4.3	98
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग		
अत्यधिक शुष्कता के कारण धान की मात्रा में कमी एवं अनुचित भण्डारण के कारण क्षतिग्रस्त धान की हानि	4.3.1	98
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (मलेरिया) विभाग		
क्रय पर अनधिकृत व्यय	4.3.2	100
पांचवा अध्याय		
आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं आंतरिक लेखापरीक्षा व्यवस्था		
लोक निर्माण विभाग		
<i>आंतरिक नियंत्रण तंत्र का मूल्यांकन</i>	5.1	101
छठवां अध्याय		
सरकारी वाणिज्यिक एवं व्यापारिक गतिविधियाँ		
सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन	6.1	111
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग		
छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम		
छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम मर्यादित की कार्य प्रणाली में कमियाँ	6.2	117

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
लेखापरीक्षा कंडिका		
छत्तीसगढ़ राज्य भाण्डार गृह निगम		
गोदामों में चावल के दोषपूर्ण भण्डारण से हानि	6.3	124
सातवां अध्याय		
राजस्व प्राप्तियां		
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	7.1	127
बजट अनुमानों एवं वास्तविक आंकड़ों में अंतर	7.2	130
संग्रहण की लागत	7.3	131
प्रति निर्धारित वाणिज्यिक कर का संग्रहण	7.4	131
बकाया राजस्व का विश्लेषण	7.5	132
निर्धारण हेतु बकाया	7.6	133
कर अपवंचन	7.7	133
प्रतिदाय	7.8	134
लेखापरीक्षा के परिणाम	7.9	134
प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर विभागों की प्रतिक्रिया	7.10	134
कर राजस्व		
वाणिज्यिक कर		
निष्पादन मूल्यांकन		
लेखापरीक्षा समीक्षा		
नए उद्योगों को वाणिज्यिक कर की छूट/आस्थगन	7.11	136
लेन-देन लेखापरीक्षा प्रेक्षण		
कर का अनारोपण	7.12	146
कर एवं शास्ति का अनारोपण	7.13	147
गलत कटौती के कारण कर का अनारोपण	7.14	148
कर का अनारोपण	7.15	149
क्रय कर का अनारोपण	7.16	149
ब्याज का कम आरोपण	7.17	150
सकल विक्रय का गलत निर्धारण	7.18	151

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
कर का अनारोपण	7.19	152
सही दर पर कर का अनारोपण	7.20	152
राज्य उत्पाद शुल्क		
चूककर्ता अनुज्ञप्ति धारियों से अनुज्ञप्ति शुल्क की वसूली न होने के कारण राजस्व हानि	7.21	153
वाहनों पर कर		
वाहन कर एवं शास्ति का अनारोपण	7.22	154
अन्य कर राजस्व		
मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस		
मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण	7.23	155
प्रकरणों के निराकरण में विलम्ब	7.24	156
मनोरंजन शुल्क		
केबल आपरेटरों से मनोरंजन शुल्क की कम वसूली होना	7.25	156
कर भिन्न राजस्व		
वन प्राप्ति		
कूपों से वनोपज के अवैध निष्कासन के कारण राजस्व हानि	7.26	157
डिपो पर वनोपज लेखाबद्ध न करने के कारण राजस्व हानि	7.27	158
खनन प्राप्ति		
स्टाक की गलत घटौत्री के कारण राजस्व हानि	7.28	159
ब्याज का कम आरोपण	7.29	159
अन्य कर भिन्न राजस्व		
जल संसाधन विभाग		
सिंचाई प्रभारों की कम वसूली होने के कारण राजस्व हानि	7.30	160
विलम्बित भुगतान पर शास्ति का अनारोपण	7.31	161
लोक निर्माण विभाग		
अनुज्ञप्ति शुल्क की कम वसूली	7.32	161
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग		
राजसात/जब्त वस्तुओं का निपटान न करना	7.33	162

परिशिष्ट

परिशिष्ट क्रमांक	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका क्र.	पृष्ठ
1.1	31 मार्च 2004 को छत्तीसगढ़ सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति	1.8	165
1.2	वर्ष 2003-04 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	1.8	167
1.3	निधियों के स्रोत एवं उपयोग	1.8	170
1.4	राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण	1.8	171
1.5	पहले अध्याय में उपयोग में लाए गए शब्दों की शब्दावली एवं उनकी संगणना का आधार	1.4	173
1.6	उपयोग न किए गए अनुदानों एवं ऋणों का विवरण पत्रक	1.7.1	174
1.7	उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने वाली इकाइयों का विवरण पत्रक	1.7.1	175
2.1	वे प्रकरण जिन में व्यय 1 करोड़ रुपये से अधिक राशि से कम पड़ा तथा कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक से भी कम रहा	2.3.1	177
2.2	योजनाओं के अंतर्गत सारभूत बचत वाले प्रकरण	2.3.1	182
2.3	वे प्रकरण जिनमें केन्द्रीय योजनाओं के अधीन सम्पूर्ण बजट प्रावधान अप्रयुक्त रहा	2.3.1	184
2.4	बजट प्रावधान के बिना किया गया व्यय	2.3.2	186
2.5	अनुदान/विनियोग जिनमें आधिक्य के नियमन की आवश्यकता है	2.3.3	187
2.6	प्रकरण जिन में अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ	2.3.5	188
2.7	प्रकरण जिनमें प्राप्त अनुपूरक प्रावधान अधिक सिद्ध हुआ	2.3.5	191
2.8	प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त था	2.3.5	192

परिशिष्ट क्रमांक	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका क्र.	पृष्ठ
2.9	योजना के अंतर्गत सारभूत आधिक्य वाले प्रकरण	2.3.6	193
2.10	गलत पुनर्विनियोग	2.3.7	195
2.11	कुछ प्रकरण जिनमें उपलब्ध बचत से अधिक निधियों का समर्पण द्वारा अविवेकपूर्ण ढंग से प्रत्याहरण किया गया परिणामस्वरूप निम्नानुसार अंतिम रूप से आधिक्य हुआ	2.3.7	197
2.12	बचत होने पर भी पुनर्विनियोग द्वारा निधियों के अनावश्यक आवर्धन के प्रकरण	2.3.7	198
2.13	बजट प्रावधान व्यपगत होना	2.3.8	199
2.14	निधियों का समर्पण	2.3.8	202
2.15	पुनर्विनियोग/समर्पण की दोषपूर्ण स्वीकृतियां	2.5	205
2.16	2003-04 के दौरान व्यय की अधिकता	2.6	206
2.17	विभिन्न उप शीर्षों के अंतर्गत व्यपगत बजट	2.7	207
2.18	योजनाओं के अंतर्गत समर्पित राशि	2.7	209
2.19	अनुदान/योजना के अंतर्गत अप्रयुक्त बजट प्रावधान	2.7	210
2.20	योजनाओं के अंतर्गत नियमित न किया गया अधिक व्यय	2.7	211
2.21	मार्च 2004 के दौरान योजनाओं के अंतर्गत व्यय की अधिकता	2.7	212
2.22	क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा सार्वजनिक अंशदान की प्राप्ति के बिना सरकारी निधि से किए गए व्यय का विवरण दर्शाने वाला विवरण पत्रक	2.8	213
3.1	परिवार नियोजन शल्यक्रिया के अंतर्गत क्षतिपूर्ति, दवाइयां एवं पेट्रोल, तेल एवं चिकनाई पर किए गए अधिक व्यय को दर्शानेवाला विवरण पत्रक	3.2.7	214
3.2	विभाग में अनुपलब्ध लेखों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	3.2.8	215

परिशिष्ट क्रमांक	विवरण	संदर्भ	
		कड़िका क्र.	पृष्ठ
3.3	वेतन एवं भत्ते तथा दवाइयों पर किए गए व्यय को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	3.3.5	217
3.4	चिकित्सालयों में शय्याओं की स्वीकृत क्षमता, उपलब्धता आदि की स्थिति दर्शाने वाला विवरण पत्रक	3.3.6	218
5.1	बजट प्रावधान के विरुद्ध आधिक्य (लोक निर्माण विभाग) दर्शाने वाला विवरण पत्रक	5.1.4	219
5.2	1 दिसम्बर 2004 तक पुनर्मिलान न किए जाने की स्थिति दर्शाने वाला विवरण पत्रक	5.1.5	220
5.3	वर्ष के दौरान सिविल जमा के अंतर्गत रखी गई राशि का विवरण दर्शाने वाला विवरण पत्रक	5.1.5	221
6.1	सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों के संबंध में बजट से प्राप्त पूंजी, ऋण/अंशपूंजी अन्य ऋण एवं 31 मार्च 2004 को लंबित ऋणों का विवरण दर्शाने वाला विवरण पत्रक	6.1.3 6.1.4 6.1.5	222
6.2	सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों का वर्ष जिस तक लेखों को अंतिम रूप दिया जा चुका था, के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम	6.1.6 6.1.7	224
6.3	वर्ष के दौरान प्राप्त सहायता, प्राप्त गारंटियां, बकाया का स्वत्व त्याग, ऋण जिन पर ऋण स्थगन प्रदान किया गया हो एवं वर्ष के दौरान अंशपूंजी में परिवर्तित ऋण और मार्च 2004 के अंत तक लंबित प्राप्य सहायता तथा लम्बित गारंटियों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	6.1.5	226
6.4	विभाग वार लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	6.1.8	228

- 1 संविधान के अनुच्छेद 151 के अधीन राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए यह प्रतिवेदन तैयार किया गया है।
- 2 इस प्रतिवेदन के पहले और दूसरे अध्याय में अप्रैल 2003 से मार्च 2004 तक की अवधि के लिए राज्य सरकार के क्रमशः वित्त लेखों तथा विनियोग लेखों की जांच से उद्भूत मामलों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां सम्मिलित हैं।
- 3 शेष अध्याय निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों एवं लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी तथा जल संसाधन विभागों एवं लोक निर्माण विभाग में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के मूल्यांकन सहित विभिन्न विभागों के लेन-देनों की लेखापरीक्षा के निष्कर्षों के संबंध में हैं।
- 4 इस प्रतिवेदन के छठवें अध्याय में सरकारी वाणिज्यिक तथा व्यापारिक गतिविधियों की लेखापरीक्षा से उद्भूत टिप्पणियां सम्मिलित हैं।
- 5 इस प्रतिवेदन के सातवें अध्याय में विभिन्न कर विभागों में राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा से उद्भूत टिप्पणियां सम्मिलित हैं।
- 6 इस प्रतिवेदन में उल्लिखित प्रकरण उन प्रकरणों में से हैं जो वर्ष 2003-04 की अवधि के दौरान लेखों की नमूना जांच के समय ध्यान में आए साथ ही वे भी जो पूर्ववर्ती अवधि में ध्यान में आए थे परन्तु जिन्हें पिछले प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका था। 2003-04 से बाद की अवधि से संबंधित प्रकरण भी आवश्यकतानुसार सम्मिलित किए गए हैं।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में छत्तीसगढ़ शासन के वित्त एवं विनियोग लेखों पर टिप्पणियों वाले दो अध्याय एवं शासकीय व सार्वजनिक कार्यक्रमों के कतिपय चयनित कार्यक्रमों एवं गतिविधियों व वित्तीय लेन-देनों पर आधारित 32 कंडिकाओं, सात समीक्षाओं/विस्तृत कंडिकाओं एवं लोक निर्माण विभाग में आंतरिक नियंत्रण तंत्र के मूल्यांकन वाले पाँच अध्याय सम्मिलित हैं। इस विहंगावलोकन में लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्षों का सार प्रस्तुत किया गया है।

1. राज्य सरकार की वित्त व्यवस्था का विहंगावलोकन

सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ 2001-02 की 4,376 करोड़ रुपये से बढ़कर 2003-04 में 5,959 करोड़ रुपये हो गईं। 2003-04 में कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व (2,588 करोड़ रुपये) तथा कर-भिन्न राजस्व (1,124 करोड़ रुपये) की हिस्सेदारी क्रमशः 43 तथा 19 प्रतिशत थी।

बासठ प्रतिशत राजस्व राज्य के स्वयं के स्रोतों से आया जबकि केन्द्रीय कर अंतरण और सहायता-अनुदान ने कुल राजस्व में 38 प्रतिशत का योगदान दिया।

मार्च 2003 की स्थिति में राजस्व वसूली हेतु शेष 130.12 करोड़ रुपये में से 58.44 करोड़ रुपये (45 प्रतिशत) पाँच वर्ष से अधिक से बकाया थे जो कर वसूली का असंतोषजनक अनुपालन प्रदर्शित करते थे।

कुल व्यय 2001-02 के 5,502 करोड़ रुपये से बढ़कर 2003-04 में 8,174 करोड़ रुपये (48 प्रतिशत) हो गया।

राजस्व व्यय 2001-02 के 4,945 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2003-04 में 6,600 करोड़ रुपये हो गया जो 33 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्शाता है। राजस्व प्राप्तियों से राजस्व व्यय का अनुपात 2001-02 के 113 प्रतिशत से घट कर वर्ष 2003-04 में 111 प्रतिशत रह गया।

कुल व्यय में आयोजना और पूँजीगत व्यय का संबद्ध अंश 2001-02 के 28 और 10 प्रतिशत से बढ़कर 2003-04 में क्रमशः 38 और 19 प्रतिशत हो गया। विकास व्यय का अंश 2001-02 के 64 प्रतिशत से घटकर 2003-04 में 63 प्रतिशत रह गया।

कुल व्यय में आर्थिक सेवाओं का अंश 2001-02 के 27 प्रतिशत से बढ़कर 2003-04 में 33 प्रतिशत हो गया। सामान्य सेवाओं और सामाजिक सेवाओं का अंश 2001-02 के 32 और 37 प्रतिशत से कम होकर 2003-04 में क्रमशः 27 और 30 प्रतिशत रह गया।

चालू वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों के 60 प्रतिशत का उपयोग वेतन एवम् पेंशन (2517.69 करोड़ रुपये) और ब्याज के भुगतान (1054 करोड़ रुपये) संबंधी विशाल व्ययों पर किया गया।

स्थिर गति से ब्याज का भुगतान 2001-02 के 731 करोड़ रुपये से बढ़कर 2003-04 में 1054 करोड़ रुपये हो गया और यह राजस्व व्यय का 16 प्रतिशत था ।

2003-04 के दौरान राजस्व घाटा 113 करोड़ रुपये से बढ़कर 641 करोड़ रुपये तथा राजकोषीय घाटा 973 करोड़ रुपये से बढ़कर 2204 करोड़ रुपये हो गया।

शासन द्वारा 2003-04 में सांविधिक निगमों और सहकारिता में 56.94 करोड़ रुपये का निवेश किया गया ।

2003-04 में वृहत एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर किये गये 87.02 करोड़ रुपये के राजस्व व्यय के विरुद्ध परियोजनाओं से प्राप्त कुल राजस्व 44.85 करोड़ रुपये (52 प्रतिशत) था ।

राज्य सरकार की समग्र राजकोषीय देयताएं 23 प्रतिशत वार्षिक की औसत वृद्धि दर से 2001-02 के 7,421 करोड़ रुपये से बढ़कर 2003-04 में 11,144 करोड़ रुपये हो गईं । ये देयताएं सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में 2001-02 के 25 प्रतिशत से बढ़कर 2003-04 में 35 प्रतिशत हो गईं तथा ये राजस्व प्राप्तियों का 1.87 गुनी थीं ।

विभिन्न निकायों/प्राधिकरणों को सहायता 39 प्रतिशत वृद्धि सहित 2001-02 के 177.39 करोड़ रुपये से बढ़कर 2003-04 में 247.44 करोड़ रुपये हो गई ।

2003-04 तक संयुक्त स्कंध कंपनियों, सहकारी बैंकों एवं समितियों तथा नगरपालिकाओं, निगमों एवम् नगरीय क्षेत्रों को शासन द्वारा प्रदान की गई गारंटी की राशि 807 करोड़ रुपये थी । 31 मार्च 2004 को लंबित गारंटी की राशि 295 करोड़ रुपये थी ।

(कंडिकाएं 1.1 से 1.10)

2. विनियोग लेखापरीक्षा एवम् व्यय पर नियंत्रण

11,478 करोड़ रुपये के पुनरीक्षित अनुदानों/विनियोग के विरुद्ध 9,113 करोड़ रुपये के वास्तविक व्यय के परिणामस्वरूप 2,365 करोड़ रुपये (24 प्रतिशत) की बचत हुई ।

48 प्रकरणों में 530.17 करोड़ रुपये का पूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ । आठ अनुदानों वाले 10 उपशीर्षों में प्रावधान से 569.21 करोड़ रुपये अधिक व्यय हुआ ।

17 प्रकरणों में, प्रत्येक प्रकरण में 5 करोड़ रुपये या इससे अधिक और प्रावधान के 80 प्रतिशत से अधिक 331.37 करोड़ रुपये के कुल योग की सारभूत बचतें देखी गईं ।

वर्ष के दौरान 1,588.49 करोड़ रुपये समर्पित किये गए जिसमें से 1,492.55 करोड़ रुपये (94 प्रतिशत) मार्च 2004 के अंतिम दिन समर्पित किये गए थे । अनुदानों/विनियोगों के 69 प्रकरणों में 1,227.33 करोड़ रुपये की बचतों को समर्पित ही नहीं किया गया था ।

संविधान के अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत, 2003-04 में किये गए 591.12 करोड़ रुपये के अधिक व्यय का नियमन आवश्यक था ।

वर्ष 2003-04 के दौरान ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर भारत सरकार द्वारा जारी उन्नयन अनुदान विनियोग लेखाओं में 43.66 करोड़ रुपये दर्शाई गई, इसमें से 73.71 लाख रुपये सिविल जमा के अंतर्गत रखे गए थे, इस प्रकार कुल व्यय बढ़ा-चढ़ा कर बताया गया। विनियोग लेखे और वित्त विभाग के आँकड़ों का मिलान न करने से 1.12 करोड़ रुपये की त्रुटि भी पाई गई।

(कंडिकाएं 2.1 से 2.8)

3. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

मुख्यांश

असंयोजित ग्रामीण बसाहटों को सड़कों द्वारा संयोजित करने की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा एक केन्द्र प्रवर्तित योजना (पूर्णतः वित्त पोषित) "प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना" के नाम से प्रारंभ की गई (25 दिसम्बर 2000) जिसका क्रियान्वयन राज्य शासन को करना था। योजना का उद्देश्य वर्ष 2003 के अंत तक 1000 से अधिक आबादी वाली तथा 2007 के अंत तक 500 से 999 आबादी वाली (आदिवासी एवं पहाड़ी क्षेत्रों में 250 से 499 तक आबादी वाली) असंयोजित बसाहटों को सभी मौसम में परिवहन योग्य सड़कों से संयोजित किया जाना था। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2003 तक 2,604 बसाहटों तथा 2007 तक 11,157 बसाहटों को सभी मौसम में परिवहन योग्य सड़कों से संयोजित किया जाना था जिसमें 24,484 किलो मीटर लम्बी नवीन सड़कों का निर्माण करना था। मार्च 2004 तक सिर्फ 311 सड़कों का निर्माण किया गया। सड़कों के चयन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, पर्यवेक्षण तथा गुणवत्ता नियंत्रण में कमियाँ, त्रुटिपूर्ण प्राक्कलन एवं निष्पादन में विलम्ब देखा गया। प्रमुख रूप से निम्न कमियाँ परिलक्षित हुईं :

- छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 2003 तक 2,604 बसाहटों के संयोजन के विरुद्ध 673.43 करोड़ रुपये की लागत से मार्च 2004 तक 1,549 बसाहटों के संयोजन वाली मात्र 673 सड़कों की स्वीकृति प्राप्त की गई। तथापि, 320.03 करोड़ रुपये की लागत से 624 बसाहटों के संयोजन वाली मात्र 311 सड़कों का निर्माण हुआ।
- प्रथम चरण में नवीन सड़क निर्माण के स्थान पर बहुत सी गिट्टीकृत (बाटर बाउन्ड मेकाडम) सड़कें उन्नयन हेतु चयनित की गईं।
- विस्तृत परियोजना तैयार करने हेतु 99.04 लाख रुपये की लागत निरर्थक रही चूँकि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पुनः उन्हीं सड़कों के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिए परामर्शदाताओं की सेवाएँ ली गईं।
- परियोजना प्रतिवेदन ठीक ढंग से तैयार नहीं किए गए एवं फलस्वरूप छत्तीसगढ़ शासन को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित लागत से 47.65 करोड़ रुपये की बढ़ी हुई अधिक लागत वहन करनी पड़ी।
- आठ सड़क कार्यों में अनुमोदित प्राक्कलनों में निर्धारित विशिष्टियों से विचलन के फलस्वरूप 7.01 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत आई जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वहन की जानी है।

(कंडिका 3.1)

4. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की एकीकृत लेखापरीक्षा

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग चिकित्सालयों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों के तंत्र के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराता है एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 1983 तथा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 में परिकल्पित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन करता है। राज्य में 2001-04 के दौरान स्वास्थ्य रक्षा पर व्यय 646.90 करोड़ रुपये था। त्रिस्तरीय स्वास्थ्य आधारभूत संरचना के विनिर्माण में कमी पाई गई थी। शय्या-जनसंख्या अनुपात सम्पूर्ण भारत के 92 के औसत के विरुद्ध बहुत कम अर्थात् 30 प्रति लाख रहा। परिवार कल्याण कार्यक्रम के जनसांख्यिकीय उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया गया। अपूर्ण वित्तीय प्रबन्धन की परिणति वृहद बचतों एवं अनावश्यक पूरक अनुदानों के रूप में हुई जबकि सेवाओं को उपलब्ध कराने एवं उपकरणों के मामलों में अनेकों कमियाँ थीं। कतिपय मुख्य प्रेक्षण निम्नानुसार थे :-

- शिशु मृत्यु-दर, अपरिपक्व जन्म दर एवं दम्पति संरक्षण की दर को सन् 2000 तक प्राप्त करने के लिए निर्धारित लक्ष्यों को सन् 2004 तक भी प्राप्त नहीं किया गया था।
- क्षतिपूर्ति, औषधियों, पेट्रोल तेल एवं चिकनाई प्रभारों एवं अभिप्रेरण प्रभारों पर 1.11 करोड़ रुपये का अधिक एवं अनियमित व्यय किया गया जो परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित मानदण्डों से अधिक था।
- शक्ति संपन्न कार्यदल निधि से प्राप्त 1.47 करोड़ रुपये मूल्य के सहायता अनुदानों का दुरुपयोग किया गया तथा 84.09 लाख रुपये मूल्य के उपकरण निष्प्रयोज्य पड़े थे।
- 2.08 करोड़ रुपये मूल्य की एक्स-रे मशीनें क्रय की गई थीं परन्तु उनको उपयोग में नहीं लाया गया।

(कंडिका 3.2)

5. भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की कार्यप्रणाली

छत्तीसगढ़ में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली के माध्यम से चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने का दायित्व भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी संचालनालय का है। निर्बल आधारभूत संरचना, उच्च स्थापना व्यय एवं चिकित्सकीय सुविधाओं पर नगण्य व्यय का अवलोकन लेखापरीक्षा में किया गया। विभाग के वित्तीय एवं परिचालन प्रबन्धन में कमी पाई गई। औषधियों के क्रय के लिए आवंटित निधियों के 13 से 58 प्रतिशत तक का उपयोग नहीं किया गया। फार्मसी का आधुनिकीकरण नहीं किया गया एवं औषधियों का गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित नहीं किया गया था। आधारभूत सुविधाओं के अभाव में, पर्याप्त स्वास्थ्य रक्षा सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही थी।

- अम्बिकापुर में संस्वीकृति के 25 वर्षों के बाद भी 30 शय्याओं वाले चिकित्सालय ने कार्य करना प्रारंभ नहीं किया था।
- सन् 2002 में संस्वीकृत 63 भवनों में से 61 भवन अद्यतन अधूरे थे।
- छः जिलों में 148 औषधालय चिकित्सकों के बिना चल रहे थे एवं पेरा मेडीकल स्टाफ के वेतन एवं भत्तों पर 4.73 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय किया गया।

- 2000-04 के दौरान निर्मित औषधियों की लागत फार्मसी की सम्पूर्ण परिचालन लागत का अत्यल्प 17 प्रतिशत से 54 प्रतिशत तक की सीमा में था ।
- 80.21 लाख रूपये मूल्य की फार्मसी मशीनरी या तो प्राप्त नहीं हुई थी अथवा प्रतिष्ठापित नहीं की गई थी जिससे फार्मसी के सुदृढीकरण एवं आधुनिकीकरण में विघ्न पड़ा ।
- केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद् के मानदण्डों के अंतर्गत यथापेक्षित 8 प्रोफेसर्स, 9 रीडर्स एवं 12 लेक्चरर्स की पदस्थापना न होने के कारण शासकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय में अध्यापन की गुणवत्ता प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई ।

(कंडिका 3.3)

6. बाल श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 का क्रियान्वयन

खतरनाक आजीविकाओं में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध एवं गैर खतरनाक आजीविकाओं में बच्चों के कार्य की दशाओं का विनियमन इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ हैं । राज्य सरकार के स्तर पर श्रम विभाग क्रियान्वयन एजेंसी थी । राज्य में, 1995-96 के दौरान पाँच राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजनाओं के अन्तर्गत 104 विशेष शालाएँ खोली गई । 996 बच्चे खतरनाक आजीविकाओं में संलिप्त (अप्रैल 1997) पाए गए। खतरनाक आजीविकाओं में से बाल श्रमिकों का उन्मूलन करने के लिए ऐसी स्थापनाओं का नियमित निरीक्षण एक आवश्यक पहलू था । तथापि, अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए प्रवर्तन मशीनरी एवं विभिन्न आजीविकाओं में नियोजित बच्चों की सीमा को सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र स्थापित नहीं किया गया था । श्रमायुक्त द्वारा जनवरी 2004 में निर्धारित निरीक्षणों के लक्ष्य श्रम निरीक्षकों द्वारा प्राप्त नहीं किए गए । समीक्षा के दौरान निम्नांकित मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्षों का अविर्भाव हुआ :-

- राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना, बिलासपुर द्वारा भारत सरकार को भेजे गए 2002-03 के उपयोग प्रमाण पत्र में 9.34 लाख रूपये को त्रुटिपूर्वक सम्मिलित किया गया।
- राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना, दुर्ग द्वारा 9.36 लाख रूपये के अर्जित बैंक ब्याज को उपयोग प्रमाण पत्र में सम्मिलित नहीं किया गया ।
- बाल श्रम अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित निरीक्षकों द्वारा जनवरी 2001 से अप्रैल 2004 तक के दौरान निर्धारित 25,600 निरीक्षणों के विरुद्ध केवल 10 प्रतिशत (2,456) निरीक्षण ही किए गए ।
- राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजनाओं के अन्तर्गत संचालित विशेष शालाओं में अपात्र बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई गई ।
- जागरूकता उत्पन्न करने के लिए उपलब्ध कराई गई निधियों का उपयोग न किया जाना तथा अनुचित उपयोग ।

(कंडिका 3.4)

7. लोक निर्माण विभाग में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं आंतरिक लेखापरीक्षा व्यवस्था

आंतरिक नियंत्रण तंत्र, वित्तीय एवं परिचालन नियंत्रण एवं त्रुटि व कपट के विरुद्ध सुरक्षा की सुनिश्चितता हेतु वरिष्ठ प्रबंधकों को एक औजार उपलब्ध कराता है। लोक निर्माण विभाग में आंतरिक नियंत्रण तंत्र के मूल्यांकन से बजट एवं व्यय नियंत्रण, लेन-देनों के लेखांकन, भण्डार के संधारण एवं निष्पादित निर्माण कार्यों की गुणवत्ता नियंत्रण के क्षेत्रों में आंतरिक नियंत्रणों की कमजोरियाँ प्रकट हुईं। विभागीय निरीक्षण की प्रणाली अपूर्ण थी जबकि आंतरिक लेखापरीक्षा का अस्तित्व ही नहीं था।

- चार संभागों में प्राप्त निक्षेपों से 2.58 करोड़ रुपये अधिक व्यय हुआ।
- सिविल जमा के अंतर्गत 45.84 करोड़ रुपये की निधियाँ रख कर व्यय को बढ़ा-चढ़ा कर बताया गया।
- सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु नियंत्रणों की विफलता के कारण ठेकेदारों को 56.45 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ हुआ।
- विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना नहीं की गई है।
- निर्माण रोकड़ पुस्तिका से यात्रा हेतु अग्रिम दिए गए।

(कंडिका 5)

लेखापरीक्षा कंडिकाएं

8. निष्फल/निरर्थक व्यय एवं अधिक भुगतान

- इंदिरा गाँव गंगा योजना के अंतर्गत नलकूपों पर विद्युत पंप संस्थापित न किए जाने के फलस्वरूप 99.05 लाख रुपये का निष्फल व्यय हुआ।

(कंडिका 4.1.1)

- राज्य स्तरीय क्रय समिति की अनुशंसाओं का क्रियान्वयन न किए जाने के कारण ब्लीचिंग पाऊडर के क्रय पर 33.60 लाख रुपये का अनियमित एवं निष्फल व्यय हुआ।

(कंडिका 4.1.2)

- राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, बिलासपुर में एक ही मद्द का दो बार माप लेने एवं अंतिम मात्रा की त्रुटिपूर्ण संगणना के कारण ठेकेदार को 35.60 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ।

(कंडिका 4.1.3)

- नंदेली-पेडरवा ग्रामीण सड़क के अवांछित सुदृढीकरण के फलस्वरूप 1.02 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय हुआ।

(कंडिका 4.1.4)

9. अनुबंधीय बाध्यताओं का उल्लंघन/टेकेदारों का अनुचित पक्ष

- चार लोक निर्माण संभागों, बिलासपुर, दुर्ग, मनेन्द्रगढ़ एवं रायगढ़ में भारतीय सड़क कांग्रेस विशिष्टियों के उल्लंघन में ग्रामीण सड़क कार्यों पर अधिक गुणवत्ता युक्त एवं मंहगी विशिष्टियों को अविवेकपूर्ण ढंग से अपनाने के फलस्वरूप 1.31 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत आई ।

(कंडिका 4.2.1)

- लोक निर्माण संभाग, रायगढ़ में ओपेन ग्रेडेड प्रिमिक्स कारपेट का अधिक मोटाई में अविवेकपूर्ण निष्पादन के कारण 30.10 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत आई ।

(कंडिका 4.2.2)

- राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग क्रमांक I,, रायपुर में सड़क कार्यों में डामर के उपयोग वाले मंहगे टेक कोट को अविवेकपूर्ण रूप से अपनाने पर 36.42 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत आई ।

(कंडिका 4.2.3)

10. नियामक मुद्दे एवं अन्य बिन्दु

- संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, रायपुर के अंतर्गत अत्याधिक शुष्कता के कारण 20.62 करोड़ रुपये मूल्य के 3.9 लाख क्विंटल धान की कमी एवं क्षतिग्रस्त धान (2.16 लाख क्विंटल) के कारण 12.54 करोड़ रुपये की हानि ।

(कंडिका 4.3.1)

- 96 लाख रुपये के आवंटन के विरुद्ध 1.37 करोड़ रुपये मूल्य के उपकरणों का अवांछित क्रय ।

(कंडिका 4.3.2)

11. शासन की वाणिज्यिक एवम् व्यवसायिक गतिविधियाँ

- 31 मार्च 2004 को राज्य सरकार के अधीन छः सरकारी कम्पनियाँ तथा दो सांविधिक निगम (सभी कार्यरत) थे । छः सरकारी कम्पनियों एवं दो सांविधिक निगमों में कुल निवेश 113.38 करोड़ रुपये था ।

(कंडिकाएं 6.1.1 एवं 6.1.2)

- सितम्बर 2004 तक छः सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों में से किसी के भी द्वारा अपने 2003-04 के लेखों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया था ।

(कंडिका 6.1.6)

- नवीनतम अंतिम लेखों के अनुसार एक सरकारी कंपनी में 16.18 लाख रुपये का घाटा हुआ एवं चार सरकारी कंपनियों में 3.97 करोड़ रुपये का कुल लाभ हुआ । एक सरकारी कंपनी में 2003-04 हेतु 1.02 करोड़ रुपये का लाभांश घोषित किया गया ।

(कंडिका 6.1.7)

छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम मर्यादित

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से, भारत सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को विक्रय हेतु खाद्यान्न यथा चावल, गेहूँ और लेवी की शक्कर की अधिप्राप्ति, परिवहन, भण्डारण एवम् वितरण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम मर्यादित की स्थापना की गई (मार्च 2001)। अभिलेखों की छानबीन से निम्नानुसार प्रकट हुआ :-

- लेवी की शक्कर की अधिक अधिप्राप्ति के कारण निधियाँ अवरूद्ध हुईं और परिणामतः 64.29 लाख रुपये की ब्याज की हानि और परिहार्य भण्डारण प्रभार हुए।

(कंडिका 6.2.3)

- मार्च से दिसम्बर 2002 तक बेची गई शक्कर पर संशोधित विक्रय मूल्य लागू न किये जाने के फलस्वरूप 57.52 लाख रुपये की हानि हुई।

(कंडिका 6.2.4)

- शक्कर में 0.25 प्रतिशत की स्वीकार्य सीमा से अधिक झाड़न एवं नमी के फलस्वरूप 55.76 लाख रुपये की हानि हुई।

(कंडिका 6.2.5)

- नये एवं उपयोगी बोरों के निस्तारण में दो वर्ष के विलम्ब के कारण 2.50 करोड़ रुपये अवरूद्ध हुए।

(कंडिका 6.2.6)

- मार्जिन दावों को प्रस्तुत करने एवं राशि प्राप्त करने में असाधारण विलम्ब के कारण 50.93 लाख रुपये के ब्याज की परिहार्य हानि हुई।

(कंडिका 6.2.7)

- करेन्ट अकाउन्ट के माध्यम से निशुल्क अंतरण सुविधा उपयोग न करने के परिणामस्वरूप डिमांड ड्राफ्टों हेतु बैंक कमीशन पर 1.01 करोड़ रुपये का परिहार्य व्यय हुआ।

(कंडिका 6.2.8)

- जिला कार्यालयों द्वारा मुख्यालय को अविलम्ब निधियाँ आंतरित करने में असफलता के फलस्वरूप 41.73 लाख रुपये के ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ।

(कंडिका 6.2.9)

सांविधिक निगम

छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम

छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम धमतरी शाखा के गोदामों का दोषपूर्ण रख-रखाव तथा निरोधक दवाईयों का प्रयोग न किये जाने से 2,345.257 मैट्रिक टन चावल में भारी संक्रमण हुआ फलतः 1.37 करोड़ रुपये की हानि हुई ।

(कंडिका 6.3)

राजस्व प्राप्तियाँ

(क) समीक्षाएं

नए उद्योगों को वाणिज्यिक कर की छूट/आस्थगन पर समीक्षा

- छूट की सीमा के विरुद्ध 17.36 करोड़ रुपये की गलत कटौती एवं समायोजन न होना ।

(कंडिका 7.11.8)

- ऐसी इकाइयों से 55.40 लाख रुपये के वाणिज्यिक कर की वसूली नहीं की गई जिन्होंने निर्धारित समय के पूर्व व्यवसाय बंद कर दिया ।

(कंडिका 7.11.9)

- गलत कर छूट प्रमाण पत्र जारी करने के कारण 86.11 लाख रुपये की राजस्व हानि ।

(कंडिका 7.11.11)

- कर छूट की गलत स्वीकृति के कारण 4.18 करोड़ रुपये की राजस्व हानि ।

(कंडिका 7.11.12)

(ख) लेखापरीक्षा कंडिकाएं

12. वाणिज्यिक गतिविधियाँ

- करमुक्त कच्चे माल से निर्मित वस्तुओं की बिक्री पर 35 लाख रुपये के कर का अनारोपण हुआ ।

(कंडिका 7.12)

- कर जमा न करने एवं विवरणी दाखिल न करने के परिणामस्वरूप 6.90 लाख रुपये के ब्याज का कम आरोपण हुआ ।

(कंडिका 7.17)

13. वाहनों पर कर

- 172 वाहनों पर कर एवं शास्ति के अनारोपण के परिणामस्वरूप 1.01 करोड़ रुपये की राजस्व हानि हुई ।

(कंडिका 7.22)

14. मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस

- रॉयल्टी की गलत दर लागू करने के परिणामस्वरूप 11.50 करोड़ रुपये के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 7.23)

15. वन प्राप्तियाँ

- कूपों से वनोपज का परिवहन न होने के कारण चोरी हुई और इसकी 33.23 लाख रुपये के राजस्व की हानि में परिणति हुई।

(कंडिका 7.26)

- कूपों से डिपो तक परिवहन की गई वनोपज की गैर सुपुर्दगी के परिणामस्वरूप 12.84 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

(कंडिका 7.27)

16. खनन प्राप्तियाँ

- वसूली योग्य रायल्टी पर ब्याज की माँग न करने के परिणामस्वरूप 98.72 लाख रुपये के ब्याज की वसूली नहीं हुई।

(कंडिका 7.29)

17. जल संसाधन

- गलत जल दरों के प्रयोग के परिणामस्वरूप 22.99 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

(कंडिका 7.30)

पहला - अध्याय

राज्य शासन का वित्त

1.1 प्रस्तावना

छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे उन्नीस विवरणों में निहित हैं, जिनमें राज्य सरकार की समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखे में राजस्व प्राप्तियाँ और व्यय के साथ ही पूंजीगत प्राप्तियाँ और व्यय प्रदर्शित हैं। वित्त लेखों की रूप रेखा बॉक्स 1.1 में वर्णित है।

बॉक्स 1.1

विवरण क्रमांक 1 राज्य सरकार के लेन-देनों के सारांश का प्रदर्शन करता है- राज्य की समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखे में प्राप्तियाँ और व्यय, राजस्व एवं पूंजीगत मदें, लोक ऋण प्राप्तियाँ एवं भुगतान आदि।

विवरण क्रमांक 2 में 2003-04 के अंत तक प्रगामी व्यय दर्शाते हुए पूंजीगत परिव्यय का संक्षिप्त विवरण निहित है।

विवरण क्रमांक 3 में सिंचाई कार्यों के वित्तीय परिणाम, उनकी राजस्व प्राप्तियाँ चालन व्यय और संधारण प्रभार, पूंजीगत परिव्यय, निवल लाभ या हानि इत्यादि दिए गए हैं।

विवरण क्रमांक 4 में राज्य के ऋणों की स्थिति जिसमें आंतरिक ऋण एवं भारत सरकार से उधारियां, अन्य अनुगृहिताओं और ऋणों की सेवाएं निहित हैं, का सारांश दर्शाता है।

विवरण क्रमांक 5 राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान दिए गए ऋणों और अग्रिमों, किए गए पुनर्भुगतान और वसूलियों की बकाया, इत्यादि का सारांश दर्शाता है।

विवरण क्रमांक 6 सांविधिक निगमों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं द्वारा लिए गए ऋणों आदि के पुनर्भुगतान हेतु सरकार द्वारा दी गई गारंटी का सार दर्शाता है।

विवरण क्रमांक 7 ऐसे शेषों से निर्मित नगद शेषों और निवेशों का सारांश दर्शाता है।

विवरण क्रमांक 8 31 मार्च 2004 की स्थिति में समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अंतर्गत शेषों का सारांश दर्शाता है।

विवरण क्रमांक 9 वर्ष 2003-04 के लिये विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत राजस्व और व्यय को कुल राजस्व/व्यय के प्रतिशत के रूप में दर्शाता है।

विवरण क्रमांक 10 वर्ष के दौरान प्रभारित और दत्तमत व्यय के मध्य वितरण दर्शाता है।

विवरण क्रमांक 11 लघु शीर्षों द्वारा राजस्व प्राप्तियों का विस्तृत लेखा दर्शाता है ।

विवरण क्रमांक 12 में राजस्व व्यय के लेखे योजना, राज्य योजनागत और केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत पृथक रूप से लघु शीर्षों के अधीन एवं पूंजीगत व्यय के लेखे मुख्य शीर्ष वार दर्शाए गए हैं ।

विवरण क्रमांक 13 2003-04 के दौरान और इसके अंत तक किए गए पूंजीगत व्यय का विवरण दर्शाता है।

विवरण क्रमांक 14 2003-04 के अंत तक सांघिक निगमों, शासकीय कंपनियों अन्य संयुक्त पूंजी कंपनियों, सहकारी बैंकों और समितियों इत्यादि में राज्य सरकार के निवेश का विवरण दर्शाता है ।

विवरण क्रमांक 15 2003-04 के अंत तक पूंजीगत और अन्य व्यय एवं इस व्यय के लिए जिन मुख्य स्रोतों से निधियाँ जुटाई गईं को दर्शाता है ।

विवरण क्रमांक 16 ऋण, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा से सम्बधित लेखाओं के शीर्षों के अंतर्गत प्राप्तियों, संवितरणों और शेषों के विस्तृत लेखे दर्शाता है ।

विवरण क्रमांक 17 छत्तीसगढ़ सरकार के ऋणों और अन्य ब्याजधारी बाध्यताओं का विस्तृत लेखा प्रदर्शित करता है ।

विवरण क्रमांक 18 छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदान किए गए ऋणों और अग्रिमों का विस्तृत लेखा, वर्ष के दौरान ऋणों की राशि का पुनर्भुगतान, 31 मार्च 2004 की स्थिति में शेष और वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज की राशि का विवरण दर्शाता है ।

विवरण क्रमांक 19 चिन्हित रक्षित निधियों के शेषों का विवरण दर्शाता है।

1.2 गत वर्ष के संदर्भ में वित्त की प्रवृत्ति

गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान राज्य शासन की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार थी:-

(करोड़ रुपये में)

2002-03	क्रम संख्या	मुख्य संकलन	2003-04
भाग - क प्राप्तियाँ			
5417	1	राजस्व प्राप्तियाँ (2 + 3 + 4)	5959
2327	2	कर राजस्व	2588
957	3	कर भिन्न राजस्व	1124
2133	4	अन्य प्राप्तियाँ	2247
19	5	बिना ऋण वाली पूंजीगत प्राप्तियाँ	11
19	6	उनमें से ऋण की वसूली	11
5436	7	कुल प्राप्तियाँ (1 + 5)	5970
भाग-ख व्यय			
4291	8	आयोजनेत्तर व्यय (9+11)	5091
4260	9	राजस्व लेखों पर	5059
810	10	उनमें से ब्याज का भुगतान	1054
31	11	पूंजीगत लेखों पर	32
30	12	उनमें से ऋण वितरण	30
2118	13	आयोजना व्यय (14+15)	3083
1270	14	राजस्व लेखों पर	1541
848	15	पूंजीगत लेखों पर	1542
29	16	उनमें से ऋण वितरण ¹	528
6409	17	कुल व्यय (8+13)	8174
भाग-ग घाटा			
973	18	राजकोषीय घाटा (17-1-5)	2204
113	19	राजस्व घाटा (9+14-1)	641
163	20	प्रारम्भिक घाटा (+) आधिक्य (-) (18-10)	1150

¹ अन्तर्राज्यीय समाशोधन के समायोजन सहित ऋण एवं अग्रिम

1.3 वर्ष के लिए प्राप्तियों और संवितरण का सार

तालिका 1: जैसा कि वित्त लेखे के विवरण पत्र 1 एवं अन्य विस्तृत विवरण पत्रों से प्रकट होता है, वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों एवं व्यय, पूँजीगत प्राप्तियों व व्यय, लोक ऋण प्राप्तियों एवं संवितरण को समाहित कर वर्ष 2003-04 हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के वित्त को सारांशीकृत करती है।

तालिका 1: वर्ष 2003-04 हेतु प्राप्तियों और संवितरण का सार

(करोड़ रुपये में)

2002-03	प्राप्तियाँ	2003-04	2002-03	संवितरण	2003-04		
खण्ड-क राजस्व							
					आयोजनेतर	आयोजनागत	योग
5417	I राजस्व प्राप्तियाँ	5959	5530	I राजस्व व्यय	5059	1541	6600
2327	कर राजस्व	2588	1839	सामान्य सेवाएं	2152	2	2154
957	कर - भिन्न राजस्व	1124	2086	सामाजिक सेवाएं	1366	903	2269
1350	संघीय करों/ शुल्कों का अंश	1570	1443	आर्थिक सेवाएं	1281	636	1917
783	भारत सरकार से अनुदान	677	162	सहायता अनुदान / अंशदान	260	--	260
खण्ड-ख पूँजीगत							
--	II विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	--	820	II पूँजीगत परिव्यय	2	1014	1016
19	III ऋण और अग्रिमों की वसूलियाँ ²	11	59	III ऋण और अग्रिमों का संवितरण	30	528	558
1613	IV लोक ऋण प्राप्तियाँ	2432	413	IV लोक ऋण का भुगतान	778	--	778
6924	V लोक लेखा प्राप्तियाँ	7071	6644	IV लोक लेखा संवितरण	6824	--	6824
211	प्रारम्भिक शेष	718	718	अन्तिम शेष	415	--	415
14,184	योग	16,191	14,184	योग	13,108	3083	16,191

1.4 लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

वर्ष 2003-04 के वित्त लेखों के विवरण में प्राप्तियों एवं व्यय की मुख्य राजकोषीय प्रवृत्तियों को लेखापरीक्षा प्रेक्षणों द्वारा दर्शाया जाता है।

इस उद्देश्य के लिए अपनाए गए आधारभूत सूचक हैं (i) संसाधनों का परिमाण एवं स्रोत (ii) संसाधनों का उपयोग (iii) परिसम्पत्तियाँ और देयताएं और (iv) घाटे का प्रबंधन।

² अन्तर्राज्यीय समाशोधन के समायोजन सहित ऋण एवं अग्रिम

लेखापरीक्षा प्रेक्षणों में संसाधन के संग्रहण के प्रयत्नों के संचयी प्रभाव, ऋण सेवाओं और सुधारात्मक राजकोषीय उपायों को भी लिया गया है। कुल मिलाकर राज्य सरकार का वित्तीय निष्पादन एक निकाय के रूप में सामान्यतः राजकोषीय तत्वों की सापेक्ष व्याख्या हेतु अपनाए जाने वाले अनुपातों के एक समूह के उपयोग द्वारा प्रदर्शित किया गया है।

प्रतिवेदित मापदण्ड बॉक्स 1.2 में दर्शाए गए हैं ।

बॉक्स 1. 2 प्रतिवेदित मापदण्ड

राजकोषीय तत्व जैसे कर और कर भिन्न राजस्व, राजस्व और पूँजीगत व्यय, आंतरिक एवं बाह्य ऋण और राजस्व एवं राजकोषीय घाटे प्रचलित बाजार मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं । राज्य सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग द्वारा प्रकाशित 1993-94 पर आधारित नवीन सकल राज्य घरेलू उत्पाद श्रृंखला का उपयोग किया गया है ।

कर राजस्व, कर भिन्न राजस्व, राजस्व व्यय इत्यादि के लिए राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के आधार के संदर्भ में उतार-चढ़ाव की सीमा में आगामी अनुमानों पर तरलशीलता प्रक्षेत्र भी प्रस्तुत किए गए हैं ।

अधिकांश श्रृंखलाओं हेतु 2001-2004 के दौरान वृद्धि की प्रवृत्ति को दर्शाया गया है । राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में अनुपात भी दर्शाए गए हैं । कुछ शब्दों के उपयोग को परिशिष्ट- 1.5 में स्पष्ट किया गया है ।

राज्य सरकार के लेखे तीन भागों (i) समेकित निधि (ii) आकस्मिकता निधि और (ii) लोक लेखा में रखे गये हैं । ये बॉक्स 1.3 में परिभाषित हैं ।

बॉक्स 1.3 राज्य सरकार की निधियाँ और लोक लेखा

समेकित निधि	आकस्मिकता निधि
<p>राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, विनिमय पत्र द्वारा प्राप्त समस्त ऋण, आंतरिक और बाह्य ऋण और ऋणों के पुर्नभुगतान में सरकार द्वारा प्राप्त समस्त धन एक समेकित निधि का निर्माण करते है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अन्तर्गत यह निधि राज्य की समेकित निधि के नाम से स्थापित की गई है ।</p>	<p>भारत के संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अन्तर्गत राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना की गई। यह अग्रदाय के रूप में होती है, इसे अत्यावश्यक अनवेक्षित व्यय हेतु अग्रिम प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए राज्यपाल के अधीन रखा जाता है, इस व्यय को बाद में विधायिका द्वारा अधिकृत किया जाता है । बाद में विधानमंडल द्वारा ऐसे व्यय का अनुमोदन और समान राशि समेकित निधि से आहरण करने की अनुमति प्राप्त की जाती है । तब आकस्मिकता निधि से अग्रिमों की इस निधि (समेकित) द्वारा भरपाई की जाती है ।</p>

लोक लेखा

समेकित निधि से सम्बन्धित सरकार की सामान्य प्राप्तियों और व्यय के अतिरिक्त, ये शासकीय लेखे में दर्शाए जाने वाले ऐसे लेन-देन हैं, जिनके सम्बन्ध में सरकार, साहूकार के रूप में कार्य करती है । भविष्य निधियाँ, लघु बचतें, अन्य जमाएं, इत्यादि से सम्बन्धित लेन-देन, कुछ उदाहरण हैं । इस प्रकार प्राप्त लोक धन संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अन्तर्गत लोक लेखा के अंतर्गत रखा जाता है और इसी से सम्बन्धित संवितरणों को किया जाता है ।

आधारभूत सूचकों द्वारा राज्य की वित्तीय स्थिति

1.5 संसाधनों का परिमाण एवं स्रोत

राज्य सरकार के संसाधनों में राजस्व प्राप्तियाँ और पूँजीगत प्राप्तियाँ और लोक लेखा से प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, संघीय करों एवं शुल्क में राज्यांश और केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान सम्मिलित हैं। पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे विनिवेश से प्राप्तियाँ, ऋण और अग्रिमों की वसूली, आन्तरिक साधनों से प्राप्तियाँ अर्थात् बाजार से कर्ज, वित्तीय संस्थानों/व्यापारिक बैंकों इत्यादि से उधारियाँ आदि और भारत सरकार से ऋण और अग्रिम सम्मिलित हैं । लोक लेखों प्राप्तियों में लोक लेखा में नगद और नगद निवेश को छोड़कर सभी जमा सम्मिलित हैं ।

तालिका - 2 राज्य शासन की वर्ष 2003-04 के लिये 15,473 करोड़ रुपये की कुल प्राप्तियाँ दर्शाती है। इसमें से राज्य शासन की राजस्व प्राप्तियाँ केवल 5,959 करोड़ रुपये की हैं जो कुल प्राप्तियों का 39 प्रतिशत होती है। शेष प्राप्तियाँ उधारियों एवं लोक लेखे से प्राप्त हुईं।

तालिका 2: छत्तीसगढ़ के संसाधन (2003-04)

(करोड़ रुपये में)

I राजस्व प्राप्तियाँ			5959
II पूँजीगत प्राप्तियाँ			2443
(अ)	विविध प्राप्तियाँ	-	
(ब)	ऋणों और अग्रिमों की वसूली	11	
(स)	लोक ऋण प्राप्तियाँ	2432	
III लोक लेखा प्राप्तियाँ			7071
(अ)	लघु बचतें, भविष्य निधियाँ, इत्यादि	474	
(ब)	आरक्षित निधि	158	
(स)	जमा और अग्रिम	771	
(द)	उचंत और विविध	3612	
(य)	प्रेषण	2056	
कुल प्राप्तियाँ			15473

तालिका 3 राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में और विभिन्न स्रोतों से प्राप्तियों में वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाई गई है। जहां 2001-02 से राजस्व प्राप्तियाँ 36 प्रतिशत बढ़ी, ऋण प्राप्तियाँ 144 प्रतिशत बढ़ी।

तालिका-3 प्राप्तियों के साधन: प्रवृत्तियाँ

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	राजस्व प्राप्तियाँ	पूँजीगत प्राप्तियाँ		लोक लेखा से प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
		ऋण भिन्न प्राप्तियाँ	ऋण प्राप्तियाँ			
2000-01 ³	1883	01	348	2009	4241	10782
2001-02	4376	09	995	5620	11000	29518 ⁴
2002-03	5417	19	1613	6924	13973	29715 ⁴
2003-04	5959	11	2432	7071	15473	32321

³ (1 नवम्बर 2000 से 31 मार्च 2001)

⁴ राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़े संशोधित कर दिए गए हैं जो कि क्रमशः 29,517.90 तथा 29,714.68 करोड़ रुपये हैं।

1.5.1 राजस्व प्राप्तियाँ-

सरकार की राजस्व प्राप्तियों का विवरण वित्त लेखे के विवरण पत्र 11 में है। राज्य की राजस्व प्राप्तियों में राज्य का अपना कर और कर भिन्न राजस्व, भारत सरकार से अंतरित केन्द्रीय कर और सहायता अनुदान सम्मिलित हैं।

समग्र राजस्व प्राप्तियाँ, उनकी वार्षिक वृद्धि की दर, इन प्राप्तियों का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात और इनकी तरलशीलता तालिका 4 में दर्शाई गई है।

तालिका-4 राजस्व प्राप्तियाँ - आधारभूत मानदण्ड

(मूल्य: करोड़ रुपये में और अन्य प्रतिशत में)

	2001-02*	2002-03	2003-04
राजस्व प्राप्तियाँ (करोड़ में)	4376	5417	5959
स्वयं के कर (प्रतिशत)	45.6	43.0	43.4
कर भिन्न राजस्व (प्रतिशत)	16.5	17.7	18.9
केन्द्रीय कर अंतरण (प्रतिशत)	26.9	24.9	26.3
सहायता अनुदान (प्रतिशत)	11.0	14.5	11.4
वृद्धि की दर (प्रतिशत)	-- *	23.8	10.0
राजस्व प्राप्तियाँ/राज्य सकल घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	14.8	18.2	18.4
राज्य सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि (प्रतिशत)	- *	0.667	8.77 ⁵
राजस्व तरलशीलता (अनुपात)	- *	35.7	1.14


* छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवम्बर 2004 को हुआ था। इसलिए वृद्धि की दर, राजस्व तरलशीलता और राज्य सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि निर्धारित नहीं की गई।

राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ 2002-03 की 5417 करोड़ रुपये से बढ़कर 2003-04 में 5959 करोड़ रुपये हो गईं। प्राथमिक रूप से 2003-04 में राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि भारत सरकार के केन्द्रीय करों और शुल्क में राज्य के अंश में 16 प्रतिशत की वृद्धि, कर भिन्न राजस्व में 18 प्रतिशत की वृद्धि और कर राजस्व में 11 प्रतिशत की वृद्धि के कारण थी। राज्य सरकार के अपने संसाधनों से औसतन 62 प्रतिशत का राजस्व आया। सहायता अनुदान और केन्द्रीय कर अंतरण दोनों का कुल राजस्व में लगभग 38 प्रतिशत अभिदान था। कर राजस्व के मुख्य स्रोत विक्रय कर (50 प्रतिशत), राज्य आबकारी (15 प्रतिशत), वस्तुओं और यात्रियों पर कर (9 प्रतिशत), मुद्रांक और पंजीयन शुल्क (7 प्रतिशत), इत्यादि थे। कर-भिन्न राजस्व मुख्य रूप से खनन और धातुकर्म उद्योग (56 प्रतिशत) और वन एवं वन्य जीवन (13 प्रतिशत) से प्राप्त हुआ। सकल

⁵ राज्य शासन द्वारा बताए गए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संशोधित आंकड़ों (2001-02) 29,517.90 करोड़ रुपये एवं (2002-03) 29,714.68 करोड़ रुपये के आधार पर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की गणना की गई है।

राज्य घरेलू उत्पाद के साथ-साथ राजस्व में महत्वपूर्ण सकारात्मक वृद्धि की प्रवृत्ति की अपेक्षा राजस्व तरलशीलता लगातार बढ़ती रही ।

(करोड़ रुपये में)



1.5.2 राजस्व बकाया का विश्लेषण

राजस्व के कुछ मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2004 की स्थिति में राजस्व बकाया की राशि 130.12 करोड़ रुपये थी जिसमें से 58.44 करोड़ रुपये (45 प्रतिशत) 5 वर्षों से अधिक समय से लम्बित थे।

बकाया मुख्य रूप से वाणिज्यिक कर (96.57 करोड़ रुपये), वाहनों पर कर (4.06 करोड़ रुपये), राज्य आबकारी (20.25 करोड़ रुपये) और मुद्रांक एवं पंजीयन फीस (1.51 करोड़ रुपये), विद्युत प्रभार पर कर (7.73 करोड़ रुपये) से संबंधित थे । राजस्व बकाया में बढ़ने की प्रवृत्ति पाई गई और यह कुल कर और कर-भिन्न प्राप्तियों का 4 प्रतिशत थी । राजस्व बकाया की खराब स्थिति राज्य सरकार द्वारा राजस्व की वसूली प्रयत्नों में बरती जा रही शिथिलता का परिचायक थी ।

1.6 संसाधनों की प्रयुक्ति

1.6.1 वृद्धि की प्रवृत्ति

वित्त लेखों के विवरण पत्र 12 में लघु शीर्षवार विस्तृत राजस्व व्यय और मुख्य शीर्षवार पूँजीगत व्यय को अंकित कर कुल व्यय दर्शाया जाता है। राज्य में कुल व्यय 2001-02 के 5,502 करोड़ रुपये से बढ़कर 2003-2004 में 8,174 करोड़ रुपये हो गया ।

राज्य का कुल व्यय, इसकी वार्षिक वृद्धि, राजस्व प्राप्तियाँ एवं राज्य के सकल घरेलू उत्पाद से इसका अनुपात एवं इसकी तरलशीलता तालिका-5 में निम्नानुसार दर्शाई गई है :

तालिका-5 कुल व्यय - आधारभूत मानदण्ड

	2001-02	2002-03	2003-04
कुल व्यय (करोड़ रुपये में)	5502	6409	8174
वृद्धि की दर (प्रतिशत में)	--	16.5	27.5
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	18.6	21.6	25.3
राजस्व प्राप्तियाँ/कुल व्यय (प्रतिशत में)	79.5	84.5	72.9
कुल व्यय की निम्न से तरलशीलता			
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	--	24.74	3.14 ⁶
राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात)	--	0.693	2.75

कुल व्यय का 73 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियों से वित्तपोषित था एवं शेष उधारियों से वहन किया गया था ।

क्रियाकलापों के सम्बन्ध में ब्याज भुगतान सहित सामान्य सेवाओं, सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर व्यय तथा ऋण एवं अग्रिमों को मिलाकर कुल व्यय माना जा सकता था। कुल व्यय में इन घटकों से संबंधित अंश को तालिका-6 में दर्शाया गया है।

तालिका-6 व्यय के घटक- सम्बन्धित अंश (प्रतिशत में)

	2001-02	2002-03	2003-04
सामान्य सेवाएं	32.1	29.0	26.6
सामाजिक सेवाएं	36.7	34.7	30.0
आर्थिक सेवाएं	27.3	32.9	33.3
सहायता अनुदान	2.4	2.5	3.2
ऋण एवं अग्रिम ⁷	1.5	0.9	6.8

ब्याज के भुगतानों में तीव्र वृद्धि के कारण, कुल व्यय में ब्याज भुगतानों का संबंधित अंश वर्षों से बढ़ता रहा है । 2003-04 में कुल व्यय का गैर-विकासात्मक व्यय (सामान्य सेवाएं मय ब्याज भुगतान) 27 प्रतिशत, विकासात्मक व्यय (सामाजिक सेवाओं और आर्थिक सेवाओं पर) 63 प्रतिशत तथा ऋण एवं अग्रिमों तथा सहायता अनुदान की 10 प्रतिशत गणना की गई ।

1.6.2 राजस्व व्यय का संयोग

कुल व्यय में राजस्व व्यय का विशिष्ट अंश था । राजस्व व्यय आमतौर पर वर्तमान स्तर

⁶ राज्य सकल घरेलू उत्पाद के संशोधित आंकड़ों (2001-02) 29,517.90 करोड़ रुपये एवं (2002-03) 29,714.68 करोड़ रुपये के आधार पर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की गणना की गई है ।

⁷ अन्तर्राज्यीय समाशोधन सम्मिलित है ।

की परिसम्पत्तियों और सेवाओं के रख-रखाव हेतु किया जाता है। कुल मिलाकर राजस्व व्यय, उसकी वृद्धि की दर, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद एवं राजस्व प्राप्तियों से राजस्व व्यय का अनुपात एवं इसकी तरलशीलता तालिका-7 में निम्नानुसार दर्शाई गई है :-

तालिका-7 राजस्व व्यय- आधारभूत मापदण्ड

	2001-02	2002-03	2003-04
राजस्व व्यय (करोड़ रुपये में)	4945	5530	6600
वृद्धि की दर (प्रतिशत में)	--	11.8	19.3
राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	16.8	18.6	20.4
कुल व्यय से राजस्व व्यय का प्रतिशत	89.9	86.3	80.7
राजस्व प्राप्तियों से राजस्व व्यय का प्रतिशत	113.0	102.0	110.8
निम्न से राजस्व व्यय की तरलशीलता			
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	--	17.7	2.2
राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात)	--	0.497	1.93

राज्य का राजस्व व्यय 2001-02 के 4,945 करोड़ रुपये से बढ़कर 2003-04 में 6,600 करोड़ रुपये हो गया। राजस्व व्यय का आयोजनेतर घटक 77 प्रतिशत था जबकि आयोजना व्यय केवल 23 प्रतिशत था। खंडवार व्यय दर्शाता है कि सामान्य सेवाओं (ब्याज भुगतान सहित) पर 33 प्रतिशत (2,154 करोड़ रुपये), सामाजिक सेवाओं पर 34 प्रतिशत (2,269 करोड़ रुपये) और आर्थिक सेवाओं पर केवल 29 प्रतिशत (1,917 करोड़ रुपये) व्यय था।

2003-04 के दौरान राजस्व व्यय कुल उपलब्ध निधियों का 43 प्रतिशत लेखांकित किया गया। यह राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों के अंश (कुल प्राप्तियों का 39 प्रतिशत) से कुछ ही अधिक था, जिसके कारण राजस्व घाटा हुआ। राजस्व प्राप्तियों से राजस्व व्यय का अनुपात 2001-02 के 113 प्रतिशत से घटकर 2002-03 में 102 प्रतिशत रह गया, लेकिन 2003-04 में बढ़कर 111 प्रतिशत हो गया और राजस्व घाटा भी 2002-03 में 568.66 करोड़ रुपये से घटकर 112.70 करोड़ रुपये रह गया, बाद में 2003-04 में बढ़कर 641.10 करोड़ रुपये हो गया।

1.6.3 उच्च वेतन और पेन्शन व्यय

राज्य की राजस्व प्राप्तियों के लगभग 42 प्रतिशत का अकेले वेतन एवं पेन्शन भुगतानों में ही उपयोग किया गया था। यह व्यय 2001-02 के 2,284 करोड़ रुपये से घटकर 2002-03 में 2,214 करोड़ रुपये रह गया लेकिन 2003-04 में बढ़कर 2,518 करोड़ रुपये हो गया जैसा कि तालिका- 8 में दर्शाया गया है :-

तालिका-8

(करोड़ रुपये में)

शीर्ष	2001-02	2002-03	2003-04
वेतन और पेन्शन व्यय	2283.56	2213.66	2517.69
राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत	52.2	40.9	42.3
राजस्व व्यय से प्रतिशत	46.2	40.0	38.1

उन सभी कर्मचारियों, जिनकी नियुक्ति 1 नवम्बर 2004 को या उसके बाद हुई है, के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अंशदायी पेन्शन योजना लागू किया जाना प्रक्रिया में है।

1.6.4 ब्याज भुगतान

विशुद्ध रूप से मुख्यतः राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण हेतु उधारियों पर अनवरत निर्भरता के कारण ब्याज भुगतान 2001-02 के 731 करोड़ रुपये से बढ़कर 2003-04 में 1,054 करोड़ रुपये हो गए।

तालिका-9

वर्ष	ब्याज भुगतान	निम्न के संदर्भ में ब्याज भुगतान का प्रतिशत	
	(करोड़ रुपये में)	राजस्व प्राप्तियाँ	राजस्व व्यय
2001-02	731	16.7	14.8
2002-03	810	15.0	14.6
2003-04	1,054	17.7	16.0

1.7 आवंटन प्राथमिकताओं पर व्यय

वित्त लेखों के विवरण पत्र- 12 में दर्शाए गए राज्य के आयोजना व्यय, पूंजीगत व्यय एवं विकासात्मक व्यय की प्रकृति वाले वास्तविक व्यय राज्य की आवंटन प्राथमिकताओं को प्रतिबिम्बित करते हैं। कुल व्यय के इन घटकों का उंचा अनुपात व्यय की अच्छी गुणवत्ता दर्शाता है। राज्य के कुल व्यय में इन घटकों के व्यय अंश का प्रतिशत नीचे तालिका- 10 में दिया गया है।

तालिका-10 व्यय की गुणवत्ता (कुल व्यय का प्रतिशत)⁸

	2001-02	2002-03	2003-04
आयोजनागत व्यय	28.2	33.0	37.7
पूँजीगत व्यय ⁹	10.1	13.7	19.3
विकासात्मक व्यय	64.0	67.6	63.4

2003-04 में आयोजनागत व्यय 2001-02 के कुल व्यय के 28 प्रतिशत से बढ़कर 38 प्रतिशत हो गया। 2003-04 में पूँजीगत व्यय 2001-02 के 10 प्रतिशत से बढ़कर 19 प्रतिशत हो गया है।

2003-04 में विकासात्मक व्यय (5,180 करोड़ रुपये) में से सामाजिक सेवाओं पर 47 प्रतिशत व्यय (2,454 करोड़ रुपये) लेखांकित किया गया जिसमें से 63 प्रतिशत सामान्य शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं जल प्रदाय व मल निकास वाले सामाजिक क्षेत्र पर व्यय किया गया।

तालिका-11 सामाजिक क्षेत्र का व्यय

(करोड़ रुपये में)

	2001-02	2002-03	2003-04
सामान्य शिक्षा	697	750	969
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	244	272	292
जल प्रदाय एवं मल निकास	254	281	287
योग	1195	1303	1548

इसी प्रकार विकासात्मक व्यय का 53 प्रतिशत (2725 करोड़ रुपये) आर्थिक सेवाओं पर लेखांकित किया गया। जिसमें से 46 प्रतिशत व्यय इस क्षेत्र के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (550 करोड़ रुपये), परिवहन (484 करोड़ रुपये) तथा ऊर्जा (208 करोड़ रुपये) पर लेखांकित किए गए हैं।

⁸ ऋणों एवं अग्रिमों पर व्यय तथा अन्तर्राज्यीय समाशोधन सहित कुल व्यय

⁹ ऋण एवं अग्रिम तथा अन्तर्राज्यीय समाशोधन सम्मिलित

तालिका-12 आर्थिक क्षेत्र का व्यय

(करोड़ रुपये में)

	2001-02	2002-03	2003-04
ऊर्जा	82	86	208
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	289	525	550
परिवहन	233	428	484
योग	604	1039	1242

1.7.1 स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

स्वायत्त संस्थाओं एवं प्राधिकरणों द्वारा गैर वाणिज्यिक आधार पर लोक उपयोगी सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। ये निकाय/संस्थाएँ शासन से सारभूत वित्तीय सहायता प्राप्त करती हैं। राज्य सहकारी समितियाँ अधिनियम, कम्पनी अधिनियम, 1956 आदि के अन्तर्गत पंजीकृत अन्य संस्थाओं को भी शासन के विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करने के लिये सरकार द्वारा सारभूत वित्तीय सहायता दी जाती है। शासन द्वारा यह अनुदान मुख्यतः शैक्षणिक संस्थाओं, अस्पतालों, धार्मिक संस्थाओं के रखरखाव, शालाओं एवं अस्पताल भवनों के निर्माण एवं रख-रखाव, सड़कों का सुधार एवं नगरपालिका व स्थानीय संस्थाओं के अधीन अन्य संचार सुविधाओं हेतु दिया जाता है।

नवम्बर 2000 से मार्च 2004 की अवधि के दौरान विभिन्न संस्थाओं को दी गई सहायता की मात्रा निम्नानुसार थी-

तालिका-13

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	निम्न हेतु सहायता	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
1.	शिक्षा	32.38	86.75	89.94	118.06
2.	शक्ति/ऊर्जा	--	64.25	65.00	88.27
3.	जल प्रदाय/मल निकास /आवास एवं शहरी विकास	4.91	8.76	34.91	28.09
4.	कृषि एवं सहायक गतिविधियाँ	--	15.60	16.46	12.16
5.	अन्य विकासात्मक गतिविधि	0.13	2.03	4.96	0.86
	योग	37.42	177.39	211.27	247.44
	राजस्व प्राप्तियों से सहायता का प्रतिशत		4.01	3.9	4.2
	राजस्व व्यय से सहायता का प्रतिशत	--	3.6	3.8	3.7

सहायता अनुदानों के नियमों एवं विभाग द्वारा जारी स्वीकृतियों में अपेक्षित है कि विशिष्ट

उद्देश्य के लिये जारी किए गए अनुदान का उसी वित्त वर्ष के दौरान पूरी तरह उपयोग होना चाहिये। शेष राशि, यदि कोई हो, तो उसे शासन को अतिशीघ्र वापस कर देना चाहिये। तथापि वर्ष 2003-04 के दौरान विभिन्न संस्थाओं/निकायों को जारी किए गए अनुदान का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया गया। वर्ष में कुल 247.44 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया जिसमें से 122.59 करोड़ रुपये की राशि का व्यय नहीं किया गया और बचत का प्रतिशत 2 से 100 तक रहा। अनुदानों का उपयोग करने की विभागावार जानकारी **परिशिष्ट 1.6** में दी गई है।

निर्देशों के अनुसार अनुदाननी संस्था से यह अपेक्षित है कि प्राप्त अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे। अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि 2000-01 से 2003-04 के दौरान स्वीकृत अनुदानों संबंधी 207.74 करोड़ रुपये की राशि के 225 उपयोगिता प्रमाण पत्र अगस्त 2004 तक लंबित थे (**परिशिष्ट- 1.7**)।

2001-04 की अवधि हेतु 15 अनुदाननी संस्थाओं से वार्षिक लेखे एवं वित्तीय सहायता उपयोगिता के विवरण लंबित थे।

1.8 परिसम्पत्तियाँ एवं देयताएँ

सरकारी लेखांकन पद्धति में सरकार के स्वामित्व वाली स्थायी परिसम्पत्तियों जैसे भूमि एवं भवन का व्यापक लेखांकन नहीं किया जाता। तथापि, सरकारी लेखाओं में सरकार की वित्तीय देयताओं तथा किए गए व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों का समावेश किया जाता है। वित्त लेखे के विवरण पत्र 16 सहपठित विस्तृत विवरण पत्र-17 में ऋण, जमा एवं प्रेषण शीर्षों जिनसे देयताओं एवं परिसम्पत्तियों की संगणना की जाती है, के अंतर्गत वर्ष के अन्त में शेष दर्शाते हैं।

परिशिष्ट-1.1 में 31 मार्च 2004 को ऐसी देयताओं तथा परिसम्पत्तियों की 31 मार्च 2003 की स्थिति से तुलना कर सार प्रस्तुत किया गया है। इस विवरण पत्र में मुख्य रूप से राज्य सरकार द्वारा ली गई उधारियाँ जैसे कि आन्तरिक उधारियाँ, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखे एवं आरक्षित निधि की प्राप्तियों से निर्मित देयताएं समाविष्ट हैं। परिसम्पत्तियों में मुख्य रूप से पूँजीगत व्यय एवं राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम समाविष्ट हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार की देयताओं को वित्त लेखे में दर्शाया गया है। तथापि, इनमें राज्य के कार्यरत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों को देय पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों एवं राज्य द्वारा जारी गारंटियों/सुविधा पत्रों को शामिल नहीं किया गया है। **परिशिष्ट- 1.1** से **1.4** में 2002-03 एवं 2003-04 की अवधि के मध्य राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति की तुलना दर्शाई गई है।

1.8.1 सिंचाई कार्यों के वित्तीय परिणाम

अवधि के दौरान 87.02 करोड़ रुपये के राजस्व व्यय वाली वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं के वित्तीय परिणामों से प्रकट हुआ कि 2003-04 के दौरान इन परियोजनाओं से प्राप्त राजस्व (44.85 करोड़ रुपये) इन पर किए गए राजस्व व्यय का

मात्र 52 प्रतिशत था।

1.8.2 अपूर्ण परियोजनाएं

31 मार्च 2004 तक 2,437.87 करोड़ रुपये के संचयी निवेश वाली कम से कम 70 परियोजनाएँ निर्माणाधीन थीं। निर्माणाधीन एवं अपूर्ण परियोजनाओं की पूर्ण सूची प्रतीक्षित थी।

1.8.3 निवेश एवं प्रतिफल

सरकार द्वारा विकासात्मक, निर्माणात्मक, विपणन एवं सामाजिक गतिविधियों के संवर्धन हेतु पूँजीगत परिव्यय में निवेश किया जाता है। निवेशों के वर्षवार विवरण एवं प्राप्त लाभांश/ब्याज निम्नानुसार थे :

तालिका 14: निवेश पर प्रतिफल

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	वर्ष के अंत में निवेश	प्रतिफल
2001-02	15.29	5.00
2002-03	35.94	25.57
2003-04	56.94	34.82

2003-04 के दौरान घोषित लाभांश/प्राप्त ब्याज एवं सरकार को जमा की गई राशि 34.82 करोड़ रुपये थी। इसमें संयुक्त मध्यप्रदेश राज्य द्वारा सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त पूँजी कम्पनियों, तथा सहकारी संस्थाओं में निवेश किए गए कुल 1,620 करोड़ रुपये पर प्रतिफल सम्मिलित है जिसका अभी उत्तराधिकारी राज्यों के मध्य बंटवारा किया जाना है।

राज्यों के मध्य बंटवारे के पश्चात् ही प्रतिफल के प्रतिशत की गणना की जा सकती है।

1.8.4 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सरकार, विकासात्मक एवं गैर विकासात्मक क्रियाकलापों के लिये सरकारी कम्पनियों, निगमों, स्थानीय निकायों, स्वायत्तशासी निकायों, सहकारी, गैर सरकारी संस्थाओं आदि को ऋण एवं अग्रिम प्रदान करती है। अप्रैल 2001 से मार्च 2004 तक की अवधि हेतु दिए गए ऋण एवं अग्रिम की स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका 15: राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम

(करोड़ रुपये में)

	2001-02	2002-03	2003-04
प्रारंभिक शेष	138.33	184.34	223.58
वर्ष के दौरान अग्रिम की राशि	49.52	57.70	557.68
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	3.51	18.46	10.64
अंतिम शेष	184.34	223.58	770.62
निवल वृद्धि (+)/कमी(-)	46.01	39.24	547.04

1.8.5 रोकड़ शेषों का प्रबन्धन

सामान्य रोकड़ शेष समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखे के संयुक्त शेषों को प्रदर्शित करता है।

रिजर्व बैंक के साथ किये गये एक अनुबंध के तहत 1 नवम्बर 2000 से छत्तीसगढ़ सरकार को प्रत्येक दिन बैंक में 0.72 करोड़ रुपये का न्यूनतम शेष रखना ही है। बैंक प्रत्येक कार्य दिवस के अन्त में सरकार को बैंक में उनके दैनिक शेष की सूचना तार द्वारा देता है। यदि यह शेष राशि साप्ताहिक निपटारे के दिनों में सहमत न्यूनतम शेष राशि से कम होती है तो इस कमी की पूर्ति भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम (सामान्य या विशेष) लेकर या भारत सरकार के विनिमय पत्रों को बेचकर की जाती है। सामान्य अर्थोपाय अग्रिम पर 6.00 प्रतिशत ब्याज लगता है। इसके अतिरिक्त, जब आवश्यक हो राज्य शासन द्वारा अधिविकर्ष भी लिया जाता है। यह अवलोकन किया गया कि शासन द्वारा 2003-04 के दौरान शासन द्वारा किसी भी अर्थोपाय अग्रिम का उपयोग नहीं किया गया।

1.8.6 अदेय देयताएं

राजकोषीय देयताएं - भारत के संविधान में यह व्यवस्था है कि राज्य भारत के गणराज्य की सीमा के भीतर, राज्य की समेकित निधि की जमानत पर उन सीमाओं के अंदर यदि कोई हो जैसा कि राज्य विधायिका के अधिनियम के द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया गया हो, उधार ले सकता है। राज्य विधायिका द्वारा ऐसी कोई सीमा निर्धारित करने हेतु नियम पारित नहीं किया गया है।

यह अवलोकन किया गया कि राज्य की राजकोषीय देयताएं 2001-02 की 7,421 करोड़ रुपये से बढ़कर 2003-04 में 11,144 करोड़ रुपये हो गई हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद से इन देयताओं का 2001-02 का 25 प्रतिशत का अनुपात 2003-04 में बढ़कर 34 प्रतिशत हो गया है, जो राजस्व प्राप्तियों का 1.87 गुनी थीं।

तालिका-16 में राज्य की राजकोषीय देयताओं, इसकी वृद्धि दर, सकल राज्य घरेलू

उत्पाद/राजस्व प्राप्तियों से इन देयताओं का अनुपात और अपने संसाधनों एवं इन देयताओं की तरलशीलता संबंधी मानदण्ड दिए गए हैं।

तालिका 16: राजकोषीय देयताएं -मूलभूत मानदण्ड

	2001-02	2002-03	2003-04
राजकोषीय देयताएं (करोड़ रुपये में)	7,421	9,245 ¹⁰	11,144
वृद्धि की दर (प्रतिशत में)	*	24.6	20.5 ¹¹
निम्न से राजकोषीय देयताओं का अनुपात			
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	25.1	31.1	34.5
राजस्व प्राप्तियां (प्रतिशत में)	169.6	170.7	187.0
निम्न से राजकोषीय देयताओं की तरलशीलता¹²			
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात में)	*	36.88	2.34
राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात में)	*	1.03	2.05

* चूंकि राज्य की स्थापना 1 नवम्बर 2000 को हुई है इसलिए विचार नहीं किया गया।

आकस्मिक देयताएं

सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों तथा सहकारी संस्थाओं आदि के द्वारा सृजित कुछ निश्चित देयताओं जैसे ऋणों के पुनर्भुगतान, अंश पूंजी आदि के लिए तथा इनके द्वारा ब्याज एवं लाभांश के भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा गारंटी दी जाती है। ये राज्य की आकस्मिक देयताएं निर्मित करती हैं। राज्य विधानमण्डल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 293 के अधीन ऐसी अधिकतम सीमा निर्धारित करने वाला कोई नियम पारित नहीं किया गया है जिस तक राज्य की संचित निधि की जमानत पर सरकार गारंटी दे सकती है। वित्त लेखे का विवरण पत्र-6 दर्शाता है कि मार्च 2004 तक सरकार द्वारा संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी बैंकों एवं समितियों तथा नगरपालिकाओं, निगमों एवं नगरक्षेत्रों को 807 करोड़ रुपये राशि की गारंटी दी गई। 31 मार्च 2004 की स्थिति में 295 करोड़ रुपये की गारंटी लंबित थी। 1 नवम्बर 2000 से पूर्व संयुक्त मध्यप्रदेश राज्य द्वारा 9,710 करोड़ रुपये की गारंटी दी गई थी, इसमें 43 करोड़ रुपये का बंटवारा हो गया है एवं शेष 9,667 करोड़ रुपये की गारंटी को अभी भी मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के उत्तरवर्ती राज्यों के मध्य विभाजित किया जाना है।

¹⁰ मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अंतर्गत निधि का बंटवारा होने के कारण वित्त लेखे 2003-04 में प्रारंभिक शेष 8910 करोड़ रुपये के स्थान पर 9245 करोड़ रुपये दर्शाया गया है।

¹¹ वर्ष 2002-03 की राजकोषीय देयताओं को वित्त लेखे वर्ष 2003-04 में संशोधित कर 9245 करोड़ रुपये किया गया है।

¹² 2002-03 में राजकोषीय देयताओं को 9245 करोड़ रुपये मान कर गणना की गई है।

बढ़ती देयताएं राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति के स्थायित्व की समस्या उठाती है। राजकोषीय दायित्वों के स्थायित्व के सूचकों में से एक राजकोषीय देयताओं पर भारित ब्याज दर तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के मध्य सकारात्मक उपस्थिति है। राजकोषीय देयताओं की स्थिरता के संदर्भ में भारित ब्याज दर, सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर एवं ब्याज को तालिका- 17 में दर्शाया गया है।

तालिका-17 ऋण स्थिरता

ब्याज दर एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि (प्रतिशत में)

	2001-02	2002-03	2003-04
भारित ब्याज दर	*	9.7	10.3 ¹³
सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि	*	0.667	8.77 ¹⁴
ब्याज	*	(-) 9.03	(-) 1.53

* राज्य की स्थापना 1 नवम्बर 2000 को होने के कारण विचार नहीं किया गया।

मूलधन एवं ब्याज के भुगतान के पश्चात निधियों की निवल उपलब्धता राजकोषीय देयताओं की स्थिरता का एक महत्वपूर्ण सूचक है। पिछले 3 वर्षों में राजकोषीय देयताओं के विभिन्न घटकों के संबंध में प्राप्तियों एवं पुर्नभुगतान की स्थिति तालिका-18 में दी गई है।

तालिका - 18 उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता

(करोड़ रुपये में)

	2001-02	2002-03	2003-04
आन्तरिक ऋण			
(क) प्राप्तियां	653.75	1179.19	1977.60
(ख) पुनर्भुगतान (मूलधन+ब्याज (शोधन निधि सहित))	341.51	417.09	588.53
(ग) उपलब्ध निवल निधि (क-ख)	312.24	762.10	1389.07
(घ) उपलब्ध निवल निधियां (प्रतिशत) उ.नि.नि X 100/प्राप्तियाँ	48	65	70
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम			
(च) प्राप्तियाँ	340.86	434.12	454.39
(छ) पुनर्भुगतान (मूलधन+ब्याज)	501.13	754.39	1096.61
(ज) उपलब्ध निवल निधियां (च-छ)	(-)160.27	(-)320.27	(-) 642.22
(झ) उपलब्ध निवल निधियां (प्रतिशत)	(-) 47	(-) 74	(-) 141

¹³ 2002-03 के लिए राजकोषीय देयताएं 8,909.54 करोड़ रुपये के स्थान पर 9,244.80 करोड़ रुपये के आधार पर भारित ब्याज दर की गणना की गई है।

¹⁴ 2002-03 के लिए संशोधित आंकड़े 29,714.68 करोड़ रुपये के आधार पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि की गणना की गई है।

कुल लोक ऋण			
(त) प्राप्तियाँ	994.61	1613.31	2431.99
(थ) पुनर्भुगतान (मूल+ब्याज)	842.64	1171.48	1685.14
(द) उपलब्ध निवल निधियां (त-थ)	151.97	441.83	746.85
(ध) उपलब्ध निवल निधियां (प्रतिशत)	15.3	27.4	30.7

1.9 घाटे का प्रबन्धन

1.9.1 राजकोषीय असन्तुलन

सरकारी लेखे में घाटा उसकी प्राप्तियों एवं व्यय के मध्य अंतर को दर्शाता है। घाटे की प्रकृति राजकोषीय प्रबंधन में सरकार की दूरदर्शिता का सूचक है। इसके अतिरिक्त, घाटे की वित्त व्यवस्था के उपाय तथा इस हेतु सृजित एवं उपयोग किए गए संसाधन राजकोषीय स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण सूचक होते हैं।

राज्य का राजस्व घाटा (वित्त लेखे का विवरण पत्र-1) जो राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय का आधिक्य दर्शाता है 2001-02 के 569 करोड़ रुपये से घटकर वर्ष 2002-03 में 113 करोड़ रुपये रह गया, लेकिन 2003-04 में पुनः बढ़कर 641 करोड़ रुपये हो गया। राजकोषीय घाटा जो सरकार की कुल उधारियों एवं कुल संसाधनों के अन्तर को प्रदर्शित करता है, भी वर्ष 2001-02 के 1,117 करोड़ रुपये से घटकर 2002-03 में 973 करोड़ रुपये रह गया और पुनः 2003-04 में बढ़कर 2204 करोड़ रुपये हो गया। राज्य का वित्त भी प्रारंभिक घाटे में 2001-02 के 386 करोड़ रुपये से 2002-03 में 163 करोड़ रुपये तक घटने की प्रवृत्ति के पश्चात 2003-04 में बढ़कर 1,150 करोड़ रुपये होने की तीव्र वृद्धि दर्शाता है जैसा कि तालिका-19 में दर्शाया गया है।

तालिका-19: राजकोषीय असन्तुलन -आधारभूत मापदण्ड

	2001-02	2002-03	2003-04
राजस्व घाटा (करोड़ रुपये में)	569	113	641
राजकोषीय घाटा (करोड़ रुपये में)	1117	973	2204
प्रारंभिक घाटा(-)/आधिक्य (+) (करोड़ रुपये में)	386	163	1150
राजस्व घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	1.9	0.3	2.0
राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	3.8	2.9	6.8
प्रारंभिक घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	1.3	0.5	3.6
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा (प्रतिशत)	50.9	11.6	29.1

राजकोषीय घाटे से राजस्व घाटे का अनुपात 2001-02 के 51 प्रतिशत से घटकर 2002-03 में 12 प्रतिशत रह गया तथा 2003-04 में बढ़कर 29 प्रतिशत हो गया। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के संबंध में राजस्व घाटा 2003-04 में 2 प्रतिशत

तक तथा राजकोषीय घाटा 7 प्रतिशत तक बढ़ा था। राजस्व घाटे की उपस्थिति यह इंगित करती है कि राज्य की प्राप्तियाँ राजस्व व्यय को वहन करने में सक्षम नहीं थीं तथा सरकार को वर्तमान दायित्वों को पूरा करने के लिये निधियाँ उधार लेनी पड़ी। तालिका भी यह दर्शाती है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में घाटे अधिक तेजी से बढ़ रहे हैं। यह भी प्रदर्शित होता है कि परिसंपत्ति-देयताएं बेमेल हैं।

1.10 राजकोषीय अनुपात

राज्य की वित्त व्यवस्था सुदृढ़, लचीली एवं अभेद्य होना चाहिये। कुछ मूल संदर्शकों जो उपलब्ध संसाधनों की यथेष्टता एवं प्रभावशीलता व इनके उपयोग का आँकलन करते हैं, संबंधित क्षेत्रों को प्रकाश में लाते हैं एवं इसके महत्वपूर्ण पक्षों को ग्रहण करते हैं, के संदर्भ में 2001-04 में सरकार के वित्त की सारांशीकृत स्थिति नीचे तालिका- 20 में दर्शाई गई है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजस्व प्राप्तियों एवं राज्य के स्वयं के करों का अनुपात संसाधनों की पर्याप्तता दर्शाता है। राजस्व प्राप्तियों की तरलशीलता, कर प्रणाली की प्रकृति एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि से, संसाधनों पर राज्य की बढ़ती हुई पहुंच को दर्शाती है। कर प्राप्तियों में राज्य के संसाधनों से कर एवं कर भिन्न राजस्व ही नहीं अपितु केन्द्र सरकार से अंतरण भी शामिल हैं। यह उन संसाधनों के कुल योग को दर्शाता है जिन तक राज्य को पहुंच बनानी है, जिनके लिए कोई प्रत्यक्ष सेवाएं, प्रावधान, दायित्व नहीं है व इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं हेतु उपयोगकर्ता प्रभार नहीं वसूले जाते एवं इन केन्द्रीय पूल वाले संसाधनों पर राज्य की पात्रता है। ये अनुपात 2001-04 के दौरान संसाधनों की तरलशीलता एवं सुदृढ़ता को इंगित करते हुए अनवरत सुधार दिखा रहे थे।

राज्य के व्यय प्रबन्धन से सम्बन्धित विभिन्न अनुपात इसके व्यय की गुणवत्ता एवं साधनों की तरलशीलता एवं संबंधित सुदृढ़ता को इंगित करते हैं। 2002-03 की तुलना में वर्ष 2003-04 में कुल व्यय से राजस्व व्यय का अनुपात कम हुआ है जबकि वर्ष 2003-04 में कुल व्यय से पूँजीगत व्यय के प्रतिशत में 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

तालिका-20: राजकोषीय दक्षता के अनुपात (प्रतिशत में)

राजकोषीय सूचक	2001-02	2002-03	2003-04
I साधनों की तरलशीलता			
राजस्व प्राप्तियाँ/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	14.8	18.2	18.4
राजस्व तरलशीलता		35.7	1.14 ¹⁵
स्वयं के कर/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	6.8	7.8	8.0
II व्यय प्रबन्धन			
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	18.6	21.6	25.3
राजस्व प्राप्तियाँ/कुल व्यय	79.5	84.5	72.9
राजस्व व्यय/कुल व्यय	89.9	86.3	80.7
पूँजीगत व्यय(ऋण एवं अग्रिमों के संवितरण व अंतर्राज्यीय समाशोधन सहित) /कुल व्यय	10.1	13.7	19.3
विकासात्मक व्यय (राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय)/कुल व्यय	64.0	67.6	63.4
राजस्व प्राप्तियों से कुल व्यय की तरलशीलता	*	69.3	275
राजस्व प्राप्तियों से राजस्व व्यय की तरलशीलता	*	49.7	193.3
III राजकोषीय असन्तुलन का प्रबन्धन			
राजस्व घाटा (करोड़ रुपये में)	569	113	641
राजकोषीय घाटा (करोड़ रुपये में)	1117	973	2204
प्रारंभिक घाटा (करोड़ रुपये में)	386	163	1150
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	50.9	11.6	29.1
IV राजकोषीय देयताओं का प्रबन्धन			
राजकोषीय देयताएँ/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	25.1	31.1	34.5
राजकोषीय देयताएँ/ राजस्व प्राप्तियाँ	169.6	170.7	187
राजकोषीय देयताओं की राजस्व प्राप्तियों के साथ तरलशीलता	*	1.03	2.05
राजकोषीय देयताओं की स्वयं की प्राप्तियों के साथ तरलशीलता	*	1.17	1.57
ब्याज में वृद्धि	*	(-) 9.03	(-) 1.53
उपलब्ध सकल निधि	15.3	27.4	30.7
V राजकोषीय स्वास्थ्य के अन्य सूचक			
निवेश का प्रतिफल	32.7	71.1	61.2
लाभ लागत अनुपात	105	612	414
वित्तीय परिसम्पत्तियाँ/देयताएं	0.38	0.47	0.49

* राज्य की नवंबर 2000 में स्थापना के कारण नहीं लिया गया ।

राजस्व एवं राजकोषीय घाटा बढ़ने की प्रवृत्ति के साथ ही निवेश के प्रतिफल में गिरावट भी दर्शाता है।

¹⁵ 2001-02 एवं 2002-03 के संशोधित आंकड़ों के आधार पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि की गणना की गई है।

निष्कर्ष:- छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त मध्यप्रदेश राज्य के 16 जिलों को समाविष्ट कर 1 नवम्बर 2000 को अस्तित्व में आया। मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के प्रावधानों के संदर्भ में प्रत्येक प्रकरण में संयुक्त मध्यप्रदेश की नवम्बर 2000 पूर्व की परिसम्पत्तियों तथा देयताओं का बंटवारा तथा किए जाने वाले अन्य वित्तीय समायोजनों की प्रक्रिया अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के उपरान्त ही राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति की वास्तविक तस्वीर प्रदर्शित होगी।

दूसरा अध्याय

विनियोग लेखापरीक्षा एवं व्यय पर नियंत्रण

2 आवंटीय प्राथमिकताएं एवं विनियोग

2.1 प्रस्तावना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 की आवश्यकताओं के अनुरूप विनियोग लेखे प्रति वर्ष बनाए जाते हैं। ये विनियोग अधिनियम के संबंध में बजट की भारत तथा दत्तमत दोनों मदों पर अधिकृत राशियों के साथ ही विविध विनिर्दिष्ट सेवाओं पर पूंजीगत एवं राजस्व व्यय सूचित करते हैं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोग लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विविध अनुदानों एवं विनियोगों के अधीन वस्तुतः किया गया व्यय, विनियोग अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत सीमाओं में था। विनियोग लेखा परीक्षा यह भी सुनिश्चित करती है कि क्या इस प्रकार किया गया व्यय विधान, सम्बद्ध नियमों तथा विनियमों के अनुरूप था।

2.2 विनियोग लेखे का सारांश

वास्तविक व्यय की स्थिति का सारांश निम्नानुसार है -

(करोड़ रुपये में)

व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान / विनियोग	अनुपूरक अनुदान / विनियोग	योग	वास्तविक व्यय	अन्तर बचत (-) आधिक्य (+)
दत्तमत					
I राजस्व	6763.93	712.77	7476.70	5612.55	(-) 1864.15
II पूंजीगत	1495.28	145.72	1641.00	1020.77	(-) 620.23
II ऋण तथा अग्रिम	147.80	18.75	166.55	557.68	(+) 391.13
कुल दत्तमत	8407.01	877.24	9284.25	7191.00	(-) 2093.25
भारित					
IV राजस्व	1099.01	2.95	1101.96	1143.70	(+) 41.74
V पूंजीगत	0.33	0.84	1.17	0.33	(-) 0.84
VI लोक ऋण	471.82	618.36	1090.18	777.84	(-) 312.34
कुल भारत	1571.16	622.15	2193.31	1921.87	(-)271.44
महायोग	9978.17	1499.39	11477.56	9112.87	(-) 2364.69

तालिका राज्य सरकार के बजट में सकल अधिक प्राक्कलन दर्शाती है। समग्र रूप से 2,364.69 करोड़ रुपये की बचत मूल अनुदानों/विनियोगों का 24 प्रतिशत थी। यह 76 अनुदानों एवं विनियोगों में 2,955.81 करोड़ रुपये की बचतों में से कुल छः अनुदानों एवं विनियोगों में 591.12 करोड़ रुपये के आधिक्य के समायोजन का परिणाम थी। 501 उपशीर्षों के आधिक्य/बचत के स्पष्टीकरण या तो शासन से प्राप्त नहीं हुए थे अथवा अपूर्ण थे जो कि बचत/आधिक्य वाले कुल 574 उपशीर्षों का 87 प्रतिशत होते हैं।

2.3 आवंटीय प्राथमिकताओं की पूर्ति

2.3.1 आवंटीय प्राथमिकताओं से विनियोग

आठ अनुदानों की आवंटीय प्राथमिकताओं के संदर्भ में बचत/आधिक्य के विश्लेषण ने दर्शाया कि कुछ क्षेत्रों में बहुत बचतें थी जैसे कि आदिवासी क्षेत्र उपयोगना, कृषि, शिक्षा, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण, आदि जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-

अनुदान संख्या 41-आदिवासी क्षेत्र उपयोगना

(करोड़ रुपये में)

राजस्व (दत्तमत)		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
मूल	657.51			
अनुपूरक	40.35	697.86	386.63	311.23

311.23 करोड़ रुपये की बचत में से 31 मार्च 2004 को ही 202.35 करोड़ रुपये का समर्पण किया गया।

मुख्यतः 2202-01-796-101-0702 केन्द्र प्रवर्तित योजना, आदिवासी क्षेत्र उपयोगना-5396-सर्व शिक्षा अभियान-41.98 करोड़ रुपये, 2225-02-796-102-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोगना- 5211 एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना में स्थानीय विकास कार्यक्रम-15.31 करोड़ रुपये, 2801-80-796-101-0102 आदिवासी क्षेत्र उपयोगना-4841 त्वरित उर्जा विकास परियोजना हेतु अनुदान-11 करोड़ रुपये, 4702-796-800-0102 आदिवासी क्षेत्र उपयोगना के अंतर्गत बचतें थीं। अंतिम बचतों के कारण सूचित नहीं किये गए थे।

(करोड़ रुपये में)

पूंजीगत (दत्तमत)		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
मूल	299.75			
अनुपूरक	17.25	317.00	152.65	164.35

164.35 करोड़ रुपये की बचत में से 31 मार्च 2004 को ही 75.34 करोड़ रुपये का समर्पण किया गया था।

मुख्यतः 4701-03-796-800-0102 आदिवासी क्षेत्र उपयोगना -3366 -मध्यम परियोजनाओं का निर्माण -12.05 करोड़ रुपये, 4702-796-800-0102 आदिवासी क्षेत्र उपयोगना 3828- लघु सिंचाई योजना 17.15 करोड़ रुपये, 4702-796-800-0102-5189-लघु सिंचाई योजना का निर्माण (नाबार्ड)-20.42 करोड़ रुपये तथा 4702-796-800-0802 केन्द्रीय क्षेत्र योजना- आदिवासी उपयोगना- 4860 अपूर्ण सिंचाई योजनाओं को पूर्ण करना (अनुच्छेद 274(i))- 9.61 करोड़ रुपये के अंतर्गत बचतें थीं। अंतिम बचतों के कारण सूचित नहीं किये गए थे।

अनुदान संख्या 06- वित्त विभाग से संबंधित व्यय

(करोड़ रुपये में)

राजस्व (दत्तमत)		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
मूल	563.34			
अनुपूरक	25.08	588.42	488.18	100.24

100.24 करोड़ रुपये की बचत में से 31 मार्च 2004 को ही 3.42 करोड़ रुपये का समर्पण किया गया था।

मुख्यतः 2070-800-224 अन्य व्यय -150 करोड़ रुपये, 2071-01-101-2413-सेवानिवृत्त वेतन भोगी व्यक्तियों को भुगतानयोग्य-244 करोड़ रुपये, 2701-01-104-4590-सेवा एवं मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपदान-85 करोड़ रुपये के अंतर्गत बचतें थी, जिन्हें मुख्यतः 2071-01-101-9997-उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ राज्य हेतु-227.41 करोड़ रुपये और 2071-01-104-9997 उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ राज्य हेतु- 76.70 करोड़ रुपये के आधिक्य से समायोजित किया गया था, बजट प्रावधान के बिना इन पर व्यय किया गया था। अंतिम बचतों के कारण सूचित नहीं किए गए थे।

अनुदान संख्या 27 - शालेय शिक्षा

(करोड़ रुपये में)

राजस्व (दत्तमत)		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
मूल	678.09			
अनुपूरक	9.12	687.21	567.56	119.66

119.66 करोड़ रुपये की बचत में से 31 मार्च 2004 को ही 30.19 करोड़ रुपये का समर्पण किया गया।

मुख्यतः 2202-01-101-0701 केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं सामान्य - 5396-सर्व शिक्षा अभियान-49.49 करोड़ रुपये, 2202-01-101-0101- राज्य आयोजना योजनाएं (सामान्य) 4396-शासकीय प्राथमिक शालाएं- 20.53 करोड़ रुपये, 2202-01-101-701-केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं सामान्य-5409-परिवर्तित क्लास परियोजनांतर्गत कम्प्यूटर प्रदाय-6.70 करोड़ रुपये के अंतर्गत बचतें थी। अंतिम बचतों के कारण सूचित नहीं किए गए ।

अनुदान संख्या 21- आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय

(करोड़ रुपये में)

पूंजीगत (दत्तमत)		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
मूल	86.01			
अनुपूरक	-	86.01	20.70	65.30

4217-01-051-0101-राज्य आयोजना योजनाएं (सामान्य) 3115-भू-अर्जन हेतु क्षतिपूर्ति-50 करोड़ रुपये, 4217-01-051-0101 राज्य आयोजना योजनाएं (सामान्य)

3177-राजधानी परियोजना-10.79 करोड़ रुपये के अंतर्गत बचतें थीं। बचतों के कारण सूचित नहीं किए गए थे।

अनुदान संख्या 80-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

(करोड़ रुपये में)

राजस्व (दत्तमत)		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
मूल	244.13			
अनुपूरक	92.07	336.20	237.83	98.37

98.37 करोड़ रुपये की बचत में से 38.49 करोड़ रुपये का 22 अगस्त 2003 एवं 31 मार्च 2004 को समर्पण किया गया।

मुख्यतः 2515-101-4844-मूलभूत सेवाओं के लिए ग्यारहवें वित्त आयोग की शिफारिश के अनुसार पंचायती राज को अनुदान-40.65 करोड़ रुपये, 2202-01-103-0101-राज्य आयोजना योजनाएं (सामान्य)-8403-शिक्षा कर्मियों को वेतन हेतु अनुदान-मूलभूत न्यूनतम सेवाएं-21.25 करोड़ रुपये, 2235-60-102-9142-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण-15.58 करोड़ रुपये के अंतर्गत बचतें देखी गईं। अंतिम बचतों के कारण सूचित नहीं किए गए थे।

अनुदान संख्या - 13 कृषि

(करोड़ रुपये में)

राजस्व (दत्तमत)		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
मूल	177.54			
अनुपूरक	1.37	178.91	122.85	56.06

मुख्यतः 2401-110-0101- राज्य आयोजना योजनाएं सामान्य-8702-राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना-61.09 करोड़ रुपये, 2401-108-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं सामान्य-4838-मेक्रो मनेजमेंट वर्किंग प्लान-4.62 करोड़ रुपये के अंतर्गत बचतें थीं। अंतिम बचतों के कारण सूचित नहीं किए गए थे।

अनुदान संख्या - 30 पंचायत एवं ग्रामीण विकास से संबंधित व्यय

(करोड़ रुपये में)

राजस्व (दत्तमत)		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
मूल	322.39			
अनुपूरक	7.61	330.00	112.84	217.16

217.16 करोड़ रुपये की बचत में से 207.83 करोड़ रुपये की राशि का 31 मार्च 2004 को ही समर्पण किया गया।

मुख्यतः 2501-01-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं सामान्य-8701-स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना-4.41 करोड़ रुपये, 2501-01-101-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं सामान्य-5077 एकीकृत पड़त भूमि विकास कार्यक्रम-0.59 करोड़ रुपये के अंतर्गत बचतें हुईं। अंतिम बचतों के कारण सूचित नहीं किए गए थे।

अनुदान संख्या -39 खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

(करोड़ रुपये में)

राजस्व (दत्तमत)		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
मूल	747.11			
अनुपूरक	194.56	941.67	493.89	447.78

447.78 करोड़ रुपये की बचत में से 446.20 करोड़ रुपये की राशि का 31 मार्च 2004 को ही समर्पण किया गया।

मुख्यतः मुख्य शीर्ष 2408-01-102-0101 राज्य आयोजना योजनाएं (सामान्य)-5065-अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत 1.42 करोड़ रुपये की बचत थी। भारत सरकार द्वारा सीधे ही संबंधित संस्थाओं को भुगतान करने और वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त न होने को बचतों का कारण बताया गया।

यह भी देखा गया कि:

79 प्रकरणों में से प्रत्येक प्रकरण में एक करोड़ रुपये से अधिक से व्यय कम पड़ा जो कि कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक भी था जैसा कि **परिशिष्ट 2.1** में दर्शाया गया है। पाँच¹⁶ प्रकरणों में पाया गया कि इनमें 100 प्रतिशत बचत थी। यह भी देखा गया कि पाँच¹⁷ प्रकरणों में लगातार दूसरे वर्ष 100 करोड़ रुपये से भी अधिक की बचत थी।

17 योजनाओं में 5 करोड़ रुपये या अधिक एवं प्रत्येक प्रकरण में कुल प्रावधान के 80 प्रतिशत से भी अधिक की कुल 331.37 करोड़ रुपये की सारभूत बचतें देखी गईं जैसा कि **परिशिष्ट 2.2** में सूचित किया गया है।

केन्द्रीय योजनाओं के 22 प्रकरणों में 49.45 करोड़ रुपये के सम्पूर्ण प्रावधान की राशि अनुपयोगी रही जैसा कि **परिशिष्ट 2.3** में दर्शाया गया है।

2.3.2 बजट प्रावधान के बिना व्यय

राज्य विधायिका द्वारा विनियोग अधिनियम के माध्यम से अनुमोदन के बिना कोई व्यय नहीं किया जाना चाहिए। इसके विपरीत यह पाया गया कि सात अनुदानों में 542.18 करोड़ रुपये जैसा कि **परिशिष्ट 2.4** में दर्शाया गया है, विधायिका के अनुमोदन के बिना व्यय किए गए।

¹⁶ अनुदान संख्या 59 राजस्व (दत्तमत), अनुदान संख्या 53, 58, 59, 65 पूंजीगत (दत्तमत)

¹⁷ वित्त विभाग से सम्बंधित अनुदान संख्या 6, 27 शालेय शिक्षा, 39 खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से सम्बंधित व्यय, 41 आदिवासी क्षेत्र उपयोगना (राजस्व- दत्तमत) तथा 41 आदिवासी क्षेत्र उपयोगना (पूंजीगत-भारित)

2.3.3 आधिक्य के नियमितीकरण की आवश्यकता

गत वर्षों के प्रावधान पर आधिक्य के नियमितीकरण की आवश्यकता

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार अनुदानों/विनियोगों पर आधिक्य के सभी प्रकरण राज्य विधायिका द्वारा नियमित होने चाहिए। तथापि, वर्ष 2000-01 से 2002-03 के 240.70 करोड़ रुपये के आधिक्य को जनवरी 2005 तक नियमित नहीं किया गया था।

2003-04 की अवधि के प्रावधान पर आधिक्य के नियमितीकरण की आवश्यकता

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अधीन वर्ष के दौरान पांच अनुदानों (दत्तमत) के अंतर्गत 534.79 करोड़ रुपये एवं दो विनियोगों (प्रभारित) के अंतर्गत 56.33 करोड़ रुपये के आधिक्य का नियमितीकरण किया जाना था (परिशिष्ट 2.5)।

2.3.4 मूल बजट एवं अनुपूरक प्रावधान

वर्ष के दौरान प्राप्त 1,499.39 करोड़ रुपये के अनुपूरक प्रावधान, मूल प्रावधान के 15 प्रतिशत थे।

2.3.5 अनावश्यक/अत्यधिक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

वर्ष के दौरान 48 प्रकरणों में 530.17 करोड़ रुपये का किया गया अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय मूल प्रावधान से कम था। प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट 2.6 में दिया गया है।

11 प्रकरणों में 205.61 करोड़ रुपये की वास्तविक अतिरिक्त आवश्यकता के विरुद्ध 294.99 करोड़ रुपये के अत्यधिक पूरक अनुदान एवं विनियोग प्राप्त किये गए, परिणामस्वरूप 89.38 करोड़ रुपये की बचत हुई। इन प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट- 2.7 में दिया गया है।

2 प्रकरणों में 44.23 करोड़ रुपये के अनुपूरक प्रावधान, 61.04 करोड़ रुपये के अधिक व्यय को नियमित करने में असमर्थ रहने के कारण अपर्याप्त सिद्ध हुए जिसका विवरण परिशिष्ट- 2.8 में दिया गया है।

2.3.6 सारभूत आधिक्य

आठ अनुदानों के 10 उप शीर्षों में कुल 569.21 करोड़ रुपये, प्रत्येक प्रकरण में अनुमोदित प्रावधान से 100 प्रतिशत से अधिक का व्यय हुआ इसका विवरण परिशिष्ट 2.9 में दिया गया है।

2.3.7 निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोग

पुनर्विनियोग एक अनुदान के अंतर्गत विनियोग की एक इकाई जहाँ बचत प्रत्याशित है, से दूसरी इकाई जहाँ अतिरिक्त निधियाँ आवश्यक हैं, को निधियों का अंतरण है। परिशिष्ट 2.10, 2.11 एवं 2.12 में विवरण दिया गया है कि किस प्रकार प्रत्येक प्रकरण में निधियों का पुनर्विनियोग/समर्पण विवेकहीन सिद्ध हुआ।

2.3.8 प्रत्याशित बचतें समर्पित न करना

व्यय करने वाले विभागों द्वारा जब कभी भी बचतें प्रत्याशित हो, अनुदानों/विनियोगों अथवा इनके अंश को वित्त विभाग को समर्पित करना आवश्यक है। तथापि, वर्ष 2003-04 के अंत में विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के 108 प्रकरणों में विभागों द्वारा बचतें समर्पित नहीं की गईं। 69 प्रकरणों में उपलब्ध बचतों की कुल 1,227.33 करोड़ रुपये की विशाल राशियाँ समर्पित नहीं की गई थीं। इसका विवरण **परिशिष्ट- 2.13** में दिया गया है।

कुल समर्पित राशि 1,588.49 करोड़ रुपये में से 1,492.55 करोड़ रुपये (94 प्रतिशत) अपर्याप्त वित्तीय प्रबंधन दर्शाते हुए मार्च 2004 के अंतिम दिन समर्पित किए गए थे। विवरण **परिशिष्ट 2.14** में दिया गया है।

2.4 व्यय का पुनर्मिलान न किया जाना

विभागीय व्यय के आँकड़ों का महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के आँकड़ों से प्रति माह पुनर्मिलान किया जाना चाहिए। तथापि बहुत से विभागों में यह पुनर्मिलान बकाया था। कुल 163 नियंत्रण अधिकारियों में से केवल नौ के लेखों का पूर्णतः पुनर्मिलान हुआ था, 40 का आंशिक पुनर्मिलान हुआ था एवं आंशिक मिलान की अवधि एक माह से छः माह थी। 114 नियंत्रण अधिकारियों द्वारा संपूर्ण वर्ष अर्थात् बारह महीने पुनर्मिलान नहीं किया गया।

2.5 दोषपूर्ण पुनर्विनियोग

राज्य सरकार के अनुदेशों (जनवरी 2001) एवं वित्तीय नियमों के अनुसार (i) वेतन एवं मजदूरी शीर्ष से दूसरे शीर्ष में पुनर्विनियोग की अनुमति नहीं है, (ii) एक अनुदान से दूसरे अनुदान में निधियों का पुनर्विनियोग नहीं किया जाना चाहिये, (iii) पुनर्विनियोग स्वीकृति के दोनो पक्षों के योगों का मिलान होना चाहिये, (iv) सक्षम अधिकारी द्वारा समर्पण/पुनर्विनियोग की सभी स्वीकृतियाँ जारी की जानी चाहिये एवं ये महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय में लेखाओं के बंद करने एवं अंतिम रूप देने के पूर्व प्राप्त होनी चाहिये। इसके उल्लंघन में **परिशिष्ट-2.15** में दिए गए विवरण के अनुसार 2003-04 की अवधि में शासन द्वारा 218.47 करोड़ रुपये का दोषपूर्ण रूप से पुनर्विनियोग किया गया/समर्पित किए गए।

2.6 व्यय की अधिकता

वर्ष के दौरान व्यय का एकरूप प्रवाह बजट नियंत्रण की प्राथमिक आवश्यकता है। सामान्य वित्तीय नियम के नियम 69 के अनुसार व्यय की अधिकता विशेषतः वित्तीय वर्ष के अंत के महीनों में, नियमों का उल्लंघन माना जाता है। तथापि, यह दृष्टिगत हुआ कि 13 प्रकरणों में मार्च 2004 की अवधि में वर्ष भर के कुल व्यय का 30 से 75 प्रतिशत तक व्यय किया गया। इसका विवरण **परिशिष्ट-2.16** में दिया गया है।

2.7 पाँच अनुदानों की नमूना जांच के परिणाम

व्यय एवं बजट नियंत्रण पर टिप्पणियाँ

नियंत्रण अधिकारियों के कार्यालयों में वर्ष 2003-04 के लिये 5 अनुदानों¹⁸ से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि व्यय नियंत्रण पंजियाँ जिसमें अनुदानों की राशि, पुनर्विनियोग अंकित नहीं था तथा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मासिक व्यय के अद्यतन प्रगामी योग भी नहीं किए गए थे, संधारित नहीं की गई थीं या अपूर्ण थीं। बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा बताया गया कि अद्यतन व्यय के आंकड़े कम्प्यूटरों में रखे गए थे। तथापि, कम्प्यूटर द्वारा दर्शाए प्रिंट की जांच में आंकड़ों में अन्तर था तथा कम्प्यूटरीकृत डाटा की सही स्थिति स्थापित नहीं हो सकी। सभी अनुदानों में अपर्याप्त परिवीक्षण एवं वित्तीय नियंत्रण का साक्ष्य था जैसा कि नीचे वर्णन किया गया है:-

- अनुदान संख्या 19,81 एवं 25 के अंतर्गत 33 प्रकरणों में 32.64 करोड़ रुपये (31 प्रतिशत) की सारभूत बचतों के विरुद्ध किसी भी राशि को समर्पित नहीं किया गया और इन्हें कालातीत हो जाने दिया गया जैसा कि **परिशिष्ट 2.17** में दर्शाया गया है।
- चार अनुदानों में 39.16 करोड़ रुपये की प्रत्याशित बचतें मार्च 2004 के अंतिम दिन समर्पित की गई थीं। मुख्यतः रिक्त पदों एवं जिलों से मांग प्राप्त न होने के कारण प्रत्याशित बचतों का होना सूचित किया गया (अक्टूबर 2004)। विवरण **परिशिष्ट 2.18** में दर्शाया गया है।
- नमूना जांच में यह भी प्रकट हुआ कि अनुदान संख्या 19 के नौ उप शीर्षों एवं अनुदान संख्या 55 से एक उप शीर्ष में कोई व्यय नहीं किया गया जो 1.50 करोड़ रुपये के अनावश्यक बजट प्रावधान को दर्शाता है जैसा कि विवरण **परिशिष्ट 2.19** में दिया गया है।
- अनुदान संख्या 19 के आठ उपशीर्षों में बजट प्राक्कलन से सात करोड़ रुपये अधिक व्यय किया गया जैसा कि **परिशिष्ट 2.20** में बताया गया है। विभाग द्वारा इसका कारण व्यय के विलंबित संकलन को बताया गया। इस प्रकार आधिक्य का कारण परिवीक्षण की कमी को स्वीकारना था।
- कुल व्यय की तुलना में अनुदान संख्या 81 में, चार योजनाओं में मार्च में 100 प्रतिशत व्यय हुआ एवं दो योजनाओं में 37 तथा 57 प्रतिशत व्यय हुआ। अनुदान संख्या 19 की 11 योजनाओं में मार्च में व्यय 31 से 83 प्रतिशत की सीमा में हुआ (**परिशिष्ट 2.21**)। यह दर्शाता है कि विभागों द्वारा मार्च के महीने में व्यय की अधिकता को रोकने के उपाय नहीं किए गए।
- बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा अनुदान संख्या 19,23,55 एवं 81 के 2003-04 के व्यय के विभागीय आंकड़ों का मिलान महालेखाकार, छत्तीसगढ़ की पुस्तकों में दर्शाए आंकड़ों से नहीं किया गया। बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा बताया गया (अक्टूबर

¹⁸ अनुदान संख्या-19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, 23- जल संसाधन विभाग, 25- खनिज संसाधन विभाग, 55- महिला एवं बाल विकास, तथा 81- शहरी निकायों को वित्तीय सहायता

2004) कि अधिनस्थ अधिकारियों को विभागीय व्यय के आंकड़ों का मिलान महालेखाकार, छत्तीसगढ़ के आंकड़ों से करने हेतु अनुदेशित कर दिया गया था।

व्यक्तिगत लेजर खाता/व्यक्तिगत जमा खाता

वित्तीय नियमों में प्रावधान है कि कोषालय से तब तक किसी धन का आहरण न किया जाय जब तक कि तुरंत संवितरण के लिए इसकी आवश्यकता न हो। तथापि, लेखापरीक्षा में देखा गया कि केन्द्रीय क्षेत्र योजना (मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक कल्याण) के अंतर्गत 37 लाख रुपये तथा अनुदान संख्या 55 के मुख्य शीर्ष 2236-पोषण के अधीन केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत 3 लाख रुपये 31 मार्च 2004 को आहरित किए गए एवं आगामी वर्ष में उपयोग हेतु 8443-सिविल जमा को क्रेडिट किए गए।

2.8 ग्यारहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त अनुदानों का उपयोग

ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर भारत सरकार द्वारा राज्य शासन को विभिन्न विभागों हेतु उन्नयन अनुदान जारी किए गए।

वर्ष 2003-04 के लिए छत्तीसगढ़ शासन के विनियोग लेखों की समीक्षा दर्शाती है कि 64.19 करोड़ रुपये के निवल बजट प्रावधान के विरुद्ध 43.66 करोड़ रुपये (68.02 प्रतिशत) का आहरण किया गया। इसके विपरीत वित्त विभाग का अभिलेख दर्शाता था कि विभिन्न विभागों को 46.36 करोड़ रुपये जारी किए गए और व्यय 42.54 करोड़ रुपये था। इस प्रकार पुस्तकीय व्यय एवं वित्त विभाग द्वारा बताये गये व्यय में 1.12 करोड़ रुपये (43.66 करोड़ रुपये - 42.54 करोड़ रुपये) का अंतर था। उत्तर में वित्त विभाग द्वारा बताया गया (दिसम्बर 2004) कि व्यय के आंकड़ों में अंतर का मिलान किया जाएगा तथा पृथक से सूचित किया जाएगा।

यद्यपि, 42.54 करोड़ रुपये का व्यय होना दिखाया गया 73.71 लाख रुपये की राशि का आहरण कर सिविल डिपोजिट के अंतर्गत रखा गया था।

राज्य सरकार की इकाइयों की स्थानीय लेखापरीक्षा (2003-04) में यह भी पाया गया कि-

- ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसा की गई थी कि निर्माण लागत एवं उन्नयन का 75 प्रतिशत भारत सरकार के अनुदान से तथा शेष 25 प्रतिशत लोक अंशदान चाहे वह संबंधित पंचायतों द्वारा अपने स्वयं के स्रोतों से जुटाया जाए अथवा संसद सदस्य/विधान सभा सदस्य की स्थानीय विकास निधियों से, द्वारा वहन किया जाएगा। अभिलेखों की जांच में प्रकट हुआ कि सरकार द्वारा 71 निर्माण कार्यों पर लोक अंशदान प्राप्त किये बिना ही 1.05 करोड़ रुपये का संपूर्ण व्यय किया गया, इसका विवरण परिशिष्ट 2.22 में दिया गया है। उत्तर में विभागों द्वारा बताया गया (सितम्बर 2003 से अगस्त 2004) कि राशि का 25 प्रतिशत भविष्य में संग्रहित किया जाएगा।

- ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं में ग्रामीणों के लिए आधारभूत निविष्ट और सुविधाओं में सुधार के दृष्टिकोण से निर्माण कार्य यथा शासकीय उच्चतर माध्यमिक शालाएं, तालाबों का निर्माण, सामुदायिक भवन तथा कोई भी मरम्मत कार्य आदि शामिल नहीं थे क्योंकि ये कार्य ग्रामीणों को आधारभूत निविष्ट और सुविधाओं में वृद्धि के

प्रयोजनार्थ थे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बिलासपुर, कांकेर, जगदलपुर तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, खैरागढ़ के अभिलेखों की जांच से प्रकट हुआ कि 2.75 करोड़ रुपये उपरोक्त कार्यों (मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बिलासपुर 1.16 करोड़ रुपये, कांकेर 80 लाख रुपये, जगदलपुर 68.90 लाख रुपये तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, खैरागढ़ 10.50 लाख रुपये) पर व्यपवर्तित कर दिए गए। उत्तर में विभाग द्वारा बताया गया (दिसम्बर 2003 से जुलाई 2004) कि कार्य शासन की अनुशंसा के अनुसार स्वीकृत किए गए थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कार्य ग्यारहवें वित्त आयोग के अनुशंसाओं के विरुद्ध थे।

● पुनश्च: मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, अम्बिकापुर के अभिलेखों में यह देखा गया कि वर्ष 2001-02 के लिए 34 लाख रुपये की लागत पर 12 कार्य स्वीकृत किए गए थे, इन्हें 12.04 लाख रुपये की प्रथम किस्त प्राप्त होने के पश्चात निरस्त कर दिया गया। लेकिन न तो राशि शासन को वापस ही की गई और न ही इसे अन्य कार्यों में समायोजित किया गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा उत्तर में बताया गया (जनवरी 2004 से जून 2004) कि 25 प्रतिशत अंशदान प्राप्त न होने के कारण कार्य अपूर्ण थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि कार्य जनभागीदारी एवं अंशदान से आस्वस्त होने के बाद ही आरंभ किए जाने चाहिए थे।

तीसरा अध्याय

निष्पादन मूल्यांकन

पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग

3.1 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

मुख्यांश

असंयोजित ग्रामीण बसाहटों को सड़कों द्वारा संयोजित करने की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा एक केन्द्र प्रवर्तित योजना (पूर्णतः वित्त पोषित) "प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना" के नाम से प्रारंभ की गई (25 दिसम्बर 2000), जिसका क्रियान्वयन राज्य शासन को करना था। योजना का उद्देश्य वर्ष 2003 के अंत तक 1000 से अधिक आबादी वाली तथा 2007 के अंत तक 500 से 999 आबादी वाली (आदिवासी एवं पहाड़ी क्षेत्रों में 250 से 499 तक आबादी वाली) असंयोजित समस्त बसाहटों को सभी मौसम में परिवहन योग्य सड़कों से संयोजित किया जाना था। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2003 तक 2,604 बसाहटों तथा 2007 तक 11,157 बसाहटों को सभी मौसम में परिवहन योग्य सड़कों से संयोजित किया जाना था जिसमें 24,484 किलो मीटर लम्बी नवीन सड़कों का निर्माण करना था। मार्च 2004 तक सिर्फ 311 सड़कों का निर्माण किया गया। सड़कों के चयन में अपर्याप्तता, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, व पर्यवेक्षण तथा गुणवत्ता नियंत्रण में कमियाँ, त्रुटिपूर्ण प्राक्कलन एवं निष्पादन में विलम्ब देखा गया। प्रमुख रूप से निम्न कमियाँ परिलक्षित हुई :-

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मार्च 2003 तक 2,604 बसाहटों के संयोजन के विरुद्ध 673.43 करोड़ रुपये की लागत से मार्च 2004 तक 1549 बसाहटों के संयोजन वाली 673 सड़कों की स्वीकृति प्राप्त की गई। तथापि, 320.03 करोड़ रुपये की लागत से 624 बसाहटों के संयोजन वाली मात्र 311 सड़कों का निर्माण हुआ।

(कंडिका 3.1.6)

प्रथम चरण में नवीन सड़क निर्माण के स्थान पर बहुत सी गिट्टीकृत (बाटर बाउंड मेकाडम) सड़कें उन्नयन हेतु चयनित की गईं।

(कंडिका 3.1.7)

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु 99.04 लाख रुपये की लागत निरर्थक रही चूँकि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पुनः उन्हीं सड़कों के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिए परामर्शदाताओं की सेवाएं ली गईं।

(कंडिका 3.1.7)

परियोजना प्रतिवेदन ठीक ढंग से तैयार नहीं किए गए एवं फलस्वरूप छत्तीसगढ़ शासन को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित लागत से 47.65 करोड़ रुपये की बढ़ी हुई अधिक लागत वहन करना पड़ी।

(कंडिका 3.1.8)

आठ सड़क कार्यों में अनुमोदित प्राक्कलनों में निर्धारित विशिष्टियों से विचलन के फलस्वरूप 7.01 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत आई जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वहन की जानी है।

(कंडिका 3.1.8)

3.1.1 प्रस्तावना

ग्रामीण सड़कों का संयोजन (कनेक्टिविटी) ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक, दोनों ही, विकास की कुंजी है। केन्द्र व राज्य सरकारों के स्तर पर विगत वर्षों में विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत किए गए प्रयासों के बावजूद देश की लगभग 40 प्रतिशत¹⁹ बसाहटें सभी मौसम में परिवहन योग्य सड़कों से अभी तक संयोजित नहीं हो पाई हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में 79 प्रतिशत²⁰ बसाहटें (250 एवं अधिक आबादी वाली) सभी मौसम में परिवहन योग्य सड़कों से संयोजित नहीं थीं।

इस स्थिति में सुधार की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित निधि से दिसम्बर 2000 में "प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना" (योजना) प्रारंभ की गई। यह केन्द्र प्रवर्तित योजना ग्रामीण बसाहटों को सड़कों से संयोजित करने के लिए थी।

16 जिलों वाला छत्तीसगढ़ राज्य 1 नवम्बर 2000 से अस्तित्व में आया। 74.90 किलो मीटर प्रति 100 वर्ग किलो मीटर के राष्ट्रीय औसत के विरुद्ध राज्य में 25.98 किलो मीटर सड़कों का अत्यल्प घनत्व था। 32.50 किलो मीटर और 42.40 किलो मीटर के राष्ट्रीय औसत के विरुद्ध गिट्टीकृत प्रथम श्रेणी सड़कों (वाटर बाउंड मेकाडम) और डामरीकृत (बिटुमिनस) सड़कों का औसत मात्र 8.05 किलो मीटर और 17.93 किलो मीटर प्रति 100 वर्ग किलो मीटर था।

1 अप्रैल 2000 को राज्य में बसाहटों एवं सड़कों द्वारा संयोजन की स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

विवरण	बसाहटों की संख्या और आबादी					योग
	1000 +	500 से 999	250 से 499 (आदिवासी एवं पहाड़ी क्षेत्र)	250 से 499	250 से कम	
(i) कुल बसाहटों की संख्या	4046	7706	5701	2382	9709	29544
(ii) संयोजित	1442	1393	857	258	1392	5342
(iii) शेष असंयोजित	2604	6313	4844	2124	8317	24202

¹⁹ भारत सरकार द्वारा जारी (दिसम्बर 2000 और जनवरी 2003) दिशानिर्देशों की कंडिका I

²⁰ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, "प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना" छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदत्त जानकारी के आधार पर

3.1.2 संगठनात्मक संरचना

राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ शासन ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को नोडल विभाग तथा सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को नोडल अधिकारी घोषित किया है। सड़कों का निर्माण कार्य 16 अभियांत्रिकी संभागों द्वारा किया जाता है जिन्हें परियोजना क्रियान्वयन इकाई कहते हैं तथा वे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रकोष्ठ को प्रतिवेदन देते हैं, इसके अध्यक्ष मुख्य अभियंता हैं। प्रकोष्ठ नोडल विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में है।

3.1.3 कार्यक्रम प्रबन्धन

योजना के उद्देश्यों के अनुसार राज्य में 1000 एवं अधिक आबादी वाली सभी 2,604 असंयोजित बसाहटें, वर्ष 2003 के अंत तक सभी मौसम में परिवहन योग्य सड़कों से संयोजित की जानी थीं तथा तत्पश्चात् 11,157 बसाहटों को वर्ष 2007 के अंत तक संयोजित करना था।

भारत सरकार के निर्देशों के आधार पर छत्तीसगढ़ शासन ने पूरे प्रदेश हेतु कोर नेटवर्क योजना तैयार की जिसके अनुसार 24,484 किलो मीटर नई सड़कों (सभी मौसम में परिवहन योग्य) का निर्माण होना था और निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप 12,785.60 किलो मीटर विद्यमान गिट्टीकृत सड़कों का उन्नयन राज्य में योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किया जाना था।

भारत सरकार द्वारा सड़कों के चयन में निम्न प्राथमिकता क्रम निर्धारित किया गया था :-

प्राथमिकता	आबादी अनुसार बसाहटें	श्रेणी	छत्तीसगढ़ राज्य में असंयोजित बसाहटों की संख्या
I	1000 एवं अधिक	नवीन संयोजन	2604
II	500 से 999	तदैव	6313
III	250 से 499 आदिवासी क्षेत्रों में	तदैव	4844
IV	विद्यमान गिट्टीकृत सड़कों का उन्नयन	उन्नयन	

दिशा-निर्देशों में प्रावधान था कि भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त करने के लिए नोडल विभाग अपने नियंत्रण में विशेष वैधानिक दर्जे वाले एक राज्यस्तरीय स्वशासी अभिकरण (समिति आदि), को चिन्हित करेगा। आगे, राज्य शासन कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु उपयुक्त निष्पादन एजेंसी को चिन्हित करेगा। निष्पादन एजेंसी की एक "परियोजना क्रियान्वयन इकाई" प्रत्येक जिले में होगी जो कार्यपालन अभियंता स्तर के अधिकारी के अधीन होगी।

प्रारंभ में छत्तीसगढ़ शासन के एक राज्यस्तरीय स्वशासी अभिकरण "छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम" को "राज्य ग्रामीण सड़क प्राधिकरण" घोषित किया गया (मार्च 2001) किन्तु बाद में (दिसम्बर 2001) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने "छत्तीसगढ़

अधोसंरचना संरचना विकास निगम" से कार्य वापस लेकर अपने ही पास रख लिया ।

राज्यस्तरीय स्वशासी एजेंसी कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं लेखों के लिए कमी भी पूर्ण रूपेण कार्यशील नहीं रही ।

छत्तीसगढ़ शासन ने एक स्वशासी निकाय "छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण" का गठन किया (फरवरी 2003) तथा इसे समिति के रूप में पंजीकृत करवाया (मार्च 2003)। छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को स्वायत्ता प्रदान करने का प्रस्ताव वित्त विभाग में विचाराधीन था (जनवरी 2005)।

3.1.4 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

लेखापरीक्षा के मुख्य उद्देश्य निम्न का आंकलन करना था :-

- सड़कों का चयन एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने सहित कार्यक्रम के लिए रूपरेखा तैयार करने की प्रक्रिया
- विशिष्टियों के अनुरूप क्रियान्वयन की सीमा तथा कार्यों का मितव्ययी निष्पादन
- सड़क कार्यों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण-तंत्र

3.1.5 लेखापरीक्षा समावेशन एवं क्षेत्र

मुख्य अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण), रायपुर सहित 16 में से 6 परियोजना क्रियान्वयन इकाईयों²¹ की दिसम्बर 2000 से मार्च 2004 तक की अवधि के अभिलेखों की नमूना जाँच मार्च 2004 से जुलाई 2004 के मध्य की गई ।

3.1.6 वित्तीय प्रबन्धन एवं भौतिक प्रगति

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों के निर्माण हेतु लागत प्राक्कलनों (परियोजना प्रतिवेदन) के आधार पर शत प्रतिशत निधियाँ भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराई जाती हैं । कार्यक्रम के क्रियान्वयन की लागत यथा स्थापना एवं प्रशासकीय व्यय, विकास खण्डवार/जिलेवार मास्टर प्लान तैयार करना, सड़कों का कोर नेटवर्क, लागत प्राक्कलन वाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, पर्यवेक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण लागत, स्वीकृत प्राक्कलनों पर मूल्य वृद्धि क्षतिपूर्ति, यदि कोई हो, राज्य शासन अर्थात् छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वहन की जानी है ।

भारत सरकार ने मार्च 2004 तक 673.43 करोड़ रुपये लागत की 673 सड़कों के निर्माण हेतु अनुमोदन दिया ।

छत्तीसगढ़ शासन के प्रस्तावों के आधार पर 673.43 करोड़ रुपये की प्राक्कलित लागत वाली 4140.10 किलो मीटर लम्बाई की 673 सड़कों के निर्माण का अनुमोदन भारत सरकार ने 2000-04 के दौरान प्रदान किया ।

निधि व्यवस्था, लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

2000-01 से 2003-04 के दौरान भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सड़कों एवं इनकी लागत की स्थिति, विमुक्त की गई निधि, राज्य द्वारा किया गया व्यय एवं सड़कों की वास्तविक

²¹ बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, राजनांदगांव एवं रायपुर

पूर्णता तथा सभी मौसम में परिवहन योग्य सड़कों के संयोजन की स्थिति निम्नानुसार (31 मार्च 2004 तक) थी :-

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सड़कों की संख्या	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित लागत	संयोजित होने वाली बसाहटों की आबादी (पात्रता श्रेणी)			भारत सरकार से प्राप्त निधि अर्जित ब्याज सहित	व्यय	भौतिक प्रगति		
			1000 एवं अधिक	1000 से कम	योग			पूर्ण की गई सड़क	संयोजित बसाहटों की आबादी (पात्रता श्रेणी)	
									1000 से अधिक	1000 से कम
2000-01	112	91.92	168	181	349	92.41	102.21	104	154	164
2001-02	268	203.49	306	203	509	206.62	163.50	207	228	78
2002-03	-	-	-	-	-	5.23 #	-	-	-	-
2003-04	293	378.02	282	409	691	173.88	53.97	-	-	-
प्रशासकीय अनुदान	-	-	-	-	-	1.09	0.35	-	-	-
सावधि जमा पर अर्जित ब्याज	-	-	-	-	-	5.86 #	-	-	-	-
योग	673	673.43	756	793	1549	485.09	320.03	311	382	242
									योग 624 (मार्च 2004)	

अर्जित ब्याज

भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 673 सड़कों में से मात्र 311 सड़कों (मार्च 2004) का निर्माण हुआ।

यह देखा गया कि अनुमोदित 673 सड़कों में से मार्च 2004 तक मात्र 311 सड़कें पूर्ण हो सकीं जिनसे 1000 एवं अधिक आबादी वाली मात्र 382 बसाहटें (756 के लक्ष्य के विरुद्ध) वास्तव में संयोजित हो सकीं तथा 1000 से कम आबादी वाली 242 बसाहटों (793 के लक्ष्य के विरुद्ध) का प्रासांगिक संयोजन हो सका, इसमें कुल लागत 320.03 करोड़ रुपये आई।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर मुख्य अभियंता ने बताया कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए आवश्यक कुल राशि 6,765 करोड़ रुपये थी जबकि भारत सरकार ने प्रतिवर्ष राज्य को 87 करोड़ रुपये का आवंटन निर्धारित किया था। लक्ष्य प्राप्ति हेतु अधिक आवंटन के लिए भारत सरकार को कहा जा रहा था।

3.56 करोड़ रुपये कोषालय से एकमुश्त आहरित कर बैंक के बचत खातों में रखे गए जिस में से 51.21 लाख रुपये अव्ययित पड़े रहे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि राज्य द्वारा प्रस्तुत एवं भारत सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजना प्रतिवेदनों के आधार पर धन उपलब्ध कराया गया था तथा भारत सरकार द्वारा प्रदत्त राशि 485.99 करोड़ रुपये के विरुद्ध मार्च 2004 तक का व्यय मात्र 320.23 करोड़ रुपये ही था। इस प्रकार राज्य शासन ने उपलब्ध धन का पूरी तरह उपयोग नहीं किया।

परियोजना इकाईयों द्वारा राज्य निधियों का आहरण

छत्तीसगढ़ शासन ने प्रशासकीय व्यय, सर्वे कार्य, गुणवत्ता नियंत्रण, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों को तैयार करने तथा उपकरणों की अधिप्राप्ति इत्यादि, हेतु बजट में प्रावधान किया था। 6 परियोजना इकाईयों की नमूना जाँच में यह देखा गया कि मई 2004 तक

3.56 करोड़ रुपये कोषालय से एकमुश्त आहरित कर उन्हें बैंक बचत खातों में रखा गया जिसमें से बाद में आवश्यकतानुसार व्यय किया जा रहा था। यह व्यय आवश्यकतानुसार भुगतान करते समय कोषालय के माध्यम से किया जाना चाहिए था। बचत खातों में 51.21 लाख रुपये की राशि अव्ययित पड़ी थी (मई 2004)।

उत्तर में परियोजना इकाईयों के कार्यपालन अभियंताओं तथा मुख्य अभियंता ने परामर्शदाताओं को समय पर भुगतान हेतु धन की अनुपलब्धता के बारे में कठिनाईयाँ व्यक्त कीं (जुलाई 2004)। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि यह प्रक्रिया वित्तीय नियमों के विरुद्ध थी तथा कोषालय द्वारा अतिरिक्त जाँच को अनदेखा करती थी।

3.1.7 कार्यक्रम की आयोजना

वर्ष 2003-04 तक अनुमोदित 673 सड़कों के अतिरिक्त, 412.59 करोड़ रुपये प्राक्कलित लागत वाली 1,872.72 किलोमीटर लम्बी 359 अन्य सड़कें भी वर्ष 2004-05 के लिए 681 बसाहटों के संयोजन हेतु स्वीकृत की गईं।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अतिरिक्त 528 बसाहटें, सभी मौसम में परिवहन योग्य सड़कों से अन्य आयोजनागत योजनाओं के अन्तर्गत संयोजित की जा रही हैं।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यों के अतिरिक्त, राज्य के अन्य आयोजनागत योजनाओं के अंतर्गत 1000 से अधिक आबादी वाली 281 बसाहटों के साथ ही 1000 से कम आबादी वाली 247 बसाहटें सभी मौसम में परिवहन योग्य सड़कों से संयोजित की जा रही हैं। चूँकि, ये सड़कें अन्य विभागों द्वारा निर्मित की जा रही हैं, कुछ प्रकरणों में अतिक्रमण (ओवर लेपिंग) होने से दोहरा संयोजन हुआ जैसा कि बाद में वर्णन किया गया है।

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वर्ष 2003 के अंत तक 2,604 बसाहटों एवं वर्ष 2007 के अंत तक 11,157 बसाहटों को सभी मौसम में परिवहन योग्य सड़कों से संयोजित करने की लक्ष्य प्राप्ति के लिए कोई रणनीतिक योजना तैयार नहीं की गई।

सड़कों का चयन

दिशानिर्देशों में उल्लेख है कि जहाँ राज्य में असंयोजित बसाहटें विद्यमान हैं, गिट्टीकृत सड़कों का उन्नयन, कार्यक्रम का केन्द्र बिन्दु नहीं है तथा यह राज्य के आवंटन से 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। तथापि, छत्तीसगढ़ शासन ने वर्ष 2000-01 में भारत सरकार के अनुमोदन से 91.92 करोड़ रुपये की लागत वाली 112 सड़कों पर योजना को आरंभ किया, ये सभी सड़कें, गिट्टी वाली सड़कें थीं तथा एक भी नई सड़क के निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। मार्च 2004 तक इन सड़कों पर 102.21 करोड़ रुपये का व्यय किया गया।

प्रधानमंत्री सड़क योजना के मानदंडों के उल्लंघन में डामरीकृत सड़क की मरम्मत पर 3.14 करोड़ रुपये व्यय किए गए।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशानिर्देशों में डामरीकृत सड़कों के मरम्मत की अनुमति नहीं है, भले ही सतह की स्थिति खराब हो। तथापि, एक विद्यमान डामरीकृत सड़क (रायपुर जिले की पोखरा से कोपरा) जिसकी लम्बाई 26.5 किलो मीटर थी, योजना के मानदंडों के उल्लंघन में चयनित (2000-01) की गई तथा 3.14 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण की गई।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित करने पर यह बताया गया कि वर्ष 2000-01 में कार्यों के प्रस्तावों

के प्रस्तुतीकरण के समय भारत सरकार द्वारा प्राथमिकता निर्धारित नहीं की गई थी तथा ये प्रस्ताव बहुत कम समय में तैयार किए गए थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नए संयोजन की प्राथमिकता प्रारंभिक निर्देशों में भलीभाँति परिभाषित थी।

परियोजना क्रियान्वयन इकाइयों की स्थापना में विलम्ब

दिशानिर्देशों में उल्लेख था कि राज्य सरकार कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु एक उपयुक्त एजेंसी को चिन्हित करेगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कार्यक्रम को पूर्णतः समर्पित एक परियोजना क्रियान्वयन इकाई प्रत्येक जिले में स्थापित की जानी थी तथा इसे उपलब्ध कर्मचारियों के मध्य से अथवा प्रतिनियुक्ति के आधार पर सक्षम तकनीकी कर्मचारियों से सुसज्जित किया जाना था।

परियोजना क्रियान्वयन इकाइयों की स्थापना में विलम्ब तथा यथेष्ट कर्मचारी न होने से सड़क कार्यों का पर्यवेक्षण व गुणवत्ता नियंत्रण बुरी तरह प्रभावित हुआ।

यद्यपि योजना 25 दिसम्बर 2000 को प्रारंभ हुई, परियोजना क्रियान्वयन इकाइयों का गठन जून 2001 में किया गया तथा ये स्वतंत्र अस्तित्व में मई 2002 से आई। इसी मध्य, प्रत्येक जिले में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के विद्यमान संभागों द्वारा कार्य का निष्पादन हुआ। परियोजना क्रियान्वयन इकाइयों में यथेष्ट कर्मचारी न होने से कार्य की प्रगति तथा गुणवत्ता प्रभावित हुई।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित करने पर यह बताया गया कि कर्मचारियों संबंधी प्रस्ताव छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग के विचाराधीन (जनवरी 2005) था।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन

दिशानिर्देशों में प्रावधान था कि प्रत्येक प्रस्तावित सड़क कार्य हेतु सर्वे एवं संरेखण के पश्चात् संबंधित परियोजना क्रियान्वयन इकाई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर राज्य तकनीकी एजेंसी को प्रस्तुत करेगी, जो रूपांकन एवं लागत प्राक्कलन की जाँच कर इसे भारत सरकार को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगी। वर्ष 2000-01 से 2004-05 में अनुमोदित परियोजनाओं के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन जिलों में छत्तीसगढ़ शासन के ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कर्मचारियों की मदद से अप्रैल 2000 से मार्च 2004 तक परियोजना क्रियान्वयन इकाइयों द्वारा 1.20 करोड़ रुपये की लागत के सर्वे के उपरांत तैयार किए गए। इन्हीं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों के आधार पर भारत सरकार द्वारा कार्यों का अनुमोदन दिया गया।

बाद में छत्तीसगढ़ शासन ने पाया (फरवरी 2003) कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, विस्तृत सर्वे पर आधारित नहीं थे। यह निर्णय लिया (मार्च 2003) गया कि 2.38 करोड़ रुपये की प्राक्कलित लागत पर सड़क संरेखण के उचित सर्वे के आधार पर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (2003-04 एवं 2004-05) तैयार करने के लिए परामर्शदाताओं की सेवाएँ ली जाएँ। 6 परियोजना क्रियान्वयन इकाइयों की नमूना जाँच में पाया गया कि पुनरीक्षित परियोजना प्रतिवेदनों को मई 2004 तक अंतिम रूप नहीं दिया गया था जबकि मई 2004 तक निर्माण एजेंसियों द्वारा 76.79 करोड़ रुपये मूल्य के सड़क कार्य पुराने परियोजना प्रतिवेदनों के आधार पर निष्पादित किए जा चुके थे। इस प्रकार पुनरीक्षित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों को बनाने हेतु परामर्शदाताओं की नियुक्ति का मूल उद्देश्य विफल हो गया।

वर्ष 2003-05 के कार्यों हेतु सर्वे पर 99.04 लाख रुपये का किया गया व्यय निरर्थक रहा क्योंकि सर्वे दोहराया गया था ।

कुछ मार्गों हेतु परामर्शदाताओं द्वारा भी सर्वे कार्य एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किए गए जिनपर परियोजना क्रियान्वयन इकाईयाँ प्रस्तावित (2003-04 एवं 2004-05) कार्यों के लिए पूर्व में ही सर्वे पर 99.04 लाख रुपये का व्यय कर चुकी थीं । इस प्रकार यह व्यय निरर्थक रहा ।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित करने पर छत्तीसगढ़ शासन ने बताया कि भारत सरकार को प्रस्तुत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तत्कालीन कार्यस्थल की परिस्थितियों के अनुसार ठीक थे। कार्यों की स्वीकृति में विलम्ब व वर्ष 2003-04 में भारी वर्षा के कारण निर्माण कार्यस्थल की परिस्थितियों में बदलाव की वजह से परामर्शदाताओं द्वारा पुनरीक्षित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कराने का निर्णय लिया गया ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि परामर्शदाताओं का प्रस्ताव, फरवरी 2003 में वर्षाकाल प्रारंभ होने के बहुत समय पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका था ।

3.1.8 कार्यक्रम का क्रियान्वयन

अवास्तविक प्राक्कलन

20.93 लाख रुपये के व्यय से 2000-01 तथा 2001-02 के लिए तैयार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अवास्तविक सिद्ध हुए।

दिशानिर्देशों में उल्लेख है कि परियोजना क्रियान्वयन इकाई प्रत्येक सड़क कार्य के लिए वास्तविक सर्वे तथा पेवमेन्ट एवं क्रास ड्रेनेज स्ट्रक्चरों के रूपांकन के लिए वांछित आँकड़ों के संकलन एवं विश्लेषण के आधार पर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करेगी। लेखापरीक्षा जाँच में प्रकट हुआ कि वर्ष 2000-01 में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों में क्रास ड्रेनेज स्ट्रक्चरों की वर्णित संख्या 360 से बढ़कर 795 हो गई । इसी प्रकार वर्ष 2001-02 के कार्यों में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों में क्रास ड्रेनेज स्ट्रक्चरों की वर्णित संख्या 1,537 से बढ़कर 1,899 होने के साथ ही साथ कार्य की कुछ अन्य मदों में भी परिवर्तन हुआ । इसके फलस्वरूप वर्ष 2000-01 के अनुमोदित कार्यों की लागत 91.92 करोड़ रुपये से बढ़कर 117.93 करोड़ रुपये एवं 2001-02 के कार्यों में 203.49 करोड़ रुपये से बढ़कर 225.13 करोड़ रुपये हो गई। इस प्रकार, 3.48 लाख रुपये एवं 17.45 लाख रुपये के व्यय के उपरांत भी क्रमशः 2000-01 एवं 2001-02 के कार्यों के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अवास्तविक सिद्ध हुए। साथ ही, छत्तीसगढ़ शासन को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित लागत से 47.65 करोड़ रुपये की बढ़ी हुई लागत वहन करना पड़ी ।

इसे इंगित करने पर छत्तीसगढ़ शासन ने बताया (अक्टूबर 2004) कि प्रस्ताव उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर प्रस्तुत किए गए थे । कार्य की स्वीकृति के पश्चात् निष्पादन प्राक्कलन कार्यस्थल की परिस्थिति के आधार पर तैयार किए गए । उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि यदि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन उपयुक्त सर्वे पर आधारित होते तो प्रमुख विचलनों यथा क्रास ड्रेनेज स्ट्रक्चरों की संख्या को टाला जा सकता था ।

अनुमोदित प्राक्कलनों से अधिक व्यय

दिशानिर्देशों में उल्लेख था कि यदि प्राप्त निविदा का मूल्य मंत्रालय द्वारा स्वीकृत प्राक्कलन से अधिक हो तो अंतर की राशि (निविदा प्रीमियम) राज्य शासन वहन करेगा । इसी प्रकार लागत आधिक्य चाहे समय आधिक्य के कारण हो अथवा अन्य कारणों से जैसा भी हो, राज्य शासन को वहन करना पड़ेगा ।

निविदा प्रीमियम एवं लागत आधिक्य पर 34.35 लाख रुपये का व्यय गलत रूप से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को प्रभारित किया गया।

लेखापरीक्षा जाँच में प्रकट हुआ कि 2000-01 में अनुमोदित 87.30 करोड़ रुपये के निर्माण कार्यों एवं 2001-02 में अनुमोदित 167.93 करोड़ रुपये के निर्माण कार्यों के निष्पादन पर मार्च 2004 तक ठेका एजेंसियों को 24.06 करोड़ रुपये के निविदा प्रीमियम (दर अनुसूची से अधिक दर) का भुगतान किया गया। इसी प्रकार 2000-01 के 104 पूर्ण कार्यों तथा 8 अपूर्ण कार्यों (मई 2004) पर व्यय (निविदा प्रीमियम सहित) 91.92 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत से बढ़कर 102.21 करोड़ रुपये हो गया। सम्पूर्ण व्यय (निविदा प्रीमियम सहित) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना निधियों पर प्रभारित किया गया तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना निधि से प्रतिप्रविष्टि द्वारा निविदा प्रीमियम एवं लागत आधिक्य को राज्य निधि पर आवंटित करने के कोई प्रयास नहीं किए गए।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित करने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि भारत सरकार को पुनरीक्षित लागत प्राक्कलनों का प्रस्ताव भेजा गया है एवं यदि अतिरिक्त धन प्राप्त नहीं होता तो इसे छत्तीसगढ़ शासन वहन करेगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि दिशानिर्देशानुसार 34.35 करोड़ रुपये की राशि प्रारंभ में ही राज्य शासन के लेखों में बुक की जानी थी। उत्तर निविदाओं के ऊँचे मूल्य एवं लागत वृद्धि जिसके कारण छत्तीसगढ़ शासन पर यह दायित्व आया, के कारणों के प्रति मौन ही रहा।

ठेका अनुबंध एवं निष्पादन में विलम्ब

दिशानिर्देशों में उल्लेख था कि परियोजना प्रस्तावों (सड़क कार्यों) की स्वीकृति उपरांत 120 दिनों के अंदर कार्य ठेका एजेंसियों को प्रदान कर दिया जायेगा तथा प्रदान करने की तिथि से 9 माह में पूर्ण कर लिया जायेगा। अपवाद स्वरूप प्रकरणों में अवधि 12 माह तक बढ़ाई जा सकती थी।

शासन स्तर पर ठेका एजेंसियों के निर्धारण अथवा परियोजना क्रियान्वयन इकाई स्तर पर सड़क निर्माण में निष्पादित सभी कार्यों में से किसी में भी इस समय सीमा का पालन नहीं किया गया। ठेका एजेंसियों के निर्धारण में सात से बारह माह का समय लगा जबकि कार्य पूर्ण होने में तीन वर्ष तक का विलम्ब हुआ।

किसी भी प्रकरण में ठेका अनुबंधों को अंतिम रूप देने तथा कार्यों के निष्पादन में समय सीमा का पालन नहीं देखा गया।

मार्च 2004 की स्थिति में मार्च 2001 में अनुमोदित आठ सड़कें तथा अक्टूबर 2001 में अनुमोदित 61 सड़कें अपूर्ण थीं।

मार्च 2001 में अनुमोदित आठ तथा अक्टूबर 2001 में अनुमोदित 61 सड़कें अपूर्ण थीं (मार्च 2004)। वर्ष 2003-04 में अनुमोदित 293 सड़क कार्य (मार्च 2003 में 176 तथा दिसम्बर 2003 में 117) भी निर्माणाधीन थे।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित करने पर छत्तीसगढ़ शासन ने बताया (अक्टूबर 2004) कि एक बार ही की निविदा आमंत्रण सूचना में एजेंसी निर्धारित नहीं हो सकीं तथा अंतिम निर्धारण करने में समय लगा। कार्यों के निष्पादन में विलम्ब कठिन परिस्थितियों यथा नक्सली गतिविधियों, संरक्षित वन क्षेत्र में सामग्री की अनुपलब्धता तथा कुछ एजेंसियों द्वारा कार्य का परित्याग करने, जिसे दूसरी एजेंसियों को दिया जाना है, के कारण हुआ। यह भी बताया गया कि स्वीकृत कार्य जून 2005 तक पूर्ण कर लिए जायेंगे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि मार्च 2001 तथा अक्टूबर 2001 में अनुमोदित कार्यों की निविदाएं अक्टूबर 2001 व नवम्बर 2002 में निर्धारित हुईं जिससे क्रमशः तीन व नौ माह का विलम्ब परिलक्षित हुआ। ये कार्य भी ठेकेदारों द्वारा निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं हुए। भारत सरकार ने भी यह चेतावनी दी कि निष्पादन में विलम्ब से आगामी स्वीकृति में रोक लग सकती है, परिणामतः

वर्ष 2002-03 हेतु भारत सरकार ने कोई परियोजना अनुमोदित नहीं की।

वृक्षारोपण

दिशानिर्देशों में उल्लेख है कि अनुबंध की शर्तों में से एक शर्त सड़क के दोनों ओर फलदार व अन्य उपयुक्त वृक्षों के रोपण की होगी। वृक्षारोपण का व्यय राज्य शासन को वहन करना था।

ठेका अनुबंध में विशेष शर्त होने के बाद भी पाँच परियोजना क्रियान्वयन इकाईयों में वृक्षारोपण नहीं किया गया।

छः परियोजना क्रियान्वयन इकाईयों के अभिलेखों की जाँच से प्रकट हुआ कि मात्र एक परियोजना क्रियान्वयन इकाई (राजनांदगांव) में 19 सड़कों (लम्बाई 120.27 किलोमीटर) के किनारे 6,019 पौधों का रोपण किया गया। अनुबंधों में विशेष शर्त होने के बाद भी शेष पाँच परियोजना क्रियान्वयन इकाईयों में वृक्षारोपण नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा में इंगित करने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि भारत सरकार के अधिकारियों से चर्चा के अनुसार वृक्षारोपण का कार्य नहीं किया जाना था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि वृक्षारोपण न किया जाना अनुबंध का उल्लंघन था।

अनुमोदित प्राक्कलनों में प्रावधानित विशिष्टियों से विचलन

अनुमोदित विशिष्टियों में विचलन के फलस्वरूप आठ सड़क कार्यों में 7.01 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत आई।

दिशानिर्देशों में उल्लेख है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदित विशिष्टियों के अनुरूप सड़क कार्यों का निष्पादन किया जायगा। कोई भी लागत वृद्धि जो किसी भी कारण से क्यों न हो, राज्य शासन के द्वारा वहन की जायगी। यह देखा गया कि अनुमोदित विशिष्टियों में विचलन के फलस्वरूप आठ सड़क कार्यों पर 7.01 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत आई। यह राशि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना निधि लेखे से राज्य शासन को अंतरित की जानी आवश्यक है।

राज्य तकनीकी एजेंसी की सिफारिशों की अवहेलना कर उत्कृष्ट विशिष्टियों का उपयोग

पूर्णतः परिवर्तित विशिष्टियों से 7.73 किलोमीटर लम्बाई वाली एक सड़क का निर्माण किया गया।

ग्रामीण सड़क मेन्युअल में 20 मिली मीटर मोटे ओपन ग्रेडेड प्रिमिक्स कारपेट और सील कोट वाले 3.75 मीटर चौड़ाई के कैरिजवे का प्रावधान है। 58.65 लाख रुपये की लागत से भारत सरकार द्वारा 2000-01 में अनुमोदित दुर्ग जिले की 7.73 किलो मीटर लम्बी विद्यमान गिट्टीकृत सड़क (नन्दिनी-खुन्दिनी देवरीझल-अहिवारा सड़क) के निर्माण का कार्य एक ठेकेदार को सौंपा गया (जनवरी 2002)। निष्पादन के दौरान विशिष्टियाँ पूरी तरह से संशोधित कर दी गईं। सड़क की फारमेशन चौड़ाई 7.5 मीटर से बढ़ाकर 12 मीटर तथा कैरिजवे की चौड़ाई 3.75 मीटर से बढ़ाकर 5.50 मीटर कर दी गई। क्रस्ट की मोटाई भी 400 मिली मीटर से परिवर्तित कर 120 मिली मीटर मोटाई की बिटुमिनस परत के साथ (85 मिली मीटर डेन्स बिटुमिनस मेकाडम और 35 मिली मीटर बिटुमिनस कांक्रीट) 825 मिली मीटर कर दी गई।

राज्य तकनीकी एजेंसी के प्रेक्षण के बावजूद संशोधित मानदंडों से सड़क के निष्पादन के फलस्वरूप 3.07 करोड़ रुपये का अधिक व्यय हुआ।

राज्य तकनीकी एजेंसी, जिसे पुनरीक्षित प्राक्कलन प्रस्तुत किए गए, ने अभिमत दिया (30 अगस्त 2002) कि ये विशिष्टियाँ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मानदंडों के अनुरूप नहीं हैं। राज्य तकनीकी एजेंसी के प्रेक्षणों के बावजूद, परियोजना क्रियान्वयन इकाई द्वारा संशोधित मानदंडों पर 3.66 करोड़ रुपये (58.65 लाख रुपये की अनुमोदित लागत के विरुद्ध) की लागत से सड़क कार्य का निष्पादन कराया गया, इसके फलस्वरूप 3.07 करोड़

रूपये का अधिक व्यय हुआ। भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लेखों में सम्पूर्ण राशि डेबिट कर दी गई।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित करने पर छत्तीसगढ़ शासन ने बताया (अक्टूबर 2004) कि प्रस्ताव बहुत कम अवधि में तैयार किया गया था किन्तु निष्पादन के दौरान यह देखा गया कि सड़क औद्योगिक/खदान क्षेत्र में थी, इसलिए भारी यातायात सघनता को ध्यान में रखकर क्रस्ट का रूपांकन किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य सभी मौसम में परिवहन योग्य सड़कों से असंयोजित बसाहटों का संयोजन करना था जिसके लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु निर्धारित विशिष्टियाँ पर्याप्त समझी गई थीं। इसलिए, राज्य तकनीकी एजेंसी के प्रेक्षणों की अवहेलना कर उत्कृष्ट विशिष्टियों से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना निधि से सड़क का निष्पादन भारत सरकार के अनुदेशों का उल्लंघन था।

उच्च विशिष्टियों से उन्नयन

एक विद्यमान गिट्टीकृत सड़क का उन्नयन गलत ढंग से उच्च विशिष्टियों द्वारा करने के परिणामस्वरूप 17.10 लाख रूपये की अतिरिक्त लागत आई।

राजनांदगांव जिले में वर्ष 2000-01 में सात सड़कों का निष्पादन कार्य एक ठेकेदार को दिया गया (दिसम्बर 2001) जिसमें 10.4 किलो मीटर लम्बाई की एक गिट्टीकृत सड़क (डोंगरगढ़ से बोरतालाब, अनुमोदित लागत 95.91 लाख रूपये) सम्मिलित थी। सड़क के निष्पादन के दौरान मुख्य अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने 20 मिली मीटर मोटाई में ओपन ग्रेडेड प्रिमिक्स कारपेट और सील कोट के अनुमोदित प्रावधान से विचलन कर 50 मिली मीटर मोटाई में बिटुमिनस मेकाडम करने की अनुज्ञा दी। सड़क कार्य 1.13 करोड़ रूपये की लागत से पूर्ण हुआ, फलस्वरूप 17.10 लाख रूपये की अतिरिक्त लागत आई।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित करने पर, कार्यपालन अभियंता, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, राजनांदगांव, ने बताया (जून 2004) कि सड़क की क्रस्ट सामान्य आधार पर रूपांकित की गई थी तथा निष्पादन के दौरान कार्यस्थल की परिस्थिति के आधार पर कार्य की मदों में पुनरीक्षण किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन को सामान्य आधार पर तैयार करना भारत सरकार के अनुदेशों का उल्लंघन था।

यातायात सर्वे की अवहेलना में उच्च विशिष्टियों पर व्यय

उच्च विशिष्टियों से तीन सड़कों के निर्माण के फलस्वरूप 3.36 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई।

रायपुर जिले की 3 सड़कों यथा छुरा से राजिम (लम्बाई 41 किलो मीटर, अनुमोदित लागत 3.70 करोड़ रूपये), पोखरा से कोपरा (लम्बाई 22.50 किलो मीटर, अनुमोदित लागत 2.50 करोड़ रूपये) और तर्राघाट से पाण्डुका (लम्बाई 10.40 किलो मीटर, अनुमोदित लागत 90.45 लाख रूपये) के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों में डामर की परत हेतु 20 मिली मीटर मोटाई में ओपन ग्रेडेड प्रिमिक्स कारपेट को प्रिमिक्स टाइप-बी सीलकोट के साथ सील करने का प्रावधान किया गया था। कार्य के निष्पादन के दौरान इस मद को 50 मिली मीटर मोटाई में बिटुमिनस मेकाडम तथा 25 मिली मीटर मोटाई में सेमीडेन्स बिटुमिनस कांक्रीट द्वारा पूरी तरह से पुनरीक्षित कर दिया गया और सड़कें 10.46 करोड़ रूपये की लागत से पूर्ण हुईं, फलस्वरूप 3.36 करोड़ रूपये (10.46 करोड़ रूपये - 7.10 करोड़ रूपये) की अतिरिक्त लागत आई। भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना इसे भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क

योजना निधियों पर प्रभारित किया गया। विशिष्टियों में परिवर्तन का आधार यातायात की सघनता था। तथापि, यह देखा गया कि अधिकतम यातायात सघनता 1,099 पैसेजर कार यूनिट थी जबकि प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य की सड़कों के लिए पुनरीक्षित विशिष्टियों में 2000 पैसेजर कार यूनिट से अधिक की यातायात सघनता का प्रावधान किया है। पुनरीक्षित प्राक्कलनों पर राज्य तकनीकी एजेंसी का अनुमोदन प्राप्त (जनवरी 2003) कर लिया गया था परन्तु भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ था (नवम्बर 2004)।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित करने पर, कार्यपालन अभियंता, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, रायपुर ने बताया कि उन्नयन सड़कों की सुरक्षा एवं कार्य के हित में था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अपनाई गई उच्च विशिष्टियों का सड़क सुरक्षा से कोई परस्पर संबंध नहीं था। और भी, 1099 पैसेजर कार यूनिट की यातायात सघनता वाली सड़कों के लिए बिटुमिनस मेकाडम और सेमीडेन्स बिटुमिनस कांक्रीट वाली उच्चतर विशिष्टियों की आवश्यकता नहीं थी।

अनुमोदित प्राक्कलनों के उल्लंघन में उच्च विशिष्टियाँ अपनाए जाने के फलस्वरूप 41.42 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत आई।

कोरबा जिले की 12 किलो मीटर लम्बी एक विद्यमान गिट्टीकृत सड़क (चैतमा से तिवारता) को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत उन्नयन हेतु तीन हिस्सों में बाँटा गया। अनुमोदित प्राक्कलनों में वाटर बाऊंड मेकाडम ग्रेड II के ऊपर 20 मिली मीटर मोटाई में ओपन ग्रेडेड प्रिमिक्स कारपेट तथा टाइप बी-सीलकोट का प्रावधान था। निष्पादन के दौरान जिलाध्यक्ष ने देखा (दिसम्बर 2002) कि उन्नयन के बाद सड़क का उपयोग कोयला व अन्य सामग्री ले जाने वाले ट्रकों द्वारा किया जायेगा इसलिए 50 मिली मीटर मोटाई में बिटुमिनस मेकाडम तथा 20 मिली मीटर मोटाई में मिक्स सील सरफेसिंग का प्रावधान किया जाए। विद्यमान सड़क की यातायात सघनता मात्र 66 पैसेजर कार यूनिट थी (नवम्बर 2002)। कम यातायात सघनता के बावजूद, मुख्य अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने 50 मिली मीटर मोटाई में बिटुमिनस मेकाडम तथा 20 मिली मीटर मिक्स सील सरफेसिंग की उच्च विशिष्टियों की अनुज्ञा दी (जनवरी 2003), इसके फलस्वरूप 41.42 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत आई। सम्पूर्ण व्यय को अनियमित रूप से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना निधियों पर डेबिट कर दिया गया।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित करने पर कार्यपालन अभियंता, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, कोरबा ने बताया (अक्टूबर 2004) कि यह कोलियरी क्षेत्र के लिए सबसे कम दूरी वाली सड़क है तथा भारी यातायात की प्रत्याशा थी, जिस हेतु बिटुमिनस मेकाडम और मिक्स सील सरफेसिंग आवश्यक था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सड़क पर यातायात सघनता मात्र 66 पैसेजर कार यूनिट थी जिससे बिटुमिनस मेकाडम और मिक्स सील सरफेसिंग के उपयोग की अर्हता प्राप्त नहीं होती।

दोषी एजेंसियों से अग्रिम व अन्य देय धन की वसूली न होना

जांजगीर-चाँपा जिले में 4.74 करोड़ रुपये की लागत पर प्राक्कलित 2000-01 की 10 सड़कों के निर्माण का कार्य एक ठेकेदार को नौ माह की पूर्णता अवधि के साथ प्रदान किया गया (नवम्बर 2001)। ठेके की प्रवर्तनावधि के दौरान एजेंसी को 1.34 करोड़ रुपये के

गतिशीलता, मशीनरी व अन्य अग्रिमों का भुगतान किया गया (फरवरी से मई 2002)। कार्य की असंतोषप्रद प्रगति के कारण 1.13 करोड़ रुपये मूल्य के कार्य के आंशिक निष्पादन के पश्चात् अनुबंध को विखण्डित कर दिया गया (फरवरी 2003)। ठेकेदार के अंतिम चल देयक के भुगतान को उसके विरुद्ध बकाया राशि से समायोजित किया गया। तत्पश्चात् शेष कार्य मूल ठेकेदार के जोखिम एवं लागत पर चार विभिन्न एजेंसियों को दिया गया, जिसके लिए विभाग को 1.04 करोड़ रुपये का अधिक व्यय करना पड़ा, जो प्रथम एजेंसी से वसूली योग्य भी है। इसके अतिरिक्त, सक्षम अधिकारी द्वारा कार्य में विलम्ब के कारण दोषी ठेकेदार पर 26.62 लाख रुपये की शास्ति आरोपित की गई।

दोषी ठेकेदार से 1.77 करोड़ रुपये वसूली योग्य थे।

यह देखा गया कि परियोजना क्रियान्वयन इकाई अग्रिमों के विरुद्ध मात्र 1.10 करोड़ रुपये ही वसूल कर सकी तथा 24.35 लाख रुपये वसूली के लिए शेष था। इसके अतिरिक्त, अग्रिमों पर 22.14 लाख रुपये का ब्याज भी वसूली योग्य था (सितम्बर 2004 की स्थिति में)। इस प्रकार ठेकेदार के विरुद्ध कुल वसूली 1.77 करोड़²² रुपये थी।

लेखापरीक्षा में इंगित करने पर कार्यपालन अभियंता, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, जांजगीर-चाँपा ने बताया (अक्टूबर 2004) कि राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जारी करने की कार्यवाही की जा रही थी।

अपेक्षाकृत कम लम्बाई की सड़क पर अधिक व्यय

27 किलो मीटर लम्बाई के विरुद्ध कार्य का निष्पादन 24.135 किलो मीटर में किया गया।

बिलासपुर परियोजना क्रियान्वयन इकाई के अंतर्गत मरवाही विधानसभा क्षेत्र की 27 किलो मीटर लम्बी विद्यमान गिट्टीकृत सड़क 1.70 करोड़ रुपये की प्राक्कलित लागत पर 2000-01 में अनुमोदित की गई। नौ माह की कार्य समाप्ति की समय सीमा के साथ यह कार्य एक एजेंसी को प्रदान किया गया (दिसम्बर 2001)। ठेकेदार को 1.71 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ और कार्य पूर्ण होना बताया गया। लेखापरीक्षा जाँच में प्रकट हुआ कि कार्य का निष्पादन प्रशासकीय अनुमोदन, प्राक्कलनों एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवदन में वर्णित एवं 27 किलो मीटर की अनुमोदित लम्बाई के विरुद्ध मात्र 24.135 किलो मीटर लम्बाई में किया गया। शेष बचे हुए 2.865 किलो मीटर के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी।

अन्य परियोजना को हस्तान्तरित एक सड़क के आंशिक निर्माण पर 53.76 लाख रुपये का व्यय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से नहीं हटाया गया।

लेखापरीक्षा में इंगित करने पर कार्यपालन अभियंता, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, बिलासपुर ने बताया (अप्रैल 2004) कि कार्य वास्तव में 24 किलो मीटर लम्बाई में निष्पादित हुआ था। किन्तु शेष बचे हुए भाग के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की। उत्तर से पुष्टि होती है कि 27 किलो मीटर हेतु 1.70 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत के विरुद्ध 24 किलो मीटर की सड़क के निर्माण हेतु 1.71 करोड़ रुपये का व्यय किया गया।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में अधिक व्यय दर्ज करना

2001-02 में बिलासपुर जिले की 6 किलो मीटर लम्बी सड़क (उसाद से कंसाबहारा) 1.14 करोड़ रुपये की प्राक्कलित लागत पर अनुमोदित की गई। सड़क को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य की पूर्व-पश्चिम कॉरीडोर परियोजना का भाग घोषित करने के कारण 53.76

²²

(134.08 - 109.73 + 22.14 + 26.62 + 104.15 = 177.26 लाख रुपये)

लाख रुपये का व्यय करने के उपरांत अपूर्ण सड़क को लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया (अक्टूबर 2003)। परिणामतः प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बुक किया गया व्यय वापस करना चाहिए था।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित करने पर परियोजना क्रियान्वयन इकाई के कार्यपालन अभियंता ने बताया (अप्रैल 2004) कि सड़क का हस्तांतरण लोक निर्माण विभाग को कॉरीडोर योजना के अंतर्गत निष्पादन हेतु किया गया था। तथापि, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से व्यय को संबंधित योजना (कॉरीडोर योजना) में अंतरित करने की आवश्यकता के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गई।

3.1.9 परीक्षा एवं गुणवत्ता नियंत्रण

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशानिर्देशों में प्रावधान है कि कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित सड़कें अत्यंत उच्च मानकों की होना चाहिए, इसलिए त्रिस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र निर्धारित किया गया था। कार्यपालन अभियंता, परियोजना क्रियान्वयन इकाई गुणवत्ता नियंत्रण हेतु प्रथम स्तर के रूप में कार्य करता है। द्वितीय स्तर में राज्य शासन को सम्पूर्ण राज्य के लिए कार्यपालन अभियंता, परियोजना क्रियान्वयन इकाई से स्वतंत्र गुणवत्ता नियंत्रण इकाई, जो राज्य गुणवत्ता नियंत्रण मॉनीटरों के रूप में कार्य करेगी, स्थापित करना था। गुणवत्ता नियंत्रण का तृतीय स्तर भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के पास है, जो राष्ट्रीय गुणवत्ता नियंत्रण मॉनीटरों के नियतकालिक निरीक्षणों का नियमन करता है।

छत्तीसगढ़ शासन ने न सिर्फ गुणवत्ता नियंत्रण हेतु अपितु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कार्यों का संपूर्ण पर्यवेक्षण कर कार्यपालन अभियंता, परियोजना क्रियान्वयन इकाई के प्रथम स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण के कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता हेतु परामर्शदाताओं की सेवाएं लेने का निश्चय किया था। छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य के लिए द्वितीय स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण इकाई का गठन अक्टूबर 2004 में किया, अवधि 2000-01 से सितम्बर 2004 तक द्वितीय स्तर की गुणवत्ता नियंत्रण इकाई नहीं थी।

गुणवत्ता नियंत्रण परामर्शदाताओं द्वारा निष्पादन

2000-01 के दौरान अनुमोदित कार्यों के लिए

सम्पूर्ण राज्य के लिए 2000-01 के निर्माण व उन्नयन कार्यों का सम्पूर्ण पर्यवेक्षण व पूर्ण गुणवत्ता नियंत्रण का कार्य एक ही परामर्शदाता, मेसर्स राइट्स लिमिटेड, नई दिल्ली को सिविल निर्माण एजेंसियों द्वारा किए गए कार्य के मूल्य के 3.42 प्रतिशत की दर पर खुली निविदा आमंत्रण के बिना दिया गया (दिसम्बर 2001)।

निर्माण पर्यवेक्षण तथा गुणवत्ता नियंत्रण उपायों के बावजूद राष्ट्रीय गुणवत्ता नियंत्रण मॉनीटरों ने 38 सड़कें औसत व 1 सड़क निम्न कोटि में श्रेणीबद्ध की।

परामर्शदाताओं को योजना स्तर से लेकर पूर्णता स्तर तक सेवाएं जिसमें मापों को अंकित करना, सम्पूर्ण निर्माण पर्यवेक्षण तथा गुणवत्ता नियंत्रण की आश्वस्ति सम्मिलित थी, प्रदान करनी थीं। सम्पूर्ण निर्माण पर्यवेक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण उपायों के बावजूद राष्ट्रीय गुणवत्ता नियंत्रण मॉनीटरों द्वारा 38 सड़कें औसत तथा 1 सड़क निम्न कोटि में श्रेणीबद्ध की गई।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित करने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि लगभग 90 प्रतिशत कार्य निर्माण एजेंसियों को सौंपा गया था और निर्माण पर्यवेक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण के लिए तकनीकी अमला उपलब्ध नहीं था। इसलिए भारत सरकार के एक प्रतिष्ठान को निविदा आमंत्रण के बिना किन्तु दरों में समझौता-वार्ता के पश्चात् गुणवत्ता नियंत्रण कार्य प्रदान किया गया। निम्नस्तरीय सड़क गुणवत्ता के बारे में उत्तर मौन रहा।

2001-02 के दौरान अनुमोदित कार्यों के लिए

फरवरी से मई 2002 के दौरान गुणवत्ता नियंत्रण परामर्शदाताओं की सेवाएं उपलब्ध नहीं थीं।

परामर्शदाताओं के असंतोषप्रद निष्पादन के कारण वर्ष 2001-02 के कार्यों हेतु नोडल अधिकारी ने पर्यवेक्षण ओर गुणवत्ता नियंत्रण का कार्य अपने स्वयं के अमले से कराने का प्रस्ताव रखा किन्तु यह कार्यान्वित नहीं हुआ। अतः 1.64 करोड़ रुपये की प्राक्कलित लागत पर 2001-02 के लिए गुणवत्ता नियंत्रण कार्य हेतु प्रत्येक जिले वार परामर्शदाता नियुक्त किए गए (मई 2002 से जुलाई 2002)। इसी मध्य फरवरी 2002 तथा मई 2002 के दौरान निर्माण एजेंसियों को कार्य आदेश भी जारी किए गए। इस प्रकार फरवरी 2002 से मई 2002 के दौरान किए गए कार्यों के लिए न तो कोई गुणवत्ता नियंत्रण परामर्शदाता था और न ही परियोजना क्रियान्वयन इकाईयाँ गुणवत्ता नियंत्रण हेतु पर्याप्त तकनीकी अमले से सुसज्जित थीं।

नियतकालिक निरीक्षण में 119 सड़कें औसत एवं 12 सड़कें निम्न कोटि में श्रेणीबद्ध की गईं।

राष्ट्रीय गुणवत्ता नियंत्रण मॉनीटरों ने अपने नियतकालिक निरीक्षण के दौरान मार्च 2004 तक निर्मित 119 सड़कों को औसत और 12 सड़कों को निम्न कोटि में श्रेणीबद्ध किया।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित करने पर यह बताया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का संगठनात्मक ढाँचा मजबूत किया जा रहा था और पर्यवेक्षण आंतरिक रूप से किया जा रहा था। इस प्रकार, परामर्शदाताओं को सिर्फ गुणवत्ता नियंत्रण का कार्य सौंपा गया था। सड़कों की निम्न गुणवत्ता को देखते हुए उत्तर विश्वसनीय नहीं था।

वर्ष 2003-04 में अनुमोदित कार्यों के लिए

जुलाई 2003 से दिसम्बर 2003 के दौरान जब कोई गुणवत्ता नियंत्रण परामर्शदाता नहीं थे, 110 सड़कों पर 19.19 करोड़ रुपये के कार्य निष्पादित किये गए।

गुणवत्ता नियंत्रण परामर्शदाताओं की कार्य नीति पुनः संशोधित की गई और परामर्शदाताओं को निर्माण कार्य के पर्यवेक्षण के साथ ही गुणवत्ता नियंत्रण कार्य के लिए पुनः नियुक्त किया गया। 16 जिलों को 3 समूहों में विभक्त किया गया। प्रस्ताव आमंत्रित किए (जुलाई 2003) गए तथा 10.44 करोड़ रुपये की प्राक्कलित लागत पर एजेंसियों का निर्धारण किया गया (दिसम्बर 2003)। छत्तीसगढ़ शासन को परामर्शदाताओं की व्यवस्था करने में 6 माह का समय लगा। इसी दौरान जुलाई 2003 और अक्टूबर 2003 में निर्माण एजेंसियों को कार्यादेश जारी किए गए। परिणामतः जुलाई 2003 से दिसम्बर 2003 के मध्य, जिस दौरान 19.19 करोड़ रुपये मूल्य के 110 प्रगतिरत सड़क कार्यों का निर्माण एजेंसियों द्वारा निष्पादन किया गया, कोई गुणवत्ता नियंत्रण परामर्शदाता नहीं था।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित करने पर यह उत्तर दिया गया कि विद्यमान अमला सौंपे गए कार्यों के सम्पूर्ण पर्यवेक्षण के लिए पर्याप्त नहीं था, इस कारण परामर्शदाताओं का उपयोग करना पड़ा। इस प्रकार, पर्यवेक्षण तथा गुणवत्ता नियंत्रण के निर्णय प्रतिवर्ष बदलते रहे तथा चार वर्षों में कोई स्पष्ट नीति निर्धारण नहीं हो सका। परिणामतः बहुत सी निर्मित सड़कों को राष्ट्रीय गुणवत्ता नियंत्रण मॉनीटरों द्वारा औसत और निम्न कोटि में श्रेणीबद्ध किया गया।

3.1.10 निष्कर्ष

राज्य सड़कों के आवश्यक संयोजन के प्रावधान हेतु योजना का पूरी तरह उपयोग नहीं कर सका। निर्मित सड़कों की संख्या राज्य की आवश्यकता से बहुत ही कम थी। अपर्याप्त तैयारी एवं आयोजना के कारण सड़कों का दोषपूर्ण चयन हुआ एवं त्रुटिपूर्ण विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बने। विलम्ब और त्रुटिपूर्ण प्राक्कलन क्रियान्वयन में मुख्य अवरोध थे। योजना निधि से अनियमित रूप से उच्च विशिष्टियों वाली सड़कों का निर्माण करने के उदाहरण थे। पर्यवेक्षण तथा गुणवत्ता नियंत्रण की प्रणाली का नियमन नहीं किया गया तथा यह अस्थिर रही परिणामतः कई सड़कें निम्न कोटि में श्रेणीबद्ध की गईं।

3.1.11 अनुशंसाएं

उपर्युक्त अवलोकन के आधार पर निम्न अनुशंसाएं की जाती हैं :

- सड़कों के चयन में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकता क्रम का कड़ाई से पालन हो । नवीन संयोजन वाली सड़कों का ही चयन किया जाना चाहिए ।
- आधारभूत दस्तावेज होने के कारण विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन यथार्थवादी होने चाहिए तथा वास्तविक सर्वेक्षण एवं आँकड़ों के संकलन के बाद ही तैयार किए जाना चाहिए ।
- तकनीकी विशिष्टियों के अनुसरण का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए और सभी उच्च विशिष्टियों की सड़कों की अतिरिक्त लागत सुनिश्चित कर राज्य के लेखे में दर्ज की जाए ।
- निर्माण एजेंसियों के कार्यों का परिवीक्षण उचित रूप से होना चाहिए ताकि समय सीमा का पालन हो सके तथा विलम्ब हेतु दायिद्विक प्रावधानों का कड़ाई से पालन हो ।
- गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र का प्रावधानों के अनुरूप कार्य करना आवश्यक है ताकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके ।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

3.2 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की लेखापरीक्षा

मुख्यांश

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग चिकित्सालयों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों के तन्त्र के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराता है तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 1983 एवं राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 में परिकल्पित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन करता है। राज्य में 2001-04 के दौरान स्वास्थ्य-रक्षा पर व्यय 646.90 करोड़ रुपये था। त्रिस्तरीय स्वास्थ्य आधारभूत संरचना के विनिर्माण में कमी पाई गई। शय्या-जनसंख्या अनुपात, सम्पूर्ण भारत के 92 के औसत के विरुद्ध बहुत कम अर्थात् 30 प्रति लाख रहा। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत जनसांख्यिकीय उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हुई। अपूर्ण वित्तीय प्रबंधन की परिणति वृहद बचतों एवं अनावश्यक पूरक अनुदानों के रूप में हुई जबकि सेवाओं एवं उपकरणों की उपलब्धता में अनेकों कमियां थीं। कतिपय मुख्य टिप्पणियाँ आगे दर्शाए गए अनुसार थीं :

- शिशुओं की मृत्यु दर, अपरिपक्व जन्म दर एवं दम्पति संरक्षण की दर की प्राप्ति के लिए सन् 2000 तक के निर्धारित लक्ष्य सन् 2004 में भी प्राप्त नहीं हो पाए थे।
(कंडिका 3.2.7)
- क्षतिपूर्ति, औषधियों, पेट्रोल, तेल एवं चिकनाई प्रभारों एवं अभिप्रेरण प्रभारों पर 1.11 करोड़ रुपये का अधिक एवं अनियमित व्यय किया गया जो कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के मानदण्डों से अधिक था।
(कंडिका 3.2.7)
- शक्ति सम्पन्न कार्य दल (एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप) निधि से 1.47 करोड़ रुपये के सहायता अनुदानों का दुरुपयोग किया गया तथा 84.09 लाख रुपये के उपकरण निष्प्रयोज्य पड़े थे।
(कंडिका 3.2.7)
- 2.08 करोड़ रुपये मूल्य की एक्स-रे मशीनें क्रय की गई थीं परन्तु इन्हें उपयोग में नहीं लाया गया।
(कंडिका 3.2.9)

3.2.1 प्रस्तावना

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 में दो प्रयोजनों "सबके लिए स्वास्थ्य" (हेल्थ फॉर आल) तथा "यूनिटी की निवल पुनर्जनन दर" (नेट रिप्रोडक्टिव रेट आफ यूनिटी) (एन.आर.आर.-1) को सन 2000 तक प्राप्त करने की परिकल्पना की गई थी। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में भी स्वास्थ्य रक्षा आधारभूत संरचना में सुधार के लिए निधियों के आवंटन को प्राथमिकता प्रदान की गई थी।

छत्तीसगढ़ के 16 जिलों में केवल आठ जिला चिकित्सालय एवं 15 सिविल अस्पताल हैं। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत यथोचित मानदण्डों के अनुरूप राज्य की 219.39 लाख जनसंख्या को चिकित्सा सहायता सुलभ कराने के लिए 4,114 उप स्वास्थ्य केन्द्रों, 652 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 163 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के विरुद्ध 3,818 उप स्वास्थ्य केन्द्र, 516 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 116 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं। 12 चिकित्सालयों के राष्ट्रीय औसत (2002) के विरुद्ध राज्य में प्रति हजार वर्ग किलोमीटर 5 चिकित्सालय हैं। VII वीं पंचवर्षीय योजना में परिकल्पित प्रति लाख जनसंख्या के लिए 100 शय्याओं की आवश्यकता के विरुद्ध शय्या:जनसंख्या का अनुपात केवल 30 प्रति लाख है।

3.2.2 संगठनात्मक संरचना

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, (विभाग) सचिव एवं संचालनालय के अधीन है। संचालनालय का प्रबन्ध एवं नियंत्रण संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, अपर संचालक एवं संयुक्त संचालकों के द्वारा किया जाता है। उनके अधीन जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन, विकास खण्ड स्तर पर विकास खण्ड चिकित्सा अधिकारी तथा इनके नीचे बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं।

3.2.3 कार्यक्रम प्रबन्धन

जनसाधारण को स्वास्थ्य रक्षा उपलब्ध कराना विभाग का उत्तरदायित्व था जिसके लिए वह विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों को चला रहा था।

ऐसे तीन कार्यक्रमों यथा (क) परिवार कल्याण कार्यक्रम (ख) राजीव जीवन रेखा कोष (ग) शक्तिसम्पन्न कार्य दल क्रियाकलाप निधि, को लेखापरीक्षण हेतु समाविष्ट किया गया।

3.2.4 लेखापरीक्षा के प्रयोजन

समीक्षा का प्रयोजन निम्न का मूल्यांकन था :

- परिवार कल्याण कार्यक्रम एवं अन्य योजनाएं यथा राजीव जीवन रेखा कोष एवं शक्तिसम्पन्न कार्य दल क्रियाकलाप निधि का क्रियान्वयन।
- विभाग द्वारा चिकित्सालयों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों का प्रशासन।
- विभाग में वित्तीय प्रबन्धन, जन शक्ति नियोजन एवं उपार्जन कार्य-प्रणाली।

3.2.5 लेखापरीक्षा समावेशन

समीक्षा में नमूना जांच के द्वारा पांच जिलों के 43 में से 10 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों²³ एवं कार्यालय संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अप्रैल 2001 से मार्च 2004 तक की अवधि के अभिलेखों को समाविष्ट किया गया।

²³ पांच मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं पांच सिविल सर्जन- यथा दुर्ग, जगदलपुर, रायगढ़, रायपुर एवं राजनांदगांव जिले

3.2.6 वित्तीय परिव्यय एवं व्यय पर नियंत्रण

विभाग अनुदान संख्या 19 : लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अंतर्गत अपने व्यय का नियंत्रण करता है। परिवार कल्याण कार्यक्रम पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है परन्तु इसे राज्य के बजट के माध्यम से संचालित किया जाता है।

विभाग से सम्बन्धित प्रावधान एवं व्यय के ब्यौरे निम्नानुसार थे:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	बजट प्रावधान			व्यय			बचत (-)
	केन्द्रीय अंश	राज्यांश	योग	केन्द्रीय अंश	राज्यांश	योग	
2001-02	116.32	114.33	230.65	63.89	143.06	206.95	(-)23.70
2003-03	114.43	161.95	276.38	55.99	160.21	216.20	(-)60.18
2003-04	96.07	174.55	270.62	64.53	159.22	223.75	(-)46.87
योग	326.82	450.83	777.65	184.41	462.49	646.90	(-)130.75

विभाग द्वारा बजटीय एवं वित्तीय नियंत्रण में कमी पाई गई जैसा कि आगे स्पष्ट किया गया है -

- सभी तीन वर्षों में वृहद बचतें। विभाग ने दिसम्बर 2004 तक बचतों के कारण सूचित नहीं किये थे।
- वर्ष 2002-03 एवं 2003-04 के दौरान अनुदान संख्या-19 के अंतर्गत क्रमशः 1.34 करोड़ रुपये एवं 18.63 लाख रुपये के पूरक अनुदान अनुपयोगी रहे थे।
- चार जिलों में नवम्बर 2000 से मार्च 2004 के दौरान सिविल सर्जनों एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों ने बिना बजट आवंटन के 52.30 लाख रुपये मूल्य की औषधियों का क्रय किया।
- एक केन्द्र प्रवर्तित योजना "आदिवासी क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार" से संबंधित 2.80 करोड़ रुपये को मार्च 2004 में सिविल जमा के अंतर्गत अंतरित किया गया।

बिना बजट आवंटन के 52.30 लाख रुपये मूल्य की औषधियों का क्रय किया गया।

केन्द्र प्रवर्तित योजना से सम्बन्धित 2.80 करोड़ रुपये की निधि को सिविल जमा के अन्तर्गत रखा गया।

3.2.7 कार्यक्रम का क्रियान्वयन

परिवार कल्याण कार्यक्रम का निष्पादन

परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रयोजन थे (क) परिवार नियोजन के विभिन्न उपायों के माध्यम से जन्म दर एवं शिशु तथा मातृ मृत्यु दरों में कमी लाना (ख) छोटे परिवार के मानदण्डों को अपनाने के लिए जनसाधारण को उत्प्रेरित करना एवं (ग) परिवार नियोजन के उपायों को स्वीकार करने वालों के द्वार पर ही चिकित्सा सेवाओं की प्रोत्साहन राशि एवं निःशुल्क दवाएं उपलब्ध कराना।

2001 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 207.96 लाख थी, जबकि संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं के अनुमान के अनुसार 2004 की जनसंख्या 219.39 लाख थी। इस प्रकार, 1.2 प्रतिशत की लक्षित वार्षिक प्राकृतिक वृद्धि दर (सन 2000 तक प्राप्य) के विरुद्ध जनसंख्या में 1.80 प्रतिशत प्रतिवर्ष के औसत से वृद्धि हुई।

जनसांख्यिकीय लक्ष्यों की उपलब्धि में कमी

21 प्रति हजार की अपरिपक्व जन्म दर (क्रूड बर्थ रेट)(सी बी आर), नौ प्रति हजार की अपरिपक्व मृत्यु दर (क्रूड डैथ रेट)(सी डी आर) एवं 60 प्रति हजार से कम की शिशु मृत्यु दर (आई एम आर) एवं 60 प्रतिशत की प्रभावी दम्पति संरक्षण दर (सी पी आर) के जनसांख्यिकीय लक्ष्यों²⁴ को वर्ष 2000 तक प्राप्त करना था। राज्य में 2004 के अंत तक 4 वर्षों के दौरान वर्षवार उपलब्धियाँ निम्नानुसार थीं :

स. क्र.	सूचक	वर्ष 2000 तक के लक्ष्य	वर्ष के दौरान उपलब्धियाँ			
			2001	2002	2003	2004
1.	सी बी आर	21 प्रति हजार	26.5	25	22.9	24.5
2.	सी डी आर	9 प्रति हजार	8.8	8.7	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
3.	आई एम आर	60 प्रति हजार	77	73	73	73
4.	सी पी आर	60 प्रतिशत	45	50.58	57.82	58.13

सी बी आर, आई एम आर एवं सी पी आर सेट के लिए 2000 के लक्ष्यों को 2004 तक प्राप्त नहीं किया गया।

उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि भारत सरकार से वार्षिक सहायता प्राप्त करने के बावजूद भी अपरिपक्व जन्म दर, शिशु मृत्यु दर (आई एम आर) एवं दम्पति संरक्षण दर के 2000 में लक्षित स्तरों को 2004 तक प्राप्त नहीं किया जा सका। संचालक ने लक्ष्यों की अनुपलब्धि के कारणों को सूचित नहीं किया। लेखापरीक्षा में यह प्रकट हुआ कि दम्पति संरक्षण दर (सी पी आर) के आंकड़ों की संगणना एवं संकलन ठीक प्रकार से नहीं किया गया जिससे दम्पति संरक्षण दर के आंकड़ों की शुद्धता, जो कि भारत सरकार को संसूचित किए जा चुके थे, संदेहास्पद है।

दम्पति संरक्षण दर (सी पी आर) को बढ़ाकर प्रतिवेदित करना

2000-04 के दौरान सभी उपायों से प्रभावी रूप में संरक्षित किए गए पात्र दम्पतियों की संख्या का वर्षवार विस्तृत विवरण, जैसा कि प्रतिवेदित किया गया, नीचे दर्शाया गया है:

²⁴ एक समुदाय में एक वर्ष से अधिक की अवधि में जन्म, मृत्यु एवं रोग, इत्यादि की संख्या में परिवर्तन का वैज्ञानिक अध्ययन।

वर्ष	संरक्षित किए जाने वाले पात्र दम्पतियों की संख्या	के द्वारा संरक्षित				संरक्षित दम्पतियों की कुल संख्या	वास्तविक दम्पति संरक्षण दर (सी पी आर)
		संतति को सीमित करने के लिए	संतति में अन्तराल के लिए				
			बंध्यकरण प्रतिशतता सहित	आई यू डी का उपयोग करने वालों की संख्या प्रतिशतता सहित	खाने वाली गोलियों, (ओ पी) का उपयोग करने वालों की संख्या प्रतिशतता सहित		
2000-01	3410356	106996 (3.1)	106540 (3.1)	156192(4.5)	279897 (8.2)	649625	19.05
2001-02	3528173	98368 (2.7)	104643 (2.9)	170433(4.8)	284539 (8.1)	657983	18.6
2002-03	3535676	115298 (3.2)	102347 (2.8)	234179(6.6)	383550 (10.8)	835374	23.6
2003-04	3599659	115848 (3.2)	99136 (2.7)	205197(5.7)	342106 (9.5)	762287	21.1
योग	14073864	436510 (3.1)	412666 (2.9)	766001(5.4)	1290092 (9.1)	2905269	20.6

भारत सरकार को दम्पति संरक्षण की दर 58.13 प्रतिशत सूचित की गई जबकि वास्तविक दम्पति संरक्षण की दर मात्र 21.1 प्रतिशत थी।

उपर्युक्त आंकड़े दर्शाते हैं कि 2000-04 के दौरान वास्तविक दम्पति संरक्षण की दर (कुल संरक्षित दम्पतियों की संख्या को संरक्षण के लिए पात्र दम्पतियों की कुल संख्या से विभाजित करके) 20 प्रतिशत (18.6 से 23.6) के लगभग रही। इस प्रकार 2003-04 में 21.1 प्रतिशत की दम्पति संरक्षण की दर के विरुद्ध विभाग ने भारत सरकार को 58.13 प्रतिशत की दर संसूचित की। 58.13 प्रतिशत की संगणना का आधार यह था कि विभाग से दम्पति संरक्षण की दर प्रतीक्षित थी। 2001-03 के लिए संसूचित आंकड़ों और दम्पति संरक्षण की दर के लिए उपर गणना किए गए आंकड़ों में समान अंतर के लिए भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

यूनिटि की निवल पुनर्जनन दर (नेट रिप्रोडक्टिव रेट आफ यूनिटि) (एन आर आर-1)

राज्य में अन्तराल पद्धति को अपनाने का स्तर अभी भी बहुत नीचा है। मात्र 21 प्रतिशत दम्पति ही परिवार नियोजन के विभिन्न उपायों से संरक्षित हैं।

एन आर आर -1 का तात्पर्य है प्रत्येक दम्पति के द्वारा दो बच्चों के मानदन्ड को प्राप्त करना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति-1983 में व्यवस्था है कि निवल पुनर्जनन दर (एन आर आर - 1) तभी प्राप्त होती है जब दम्पति संरक्षण दर (सी पी आर) 60 प्रतिशत तक पहुँच जाती है। अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि राज्य में अभी भी अन्तराल पद्धति को अपनाने का स्तर बहुत कम है। जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, 2003-04 में दम्पति संरक्षण की दर केवल 21 प्रतिशत थी। इस प्रकार राज्य की निवल पुनर्जनन दर (एन आर आर) एक के लक्ष्य की तुलना में अधिक उच्चतर थी।

विभाग द्वारा दम्पति संरक्षण की दर-58.13 के आधार पर भारत सरकार को 'एक' संसूचित की गई थी, जो कि तथ्यों के अनुसार गलत थी।

पात्र दम्पति पंजी (एलिजिबिल कपल्स रजिस्टर) (ई सी आर)/लक्षित दम्पति पंजी (टारगेट कपल रजिस्टर) (टी सी आर) का संधारण न करना

पात्र दम्पतियों के विस्तृत विवरण निर्धारित पात्र दम्पति पंजी में अंकित किए जाने चाहिए तथा अन्य विस्तृत विवरण एक पृथक पंजी, जिसे लक्षित दम्पति पंजी कहते हैं, में अंकित किए जाने चाहिए, इसका उपयोग विभागीय कर्मचारियों द्वारा लक्षित दम्पतियों को बन्ध्यकरण के लिए अभिप्रेरित करने हेतु किया जाता है। तथापि, यह देखा गया कि नमूना जांच किए गए जिलों में इन पात्र दम्पति पंजियों एवं लक्षित दम्पति पंजी का संधारण नहीं किया गया था।

संतति नियमन के उपाय

यद्यपि भारत सरकार ने कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए थे फिर भी, संतति नियमन के विभिन्न उपायों के लिए राज्य सरकार के लक्ष्यों एवं उनकी वर्षवार उपलब्धियाँ नीचे दर्शाई गई हैं :

वर्ष	बंध्यकरण		आई यू डी अपनाने वाले		खाने वाली गोलियों का उपयोग करने वाले (ओरल पिल्स यूजर)		पारंपरिक गर्भ निरोधक का उपयोग करने वाले	
	लक्ष्य	उपलब्धियाँ (*)	लक्ष्य	उपलब्धियाँ (*)	लक्ष्य	उपलब्धियाँ (*)	लक्ष्य	उपलब्धियाँ (*)
2000-01	120666	106996 (89)	161572	106540 (66)	196132	156192 (80)	403240	279897 (69)
2001-02	109316	98368 (82)	138351	104643 (65)	218337	170433 (87)	357531	284539 (71)
2002-03	109779	115298 (96)	132980	102347 (63)	220072	234179 (119)	366604	383550 (95)
2003-04	115608	115848 (96)	128393	99136 (61)	196665	205197 (104)	357802	342106 (85)
योग	455369	436510 (90)	561296	412666 (63)	831206	766001 (92)	1485177	1290092 (80)

(*) आधार वर्ष 2000-01 के संदर्भ में प्रतिशत

जनसंख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि होने के बावजूद 2000-01 से लक्ष्यों का स्तरोन्नयन नहीं किया गया।

परिवार नियोजन के विभिन्न पद्धतियों के विषय में लक्ष्य एवं उपलब्धि के विश्लेषण से यह प्रकट हुआ कि जनसंख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि होने के बावजूद 2000-01 से अधिकांश लक्ष्यों का स्तरोन्नयन नहीं किया गया था। इसके विपरीत आधार वर्ष 2000-01 की तुलना में 2001-02 से वास्तव में सेवा आवश्यकता/लक्ष्य कम कर दिए गए थे।

दो बच्चों तक के स्वीकारकर्ताओं के कम समावेशन के कारण संवृद्धि दर को नियंत्रित करने के प्रयासों पर प्रतिकूल प्रभाव

पांच जिलों (दुर्ग, जगदलपुर, रायगढ़, रायपुर एवं राजनांदगांव) के अभिलेखों की नमूना जांच में यह प्रकट हुआ कि 1.04 लाख बंध्यकरणों (2001-04) में से, कार्यक्रम में परिकल्पित दो बच्चों के पश्चात बंध्यकरण की अपेक्षा के विरुद्ध 63 प्रतिशत बंध्यकरण उन दम्पतियों के किए गए जिन दम्पतियों के पूर्व में ही तीन अथवा अधिक बच्चे थे। दो बच्चों वाले दम्पतियों के बंध्यकरण की आवश्यकता आगामी संवृद्धि को नियंत्रित करने के उद्देश्य से थी। चूंकि

केवल 37 प्रतिशत समावेशित दम्पतियों के दो तक बच्चे थे तथा शेष 63 प्रतिशत दम्पतियों के तीन अथवा चार बच्चे थे इसलिए संवृद्धि दर को नियंत्रित करने का कार्यक्रम का उद्देश्य परिकल्पित सीमा तक प्राप्त नहीं हुआ ।

लिंग असंतुलन

परिवार कल्याण कार्यक्रम विभाग ने अपने आयोजित अभिभावक कार्यक्रम में पर्याप्त पुरुष प्रतिभागिता को प्रोत्साहित करने की व्यवस्था नहीं की।

2001 की जनगणना के अनुसार, छत्तीसगढ़ में लैंगिक अनुपात 1000 पुरुष: 990 महिलाओं का है । 2000-04 की अवधि के बंध्यकरण के आंकड़ों के विश्लेषण से यह प्रकट हुआ कि कुल 4,36,510 बंध्यकरण के प्रकरणों में पुरुष बंध्यकरण के 11,237 (2.57 प्रतिशत) तथा महिला बंध्यकरण के 4,25,273 (97.43 प्रतिशत) प्रकरण थे । आंकड़ों की अत्यधिक असमानता यह दर्शाती है कि आयोजित अभिभावक कार्यक्रम पूर्णरूपेण एक पक्षीय था और पर्याप्त पुरुष प्रतिभागिता सुनिश्चित नहीं की जा सकी ।

सबके लिए स्वास्थ्य के उद्देश्यों की प्राप्ति न होना

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति-1983 के उद्देश्यों में से एक था कम वजन (2.5 किलो ग्राम से कम) वाले नवजात शिशुओं की संख्या को कम कर सन 2000 तक कुल जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या के 10 प्रतिशत तक लाना । राष्ट्रीय जनसंख्या नीति-2000 में व्यवस्था थी कि गर्भवती महिलाओं में पोषाहार की कमियों को पूरा करने के लिए परिवार कल्याण कार्यक्रम को पूर्व से ही चल रहे पूरक पोषाहार कार्यक्रम से संयोजित किया जाए । तथापि, इस संयोजन की स्थापना के लिए की गई किसी कार्रवाई का कोई साक्ष्य विभागीय अभिलेखों में नहीं दर्शाया गया । नमूना जांच किए जिलों की स्वास्थ्य संस्थाओं के अभिलेखों के विश्लेषण से यह दर्शाया हुआ कि 2001-04 के दौरान कम वजन के नवजात शिशुओं की संख्या 31 से 37 के मध्य थी जैसा कि नीचे ब्यौरा दिया गया है :

स.क्र.	मर्दे	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
1.	नवजात शिशुओं की संख्या जिनका वजन लिया गया	1,96,771	2,06,090	1,45,419	2,09,647
2.	कम वजन वाले नवजात शिशुओं की संख्या	73,503	73,525	51,965	64,159
3.	प्रतिशत	37	36	36	31
4.	मृतकों की संख्या (0-1 वर्ष के नवजात शिशु)	7,362	7,773	6400	8064

29599 शिशुओं की मृत्यु के अतिरिक्त, नमूना जांच किए गए जिलों में कम वजन वाले शिशुओं का औसत प्रतिशत 35 प्रतिशत के लगभग रहा।

मार्च 2002 को समाप्त वर्ष के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिका 3.4.13 में एकीकृत बाल विकास योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं के केवल 44 प्रतिशत के कम समावेशन का उल्लेख किया गया था । कम समावेशन के परिणाम नमूना जांच किए गए जिलों में कम वजन वाले शिशुओं की ऊँची औसत प्रतिशतता (31 से 37 प्रतिशत) से स्पष्ट हैं। इतना ही नहीं, इन जिलों में 2000-04 के दौरान 29,599 नवजात शिशुओं की मृत्यु हुई थी जिसके लिए गर्भवती महिलाओं का निम्न पोषाहार स्तर एक योगदायी घटक है । इस प्रकार विभाग समीक्षात्मक संयोजन को स्थापित करने में

असफल रहा जिसकी परिकल्पना राष्ट्रीय जनसंख्या नीति-2000 में की गई थी ।

अप्रशिक्षित प्रसव परिचारिका के द्वारा असुरक्षित प्रसव

19,720 ग्रामों के लिए 39,440 दाइयों की आवश्यकता के विरुद्ध केवल 14,702 दाइयां उपलब्ध थीं। इसमें भी 6,624 प्रशिक्षित थी एवं 8,078 अप्रशिक्षित (55 प्रतिशत) थीं ।

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति-2000 में प्रसव पूर्व, प्रसव के समय एवं प्रसव पश्चात स्वास्थ्य रक्षा के लिए प्रति ग्राम 2 दाइयों²⁵ की उपलब्धता के लिए व्यवस्था की गई है । अभिलेखों की नमूना जांच से यह प्रकट हुआ कि 19,720 ग्रामों के लिए 39,440 दाइयों की आवश्यकता के विरुद्ध केवल 14,702 दाइयां उपलब्ध थीं । 14,702 दाइयों में से 6,624 प्रशिक्षित थीं तथा 8,078 (55 प्रतिशत) अप्रशिक्षित थीं । 5,018 ग्रामों (25 प्रतिशत) में किसी भी दाई की पदस्थापना नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप 14 से 18 प्रतिशत प्रसव अप्रशिक्षित प्रसव परिचारिकाओं द्वारा कराए जा रहे हैं (2000-04)। संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं ने बताया कि इसका कारण सचेतना का अभाव था। उत्तर मान्य करने योग्य नहीं था क्योंकि सचेतना लाना एवं सुरक्षित प्रसव के लिए सुविधाओं का प्रावधान करना विभाग का उत्तरदायित्व है ।

विविध प्रयोजन निधि के अव्ययित शेष का प्रत्यर्पण न करना

भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई निधि में से उपार्जित 3.40 करोड़ रुपये न तो उपयोग किए गए और न ही वापस किए गए ।

परिवार कल्याण कार्यक्रम के अनुसार बंध्यकरण के दौरान मृत्यु हो जाने की स्थिति में अनुग्रह भुगतान हेतु उपयोग किए जाने के लिए, उपकरणों के क्रय, सामुदायिक पुरस्कार, मूल्यांकन व्यय, कर्मचारियों एवं कार्यकर्ताओं को पुरस्कार तथा सूचना प्रणाली को सुदृढ बनाने के लिए बंध्यकरण हेतु प्राप्त निधियों में से 80 रुपये प्रति प्रकरण की दर पर विविध प्रयोजन निधि का सृजन किया जाना था । उपयोग न किए गए किसी भी शेष को भारत सरकार को क्रेडिट किया जाना था । 2000-04 के दौरान भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई निधि में से 3.40 करोड़ रुपये उपार्जित किए गए परन्तु इस राशि को न तो उपर वर्णित प्रयोजनों के लिए उपयोग किया गया और न ही इसे भारत सरकार के खाते में क्रेडिट किया गया । अन्ततोगत्वा, उपयोग प्रमाणपत्रों को भेजते समय भी भारत सरकार को इस वस्तुस्थिति से अवगत नहीं कराया गया ।

संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं ने कहा कि संयुक्त मध्यप्रदेश राज्य से इसके उपयोग संबंधी कोई भी सूचना प्राप्त न होने के कारण निधियों का उपयोग नहीं हुआ ।

औषधियों एवं मरहम पट्टी इत्यादि पर अधिक व्यय

पुरुष एवं महिला नसबन्दी शल्य चिकित्सा के लिए औषधियों एवं मरहम पट्टी पर 65.50 लाख रुपये का अधिक व्यय हुआ।

- भारत सरकार के परिपत्र (मार्च 2001) के अनुसार, केन्द्रीय अंश में से पुरुष नसबन्दी एवं महिला नसबन्दी शल्य चिकित्साओं के लिए प्रति प्रकरण क्रमशः 25 रुपये एवं 60 रुपये तक औषधियों और मरहम पट्टी पर व्यय किए जा सकते हैं। अभिलेखों की नमूना जांच में यह प्रकट हुआ कि पुरुष एवं महिला नसबन्दी शल्य चिकित्सा के लिए औषधियों एवं मरहमपट्टी पर क्रमशः 40 एवं 80 रुपये की दर से व्यय किया गया था जिसके परिणामस्वरूप 2001-04 के दौरान 65.50²⁶ लाख रुपये का अधिक व्यय हुआ।

²⁵ ग्रामों में प्रसव परिचारिका

²⁶ 15 रुपये की दर से 8143 प्रकरण + 20 रुपये की दर से 3,21,371 प्रकरण = 65.50 लाख रुपये ।

मानदण्डों से 45.61
लाख रुपये का अधिक
व्यय।

- राज्य सरकार ने (अगस्त 1997) बंध्यकरण के स्वीकारकर्ताओं को क्षतिपूर्ति एवं औषधियों तथा मरहम पट्टी पर व्यय को केन्द्रीय अंश से प्रभारित करने तथा पेट्रोल तेल एवं चिकनाई प्रभारों को बजट में राज्यांश के प्रावधानों के द्वारा भुगतान करने के लिए मानदण्ड निर्धारित किए थे । 2000-04 के लिए चयनित पांच मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों के अभिलेखों की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि क्षतिपूर्ति पर 14.06 लाख रुपये, औषधियों तथा मरहम पट्टी पर 17.85 लाख रुपये तथा पेट्रोल, तेल एवं चिकनाई पर 13.70 लाख रुपये अधिक व्यय किए गए थे जैसा कि परिशिष्ट 3.1 में दर्शाया गया है ।

स्वीकारकर्ताओं को क्षतिपूर्ति का कम भुगतान

बढ़ी हुई दरों को न अपनाने के कारण स्वीकारकर्ताओं को 3.54 करोड़ रुपये का कम भुगतान।

भारत सरकार ने अपने, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के परिपत्र (12 मार्च 2001) में बंध्यकरण के पुरुष एवं महिला स्वीकारकर्ताओं को क्षतिपूर्ति की दर में वृद्धि की थी । न्यूनतम क्षतिपूर्ति 150 रुपये की दर से भुगतान की जानी थी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों एवं संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं के अभिलेखों की नमूना जांच से यह प्रकट हुआ कि 2001-04 के दौरान बंध्यकरण की क्षतिपूर्ति के लिए पुरुष एवं महिला स्वीकारकर्ताओं को 150 रुपये की बढ़ी दर के स्थान पर क्रमशः 140 रुपये तथा 40 रुपये की दर से भुगतान किया गया। इसके परिणामस्वरूप 8,143 पुरुष एवं 3,21,371 महिला स्वीकारकर्ताओं को 3.54 करोड़ रुपये का कम भुगतान हुआ ।

संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं ने बताया कि स्वीकारकर्ताओं को बढ़ी हुई दर से भुगतान राज्य शासन के आदेशों के अभाव में नहीं किया गया था।

अभिप्रेरणा शुल्क का अनधिकृत भुगतान

यद्यपि संयुक्त मध्यप्रदेश राज्य ने आदेश दिए थे (6 अगस्त 1997) कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रवर्तकों के लिए अभिप्रेरणा शुल्क के भुगतान का परित्याग कर दिया जाए फिर भी, यह देखा गया कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायगढ़ (2.13 लाख रुपये), दुर्ग (2.04 लाख रुपये) एवं राजनांदगांव (0.44 लाख रुपये) ने अभिप्रेरणा शुल्क तथा अन्य अग्राह्य विविध मदों जैसे स्टेशनरी इत्यादि पर 2001-03 के दौरान 4.61 लाख रुपये का भुगतान किया था ।

शक्ति सम्पन्न कार्य दल (एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप) निधि का दुरुपयोग एवं उपकरणों पर निष्क्रिय परिव्यय

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (भारत सरकार) ने (क) दूरस्थ जिलों में पुनर्जनन एवं शिशु स्वास्थ्य शिविरों के विस्तार (ख) स्वास्थ्य केन्द्रों की मरम्मत एवं विस्तार तथा उपचारिका (नर्स) प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन (ग) दाइयों को प्रशिक्षण एवं (घ) औषधियों, दवाओं तथा गर्भ-निरोधकों के उपार्जन के लिए राज्य की पुनर्जनन एवं शिशु स्वास्थ्य समितियों को परिवार कल्याण कार्यक्रम के शक्तिसम्पन्न कार्य दल क्रियाकलापों के अंतर्गत 1.47 करोड़ रुपये के सहायता अनुदान की व्यवस्था की थी (नवम्बर 2001)।

8 सिविल सर्जनों एवं एक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को जारी किए गए (अक्टूबर एवं दिसम्बर 2002 के मध्य) 84.09 लाख रुपये मूल्य के उपकरण आवश्यक आधारभूत संरचना तथा योग्य कर्मचारियों के अभाव में निष्क्रिय पड़े हुए थे।

सिविल सर्जन अंबिकापुर, धमतरी, कोरबा, जगदलपुर, कांकेर, रायगढ़ एवं संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं के अभिलेखों की नमूना जांच (अक्टूबर 2003-अगस्त 2004) से प्रकट हुआ कि जिलों में विनिर्दिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराने के स्थान पर संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं ने बिना किसी माँग के 1.47 करोड़ रुपये मूल्य के उपकरणों यथा इनक्यूबेटर (60), वार्मर (60), नियो-नेटल रिस्पूसिटेशन ट्रॉली (130), एप्पी मोनीटर (60) का क्रय (अगस्त 2002) कर जिला चिकित्सालयों को आपूर्ति की। आगे, आधारभूत संरचना की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की, इसके परिणामस्वरूप आठ सिविल सर्जनों एवं एक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को जारी किए गए (अक्टूबर एवं दिसंबर 2002 के मध्य) 84.09 लाख रुपये मूल्य के उपकरणों की 189 वस्तुएं आवश्यक आधारभूत संरचना एवं योग्य कर्मचारियों के अभाव में निष्क्रिय पड़ी थीं (अगस्त 2004)। इस प्रकार, उपकरणों का क्रय न केवल अनियमित था अपितु निष्फल भी था ।

यह इंगित किए जाने पर सिविल सर्जनों ने बताया (अगस्त 2004) कि स्थान के अभाव के साथ ही शिशु विशेषज्ञों एवं अन्य कर्मचारियों की पदस्थापना न होने के कारण उपकरणों को उपयोग में नहीं लाया जा सका । संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं ने बताया कि उपकरणों का क्रय शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए किया गया था ।

संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि शक्तिसम्पन्न कार्य दल निधियों से क्रय अनुमत्य नहीं था । अनियमित रूप से क्रय किए गए ये उपकरण अनुपयोगी भी पड़े रहे।

3.2.8 राजीव जीवन रेखा कोष

ऐसे रोगियों, जिनका उपचार राज्य शासन के चिकित्सालयों में सम्भव नहीं था, को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अक्टूबर 1996 में एक केन्द्र प्रवर्तित योजना, जिसे "राष्ट्रीय रोग सहायता निधि" (नेशनल इलनैस असिस्टेंस फण्ड) के नाम से जाना जाता है, का गठन किया गया था । सहायता उन रोगियों को उपलब्ध कराई जानी थी जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे थे तथा जीवन को संकट में डालने वाले प्रमुख गंभीर रोगों से ग्रसित थे। राज्य सरकार ने इसका नाम परिवर्तित कर "जीवन रेखा कोष" कर दिया। योजना की समीक्षा में निम्न अनियमितताएं प्रकट हुईं :

राज्य सरकार द्वारा अल्प अंशदान

इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार एवं राज्य से 50:50 के अनुपात में अंशदान प्राप्त होना था । यद्यपि, भारत सरकार ने 2001-04 के दौरान योजना के लिए 4 करोड़ रुपये का आवंटन किया था परन्तु राज्य सरकार ने केवल 2 करोड़ रुपये की ही व्यवस्था की । राज्य सरकार के इसी अल्प अंशदान ने योजना के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला ।

अग्रिमों के समायोजन का परिवीक्षण न किया जाना

वित्तीय सहायता, रोगियों के निमित्त व्यय करने के लिए अग्रिमों के रूप में चिकित्सालयों के लिए थी । अग्रिम तथा शेषों यदि कोई हो तो, के समायोजन का परिवीक्षण संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं के द्वारा किया जाना था । अभिलेखों की जाँच से प्रकट हुआ कि :-

राज्य सरकार द्वारा 2 करोड़ रुपये के अल्प अंशदान ने योजना के क्रियान्वयन पर दुष्प्रभाव डाला ।

3.77 करोड़ रुपये के उपयोग की कोई जानकारी विभाग में नहीं।

- अक्टूबर 2001 से मार्च 2004 के मध्य 42 चिकित्सालयों को 5 करोड़ रुपये के चेक जारी किए गए (परिशिष्ट 3.2), लेकिन अगस्त 2004 तक विभाग केवल 1.01 करोड़ रुपये के समायोजन लेखे ही प्रस्तुत कर सका। 22.07 लाख रुपये की एक राशि विभाग को वापस की गई थी परन्तु विभाग के पास बचे हुए 3.77 करोड़ रुपये की कोई जानकारी नहीं थी। अगस्त 2004 तक विभाग के पास न तो कथित राशि के लेखे उपलब्ध थे और न ही चिकित्सालयों द्वारा की गई वापिसी के साक्ष्य दिखाए जा सके।
- अपोलो अस्पताल, बिलासपुर के जमा खाते में 15.80 लाख रुपये मूल्य के चेक पड़े थे क्योंकि ऐसे रोगी जिनके उपचार के लिए ये चेक भेजे गए थे, उपचार के लिए उपस्थित ही नहीं हुए। विभाग ने राशि वापस प्राप्त करने के लिए कोई कार्रवाही नहीं की।

संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं ने उत्तर में बताया कि लेखाओं का पुनर्मिलान किया जावेगा।

3.2.9 चिकित्सालय प्रशासन

राज्य में चिकित्सा संस्थानों की स्थापना में कमी

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण जनसंख्या को एक विशिष्ट जनसंख्या के परिमाण के लिए निर्धारित की गई अपेक्षाओं के मानदण्डों के सन्दर्भ में आवश्यक स्वास्थ्य आधारभूत संरचना उपलब्ध कराकर, न्यूनतम बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराई जानी हैं। सन् 2000 तक प्रति 5000 की जनसंख्या (जनजाति क्षेत्रों के लिए 3000) के लिए एक उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्रति 30,000 की जनसंख्या (जनजाति क्षेत्रों के लिए 20,000) के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 1,20,000 की जनसंख्या (जनजाति क्षेत्रों के लिए 80,000) के लिए एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना चरणबद्ध रीति से की जानी थी। इन्हें लक्षित जनसंख्या को बुनियादी न्यूनतम स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रों के रूप में कार्य करना था। राज्य में स्थापित किए गए केन्द्रों की स्थिति नीचे दर्शाई गई है :

स. क्र.	कोटि	मानदण्डों के अनुसार अपेक्षित	स्थापित किए गए	कमी (प्रतिशत)	असमाविष्ट जनसंख्या (लाख में)
1	उप स्वास्थ्य केन्द्र	4114	3818	296(7)	14.80
2	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	652	516	136(21)	40.80
3	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	163	116	47(29)	56.40

उप स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना में क्रमशः सात प्रतिशत, 21 प्रतिशत, एवं 29 प्रतिशत की कमी थी।

उपर्युक्त सारणी दर्शाती है कि उप स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना में क्रमशः 7 प्रतिशत, 21 प्रतिशत एवं 29 प्रतिशत की कमी थी जिससे इस सीमा तक जनता को बुनियादी न्यूनतम स्वास्थ्य रक्षा सुविधाओं से वंचित होना पड़ा।

अंतरंग स्वास्थ्य रक्षा प्रदान करने के लिए राज्य में मार्च 2004 तक नैदानिक चिकित्सालयों

में 6,632 शय्याओं की कुल संख्या (चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय-1137, जिला चिकित्सालय-1,429, सिविल अस्पताल-552 एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-3514) को ध्यान में रखते हुए शय्याओं की क्षमता केवल 30 शय्याएं प्रति लाख आई। राष्ट्रीय औसत 92 शय्याओं का था (2002) तथा VIIवीं पंचवर्षीय योजना के कार्य दल ने 100 शय्याएं प्रति लाख की अनुशंसा की थी।

औषधालयों की अनियमित स्थापना

रायगढ़ जिले में, ग्रामीण क्षेत्रों की अनुसूचित जाति की जनसंख्या के लिए संस्वीकृत (मार्च 1990) पांच औषधालयों की स्थापना (1990-91) वास्तव में शहरी क्षेत्र में की गई थी तथा ये वार्ड सुसज्जित जिला औषधालयों के अत्यंत समीप थे। रायगढ़ शहर के वार्ड क्रमांक 10 के लिए संस्वीकृत एक औषधालय की स्थापना मार्च 2004 तक नहीं की गई थी।

रायगढ़ के सिविल सर्जन ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या के लिए अभिप्रेत औषधालयों की स्थापना शहरी क्षेत्र में तत्कालीन विधायक के निर्देशानुसार की गई थी। यह शासन की स्वीकृति का स्पष्ट उल्लंघन है।

अंतरंग स्वास्थ्य रक्षा के लिए आधारभूत संरचना

नैदानिक उपचार के उद्देश्य से, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों द्वारा रोगियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को भेज दिया जाता है जो कि प्रथम परामर्शदात्री इकाइयों (फर्स्ट रेफरल यूनिट्स) के रूप में कार्य करते हैं। तथापि, ऐसे रोगियों, जिनका उपचार प्रथम परामर्शदात्री इकाइयों में नहीं हो सकता है, को जिला चिकित्सालयों में भेज दिया जाता है जो द्वितीय परामर्शदात्री इकाइयों (सेकिन्ड रेफरल यूनिट्स) के रूप में कार्य करते हैं।

- राज्य के 16 जिलों में से आठ जिलों²⁷ में द्वितीय परामर्शदात्री इकाई के रूप में कोई जिला चिकित्सालय नहीं है। संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं ने बताया कि जिला चिकित्सालयों की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव शासन के विचाराधीन था (मई 2004)।
- 15 सिविल अस्पतालों में से 13 सिविल अस्पतालों को द्वितीय परामर्शदात्री इकाइयों की कोटि में रखा गया था। परन्तु विशेषज्ञों की पदस्थापनाएं नहीं हुई थीं।
- इसी प्रकार 116 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से, 2,368 शय्याओं वाले 79 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में न तो विशेषज्ञ उपचार उपलब्ध कराया गया और न ही परामर्शदात्री प्रकरणों को निपटाया गया, परन्तु प्रथम परामर्शदात्री इकाई के रूप में चार प्रकार (भेषज, शल्य चिकित्सा, बालरोग चिकित्सा एवं स्त्री-रोग चिकित्सा) की नैदानिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए गलत कोटि में रखा गया था।

116 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से, 2,368 शय्याओं वाले 79 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में न तो विशेषज्ञ उपचार उपलब्ध कराया गया और न ही परामर्शदात्री प्रकरणों का निपटान किया गया।

वाहनों का दुरुपयोग एवं निष्क्रियता

शासन के अनुदेशों (नवम्बर 1980) में विनिर्दिष्ट था कि चिकित्सालय की एम्बुलेन्स का उपयोग (1) भुगतान करने पर रोगियों के परिवहन एवं (2) कार्यालयीन समय के उपरांत चिकित्सकों एवं कर्मचारियों को चिकित्सालय में आपातकालीन प्रकरणों की देखभाल के लिए उनके घर से लाने के लिए किया जाना था।

²⁷ बिलासपुर, दन्तेवाड़ा, कांकेर, कवर्धा, कोरिया, जाँजगीर, जशपुर एवं महासमुन्द

अनुदेशों का उल्लंघन करते हुए एम्बुलेन्सों का 5.71 लाख किलोमीटर के लिए उपयोग किया गया।

नवम्बर 2000 से मार्च 2004 तक की अवधि की लॉग बुकों की लेखापरीक्षा जाँच में यह प्रकट हुआ कि उपर्युक्त अनुदेशों का उल्लंघन करते हुए नमूना जाँच किए गए जिलों में 66 एम्बुलेन्सों ने 5.71 लाख किलोमीटर की कुल दूरी की यात्रा तय की। यात्रा का 32 प्रतिशत चिकित्सकों एवं उपचारिकाओं (नर्सों) के कार्यालयीन समय में परिवहन से सम्बन्धित था न कि चिकित्सालय में आपातकालीन प्रकरणों से, 24 प्रतिशत मंत्रियों के दौरे, 28 प्रतिशत रोगियों को लाने ले जाने के लिए था जिसके लिए 8.06 लाख रुपये के प्रभारों (5 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से संगणित) की वसूली नहीं की गई थी एवं 16 प्रतिशत अन्य अस्वीकार्य प्रयोजनों से सम्बन्धित था।

यह देखा गया कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त 49.94 लाख रुपये मूल्य के नौ वाहनों का आवंटन निजी संस्थाओं एवं अन्य निकायों को किया गया, यद्यपि भारत सरकार को प्रेषित किए गए उपयोगिता प्रमाणपत्रों में यह गलत सूचना दी गई थी कि वाहनों का उपयोग परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए किया गया था। संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं ने बताया (मई 2004) कि वाहनों को वापस प्राप्त करने की कार्रवाही प्रारंभ की जायेगी परन्तु वाहन जून 2004 तक वापस नहीं लिए गए थे।

झायवरों की पदस्थापना के अभाव में 4.85 करोड़ रुपये मूल्य के सतासी वाहन निष्क्रिय पड़े थे।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों/सिविल सर्जनों के अभिलेखों की नमूना जाँच में प्रकट हुआ कि भारत सरकार से सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त 4.85 करोड़ रुपये²⁸ मूल्य के 87 वाहन, झायवरों की पदस्थापना के अभाव में निष्क्रिय पड़े थे।

निष्क्रिय एक्स-रे मशीनें

2.08 करोड़ रुपये मूल्य की 81 एक्स-रे मशीनें अक्रियाशील थीं।

संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं को क्षेत्र इकाइयों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों की जाँच में प्रकट हुआ कि 1995 से 2000 के दौरान क्रय की गई 1.02 करोड़ रुपये मूल्य की 65 एक्स-रे मशीनों को रेडियोग्राफरों की पदस्थापना न होने (20), रेडियोग्राफरों के पदों की संस्वीकृति न दिए जाने (11), डार्क रूम का निर्माण न किए जाने एवं विद्युत आपूर्ति की अनुपलब्धता (7) एवं तकनीकी दोषों के कारण (19) उपयोग में नहीं लाया गया। 6.49 लाख रुपये मूल्य का आठ मशीनों के निष्क्रिय पड़े रहने के कोई कारण नहीं बताए गए। तथापि, संचालक, लोक स्वास्थ्य सेवाएं ने मार्च 2003 के दौरान 1.06 करोड़ रुपये मूल्य की 16 एक्स-रे मशीनों का और क्रय किया जिसमें से किसी को भी संस्थापित नहीं किया गया था। 16 मशीनों में से एक मशीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गुन्डरदेही (दुर्ग) को अतिरिक्त रूप से उपलब्ध कराई गई जबकि वहां एक 60 एम.ए.एक्स-रे मशीन पूर्व में ही विद्यमान थी, जो कि पहले से ही भली-भाँति क्रियाशील थी तथा इस स्थान पर प्रतिदिन एक एक्स-रे का औसत था। इस प्रकार, उपयुक्त आधारभूत संरचना को सुनिश्चित किए बिना मशीनों को क्रियाशील बनाने के लए 2.08 करोड़ रुपये मूल्य की एक्स-रे मशीनों के क्रय पर किए गए व्यय की परिणति जन-साधारण को एक्स-रे सुवधाओं से वंचित रखने के अतिरिक्त निष्क्रिय परिव्यय में हुई।

संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं ने उत्तर में बताया कि दोषपूर्ण मशीनों की मरम्मत एवं उपर्युक्त मशीनों को संस्थापित करने की कार्रवाही की जा रही थी। मशीनों को क्रियाशील बनाने के

²⁸ दुर्ग (14) 0.93 करोड़ रुपये, जगदलपुर (15) 0.68 करोड़ रुपये, रायगढ़ (17) 1.04 करोड़ रुपये, रायपुर (24) 1.44 करोड़ रुपये एवं राजनांदगांव (17) 0.76 करोड़ रुपये

लिए 1995 से 2004 तक के प्रयासों के अभाव को उत्तर में रेखांकित किया गया है।

अनुज्ञप्ति (लाइसेन्स) के बिना ब्लड बैंकों द्वारा काम करना

ड्रग्स एण्ड कॉस्मेटिक्स नियम 1945 में विहित था कि ब्लड बैंकों को चलाने के लिए, नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि से लाइसेन्स लेना आवश्यक है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने मई 1997 में अनुदेश दिए थे कि जिन ब्लड बैंकों का निर्धारित मानदण्डों के अनुसार पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) नहीं है उन्हें मई 1997 से काम करना बंद कर देना चाहिए।

सात जिलों में ब्लड बैंकों की स्थापना नहीं की गई थी।

सिविल सर्जन दुर्ग, रायगढ़, जगदलपुर एवं राजनांदगांव के अभिलेखों की नमूना जाँच में प्रकट हुआ कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे ब्लड बैंक लाइसेन्स के नवीकरण के बिना 2001-04 के दौरान लगातार कार्यरत रहे और 27,999 रक्त की थैलियों का ट्रान्सफ्यूजन किया। अन्ततोगत्वा, सात जिलों²⁹ में जुलाई 2004 तक ब्लड बैंकों की स्थापना नहीं की गई थी।

3.2.10 औषधियों एवं उपकरणों का उपार्जन

औषधियों के क्रय में परिहार्य अतिरिक्त लागत

मंहगी औषधियों के क्रय के परिणामस्वरूप 43.17 लाख रुपये का अधिक व्यय हुआ।

छत्तीसगढ़ राज्य भंडार क्रय नियम, 2002 के अनुसार औषधियों का क्रय स्पर्धी दरों पर सरकारी उपक्रमों से किया जाना था। संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों/सिविल सर्जनों के अभिलेखों की जाँच में प्रकट हुआ कि संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं ने औषधियों का क्रय (2001-04), मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम की 7 फरवरी 2001 से प्रभावशील घटी दरों के स्थान पर इसी निगम की पुरानी एवं ऊँची दरों पर किया। इसके परिणामस्वरूप 21.44 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायगढ़ द्वारा गठित जिला स्तरीय क्रय समिति के सदस्य होने के बावजूद, सिविल सर्जन, रायगढ़ ने जिला स्तरीय क्रय समिति के द्वारा निर्धारित सस्ती दरों पर औषधियों का क्रय नहीं किया। इसके स्थान पर, उनके कार्यालय ने पृथक से बाजार दरें मंगवाईं और अधिक ऊँची दरों पर औषधियों का क्रय किया (2001-04) जिससे 9.68 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दुर्ग ने मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम की प्रचलित दरों (7 फरवरी 2001) की जानकारी नहीं ली और 2001-04 के दौरान अन्य सरकारी उपक्रमों से मंहगी दरों पर औषधियों का क्रय किया जिससे 10.19 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

आगे, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायगढ़ ने समस्त सरकारी उपक्रमों से दरों की जानकारी नहीं ली जिसके परिणामस्वरूप 2001-04 के दौरान 1.86 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय करते हुए अधिक ऊँची दरों पर औषधियों का क्रय किया।

अंत शिरा (आई.वी.) सेटों का अधिक ऊँची दरों पर क्रय

²⁹

धमतरी, दन्तेवाड़ा, जशपुर, जाँजगीर, कोरिया, कवर्धा एवं महासमुन्द

अधिक ऊँची दर पर आई वी सेटों के क्रय के परिणामस्वरूप 2.14 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ।

सिविल सर्जन रायगढ़ ने 18,500 अंत शिरा (आई.वी.) सेट का क्रय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायगढ़ द्वारा इसी मद का इसी समय इसी अवधि में किए गए क्रय की दरों (6.20 रुपये प्रति नग) की तुलना में अधिक ऊँची दर (17.75 रुपये प्रति नग) पर किया। इसके परिणामस्वरूप 2.14 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत आई।

सिविल सर्जन, रायगढ़ ने बताया कि उत्तम गुणवत्ता वाले आई.वी.सेटों का क्रय बच्चों के उपयोग के लिए किया गया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन द्वारा इसी एवं अन्य स्थानों से आई.वी.सेटों का क्रय भी बच्चों के उपयोग के लिए सस्ती दर पर किया गया था।

3.2.11 मानव संसाधन प्रबन्धन

सरकार ने अपने औषधालयों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए कर्मचारी नियोजन संरूप तैयार नहीं किया था। राज्य के पुनर्गठन (नवम्बर 2000) के समय संस्वीकृत एवं कार्यरत संख्या को अपनाया गया था। विशेषज्ञों, स्नातकोत्तर चिकित्सा अधिकारियों, चिकित्सा अधिकारियों एवं बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं की कमी को दर्शाते हुए संस्वीकृत एवं कार्यरत संख्या जून 2004 की स्थिति में निम्नानुसार थी :-

स. क्र.	केन्द्र एवं चिकित्सालयों का प्रकार	केन्द्र एवं चिकित्सालयों की संख्या	पदनाम	संस्वीकृत संख्या	कार्यरत संख्या (अगस्त 2004)	कमी
1	उप स्वास्थ्य केन्द्र	3818	बहुउद्देशीय कार्यकर्ता	7636	5782 341 ³⁰	1854
2	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	516	चिकित्सा अधिकारी	614	536 22 ³⁰	78
3	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	116	विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी	174 491	59 395	115 96
4	सिविल अस्पताल	15	विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी	18 97	8 75	10 22
5	जिला चिकित्सालय	8	विशेषज्ञ एवं स्नातकोत्तर चिकित्सा अधि./चिकित्सा अधिकारी	170 185	97 160	73 25

यह देखा गया कि कुछ उप केन्द्रों में बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं की संख्या संस्वीकृत संख्या से 341 अधिक थी। लेकिन, विभाग में समग्र रूप से 1,854 बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं की कमी थी। इसी प्रकार कतिपय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में संस्वीकृत संख्या से 22 चिकित्सा अधिकारी अधिक थे जबकि समग्र रूप से 78 चिकित्सा अधिकारियों की कमी थी।

³⁰ यद्यपि इन पदों में समग्र रूप से कार्यरत संख्या की कमी थी परन्तु कुछ इकाइयों में कार्यरत संख्या स्वीकृत पदों की तुलना में अधिक थी।

116 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से 66 में विशेषज्ञों की पदस्थापना नहीं की गई थी एवं 12 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चार विशेषज्ञों की आवश्यकता के विरुद्ध केवल दो विशेषज्ञों को उपलब्ध कराया गया था।

8 जिला चिकित्सालयों में 73 विशेषज्ञों के पद खाली पड़े थे।

आठ जिला चिकित्सालयों में 73 विशेषज्ञों के पद खाली पड़े थे जिससे नैदानिक स्वास्थ्य रक्षा प्रदत्त सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संस्वीकृत उपचारिकाओं (नर्सों) की शहरी क्षेत्रों के चिकित्सालयों एवं कार्यालयों में अनियमित रूप से संलग्नता

संस्वीकृत संख्या से अधिक उपचारिकाओं को 79.74 लाख रुपये के वेतन का संवितरण किया गया।

यह देखा गया कि 26 उपचारिकाओं (नर्सों), जिनके पदों की संस्वीकृति दूरस्थ ग्रामीण खण्डों यथा बिलाईगढ़, छुरा, गरियाबन्द, कसडोल, लवन, मैनपुर एवं देवभोग के लिए ग्रामीण जनता को उपचारिका सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए की गई थी, की पदस्थापना शहरी स्वास्थ्य केन्द्रों एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में संस्वीकृत पदों के अतिरिक्त की गई थी। इस कार्रवाही से 2001-04 के दौरान ग्रामीण जनता को उपचारिका सुविधाओं से, वंचित होना पड़ा एवं इसके फलस्वरूप कर्मचारियों को 79.74 लाख रुपये की राशि के वेतन का अनधिकृत भुगतान भी हुआ।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया (अप्रैल 2004) कि अधिक कर्मचारियों की पदस्थापना उच्च अधिकारियों के आदेश से की गई थी, परन्तु आदेश प्रस्तुत नहीं किए गए।

प्रशिक्षण पर निष्फल व्यय

महिला बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं के खाली पदों को भरने के लिए संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश ने (अक्टूबर 2000), बाद में गठित छत्तीसगढ़ राज्य के छः मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों सहित समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को सलाह दी कि वे 1,500 रुपये प्रतिमाह वृत्तिका की दर पर महिला बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं हेतु 18 माह की अवधि के लिए प्रशिक्षण आयोजित करें।

महिला बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया परन्तु खाली पदों पर नियुक्ति न किए जाने के परिणामस्वरूप 2.64 करोड़ रुपये (वृत्तिका) का निष्फल व्यय हुआ।

महिला बहुउद्देशीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्रों के अभिलेखों की नमूना जाँच में प्रकट हुआ कि दिसम्बर 2000 से मार्च 2004 के मध्य 978 नए अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया गया था। उन्हें 2.64 करोड़ रुपये राशि की वृत्तिका का भुगतान किया गया। तथापि, महिला बहुउद्देशीय कार्यकर्ता के खाली पदों के लिए किसी की भी नियुक्ति नहीं हुई।

संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं ने उत्तर में बताया (मई 2004) कि भर्ती पर रोक के कारण प्रशिक्षित महिला बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं की नियुक्ति नहीं की जा सकी।

इस प्रकार 2.64 करोड़ रुपये के निष्फल व्यय के अतिरिक्त खाली पदों को भरने का उद्देश्य विफल हो गया।

3.2.12 निष्कर्ष

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का क्रियान्वयन यदि उचित रूप से किया जाए तो यह स्वास्थ्य सूचकों के संदर्भ में राज्य को विकसित राज्यों के समतुल्य लाने में मुख्य भूमिका का निर्वहन कर

सकती है। लेखापरीक्षा द्वारा जाँच में प्रकट हुआ कि उपयुक्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सा आधारभूत संरचना (जनशक्ति सहित) अपर्याप्त थी। यह समस्या चिकित्सा वस्तुओं के उपार्जन एवं वितरण में कमियों, आधारभूत संरचना के अनियमित सृजन एवं अप्रभावी जनशक्ति नियोजन से सम्बद्ध थी। परिणास्वरूप, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कराने में कमी रही थी जैसा कि अंतरंग सुविधाओं के कम उपयोग एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम की कम उपलब्धियों से परिलक्षित है।

3.2.13 अनुशंसाएं

- पात्र दम्पति संरक्षण के समावेशन के लिए विभाग को अपनी नीति का पुनः आंकलन करने की आवश्यकता है ताकि 60 प्रतिशत समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके ।
- राजीव जीवन रेखा कोष के अन्तर्गत विभिन्न चिकित्सालयों को प्रदत्त सहायता का दृढ़ता से परीक्षण किया जाए एवं इनका यथासमय समायोजन सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।
- स्वीकारकर्ताओं को क्षतिपूर्ति के लिए गए भुगतानों एवं अन्य व्ययों का नियमन निर्धारित मानदण्डों के अनुसार किया जाना चाहिए ।
- परिवार नियोजन के विभिन्न उपायों को अपनाने हेतु लक्षित दम्पतियों को अभिप्रेरित करने के लिए अभिलेखों/पंजियों यथा पात्र दम्पति पंजी, लक्षित दम्पति पंजी इत्यादि का उचित संधारण सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।
- इष्टतम उपयोगिता प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों का पुनर्भिन्नियोजन किया जाना चाहिए तथा मशीनों एवं उपकरणों को प्राथमिकता के आधार पर प्रतिष्ठापित करवाया जाना चाहिए ।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

3.3 भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की कार्यप्रणाली

मुख्य अंश

छत्तीसगढ़ में, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी संचालनालय का है। लेखापरीक्षा में निर्बल आधारभूत संरचना, उँचे स्थापना व्यय एवं चिकित्सा सुविधाओं पर नगण्य व्यय का अवलोकन किया गया था। विभाग के वित्तीय एवं परिचालन प्रबन्धन में कमी पाई गई। औषधियों के क्रय के लिए आवंटित निधियों के 13 से 58 प्रतिशत का उपयोग नहीं किया गया था। फार्मसी का आधुनिकीकरण नहीं किया गया एवं औषधियों का गुणवत्ता-नियंत्रण सुनिश्चित नहीं किया गया था। आधारभूत संरचना सुविधाओं के अभाव में, पर्याप्त स्वास्थ्य रक्षा सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही थी।

- अम्बिकापुर में 30 शय्याओं वाले अस्पताल ने संस्वीकृति के 25 वर्षों के पश्चात् भी कार्य करना प्रारंभ नहीं किया था।

(कंडिका 3.3.6)

- 2002 में संस्वीकृत 63 भवनों में से 61 अद्यतन अपूर्ण थे।

(कंडिका 3.3.7)

- छः जिलों में एक सौ अड़तालीस औषधालय, चिकित्सकों के बिना चल रहे थे एवं पैरा मेडीकल स्टाफ के वेतन एवं भत्तों पर 4.73 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय हुआ।

(कंडिका 3.3.8)

- 2000-04 की अवधि के दौरान उत्पादित औषधियों की लागत फार्मसी की सम्पूर्ण परिचालन लागत का अत्यल्प, 17 प्रतिशत से 54 प्रतिशत तक की सीमा में थी।

(कंडिका 3.3.10)

- 80.21 लाख रुपये मूल्य की फार्मसी मशीनरी या तो प्राप्त नहीं हुई थी अथवा प्रतिष्ठापित नहीं की गई थी जिससे फार्मसी के सुदृढीकरण एवं आधुनिकीकरण में बाधा उत्पन्न हुई।

(कंडिका 3.3.10)

- शासकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय में आठ प्रोफेसरों, नौ रीडरों एवं 12 व्याख्याताओं की पदस्थापना न किए जाने के कारण केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद के मानदण्डों के अन्तर्गत अपेक्षित अध्यापन की गुणवत्ता प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई थी।

(कंडिका 3.3.11)

3.3.1 प्रस्तावना

आयुर्वेद एवं अन्य पद्धतियों यथा यूनानी, होम्योपैथी, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी संचालनालय को सौंपा गया है। चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान, रोगों की रोकथाम, औषधियों का उत्पादन, उपार्जन एवं वितरण, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण देना विभाग के मुख्य उद्देश्य हैं। विभाग, राज्य में आठ चिकित्सालयों (6 जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालयों, एक आयुर्वेदिक महाविद्यालय चिकित्सालय एवं एक जिला होम्योपैथी चिकित्सालय) तथा 690 औषधालयों (632 आयुर्वेदिक, 6 यूनानी एवं 52 होम्योपैथिक) के माध्यम से चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराता है। राज्य में एक औषध-परीक्षण प्रयोगशाला (ड्रग टैस्टिंग लेबोरेटरी) भी है जो आयुर्वेदिक फार्मसी से सम्बद्ध है।

3.3.2 संगठनात्मक संरचना

शासन के स्तर पर सचिव, स्वास्थ्य विभाग के अध्यक्ष हैं। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत कार्यरत, संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी रायपुर, शीर्ष क्षेत्र (फील्ड) प्राधिकारी हैं जिन्हें 16 जिला आयुर्वेद अधिकारियों, जो कि सम्बन्धित जिलों में चिकित्सालयों एवं औषधालयों के संचालन पर नियंत्रण रखते हैं, के द्वारा सहायता प्राप्त होती है। संचालक के नियंत्रण में शिक्षा प्रदान करने के लिए एक शासकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं एक आयुर्वेदिक फार्मसी औषधियों के उत्पादन में कार्यरत हैं।

3.3.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य निम्न का आंकलन करना था :-

- भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के माध्यम से अच्छे स्वास्थ्य के प्रोत्साहन के लिए विभाग के द्वारा प्रदत्त सेवाओं की गुणवत्ता एवं सीमा।
- भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के अन्तर्गत उपलब्ध शिक्षण एवं प्रशिक्षण की गुणवत्ता एवं इस हेतु आधारभूत संरचना।
- भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के अन्तर्गत औषधियों के विनिर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण हेतु तंत्र।

3.3.4 लेखापरीक्षा समावेशन

संचालनालय की वर्ष 2000-01 से 2003-04 तक की अवधि की कार्यप्रणाली की समीक्षा, 16 में से आठ जिला आयुर्वेद अधिकारियों³¹ के अभिलेखों की नमूना जाँच के माध्यम से मार्च-जून 2004 के दौरान की गई थी। संचालनालय तथा आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं फार्मसी, रायपुर से भी जानकारी एकत्रित की गई थी। लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा आगामी कंडिकाओं में की गई है।

31

अम्बिकापुर, धमतरी, दुर्ग, जगदलपुर, कांकर, कोरबा, रायपुर एवं राजनांदगांव

3.3.5 वित्तीय परिव्यय एवं व्यय

विभाग, अनुदान संख्याओं 79, 80 एवं 41 के अधीन मुख्य शीर्ष 2210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत व्यय करता है। आवंटन एवं व्यय के विस्तृत विवरण नीचे दिए गए हैं:-

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	बजट प्रावधान	पूरक प्रावधान	पुनर्विनियोग	कुल प्रावधान	कुल व्यय	आधिव्यय (+) बचत (-)
2000-01	8.54	-	-	8.54	6.68	(-) 1.86
2001-02	23.57	2.32 ³²	-	25.89	20.91	(-) 4.98
2002-03	28.36	0.07	-	28.43	20.21	(-) 8.22
2003-04	26.97	3.04 ³²	(-) 5.17	24.84	24.69	(-) 0.15

विभाग द्वारा बजटीय एवं वित्तीय नियंत्रण में कमी पाई गई जैसा कि निम्न से स्पष्ट है :-

- बजटीय प्रस्ताव, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों से मासिक व्यय पत्रकों, विस्तृत अनुमानों एवं नामावलियों को प्राप्त किए बिना ही सामयिक वृद्धि के आधार पर तैयार किए गए थे ।
- अनुदान संख्या 79 के अन्तर्गत 2001-02 के दौरान 1.21 करोड़ रुपये एवं 2003-04 के दौरान 14.45 लाख रुपये के अनावश्यक पूरक प्रावधानों का अवलम्बन ।
- उप-इकाइयों में व्यय की प्रगति पर निगरानी के लिए संचालनालय द्वारा व्यय नियंत्रण पंजी का संधारण न करना ।
- अनुदान संख्या 79, 80 एवं 41 के अन्तर्गत 2000 से 2004 के दौरान 15.21 करोड़ रुपये की बचतें ।

2001-04 की अवधि के दौरान भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी को 856.81 करोड़ रुपये के कुल स्वास्थ्य बजट का केवल 9 प्रतिशत ही आवंटित किया गया था ।

2001-04 के दौरान कर्मचारियों के वेतन, भत्तों एवं मजदूरी पर व्यय कुल व्यय का 83 से 92 प्रतिशत तक की सीमा में रहा ।

2001-04 के दौरान भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी को 856.81 करोड़ रुपये के कुल स्वास्थ्य बजट का केवल 9 प्रतिशत (79.16 करोड़ रुपये) आवंटित किया गया था जबकि एलोपैथी के लिए 91 प्रतिशत (777.65 करोड़ रुपये) का आवंटन किया गया था ।

यह देखा गया (परिशिष्ट 3.3) कि 2001-02 से 2003-04 के दौरान कर्मचारियों के वेतन, भत्तों एवं मजदूरी पर व्यय, कुल व्यय का 83 से 92 प्रतिशत तक की सीमा में था । इसी अवधि के दौरान औषधियों एवं उपकरणों पर व्यय 4 एवं 11 प्रतिशत के मध्य रहा। औषधियों पर नगण्य व्यय के कारण चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई थी।

³² 2.32 करोड़ रुपये में से 1.21 करोड़ रुपये एवं 3.04 करोड़ रुपये में से 14.45 लाख रुपये के पूरक अनुदान का अनावश्यक प्रावधान किया गया था ।

औषधियों के लिए बजट का कम उपयोग

(लाख रुपये में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	अभ्यर्पित	आवंटन के अभ्यर्पण का प्रतिशत
2000-01	35.77	27.71	08.06	23
2001-02	246.60	214.11	32.49	13
2002-03	232.02	143.05	88.97	38
2003-04	316.90	133.53	183.37	58

2000-04 के दौरान औषधियों के क्रय के लिए बजट आवंटन के 13 से 58 प्रतिशत तक का उपयोग नहीं किया गया।

जैसा कि उपर्युक्त सारणी से दर्शित है 2000-01 से 2003-04 के दौरान औषधियों के क्रय के लिए बजट आवंटन के 13 प्रतिशत से 58 प्रतिशत तक का उपयोग नहीं किया गया। उत्तर में विभाग में बताया कि ऐसा फर्मों के द्वारा औषधियों की आपूर्ति में विलम्ब के कारण था। औषधियों के कम उपयोग के कारण स्वास्थ्य रक्षा प्रयासों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

3.3.6 स्वास्थ्य सेवाओं का परिदान

राज्य में 180 शय्याओं की संस्वीकृत संख्या वाले छः जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालय थे। इसके विरुद्ध वास्तविक उपलब्ध शय्याओं की संख्या केवल 95 थी। 1,00,375 उपलब्ध शय्या दिवसों के विरुद्ध वास्तविक उपयोग केवल 16,119 था जो कि 16.05 प्रतिशत आंकलित किया गया (परिशिष्ट 3.4)।

इन आँकड़ों के विश्लेषण से निम्नानुसार तथ्य प्रकट हुए :-

2000-04 के दौरान छः जिलों में उपलब्ध शय्या क्षमताओं के 75 से 98 प्रतिशत तक उपयोग नहीं किया गया था।

2000-01 एवं 2003-04 के मध्य छः जिलों³³ में उपलब्ध शय्या क्षमता के 75 से 98 प्रतिशत का उपयोग नहीं किया गया। इसके मुख्य कारण घटिया नैदानिक सुविधाएँ, औषधियों की अनुपलब्धता, नर्सिंग स्टाफ की कमी एवं कम्पाउन्डरों की अनुपस्थिति इत्यादि थे।

2001-04 की अवधि के दौरान अंतरंग रोगियों के लिए नियुक्त पैरा मेडीकल एवं अन्य स्टाफ के वेतन एवं भत्तों पर 19.76 लाख रुपये का व्यय निष्फल था।

यद्यपि, अम्बिकापुर में 30 शय्याओं वाले एक चिकित्सालय की संस्वीकृति 1979 में दी गई थी परन्तु दिसम्बर 2004 तक उसने कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया था। इस प्रकार, 2001 से 2004 (दिसम्बर 2004) की अवधि में अंतरंग रोगियों के लिए नियुक्त नर्सिंग स्टाफ (3), वार्ड-बॉय (2), धोबी (1), रसोईघर नौकर (1) रसोईया (2) के वेतन एवं भत्तों पर 19.76 लाख रुपये का निष्फल व्यय हुआ।

वित्तीय नियमों के प्रावधानों के अनुसार भंडार एवं स्कन्ध लेखे जिला एवं राज्य स्तर पर प्रतिवर्ष तैयार किए जाने चाहिए तथा उसका वार्षिक भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए। तथापि, भंडार एवं स्कन्ध लेखे तैयार नहीं किए गए थे और न ही किसी भी स्तर पर भौतिक सत्यापन किया गया था। इस प्रकार के मूलभूत नियंत्रण के अभाव में औषधियों के दुरुपयोग एवं चोरी की संभावना सहज थी। यह देखा गया कि 81,107 रुपये मूल्य की

33

अम्बिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, दल्लीराजहरा (दुर्ग), जगदलपुर, रायगढ़ एवं रायपुर।

औषधियाँ व्हाउचर क्रमांक 4 दिनांक 26 जून 03 के द्वारा बालंगी औषधालय (जिला अम्बिकापुर) एवं 51,290 रुपये मूल्य की औषधियाँ व्हाउचर क्रमांक 02 दिनांक 26 जून 03 के द्वारा नीलकण्ठपुर औषधालय (अम्बिकापुर जिला) को जारी की गई थीं परन्तु दिसम्बर 2004 तक इन्हें औषधालयों की भंडार पंजी में प्रविष्ट नहीं किया गया था।

आगे, यह भी देखा गया कि दुर्ग एवं धमतरी जिलों के समस्त औषधालयों में औषधियों की प्राप्ति एवं उनकी निकासी के अभिलेखन हेतु उचित पंजी का संधारण नहीं किया गया था।

3.3.7 औषधालयों का निर्माण

सरकार ने 63 औषधालय भवनों का निर्माण एक वर्ष की अवधि में पूर्ण करने हेतु दिसम्बर 2002 में लोक निर्माण विभाग को 2.38 करोड़ रुपये का आवंटन किया जिसका आहरण भी 2002-03 में किया गया। इनमें से केवल 2 औषधालयों (जिला बस्तर) के भवन ही मार्च 2004 तक पूर्ण हो सके (निर्माण लागत 7.55 लाख रुपये)। 61 भवनों के अपूर्ण रह जाने के कारण विभाग को 39 औषधालय किराये के भवन में चलाने के लिए विवश होना पड़ा। तेरह औषधालय भवन, निर्माण के लिए भूमि की अनुपलब्धता के कारण प्रारंभ नहीं हो सके तथा 9 औषधालय जनपद पंचायत भवनों में चल रहे थे। दिसम्बर 2004 तक लोक निर्माण विभाग के पास 2.30 करोड़ रुपये का शेष बच गया था।

3.3.8 पर्याप्त कर्मचारियों की पदस्थापना न होना

जुलाई 2004 तक 3,411 संस्वीकृत पदों के विरुद्ध, 844 पद (25 प्रतिशत) रिक्त थे। 29 संवर्गों में 100 प्रतिशत रिक्तियाँ थीं। पैथोलोजिस्टों, रेडियोलोजिस्टों, कैजुअल्टी आफिसरों एवं साइंटिफिक आफिसरों इत्यादि विशेषज्ञों के इन संवर्गों के लिए संस्वीकृत 68 पदों के विरुद्ध एक भी विशेषज्ञ नहीं था। रिक्त पदों की संवर्गवार स्थिति निम्नानुसार थी :-

संवर्ग	संस्वीकृत संख्या	कार्यरत संख्या	रिक्त पद	रिक्त पदों का प्रतिशत
मेडीकल	714	503	211	30
पैरा मेडीकल	858	633	225	26
अन्य	1839	1431	408	22
योग	3411	2567	844	25

मेडीकल के 30 प्रतिशत एवं पैरा मेडीकल के 26 प्रतिशत पद रिक्त थे जिसके परिणामस्वरूप प्रदत्त सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित हुई।

छ: जिलों में बड़ी संख्या में औषधालय बिना चिकित्सक के चल रहे थे। तथापि, 2001-2004 के दौरान इन औषधालयों में पैरा मेडीकल स्टाफ के वेतन एवं भत्तों पर 4.73 करोड़ रुपये का व्यय किया गया था, जिसका विस्तृत विवरण नीचे दर्शाया गया है:-

61 भवनों की अपूर्णता के कारण विभाग को 39 औषधालयों को किराए के भवनों में चलाने के लिए विवश होना पड़ा।

संस्वीकृत पदों में से 25 प्रतिशत पद रिक्त थे। 29 संवर्गों (68 पदों वाले) में 100 प्रतिशत पद रिक्त थे।

चिकित्सकविहीन औषधालय

स. क्र.	जिले का नाम	डाक्टरविहीन औषधालय				4 वर्षों के लिए अवलम्बन (सपोर्ट) पर व्यय (लाख रूपयों में)
		2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	
1	रायपुर	-	27	28	29	68.05
2	धमतरी	12	12	11	11	50.48
3	जगदलपुर	-	28	28	7	80.92
4	जाँजगीर-चाँपा	29	30	27	32	102.84
5	दुर्ग	31	32	32	37	60.60
6	बिलासपुर	32	32	32	32	110.38
7	योग	104	161	158	148	473.27

आगे, यह भी देखा गया कि धमतरी जिले में नियमित मेडीकल एवं पैरा मेडीकल स्टाफ की तैनाती के बिना ही चार औषधालय³⁴ चल रहे थे। तथापि, इन चारों औषधालयों में प्रति सप्ताह 1 या 2 दिन के लिए अंश-कालिक कम्पाउन्डरों की तैनाती की गई थी।

चाँपा-जाँजगीर जिले में 10 औषधालयों में तथा अम्बिकापुर में 7 औषधालयों में केवल समूह "घ" (सफाई कर्मियों) की पदस्थापना की गई थी। इन समूह "घ" कर्मचारियों (सफाई कर्मियों) के वेतन एवं मजदूरी पर चाँपा-जाँजगीर जिले में 14.79 लाख रूपये (2000-04) एवं अम्बिकापुर जिले में 7.01 लाख रूपये (2000-02) का निष्फल व्यय किया गया था।

तथापि, यह देखा गया कि पैरा मेडीकल एवं अन्य स्टाफ की इन औषधालयों से अन्य औषधालयों में, जो कि वास्तव संचालित थे एवं जहाँ रिक्तियाँ थी, युक्तिसंगत पदस्थापना के लिए विभाग द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया।

3.3.9 औषधालयों में बुनियादी सुख-सुविधाओं का अभाव

अभिलेखों की जाँच में यह प्रकट हुआ कि 690 में से अधिकांश औषधालयों में बुनियादी आवश्यक सुख-सुविधाओं यथा विद्युत (199) जल-संयोजन (626) प्रसाधन (392) एवं आवास सुविधा (473) का अभाव था जिससे इनके द्वारा प्रदत्त सेवाएं अपर्याप्त हो गईं।

3.3.10 औषधियों का उत्पादन एवं गुणवत्ता नियंत्रण

सरकारी चिकित्सालयों एवं औषधालयों में आपूर्ति हेतु विशुद्ध एवं विश्वसनीय आयुर्वेदिक औषधियों के विनिर्माण के लिए विभाग के पास रायपुर में एक आयुर्वेदिक फार्मसी है। संचालक को फार्मसी द्वारा औषधियों के विनिर्माण हेतु एक कार्यक्रम तैयार करना चाहिए था। संचालनालय ने कोई कार्यक्रम अथवा औषधियों के विनिर्माण के लिए कोई लक्ष्य (2000-

³⁴ बारना, फुरसिया, सिंगपुर एवं उमरगाँव

04) निर्धारित नहीं किया न ही उत्पादन के विवरण तैयार किए और न ही फार्मसी की कार्यप्रणाली का परीक्षण किया ।

फार्मसी में उत्पादन की प्रतिनिषिद्ध उच्चतर लागत

(लाख रुपये में)

वर्ष	परिचालन लागत	उत्पादित औषधियों की लागत	परिचालन लागत के तुल्य औषधियों की लागत का प्रतिशत
2000-01	62.37	17.64	28
2001-02	49.86	08.27	17
2002-03	60.04	28.64	48
2003-04	83.03	44.50	54

2000-04 की अवधि के दौरान उत्पादित औषधियों की लागत फार्मसी की परिचालन लागत का अत्यल्प 17 प्रतिशत से 54 प्रतिशत की सीमा में था ।

2000-04 में उत्पादित औषधियों की लागत, फार्मसी की परिचालन लागत का अत्यल्प 17 प्रतिशत से 54 प्रतिशत की सीमा में था । इस प्रकार फार्मसी का परिचालन, लागत की तुलना में कारगर नहीं था। विभाग ने बताया कि मशीनरी एवं उपकरणों की कमी के कारण औषधियों का उत्पादन नहीं हो सका ।

औषध परीक्षण प्रयोगशाला में असंस्कृत जड़ी-बूटियों (हर्बल) एवं प्रसंस्कृत औषधियों का परीक्षण न किया जाना

दि ड्रग्स एण्ड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 में आयुर्वेदिक, सिद्ध एवं यूनानी औषधियों के परीक्षण एवं विश्लेषण की व्यवस्था है । भारत सरकार द्वारा आयुर्वेदिक सूत्रीकरणों (फार्मुलेशन) के लिए जारी किए गए भैषजीय कोश (फार्माकोपीअल) मानकों में असंस्कृत जड़ी-बूटियों एवं प्रसंस्कृत औषधियों के लिए संचालित किए जाने वाले परीक्षणों की सीमा एवं प्रकृति को अधिकथित किया गया है ।

रायपुर महाविद्यालय में एक औषध परीक्षण प्रयोगशाला कार्यरत है, जिसमें असंस्कृत जड़ी-बूटियों के साथ ही फार्मसी में प्रसंस्कृत उत्पादों का गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण किया जाता है । उत्पादों के मानकीकरण की पद्धति को भारत के आयुर्वेदिक भैषज कोश (आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया) के विनिबंध (मोनोग्राफ) के अनुसार होना चाहिए । संचालक द्वारा औषध परीक्षण प्रयोगशाला के संचालन के लिए कोई अनुदेश जारी नहीं किए गए ।

2000-04 के दौरान जड़ी-बूटियों के 250 नमूनों एवं प्रसंस्कृत माल के 686 नमूनों में से केवल छः नमूनों का ही परीक्षण किया गया ।

अभिलेखों की जाँच में यह प्रकट हुआ कि 2000-04 के दौरान, औषध परीक्षण प्रयोगशाला में परीक्षण के निमित्त अनिवार्य रूप से भेजे जाने वाले जड़ी-बूटियों के 250 नमूनों एवं प्रसंस्कृत माल के 686 नमूनों की तुलना में केवल छः नमूनों का ही परीक्षण किया गया । औषध परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा परीक्षणों के अभाव में असंस्कृत जड़ी-बूटियों एवं प्रसंस्कृत उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की जा सकी ।

विभाग ने बताया कि नमूनों के परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में कोई नियमित कर्मचारी नहीं है तथा परीक्षणों के लिए अंश-कालिक व्याख्याताओं की सेवाओं का उपयोग किया जा रहा था।

मशीनरी के क्रय पर निष्फल व्यय

भारत सरकार ने रायपुर में फार्मसी के लिए मशीनरी क्रय करने हेतु नवम्बर 2000 में 1.25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की थी।

भारत सरकार द्वारा मशीनरी के क्रय के लिए नवम्बर 2000 में उपलब्ध कराए गए 1.25 करोड़ रुपये का लाभप्रद उपयोग अभी तक (दिसम्बर 2004) नहीं किया गया है।

मशीनरी क्रय करने के लिए हॉस्पिटल सर्विसेज कन्सल्टेंसी कॉरपोरेशन लिमिटेड, नोएडा (उत्तरप्रदेश) को 80.21 लाख रुपये का अग्रिम भुगतान किया गया (2003-04)। 40.04 लाख रुपये मूल्य की मशीनरी प्राप्त हुई और प्रतिष्ठापित की गई, 28.32 लाख रुपये मूल्य की मशीनरी प्राप्त हुई परन्तु प्रतिष्ठापित नहीं की गई एवं 11.85 लाख रुपये मूल्य की मशीनरी की आपूर्ति फर्म ने दिसम्बर 2004 तक नहीं की थी। प्रतिष्ठापित मशीनरी भी प्रशिक्षित परिचालकों (आपरेटर) के अभाव के कारण उपयोग में नहीं लाई जा सकी। विभाग ने बताया कि कुछ मशीनरी यथेष्ट भवनों की अनुपलब्धता के कारण प्रतिष्ठापित नहीं की जा सकी।

विभाग का उत्तर दोषपूर्ण योजना की स्वीकृति है क्योंकि प्रशिक्षित परिचालकों एवं भवन की उपलब्धता ऐसी अनिवार्य पूर्व अपेक्षाएं हैं जो मशीनरी क्रय करने हेतु जारी किए गए आदेशों के पूर्व ही सुनिश्चित की जानी चाहिए थीं।

प्रणाली के अधीन शिक्षा के लिए आधारभूत संरचना

3.3.11 आयुर्वेदिक महाविद्यालय रायपुर की कार्य-प्रणाली

रायपुर आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय औषधियों की आयुर्वेदिक एवं यूनानी पद्धति का शिक्षण प्रदान करता है। महाविद्यालय का प्रशासनिक नियंत्रण सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन है जिन्हें संचालक देशी चिकित्सा एवं प्रधानाचार्य आयुर्वेदिक महाविद्यालय सहयोग देते हैं।

केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम 1970 के अधीन स्थापित केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद् ने शिक्षण सुविधाओं, छात्र-शय्या अनुपात, पैरा मेडीकल एवं नॉन पैरा मेडीकल स्टाफ की संख्या एवं महाविद्यालयों तथा सम्बद्ध चिकित्सालयों के लिए अन्य आवश्यक आधारभूत संरचना के विषय में मानकों का विनिर्धारण किया है। जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है इन मानकों का अनुपालन नहीं किया गया।

मानदण्डों से कम छात्र-शय्या अनुपात

मानदण्डों के अनुसार छात्रों हेतु 55 संस्वीकृत स्थानों के लिए आवश्यक 275 शय्याओं के विरुद्ध मात्र 110 शय्याएं ही उपलब्ध थीं।

केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा विनिर्धारित मानदण्डों के अनुसार छात्र-शय्या अनुपात 1:5 होना चाहिए। तथापि, प्रारंभ करने के लिए 1:3 शय्या अनुपात भी स्वीकार किया जा सकता है तथा नवीन आयुर्वेदिक महाविद्यालय को प्रारंभ करने के लिए चिकित्सालय में कम से कम 100 शय्याएं होनी चाहिए। इन मानदण्डों के अनुसार, 55 छात्रों हेतु संस्वीकृत स्थानों (सीटों) के लिए 275 शय्याओं की आवश्यकता है। 1:3 के अनुपात में निर्वाह योग्य न्यूनतम आवश्यकता 165 शय्याओं की है। तथापि, आयुर्वेदिक महाविद्यालय चिकित्सालय रायपुर में केवल 110 शय्याएं उपलब्ध थीं, जो मानदण्डों से कम हैं। शय्याओं की संख्या में कमी के कारण छात्रों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण की गुणवत्ता में कमी रही।

चिकित्सालय में शय्याओं का कम अधिभोग

आयुर्वेदिक महाविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालय में शय्याओं के अधिभोग की स्थिति नीचे दर्शाई गई है :-

महाविद्यालय का नाम	वर्ष	उपलब्ध शय्याएं	एक वर्ष में अधिभोग की क्षमता (शय्याएं X 365)	1 वर्ष में वास्तविक अधिभोग	वास्तविक अधिभोग की प्रतिशतता
शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, रायपुर	2000-01	110	40150	15184	38
	2001-02	110	40150	13753	34
	2002-03	110	40150	11613	29
	2003-04	110	40150	12541	31

29 से 38 प्रतिशत की सीमा में कम शय्या अधिभोग के कारण व्यावहारिक अनुभव का अवसर सीमित हो गया।

सारणी से प्रकट होता है कि शय्या-अधिभोग बहुत की कम, अर्थात् 29 प्रतिशत (2002-03) एवं 38 प्रतिशत (2000-01) के मध्य था। इसमें अन्तर्निहित है कि छात्रों को रोगियों के उपचार के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव अर्जित करने के लिए सीमित क्षेत्र मिला।

रोगियों को अवमानक आहार

आहार की गुणवत्ता का परीक्षण नहीं किया गया एवं 1983 से दरों में संशोधन न किए जाने के कारण आहार बहुत ही कम मूल्य पर उपलब्ध कराया जा रहा था।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (जुलाई 1983) ने अंतरंग रोगियों के लिए 8 रुपये प्रतिदिन प्रति आहार की दर विनिर्धारित की थी। आहार के अनुमाप एवं मूल्य की 1988 में पुनः समीक्षा की जानी चाहिए थी जो जुलाई 2004 तक नहीं की गई थी। इस प्रकार, 8 रुपये प्रतिदिन के आधार पर 2000-04 में आहार का मूल्य अत्यल्प था तथा दूध, फल, गुड़ एवं घी सहित विनिर्दिष्ट आहार की इस दर पर आपूर्ति किया जाना संभव नहीं था। रोगियों को दिए जाने वाले आहार में समाहित प्रोटीन तथा कैलोरी की मात्रा की जाँच करने के लिए कोई पद्धति नहीं थी तथा पके हुए भोजन की गुणवत्ता की भी जाँच नहीं की जा रही थी।

विभाग ने स्वीकार किया कि न तो रोगियों को दिए जाने वाले पके हुए भोजन में समाहित प्रोटीन एवं कैलोरी की जाँच की गई और न ही भोजन की गुणवत्ता की जाँच की गई थी। दरें संशोधित नहीं की गई हैं तथा आहार पूर्व स्वीकृत मूल्य में ही उपलब्ध कराया जा रहा था।

अंतरंग रोगियों की आहार संबंधी आवश्यकताएं पूर्णतः उपेक्षित रहीं।

महाविद्यालय में अपर्याप्त अध्यापन कर्मचारी

शिक्षण कर्मचारियों की नितान्त कमी के कारण प्रदत्त शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा

केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद् के मानदण्डों के अनुसार 14 प्रोफेसर्स, 14 रीडर्स एवं 30 व्याख्याताओं की आवश्यकता थी जबकि प्रोफेसर्स के 9 पद, रीडर्स के 19 पद एवं व्याख्याताओं के 28 पद संस्वीकृत थे। तथापि, केवल 6 प्रोफेसर्स, 5 रीडर्स तथा 18 व्याख्याताओं की ही वास्तव में पदस्थापना हुई थी। शिक्षण कर्मचारियों की नितान्त कमी के कारण प्रदत्त शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

स्नातकोत्तर कक्षाओं में 20 सीटों के विरुद्ध केवल 5 से 7 तक ही सीटें भरी गई थीं ।

2001-04 के दौरान, स्नातकोत्तर कक्षाओं में 20 सीटों में से केवल 5 से 7 तक ही सीटें प्रतिवर्ष भरी गई थीं । 2000-01 के दौरान कोई प्रवेश नहीं हुआ। अत्यल्प अन्तर्ग्रहण (इनटेक) एवं आवश्यक आधारभूत संरचना तथा कर्मचारियों के अभाव की दृष्टि से स्नातकोत्तर कक्षाओं की निरन्तरता के लिए पुनरावलोकन की आवश्यकता है।

मेडीकल एवं पैरा मेडीकल स्टाफ की कमी

केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद् के मानदण्डों के अनुसार चिकित्सा महाविद्यालय के लिए मेडीकल, पैरा मेडीकल एवं अन्य संवर्गों के स्टाफ के लिए 176 पदों की संस्वीकृति दी जानी थी । राज्य सरकार ने केवल 75 पद संस्वीकृत किए, जिसके विरुद्ध केवल 39 कर्मचारी ही वास्तव में पदस्थ थे, जिससे चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सालय में व्यावहारिक प्रशिक्षण की गुणवत्ता एवं उचित कार्यप्रणाली दुष्प्रभावित हो रही थी ।

जड़ी-बूटी उद्यान (हर्बल गार्डन) का परिरक्षण एवं उन्नयन न किया जाना

सात वर्षों के अन्तराल के पश्चात भी किसी भी औषधीय पौधे का रोपण नहीं किए जाने के कारण छात्रों को महत्वपूर्ण शैक्षणिक साधन से वंचित होना पड़ा ।

केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद् ने आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों के लिए एक जड़ी-बूटी उद्यान की स्थापना विनिर्दिष्ट की थी । इसकी स्थापना महाविद्यालय के समीपवर्ती होनी थी एवं इसमें समस्त संभावित औषधीय पौधों को उगाना था ताकि उनकी पहचान एवं प्रत्यक्ष प्रदर्शन किया जा सके । शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय के अधिपत्य में जड़ी-बूटी उद्यान के लिए 10 एकड़ भूमि है । 25 अगस्त 1998 को केन्द्र सरकार से उद्यान के विकास के लिए 5 लाख रुपये प्राप्त हुए थे । राशि का व्यय बाड़ लगाने, भूमि को आकार प्रदान करने एवं कुएं की खुदाई पर किया गया। तथापि, सात वर्ष बीत जाने के पश्चात् भी किसी भी औषधीय पौधे का रोपण नहीं किया गया, इस प्रकार महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के समीप जड़ी-बूटी उद्यान के होने का मूल उद्देश्य विफल हो गया तथा छात्रों को महत्वपूर्ण शैक्षणिक साधन से वंचित होना पड़ा ।

विभाग ने बताया कि किसी भी जड़ी-बूटी का पौध-रोपण नहीं किया गया क्योंकि सरकार से आगे और अनुदान प्राप्त नहीं हुआ था । इस प्रकार, 5 लाख रुपये का प्रारंभिक व्यय उद्यान के विकास के लिए अनुवर्ती कार्रवाई के अभाव में निष्फल हो गया ।

एक्स-रे मशीनों की निष्क्रियता

दो निष्क्रिय एक्स-रे मशीनों के तकनीशनों के वेतन एवं भत्तों पर 7.57 लाख रुपये का व्यय निष्फल हुआ ।

आयुर्वेदिक महाविद्यालय की एकमात्र एक्स-रे मशीन 1987 से निष्क्रिय हो गई थी एवं तभी से बेकार पड़ी थी तथा कोई नई मशीन प्रतिष्ठापित नहीं की गई। दो एक्स-रे तकनीशन काम के बिना ही वेतन एवं भत्तों का आहरण कर रहे थे। इस प्रकार, 2001 से 2004 की अवधि के लिए वेतन एवं भत्तों पर 7.57 लाख रुपये की राशि निष्फल हो गई।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर विभाग ने बताया कि मामले की सूचना सरकार को दी गई थी (मई 2001) लेकिन उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है ।

3.3.12 आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली

एक वर्ष में लेखा परीक्षण की जाने वाली 18 इकाइयों में से 2001-04 के दौरान केवल एक इकाई की लेखापरीक्षा आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा की गई ।

क्षेत्रीय इकाइयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा करने के लिए विभाग में एक आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा गठित की गई है । एक वर्ष में लेखा परीक्षण की जाने वाली 18 इकाइयों में से 2001-04 के दौरान केवल 1 इकाई की लेखापरीक्षा की गई थी।

संचालक ने बताया कि कर्मचारियों की कमी के कारण इकाइयों की लेखापरीक्षा पूर्ण नहीं की जा सकी।

11.30 करोड़ रुपये की राशि के 40 कंडिकाओं वाले 16 निरीक्षण प्रतिवेदन अनुपालन हेतु लम्बित थे ।

महालेखाकार द्वारा दिसम्बर 2003 के अंत तक जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों में से संचालक एवं उनके अधीनस्थ कार्यालयों से संबंधित 11.30 करोड़ रुपये की राशि के 40 कंडिकाओं वाले 16 निरीक्षण प्रतिवेदन अनुपालन हेतु लम्बित थे। यह बकाया, लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों के निराकरण हेतु संचालक एवं उनके अधीनस्थ कार्यालयों के दिखावटी रवैये का द्योतक है।

3.3.13 निष्कर्ष

कम लागत वाले एवं सहज सुलभ उपचार को विशेषतः छत्तीसगढ़ के निर्धन सामान्य-जनों के लिए प्रोन्नत करने के महत्व के बावजूद, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, एलोपैथिक पद्धति की तुलना में निधियों के कम आवंटन, कर्मचारियों की कमी, विभिन्न द्वितीय/तृतीय श्रेणी की संस्थाओं में आधारभूत संरचना एवं नैदानिक सुविधाओं की कमी तथा स्थापित सुविधाओं की अपर्याप्त क्रियाशीलता के कारण भी, निरूत्साहित हो रही थी। भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के लिए शिक्षण एवं प्रशिक्षण सुविधाओं को, शय्याओं के कम अधिभोग एवं अपर्याप्त कर्मचारियों के कारण हानि उठानी पड़ी । औषधियों का उत्पादन बहुत ही सीमान्त था एवं इन उत्पादित औषधियों की जाँच भी बहुत कम की जाती थी ।

3.3.14 अनुशंसाएं

- भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की स्वास्थ्य रक्षा परिदान प्रणाली को अपर्याप्त निधियों के कारण अधिकांश प्रमुख क्षेत्रों में हानि उठाना पड़ रही है अतः राज्य को चाहिए कि वह निधियों के आवंटन की पुनः समीक्षा करे।
- औषधियों के परीक्षण की प्रणाली, कर्मचारियों एवं उपकरणों की कमी के कारण, निरूत्साहित हो रही है । औषधियों के प्रभावी गुणवत्ता नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए औषध-परीक्षण प्रयोगशाला के आधुनिकीकरण की आवश्यकता है ।
- नवीन औषधालयों/चिकित्सालयों की संस्वीकृति के पूर्व, समस्त विद्यमान औषधालयों/चिकित्सालयों में आधारभूत संरचना सुविधाएं एवं कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित की जानी चाहिए ।
- औषधालय भवनों के निर्माण के लिए आवंटित निधि के अनुकूलतम उपयोग एवं निर्माण में अतिशीघ्रता करनी चाहिए ।

श्रम विभाग

3.4 बाल श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 का क्रियान्वयन

मुख्यांश

खतरनाक उपजीविकाओं में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध एवं गैर खतरनाक आजीविकाओं में बच्चों के कार्य की दशाओं का विनियमन इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं। राज्य सरकार के स्तर पर श्रम विभाग क्रियान्वयन ऐजेंसी थी। राज्य में, 1995-96 के दौरान पाँच राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजनाओं के अन्तर्गत 104 विशेष शालाएं खोली गई थीं। 996 बच्चे खतरनाक उपजीविकाओं में संलिप्त पाए गए (अप्रैल 1997)। खतरनाक उपजीविकाओं में से बाल श्रमिकों का उन्मूलन करने के लिए ऐसी स्थापनाओं का नियमित निरीक्षण एक आवश्यक पहलू था। तथापि, अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए प्रवर्तन मशीनरी एवं विभिन्न आजीविकाओं में नियोजित बच्चों की सीमा को सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र स्थापित नहीं किया गया। श्रमायुक्त द्वारा जनवरी 2004 में निर्धारित निरीक्षण लक्ष्य श्रम निरीक्षकों द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सके। समीक्षा के दौरान निम्नांकित मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्षों का आविर्भाव हुआ।

- राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना, बिलासपुर द्वारा भारत सरकार को भेजे गए 2002-03 के उपयोग प्रमाणपत्र में 9.34 लाख रुपये को त्रुटिपूर्वक सम्मिलित किया गया।

(कंडिका 3.4.8)

- राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना, दुर्ग द्वारा 9.36 लाख रुपये के अर्जित बैंक ब्याज को उपयोग प्रमाणपत्र में सम्मिलित नहीं किया गया।

(कंडिका 3.4.8)

- बाल श्रमिक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित निरीक्षकों द्वारा जनवरी 2001 से अप्रैल 2004 तक के दौरान निर्धारित 25,600 निरीक्षणों के विरुद्ध केवल 10 प्रतिशत (2,456) निरीक्षण ही किए गए।

(कंडिका 3.4.7)

- राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजनाओं के अन्तर्गत संचालित विशेष शालाओं में अपात्र बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई गई।

(कंडिका 3.4.9)

- जागरूकता उत्पन्न करने के लिए उपलब्ध कराई गई निधियों का उपयोग न किया जाना तथा अनुचित उपयोग।

(कंडिका 3.4.9)

3.4.1 प्रस्तावना

भारत में बाल श्रमिकों की विस्तृत विद्यमानता के जो कारण सामान्यतः जाने जाते हैं उनमें अत्यधिक निर्धनता, लाभदायक नियोजन के लिए अवसरों का अभाव एवं आय की अनिश्चितता इत्यादि प्रमुख हैं। बाल श्रम का उन्मूलन एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, सम्पूर्ण राष्ट्र की चिंता का विषय है।

भारत सरकार ने बाल श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम (अधिनियम), को 1986 में अधिनियमित किया था। बाल श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियमन) नियमावली 1988 में केन्द्र सरकार द्वारा बनाई गई। अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सरकार ने मध्यप्रदेश बाल श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियमन) नियमावली 1993 का सृजन किया जिसको नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा अक्टूबर 2002 में अपनाया जा चुका है।

खतरनाक उपजीविकाओं³⁵ में 14 वर्ष से कम की उम्र के बच्चों का नियोजन में प्रतिषेध, गैर खतरनाक स्थापनाओं में बच्चों के काम की परिस्थितियों का विनियमन एवं अपराधियों को दण्ड इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं। इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति, पुलिस अधिकारी अथवा निरीक्षक सक्षम अधिकारी के अधिकार क्षेत्र के न्यायालय में अपराध की जाँच के लिए शिकायत दायर कर सकता है।

खतरनाक उपजीविकाओं में कार्यरत बच्चों के पुनर्वास के लिए उन्हें राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजनाओं के अधीन खोली गई विशेष शालाओं में प्रशिक्षण देना था एवं तत्पश्चात औपचारिक विद्यालयों की मुख्यधारा से जोड़ना था।

3.4.2 संगठनात्मक संरचना

राज्य के श्रम विभाग के प्रमुख सचिव एवं श्रमायुक्त अधिनियम के प्रावधानों का क्रियान्वयन करते हैं। चार सहायक श्रमायुक्त³⁶ एवं पाँच श्रम अधिकारी³⁷ उनको सहयोग देते हैं। राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजनाओं का संचालन पाँच जिलों में किया जा रहा है तथा क्रियान्वयन परियोजना समितियों द्वारा किया जाता है जिसके प्रमुख जिलाध्यक्ष होते हैं।

3.4.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

बाल श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 की समीक्षा का उद्देश्य निम्न का आकलन करना था:

- अधिनियम और नियमों के नियत प्रावधानों के क्रियान्वयन में कठिनाइयाँ।
- विभिन्न उपजीविकाओं में बाल नियोजन के विनियमन एवं प्रतिषेध के लिए तंत्र।
- बच्चों को नियमित शिक्षा प्रणाली की मुख्यधारा से जोड़ना।
- अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन का परिवीक्षण।

³⁵ भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित

³⁶ बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, एवं कोरबा

³⁷ बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, राजनांदगांव एवं सरगुजा

3.4.4 लेखापरीक्षा समावेशन

राज्य में कार्यरत समस्त पांचों राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजनाओं,³⁸ इन्हीं पांचों जिलों के जिला श्रम अधिकारियों एवं श्रम आयुक्त, छत्तीसगढ़ के कार्यालयों को समीक्षा में समाविष्ट किया गया था। राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजनाओं के अन्तर्गत संचालित 104 विशेष शालाओं में से 35 शालाओं का भी समावेशन किया गया था। समीक्षा के अन्तर्गत 1999-2004 की अवधि को समाविष्ट किया गया था। लेखापरीक्षा में नमूना जांच के परिणामों की नीचे चर्चा की गई है।

3.4.5 अधिनियम और नियमों के नियत प्रावधानों के क्रियान्वयन में कठिनाइयाँ

छत्तीसगढ़ राज्य में अपनाए गए मध्य प्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 की धारा 24 के अनुसार किसी भी बालक से किसी भी स्थापना में कार्य करने की अपेक्षा अथवा अनुमति अनुज्ञेय नहीं है। बाल श्रमिक अधिनियम केवल खतरनाक उपजीविकाओं में विनियोजन का निषेध करता है तथा गैर खतरनाक उप जीविकाओं में बच्चों के नियोजन का नियमन करता है। राज्य अधिनियम एवं केन्द्रीय अधिनियम के मध्य ऐसी विसंगति के कारण अधिनियमों का क्रियान्वयन कठिन हो गया है।

बाल श्रमिक अधिनियम के प्रावधान, कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत पारिभाषित कारखानों में लागू नहीं होते हैं। तथापि, बाल श्रमिक अधिनियम की धारा 15 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति कारखाना अधिनियम की धारा 67 के अन्तर्गत अपराध करने का दोषी पाया जाता है तो वह बाल श्रमिक अधिनियम में उपबन्धित शास्तियों का भागी होगा। कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 67 में उपबन्धित किया गया है कि ऐसे किसी भी बालक को जिसने अपनी आयु के 14 वें वर्ष को पूर्ण नहीं कर लिया है किसी भी कारखाने में कार्य करने की अपेक्षा अथवा अनुमति अनुज्ञेय नहीं है। कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत उल्लंघन होने पर कारखाना निरीक्षकों से इसे लागू करने की अपेक्षा की जाती है न कि बाल श्रमिक अधिनियम के अन्तर्गत निरीक्षकों के रूप में अधिसूचित अधिकारियों द्वारा। कारखाना अधिनियम के अंतर्गत इस सीमा तक के उल्लंघन, बाल श्रमिक अधिनियम के अन्तर्गत निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र से बाहर रहते हैं।

बाल श्रमिक अधिनियम में "बाल श्रमिक" की परिभाषा में द्वियर्थता।

बाल श्रमिक अधिनियम की धारा 3 के परन्तुक के अनुसार कौटुम्बिक उद्यम में नियोजित बच्चों पर यह धारा लागू नहीं होती है। परिणामस्वरूप कोसा सिल्क एवं बीड़ी उद्योगों (रायगढ़) में कार्यरत पाए गए बच्चों के मामलों में श्रम निरीक्षक उन नियोजकों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर सके जो उपर्युक्त परन्तुक के आधार पर वैधानिक रूप से उनके नियोजन को न्यायसंगत ठहराने में समर्थ थे।

3.4.6 अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिषेधात्मक कृत्य

बाल श्रमिक अधिनियम के अन्तर्गत, अधिसूचित खतरनाक उद्योगों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन पर तीन माह से एक वर्ष तक कारावास अथवा 20,000 रुपये तक अर्थदण्ड अथवा दोनों के द्वारा दण्डनीय हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय (1996) ने खतरनाक

³⁸

बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, राजनांदगांव एवं सरगुजा

आजीविकाओं से विमुक्त कराए गए बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए विस्तृत दिशानिर्देश दिए हैं।

अप्रैल 1997 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार खतरनाक आजीविकाओं में कार्यरत 996 बच्चों एवं अन्य आजीविकाओं में कार्यरत 644 बच्चों की पहचान की गई थी।

बाल श्रमिक पुनर्वास एवं कल्याण निधि का गठन केवल 2 जिलों में किया गया था।

उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुपालन में अप्रैल 1997 में जिलाध्यक्षों द्वारा गठित की गई टीम द्वारा राज्य स्तर पर बाल श्रमिकों की पहचान करने के लिए एकमात्र सर्वेक्षण किया गया था। इसमें खतरनाक आजीविकाओं में 494 नियोजकों के अधीन कार्यरत 996 बच्चों एवं गैर खतरनाक आजीविकाओं में कार्यरत 644 बच्चों की पहचान की गई।

श्रमायुक्त, रायपुर के अभिलेखों में दर्शाया गया था कि समस्त 996 बच्चों को खतरनाक आजीविकाओं से हटा लिया गया था। उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों के आधार पर बाल श्रमिक पुनर्वास एवं कल्याण निधि का गठन मार्च 1998 में केवल 2 जिलों (बिलासपुर तथा रायगढ़) में किया गया। 20 नियोजकों (1: बिलासपुर, 19: रायगढ़) से एकत्रित 4 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि इस निधि में जमा की गई। संबंधित 494 नियोजकों से समस्त 996 बच्चों के लिए 20000 रुपये प्रति बालक की दर से वसूली करने हेतु कारण बताओं नोटिस जारी किए गए थे। अधिकांश 458³⁹ नियोजकों ने अपनी देयताओं के विरुद्ध प्रतिवाद किया परन्तु अभियोजन/दोषसिद्धि/दोषमुक्ति के विषय में आगे जानकारी प्रतीक्षित थी (जनवरी 2005)। आगे, यह भी देखा गया कि श्रमायुक्त ने पहचाने गए चूककर्ताओं पर कार्रवाई का परिवीक्षण करने हेतु आंकड़ों यथा सर्वेक्षण के दौरान पहचाने गए बच्चों की संख्या, कुल चूककर्ताओं की संख्या, जारी किए गए कारण बताओं नोटिसों की संख्या, अभियोजन हेतु भेजे गए प्रकरणों की संख्या तथा इनके परिणाम, इत्यादि का आवधिक संकलन नहीं किया। 1997-98 में राज्य में जिला परियोजना समितियों द्वारा चलाई जा रही विशेष शालाओं में 996 में से 913 बच्चों को प्रवेश दिलाया गया। इतना ही नहीं, उन परिवारों के 400 वयस्क सदस्यों,⁴⁰ जिनके बच्चे खतरनाक आजीविकाओं में से हटाए गए थे, को राज्य सरकार (2003-04 तक) द्वारा जीवन यापन करने हेतु कुछ साधन उपलब्ध कराए गए थे, परन्तु शेष 596 परिवारों के वैकल्पिक नियोजन की न तो व्यवस्था ही की जा सकी और न ही राज्य सरकार ने बाल श्रमिक पुनर्वास एवं कल्याण निधि (जून 2004) में 5000 रुपये प्रति बच्चे के अनुसार अंशदान दिया। विगत पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा वैकल्पिक नियोजन की व्यवस्था के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए जबकि विभिन्न ग्रामीण विकास अभिकरणों के अन्तर्गत अनेकों योजनाएं संस्वीकृत की गई थीं।

3.4.7 अधिनियम के अन्तर्गत नियामक कार्यवाही

अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन न करने पर नियोजकों को एक माह तक की अवधि का कारावास अथवा 10,000 रुपये तक अर्थदंड अथवा दोनों का भागी होना पड़ेगा।

अधिनियम की धाराएं 6 से 13 तक, उन स्थापनाओं जहाँ बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध नहीं है, में बच्चों के काम की शर्तों के विनियमन से संबंधित हैं। प्रत्येक नियोजक यदि वह किसी बच्चे का नियोजन अपनी स्थापना में करता है तो (क) एक बच्चे से एक दिन में पांच घण्टों से ज्यादा का कार्य नहीं ले सकता है, (ख) संबंधित निरीक्षक को लिखित में सूचना भेजेगा जिसमें स्थापना का नाम, अवस्थिति एवं आजीविका की प्रकृति के बारे में जानकारी दी जायेगी (ग) नियोजित बच्चों के बारे में एक पंजी संधारित करेगा जिसमें बच्चों का नाम, जन्म-तिथि, कार्य के घण्टे एवं अन्य विनिर्दिष्ट जानकारी दी जाएगी, पंजी, निरीक्षक को

³⁹ 16 नियोजकों से वसूली के विस्तृत विवरण विभाग द्वारा प्रतीक्षित हैं।

⁴⁰ बस्तर: 174, बिलासपुर: 28, रायगढ़: 172, जांजगीर: 9, कोरबा: 17

निरीक्षण हेतु हर समय उपलब्ध कराई जायेगी एवं (घ) प्रत्येक नियोजक अधिनियम की धारा 3 एवं 14 की संक्षिप्ति वाली सूचना पटल पर संप्रदर्शित करेगा। उपर्युक्त प्रावधानों के अनुपालन न करने की स्थिति में नियोजकों को एक माह तक की अवधि के कारावास अथवा 10,000 रुपये तक अर्थदण्ड अथवा दोनों का भागी होना पड़ेगा।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि नमूना जांच किए गए किसी भी जिले में स्थापनाओं के स्वामियों ने निरीक्षकों को निर्दिष्ट लिखित सूचनाएं (नोटिस) नहीं भेजी थीं। किसी भी जिले में विभिन्न आजीविकाओं में नियोजित बच्चों की सीमा को सुनिश्चित करने के लिए किसी तंत्र को स्थापित नहीं किया गया था।

जनवरी 2001 एवं अप्रैल 2004 के मध्य, राज्य में 2,456 स्थापनाओं का निरीक्षण किया गया एवं 136 नियोजकों पर बाल श्रमिक अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन न करने पर न्यायालय में अभियोग चलाया गया।

श्रम निरीक्षकों द्वारा स्थापनाओं का अपर्याप्त निरीक्षण।

जनवरी 2004 में श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ ने प्रति निरीक्षक प्रति माह 10 निरीक्षणों का लक्ष्य निर्धारित किया था। जनवरी 2004 तक की अवधि में लक्ष्यों के अभाव में निरीक्षणों की वास्तविक संख्या में कमियों की सीमा का आकलन नहीं किया जा सका। तथापि, प्रति निरीक्षक प्रतिमाह 10 निरीक्षणों⁴¹ के मानदंड के आधार पर 25,600 निरीक्षण किए जाने थे परन्तु वास्तव में केवल 2,456 निरीक्षण किए गए जो जनवरी 2001 से अप्रैल 2004 की अवधि के दौरान 23,144 निरीक्षणों की कमी को सूचित करते थे। यह राज्य में जनवरी 2001 से अप्रैल 2004 के दौरान निरीक्षकों द्वारा निरीक्षणों की निर्धारित संख्या में 90 प्रतिशत की कमी में निरूपित हुआ। इसके अतिरिक्त, राज्य में श्रम निरीक्षकों के 21 पद रिक्त पड़े थे जिससे परिणामस्वरूप श्रम निरीक्षकों द्वारा निरीक्षणों की संख्या में कमी रही तथा अधिनियम में वर्णित नियामक कार्यवाहियों का क्रियान्वयन अप्रभावी रहा।

इस प्रकार राज्य में अधिनियम के अंतर्गत नियामक कार्यवाहियों का क्रियान्वयन निरीक्षणों की अपर्याप्त संख्या के कारण अप्रभावी रहा।

3.4.8 राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजनाओं के कार्यकलाप

राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजनाओं का गठन खतरनाक उपजीविकाओं से हटाए गए बच्चों के पुनर्वास के मूल उद्देश्य से किया गया था। प्रत्येक राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना क्षेत्र में जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक परियोजना समिति पर, नियोजन से हटाए गए बच्चों के लिए विशेष शालाओं की स्थापना, अन्य कल्याणकारी उपायों यथा कौशल/शिल्प प्रशिक्षण का प्रावधान, पूरक पोषाहार, शिष्यवृत्ति, स्वास्थ्य रक्षा इत्यादि क्रियाकलापों का संचालन करने का उत्तरदायित्व है।

पूर्णरूपेण वित्तपोषित केन्द्रीय क्षेत्र परियोजना होने के कारण जिला परियोजना समितियों की वित्त व्यवस्था सीधे ही श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की जाती है। 1999-2000 से 2003-04 के दौरान भारत सरकार द्वारा राज्य की पांच जिला परियोजना समितियों को जारी सहायक अनुदानों एवं इनके द्वारा किए गए व्ययों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

⁴¹

40 माहों में 64 निरीक्षकों द्वारा प्रतिमाह 10 निरीक्षण।

समस्त पांच जिलों के 1999-2000 से 2003-04 तक की अवधि के दौरान प्राप्त अनुदान एवं व्यय का समेकित लेखा

(लाख रुपये में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	भारत सरकार द्वारा जारी अनुदान	अन्य प्राप्ति	कुल प्राप्ति	कुल व्यय	अन्तिम शेष
1999-2000	62.37	72.31	4.91	139.59	90.26	49.33
2000-01	49.33	137.50	4.22	191.05	106.31	84.71
2001-02	84.71	105.65	3.90	194.26	160.25	34.01
2002-03	34.01	187.04	4.87	225.92	190.70	35.24
2003-04	35.24	154.74	1.58	191.56	167.43	24.13
	62.37	657.24	19.48	739.09	714.96	24.13

1999-2000 से 2003-04 तक की अवधि के दौरान 7.15 करोड़ रुपये के कुल व्यय में से 4.70 करोड़ रुपये (66 प्रतिशत) का व्यय शिष्यवृत्ति, पोषाहार, प्रशासनिक एवं अन्य मदों पर किया गया तथा शेष 2.45 करोड़ रुपये (34 प्रतिशत) का व्यय राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजनाओं के प्रशिक्षकों एवं कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर किया गया। 1999-2002 के दौरान रायगढ़ जिले में शिष्यवृत्ति की 21.30 लाख रुपये के योग की राशि का व्यपवर्तन खाद्य व्ययों पर किया गया। इसके पश्चात मार्च 2003 में इसका भुगतान एक वर्ष से अधिक के विलम्ब से किया गया था।

उपयोग प्रमाणपत्र में 9.34 लाख रुपये का गलत समावेश

उपयोग प्रमाण पत्र में 9.34 लाख रुपये की देयताओं को समाविष्ट किया गया।

राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना बिलासपुर के वार्षिक लेखे (2002-03) में प्रशिक्षकों को मानदेय, शिष्यवृत्ति, पोषाहार एवं विशेष शालाओं के लिए व्यावसायिक सामग्री की देयताओं को दर्शाने वाली 9.34 लाख रुपये की राशि सम्मिलित थी। इस राशि को भारत सरकार को भेजे गए (नवम्बर 2003) 32.83 लाख रुपये के उपयोगिता प्रमाण पत्र में त्रुटिवश व्यय के रूप में सम्मिलित कर लिया गया था। परियोजना संचालक ने उत्तर में बताया कि शालाओं को चलाने वाली अशासकीय संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत दावे जांच के अधीन हैं। यह इस बात का सूचक था कि भारत सरकार को गलत उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किया गया था।

उपयोगिता प्रमाण पत्र से बैंक ब्याज का अपवर्जन

9.36 लाख रुपये के अर्जित बैंक ब्याज को उपयोग प्रमाणपत्र में सम्मिलित नहीं किया गया।

राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना, दुर्ग में 1995-96 से 2002-03 तक अर्जित किए गए 9.36 लाख रुपये के बैंक ब्याज की राशि को, योजनाओं के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय (जून 2004 में राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना, दुर्ग के अध्यक्ष द्वारा यथा स्पष्टीकृत) को प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण पत्र में प्राप्तियों के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया।

3.4.9 कार्यक्रम प्रबन्धन

राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजनाओं के आरंभ एवं जिला परियोजना समितियों के पंजीयन का

दिनांक एवं उनके द्वारा संचालित शालाओं की संख्या निम्नानुसार थी :-

स. क्र.	जिले का नाम	राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना के आरंभ होने का दिनांक	जिला परियोजना समिति के पंजीयन का दिनांक	विशेष शालाओं की संख्या		नामांकित बच्चों की संख्या				
				भारत सरकार द्वारा संस्वीकृत	परिचालन (6/2004 की स्थिति में)	99-00	00-01	01-02	02-03	03-04
1	बिलासपुर	30 जनवरी 96	5 अक्टूबर 95	प्रति 100 बच्चों वाली 25 शालाएं	12 (प्रति 100 बच्चे)	1042	1054	1130	1073	1108
2	दुर्ग	12 अक्टूबर 95	12 अक्टूबर 95	50 बच्चों वाली 40 शालाएं	40 (प्रति 50 बच्चे)	1130	2343	2000	1710	1922
3	रायगढ़	01 अगस्त 96	7 सितम्बर 95	100 बच्चों वाली 10 शालाएं	15 (प्रति 50 बच्चे)	575	700	731	729	748
4	राजनांदगांव	6 नवम्बर 95	20 अक्टूबर 97	प्रति 50 बच्चों वाली 40 शालाएं	19 (प्रति 50 बच्चे)	912	820	680	475	674
5	सरगुजा	6 जनवरी 96	26 सितम्बर 97	100 बच्चों वाली 24 शालाएं	18 (प्रति 100 बच्चे)	929	977	970	1083	1151
	योग			139	104	4588	5894	5511	5070	5603

सारणी में विशेष विद्यालयों में नामांकित बच्चों की संख्या में वृहद विषमता दर्शाई गई है। परियोजना संचालकों ने इसका कारण विशेष शालाओं में नामांकन के लिए पात्र बच्चों की अनुपलब्धता एवं प्रवास को बताया।

शालाओं में अपात्र बच्चों का नामांकन

विशेष शालाओं ने मुख्यतः अपात्र बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई।

139 संस्वीकृत विशेष शालाओं में से, जून 2004 तक 104 शालाएं खोली जा चुकी थीं। उनका प्रबन्धन या तो प्रत्यक्ष रूप से परियोजना समितियों द्वारा किया जा रहा था अथवा अशासकीय संस्थाओं द्वारा। विशेष शालाओं की स्वीकृति केवल खतरनाक उपजीविकाओं में से हटाए गए बच्चों को शिक्षा प्रदान करने तथा उन्हें नियमित शिक्षा प्रणाली की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु दी गई थी।

अप्रैल 1997 में किए गए एकमात्र सर्वेक्षण के दौरान, राज्य में केवल 996 बच्चे खतरनाक आजीविकाओं में कार्यरत पाए गए, इनमें से 913 बच्चों का नामांकन 1997-98 में विशेष शालाओं में किया गया। आगामी वर्षों में अन्य कोई केन्द्रीयकृत सर्वेक्षण नहीं किया गया। विशेष शालाओं का संचालन करने वाली एजेन्सियों ने यदाकदा स्थानीय क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया तथा बच्चों का नामांकन किया। ये बच्चे खतरनाक आजीविकाओं में कार्यरत नहीं थे अपितु इनमें से अधिकांशतः कबाड़ी कार्य, अपने परिवार के वयस्कों के साथ कृषि कार्य, घरेलू कार्य इत्यादि में कार्यरत थे एवं विशेष शालाओं में अध्ययन करने हेतु पात्र नहीं थे। इस प्रकार, 913 पात्र बच्चों के प्रारंभिक नामांकन के पश्चात पाँचों राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजनाओं द्वारा खतरनाक आजीविकाओं से हटाए गए अन्य पात्र बच्चों को लाभ पहुँचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए। शालाओं ने बच्चों का नामांकन करते हुए सतत् रूप से कार्य करना जारी रखा तथा 7.15 करोड़ रुपये के एक बड़े भाग का व्यय उन बच्चों पर कर दिया जो इन शालाओं में अध्ययन करने के लिए पात्र ही नहीं थे। सर्वेक्षण करने एवं पात्र बच्चों की पहचान करने में अकर्मण्यता के परिणामस्वरूप शालाओं में अपात्र बच्चों पर निष्फल व्यय के साथ उद्दिष्ट हितग्राहियों को अध्ययन से वंचित होना पड़ा।

कर्मचारियों की अवस्थिति

1999-04 की अवधि के दौरान सरगुजा जिले की समस्त 18 शालाएं व्यावसायिक प्रशिक्षकों के बिना ही चल रही थीं।

सरगुजा परियोजना समिति की 18 विशेष शालाओं में 54 शैक्षणिक प्रशिक्षकों की संस्वीकृत संख्या के विरुद्ध केवल 27 प्रशिक्षक (50 प्रतिशत) कार्यरत थे। 1999-04 की अवधि के दौरान सरगुजा जिले में समस्त 18 शालाएं व्यावसायिक प्रशिक्षकों के बिना ही चल रही थीं। बच्चों को कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया, तब भी 1999-03 के दौरान राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना, सरगुजा में 3.65 लाख रुपये मूल्य की व्यावसायिक सामग्री का क्रय किया गया।

इसी प्रकार, राजनांदगांव में 19 में से 16 शालाएं, व्यावसायिक प्रशिक्षकों के बिना ही चल रही थीं।

जागरूकता उत्पन्न करने वाले कार्यक्रम की विफलता

तीन परियोजना समितियों में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु प्राप्त 15 लाख रुपये में से 10.52 लाख रुपये का व्यय नहीं किया गया।

राज्य में 1995-96 से 1996-97 के दौरान समस्त पाँचों राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजनाओं में से प्रत्येक को 5 लाख रुपये जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्राप्त हुए थे। इसमें यह परिकल्पित था कि जागरूकता प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वाल पेन्टिंग, नुक्कड़ सभाओं, वाद-विवाद, पहली प्रतियोगिताओं इत्यादि के माध्यम से उत्पन्न की जा सकती है। तीन परियोजना समितियों में 10.52 लाख रुपये की राशि⁴² (प्राप्त 15 लाख रुपयों में से) का व्यय नहीं किया जा सका। राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना, रायगढ़ में 1996-99 के दौरान 2.82 लाख रुपये का व्यय फर्नीचर के क्रय, टंकण मशीनों की मरम्मत, वाहनों के किराया प्रभारों, वेतन इत्यादि पर किया गया जो कि इस क्रियाकलाप के लिए स्वीकार्य नहीं था। आगे, सरगुजा समिति ने प्राप्त निधियों (पाँच लाख रुपये) के वर्षवार उपयोगिता प्रमाणपत्र मई 2004 तक श्रम मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत नहीं किए थे। इस प्रकार जागरूकता कार्यक्रम आरंभ ही नहीं हो पाया।

मुख्यधारा से जुड़ना

यह परिकल्पना की गई थी कि विशेष शालाओं में अध्ययनरत बच्चे तीन साल के शिक्षण-प्रशिक्षण से कक्षा पाँच स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे एवं कक्षा छः में प्रवेश प्राप्त कर शिक्षा की मुख्यधारा से जुड़ेंगे। जाँच से प्रकट हुआ कि :-

1999-2004 के दौरान राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना शालाओं में कुल 26,666 बच्चों⁴³ का नामांकन हुआ, 3514 बच्चे कक्षा पाँच की परीक्षा में बैठे और केवल 2401 (68 प्रतिशत) ही इस अवधि के दौरान मुख्यधारा वाले विद्यालयों की कक्षा छः में अन्तिम रूप से प्रवेश पा सके। दुर्ग जिले में मुख्यधारा से जुड़ाव 100 प्रतिशत बताया गया, जबकि बिलासपुर, राजनांदगांव एवं सरगुजा में यह केवल 51 प्रतिशत था, जो इसका द्योतक है कि इन जिलों में मुख्यधारा से जुड़ाव कम था। आगे, राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना, रायगढ़ में मुख्यधारा से जुड़े बच्चों की संख्या 396 बताई गई जो कि अधिकथित प्रतीत हुई क्योंकि

⁴² बिलासपुर: 2.52 लाख रुपये अव्ययित रहे, सरगुजा: 5 लाख रुपये बैंक खातों में अव्ययित रहे एवं राजनांदगांव: 3 लाख रुपये भारत सरकार को वापस किए गए।

⁴³ बिलासपुर 5,407, दुर्ग 9,105, रायगढ़ 3,483, राजनांदगांव 3,561 एवं सरगुजा 5,110।

केवल 238 बच्चे ही कक्षा पाँच की परीक्षा में बैठे थे ।

मुख्य धारा से जुड़े बच्चों के बारे में आगामी प्रगति को दर्शाने वाला कोई भी अभिलेख पूर्ण रूपेण उपलब्ध नहीं था, यद्यपि योजना में यह अपेक्षा की गई थी।

3.4.10 परिवीक्षण एवं मूल्यांकन

अधिनियम के उद्देश्यों की प्रभावी रूप से प्राप्ति सुनिश्चित करने की दृष्टि से विभिन्न नियामक कार्यवाहियों पर सरकार/विभागाध्यक्ष द्वारा गहन परिवीक्षण की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना के क्रियान्वयन के परिवीक्षण के लिए राज्य परिवीक्षण समिति का गठन नहीं किया गया था।

राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना के क्रियान्वयन के परिवीक्षण के लिए राज्य परिवीक्षण समिति का गठन नहीं किया गया था। बाल श्रमिकों का स्थापनाओं में नियोजन, विभिन्न आजीविकाओं में नियोजित बच्चों की संख्या, नवीन बाल श्रमिकों का अंतःप्रवाह, अथवा बाल श्रमिकों की संख्या में कमी इत्यादि के लिए तथ्यपरक आंकड़ों का आधार विकसित नहीं किया गया था। वास्तव में राज्य स्तर पर मासिक अथवा नियतकालिक परिवीक्षण कभी भी नहीं किया गया। राज्य में समस्या का परिवीक्षण/मूल्यांकन करने के लिए कोई नियतकालिक बैठकें नहीं की गईं।

3.4.11 निष्कर्ष

राज्य एवं केन्द्रीय अधिनियमों के मध्य विसंगति के कारण अधिनियम के क्रियान्वयन में विघ्न हुआ। अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए तन्त्र में कमी थी तथा राज्य में संस्वीकृत 85 श्रम निरीक्षकों के पदों के विरुद्ध 21 पद रिक्त पड़े थे। 1997 में किए गए सर्वेक्षण के पश्चात से विभिन्न खतरनाक आजीविकाओं में नियोजित बच्चों की संख्या सुनिश्चित करने के लिए और व्यवस्थित प्रयास नहीं किए गए। खतरनाक आजीविकाओं में कार्यरत बच्चों के रूप में पहचाने गए 996 बच्चों में से केवल 400 परिवार के सदस्यों को आजीविका के कुछ साधन उपलब्ध कराए गए तथा शेष 596 परिवारों को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया। इन बच्चों के लिए संस्वीकृत 139 विशेष शालाओं में से केवल 104 शालाएं ही खोली गई थीं। विशेष शालाओं में नामांकित बच्चों में से बहुत से मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए थे। राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना शालाओं में अपात्र बच्चों का बड़ी संख्या में नामांकन होने के कारण खतरनाक आजीविकाओं से हटाए गए बच्चों के लिए विशेष रूप से खोली गई राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना शालाओं का उद्देश्य निष्फल हो गया। परिवीक्षण तन्त्र की संरचना के साथ ही नियतकालिक सर्वेक्षणों के अभाव में अधिनियम के प्रावधानों का क्रियान्वयन दिशाविहीन रहा।

3.4.12 अनुशंसाएं

- प्रवर्तन मशीनरी के सुदृढीकरण हेतु निरीक्षणों की निर्धारित संख्या सुनिश्चित करने के लिए उचित परिवीक्षण के साथ साथ पर्याप्त व्यवस्थाएं एवं समुचित निधियां उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- बाल श्रमिकों की पहचान के लिए विस्तृत एवं नियतकालिक सर्वेक्षण किया जाना चाहिए।
- बाल श्रम की बुराइयों के विरुद्ध सहानुभूतिपूर्ण प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजनाओं में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्राप्त धन का संपूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

चौथा अध्याय

लेन-देन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

लेखा परीक्षा कंडिकाएं

4.1 निष्फल/निरर्थक व्यय एवं अधिक भुगतान

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

4.1.1 नलकूपों पर विद्युत पम्प संस्थापित न किया जाना

नलकूपों पर विद्युत पम्प संस्थापित न किये जाने के फलस्वरूप 99.05 लाख रूपयों का निष्फल व्यय हुआ

नवम्बर 2000 में प्रारंभ की गई इंदिरा गाँव गंगा योजना (योजना) के अनुसार विभाग द्वारा पेयजल समस्या वाले विद्युतीकृत ग्रामों में निस्तार तालाबों⁴⁴ के समीप नलकूपों का खनन किया जाना था। संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा विद्युत कनेक्शन एवं पम्प प्राप्त कर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभागों की सहायता से पम्प संस्थापित किये जाने थे। नलकूपों के जल का उपयोग पीने हेतु तथा जन निस्तार के उद्देश्य से तालाबों को भरने के लिए किया जाना था।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग, बैकुण्ठपुर तथा कांकेर के अभिलेखों की जाँच से प्रकट हुआ कि संभागों द्वारा योजना के अंतर्गत वर्ष 2000 से 2004 तक 1,413 नलकूपों का खनन किया गया। इनमें से 283⁴⁵ नलकूपों पर या तो विद्युत लाइन दूर होने अथवा विद्युतीकरण न होने (25 ग्राम) के कारण विद्युत पम्प संस्थापित नहीं किये गए। इसके फलस्वरूप 99.05 लाख रूपये⁴⁶ (35,000 रूपये प्रति नलकूप की दर से) का निष्फल व्यय हुआ।

प्रमुख अभियंता ने मार्च एवं अप्रैल 2004 में बताया कि शासन को तथ्यों से अवगत करा दिया गया है एवम् योजना को क्रियाशील बनाने हेतु पंचायतों को प्रेरित किया जा रहा है।

गैर विद्युतीकृत ग्रामों या ऐसे ग्रामों जहाँ तालाब विद्युत लाईनों से दूर हैं, में नलकूपों के अविवेकपूर्ण खनन से 99.05 लाख रूपये का निष्फल व्यय हुआ।

⁴⁴ निस्तार तालाब पेयजल के अतिरिक्त, स्थानीय आबादी एवं पशुओं की जल की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।

⁴⁵ अक्टूबर एवं जुलाई 2003 तक बैकुण्ठपुर: 85 तथा कांकेर: 198,।

⁴⁶ बैकुण्ठपुर में 29.75 लाख रूपये तथा कांकेर संभाग में 69.30 लाख रूपये।

प्रकरण शासन को फरवरी 2004 में सूचित किया गया, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जनवरी 2005)।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

4.1.2 ब्लीचिंग पाउडर के क्रय पर अनियमित एवं निष्फल व्यय

राज्य स्तरीय क्रय समिति की अनुशंसाओं का क्रियान्वयन न किए जाने के कारण ब्लीचिंग पाउडर के क्रय पर 33.60 लाख रूपए का अनियमित एवं निष्फल व्यय हुआ

संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने के अभिप्राय से राज्य स्तरीय क्रय समिति द्वारा यह निर्णय किया गया (फरवरी 2001) कि ब्लीचिंग पाउडर के स्थान पर "प्योरीवेट"⁴⁷ टिकियों (टेबलेट) (विनिर्माण के दिनांक से दो वर्षों की अवधि तक शैल्फ लाइफ वाली) का क्रय किया जाना चाहिए क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर की शैल्फ लाइफ केवल एक माह थी।

जिला मलेरिया अधिकारी, रायपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच (अक्टूबर 2003) में यह प्रकट हुआ कि पूर्वोक्त निर्णय के विरुद्ध जिला मलेरिया अधिकारी ने 33.60 लाख रूपए मूल्य के 210 मैट्रिक टन (80 मैट्रिक टन: मार्च 2001 एवं 130 मैट्रिक टन: मार्च 2002) ब्लीचिंग पाउडर का क्रय किया एवं इसे मई 2001 एवं मई/जून 2002 में 16 जिलों के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारियों को वितरित किया। उस समय तक ब्लीचिंग पाउडर की शैल्फ लाइफ कालातीत हो चुकी थी। इस प्रकार 33.60 लाख रूपए का, उपर्युक्त क्रयों पर किया गया व्यय, निष्फल सिद्ध हुआ।

यह उल्लेख किए जाने पर, जिला मलेरिया अधिकारी (अक्टूबर 2003) तथा संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं ने बताया (जुलाई 2004) कि प्योरीवेट टिकियों के स्थान पर ब्लीचिंग पाउडर का क्रय समयाभाव एवं कतिपय मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारियों से प्राप्त माँग-पत्रों को ध्यान में रखते हुए किया गया था। संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं ने आगे स्पष्टीकरण दिया (सितम्बर एवं दिसम्बर 2004) कि ब्लीचिंग पाउडर की शैल्फ लाइफ छः माह से अधिक है जिसे पहले दिए गए उत्तर में गलती से एक माह उल्लिखित किया गया था तथा प्योरीवेट टिकिया की तुलना में इसकी शोधन क्षमता अधिक होने के कारण इसका क्रय किया गया था। संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं ने यह भी स्पष्टीकरण दिया कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से किया जा रहा था।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पूर्वोक्त क्रय राज्य स्तरीय क्रय समिति के निर्णय का उल्लंघन करके किए गए थे एवं ब्लीचिंग पाउडर की शैल्फ लाइफ उसके विनिर्माण के दिनांक से 30 दिन से अधिक नहीं है जिसकी पुष्टि प्रदायकर्ता के द्वारा की गई थी

⁴⁷ प्योरीवेट टेबलेट पानी को शुद्ध करने के काम आती है।

(सितम्बर 2004)। चूंकि ब्लीचिंग पाउडर का वितरण मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारियों को उस समय किया गया जब इस पाउडर की शेल्फ लाइफ कालातीत हो चुकी थी, कालातीत ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग उचित नहीं था। इस प्रकार, यह सम्पूर्ण क्रय अनियमित एवं निष्फल था।

मामले की सूचना सरकार को जनवरी 2004 में दी गई थी, उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2005)।

लोक निर्माण विभाग

4.1.3 दो बार माप लेने एवं त्रुटिपूर्ण संगणना के कारण अधिक भुगतान

एक ही मद का दो बार माप लेने एवं अंतिम मात्रा की त्रुटिपूर्ण संगणना के कारण ठेकेदार को 35.60 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ।

राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 200 (191 से 207/2 किमी मीटर) की परिवहन सतह गुणवत्ता के सुधार का कार्य 3.58 करोड़ रुपये अनुमानित लागत पर कार्यपालन अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, बिलासपुर द्वारा एक ठेकेदार को प्रतिशत दर निविदा के आधार पर दर अनुसूची से 9.66 प्रतिशत कम में प्रदान किया (फरवरी 2001) गया। ठेकेदार को 3.62 करोड़ रुपये के अंतिम देयक का भुगतान जून 2002 में किया गया।

अभिलेखों की जांच में निम्नानुसार प्रकट हुआ

200 किलो मीटर से 201/2 किलो मीटर के मध्य के कार्य की निम्न मदों के माप दो बार, प्रथम 2 जून और 16 जून 2001 के मध्य तथा पुनः 26 अप्रैल 2002 को माप पुस्तिका क्रमांक 704 में क्रमशः चौथे चल देयक एवं नौवें चल देयक तथा दसवें अंतिम देयक के भुगतान के समय अंकित किए गए :-

माप पुस्तिका पृष्ठ क्रमांक	माप का दिनांक	कार्य की मद	इकाई	माप की गई व भुगतान की गई आरंभिक मात्रा	माप पुस्तिका पृष्ठ क्रमांक	माप का दिनांक	पुनः माप की गई व भुगतान की गई अंतिम मात्रा	दर (रुपये प्रति इकाई)
46	2 जून 01	टेक कोट	वर्ग मीटर	8408	183	26 अप्रैल 2002	16100	4
95	12 जून 01	तदैव	तदैव	8408	184	तदैव	8050	4
115	16 जून 01	तदैव	तदैव	8400	186	तदैव	350	4
		योग		25216			24400	4
53	2 जून 01	बिटुमिनस मेकाडम	घन मीटर	511.050	183	तदैव	603.75	1957
98 से 112	12 जून 01	तदैव	तदैव	421.235	186 से 193	तदैव	847.45	1957
		योग		932.285			1441.20	1957
115	16 जून 01	सेमीडेन्स बिटुमिनस कंक्रीट	तदैव	310	184	तदैव	201.25	2712
		तदैव	तदैव	—	194	तदैव	8.75	2712
		योग	-	310	-	-	210	

मापी गई अंतिम मात्रा के आधार पर भुगतान से पूर्व में मापी गई मात्रा के भुगतान का समायोजन किया जाना था। पूर्व में किए गए भुगतान का समायोजन न करने के

फलस्वरूप ठेकेदार को टेक कोट (25,216 वर्ग मीटर), बिटुमिनस मेकाडम (932.285 घन मीटर) व सेमीडेन्स बिटुमिनस कंक्रीट (310 घन मीटर) पर 24.99 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ।

पुनश्च, अंतिम देयक में 200 से 201/2 किलो मीटर में भुगतान योग्य 247.45 घन मीटर बिटुमिनस मेकाडम की निवल मात्रा की संगणना करते समय यह माप पुस्तिका क्रमांक 704 के पृष्ठ क्रमांक 193 पर 847.45 घन मीटर संगणित एवं अंकित की गई, फलस्वरूप 600 घन मीटर मात्रा हेतु 10.61 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ।

दो बार माप अंकित करने व निवल मात्रा की त्रुटिपूर्ण संगणना के कारण 35.60 लाख रुपये का अधिक भुगतान घटित हुआ।

इसे इंगित किए जाने पर प्रमुख अभियंता ने दोहरा भुगतान स्वीकार किया एवं कहा (मार्च 2005) कि अधिक राशि की ठेकेदार से वसूली की जाएगी।

शासन को प्रकरण अगस्त 2004 में सूचित किया गया, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जनवरी 2005)।

4.1.4 ग्रामीण सड़क के अवांछित सुदृढीकरण पर निष्फल व्यय

एक ग्रामीण सड़क के अवांछित सुदृढीकरण के फलस्वरूप 1.02 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय।

भारतीय सड़क कांग्रेस विशिष्टियों के अनुसार 20 मिली मीटर मोटे ओपेन ग्रेडेड प्रिमिक्स कारपेट एवं सीलकोट से डामरीकृत ग्रामीण सड़क का जीवन काल 4 से 6 वर्ष है। 560 पैसंजर कार यूनिट यातायात घनत्व वाली 13 किलोमीटर लंबी नांदेली-पेंडरवा सड़क का डामरीकरण कार्य 1.02 करोड़ रुपये की लागत से जून 2001 में पूर्ण किया गया।

यद्यपि नवीन डामरीकृत सड़क का जीवन काल 4 से 6 वर्ष था, 50 मिली मीटर मोटी बिटुमिनस मेकाडम एवं 25 मिली मीटर मोटी सेमीडेन्स बिटुमिनस कंक्रीट से इसी सड़क के सुदृढीकरण का कार्य एक दूसरे ठेकेदार को 91.62 लाख रुपये की लागत पर दर अनुसूची से 1.48 प्रतिशत अधिक पर प्रदान किया (नवम्बर 2002) गया। नवम्बर 2003 तक निविदा प्रतिशत एवं अतिरिक्त मात्राओं सहित 1.12 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। 'बिल्ट अप स्प्रे ग्राउट की' एक अतिरिक्त मद जिसकी लागत 1.73 लाख रुपये थी नई डामरीकृत सतह के पैच रिपेयर के लिए निष्पादित (जुलाई 2003) की गई जिससे पूर्व में किए गए कार्य की गुणवत्ता पर प्रश्नचिन्ह लगा। अंततोगत्वा, ग्रामीण सड़क होने के कारण डामरीकरण के एक साल बाद ही इसके सुदृढीकरण की आवश्यकता विश्वसनीय नहीं थी। यदि इस सड़क का सुदृढीकरण आवश्यक ही था तो इसे डामरीकरण के पूर्व किया जाना चाहिए था जिससे 1.02 करोड़ रुपये की लागत का डामरीकरण कार्य एक ही बार किया जाता तथा इसकी पुनरावृत्ति न होती।

उत्तर में प्रमुख अभियंता ने बताया (नवम्बर 2004) कि तत्कालीन गृह मंत्री के निर्देश पर एवं शासन से अनुमोदन (जुलाई 2002) के उपरांत ही सड़क का सुदृढीकरण कार्य निष्पादित किया गया क्योंकि यह सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 200 पर स्थित एक ग्राम चापले एवं राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 216 पर स्थित ग्राम चन्द्रपुर के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, यदि सड़क संबद्धता के दृष्टिकोण से इतनी ही महत्वपूर्ण थी तो, डामरीकरण के पूर्व ही सुदृढीकरण पर ध्यान दिया जाना चाहिए था। और भी, कि अतिरिक्त कार्य की मद में बिल्ट अप स्ट्रे ग्राउट का उपयोग नवीन डामरीकृत सतह पर पैच रिपेयर के लिए किया जाना यह इंगित करता है कि पूर्व में किए गए कार्य की गुणवत्ता निम्नकोटि की थी।

शासन को प्रकरण मार्च 2004 में सूचित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जनवरी 2005)।

4.2 अनुबंधीय बाध्यताओं का उल्लंघन/टेकेदारों का अनुचित पक्ष

लोक निर्माण विभाग

4.2.1 ग्रामीण सड़कों पर अधिक गुणवत्तायुक्त एवं मंहगी विशिष्टियों को अपनाने के कारण अतिरिक्त लागत।

भारतीय सड़क कांग्रेस विशिष्टियों के उल्लंघन में ग्रामीण सड़क कार्यों पर अधिक गुणवत्तायुक्त एवं मंहगी विशिष्टियों को अविवेकपूर्ण ढंग से अपनाने के फलस्वरूप 1.31 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत।

भारतीय सड़क कांग्रेस विशिष्टियों के अनुसार ग्रामीण सड़कों पर डामरीकरण कार्य 20 मिली मीटर मोटाई में ओपन ग्रेडेड प्रिमिक्स कारपेट के उपर सीलकोट द्वारा किया जाना चाहिए। विशेष प्रकरणों में जहाँ यातायात घनत्व अधिक है वहाँ संरचना परतें बिटुमिनस मिक्स के द्वारा बनाई जाना चाहिए। प्रमुख अभियंता ने उन ग्रामीण सड़कों पर, जहाँ यातायात सघनता 2000 पेसेन्जर कार यूनिट या अधिक है, 50 मिली मीटर मोटाई में बिटुमिनस मेकाडम के पश्चात 20 मिली मीटर मिक्स सील सरफेसिंग का उपयोग निर्धारित (जनवरी 2003) किया था।

दिसम्बर 2003 एवं जनवरी 2004 में चार लोक निर्माण संभागों⁴⁸ की लेखापरीक्षा तथा मई 2004 में प्राप्त की गई जानकारी से प्रकट हुआ कि नमूना जांच किए गए 11 में से 5 सड़क कार्यों में डामरीकरण के अनुमोदित प्राक्कलनों में 20 मिली मीटर मोटे ओपन ग्रेडेड प्रिमिक्स कारपेट के पश्चात सील कोट का प्रावधान था जबकि वहां यातायात सघनता 345 से 868 पेसेन्जर कार यूनिट के मध्य थी। किन्तु, ये देखा गया कि इन सड़क कार्यों का निष्पादन भारतीय सड़क कांग्रेस विशिष्टियों के उल्लंघन में 50 से 75

⁴⁸ बिलासपुर, दुर्ग, मनेन्द्रगढ़ और रायगढ़

मिली मीटर मोटे बिटुमिनस मेकाडम के पश्चात मिक्स सील सरफेसिंग के साथ तथा पुनरीक्षित प्राक्कलन के अनुमोदन के बिना किया गया। बिटुमिनस मेकाडम और मिक्स सील सरफेसिंग की विशिष्टियाँ ओपन ग्रेडेड प्रिमिक्स कारपेट तथा सीलकोट से अधिक गुणवत्तायुक्त तथा मँहगी होने के कारण इन पाँच ग्रामीण सड़कों पर इनका उपयोग अवांछित था, फलस्वरूप मई 2003 एवं अप्रैल 2004 के मध्य 4.65 करोड़ रुपये की लागत से निष्पादित कार्यों पर 1.31 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत आई।

उत्तर में प्रमुख अभियंता ने कहा (जुलाई 2004) कि बिटुमिनस मेकाडम तथा मिक्स सील सरफेसिंग से ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु नाबार्ड ने अतिरिक्त ऋण देने की सहमति दी थी जैसा कि शासन द्वारा फरवरी 2003 में अनुमोदित किया गया।

उत्तर सुसंगत नहीं था क्योंकि मुद्दा अतिरिक्त ऋण का नहीं वरन उच्च गुणवत्ता एवं मँहगी विशिष्टियों के स्थान पर वांछित विशिष्टियों का था। नाबार्ड द्वारा अतिरिक्त ऋण की स्वीकृति से अवांछित अतिरिक्त लागत की पूर्ति पर भी उक्त विशिष्टियों जो उचित प्राधिकार (भारतीय सड़क कांग्रेस एवं भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय) के बिना तथा निविदा विशिष्टियों के उल्लंघन में थी, के उपयोग को न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता। और, बिटुमिनस मेकाडम एवं मिक्स सील सरफेसिंग से इन सड़कों के पुनरीक्षित प्राक्कलन सक्षम प्राधिकारी (प्रमुख अभियंता/मुख्य अभियंता) द्वारा स्वीकृत नहीं थे। और भी, कि शासन द्वारा फरवरी 2003 में दिए गए अनुमोदन जिसे उत्तर में दर्शाया गया है, में बिटुमिनस मेकाडम एवं मिक्स सील सरफेसिंग का उपयोग सिर्फ उन ग्रामीण सड़कों पर किया जाना था जहाँ यातायात सघनता 2000 पैसेजर कार यूनिट या इससे अधिक हो। इसलिए उच्च विशिष्टियाँ कम यातायात सघनता वाली प्रश्नाधीन सड़कों पर उपयुक्त नहीं थीं।

प्रकरण शासन को फरवरी 2004 में सूचित किया गया, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जनवरी 2005)।

4.2.2 ओपन ग्रेडेड प्रिमिक्स कारपेट का अधिक मोटाई में निष्पादन

ओपन ग्रेडेड प्रिमिक्स कारपेट का अधिक मोटाई में अविवेकपूर्ण निष्पादन के कारण 30.10 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत।

भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय विशिष्टियों की कंडिका 509.1.1 के अनुसार ओपन ग्रेडेड प्रिमिक्स कारपेट का निष्पादन 20 मिली मीटर मोटाई में बियरिंग कोर्स के रूप में किया जाना चाहिए। जून 2000 से प्रभावशील व अप्रैल 2002 में संशोधित सड़क कार्यों की दर अनुसूची में 20 मिली मीटर मोटे ओपन ग्रेडेड प्रिमिक्स कारपेट जिसमें प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स आंतरिक भाग के रूप में सम्मिलित है, की दर अप्रैल 2002 तक 2100 रुपये प्रति घन मीटर तथा उसके पश्चात 2200 रुपये प्रति घन मीटर थी।

लोक निर्माण संभाग, रायगढ़ के अंतर्गत गिट्टीकृत सतह के नवीनीकरण एवं डामरीकरण के सात सड़क कार्यों⁴⁹ के अभिलेखों की जांच से प्रकट हुआ (दिसम्बर 2003) कि विशिष्टि का उल्लंघन करते हुए ओपन ग्रेडेड प्रिमिक्स कारपेट 31 मिली मीटर से 42 मिली मीटर तक की औसत मोटाई में निष्पादित किया गया। वस्तुतः गिट्टीकृत सतह का नवीनीकरण कार्य डामरीकरण के पूर्व किया गया था, प्रोफाइल करेक्शन की आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार 11 मिली मीटर से 22 मिली मीटर अधिक मोटाई में ओपन ग्रेडेड प्रिमिक्स कारपेट के अविवेकपूर्ण निष्पादन के कारण 30.10 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत आई।

उत्तर में प्रमुख अभियंता ने बताया (नवम्बर 2004) कि तत्कालीन अधीक्षण अभियंता के अनुमोदन से गिट्टीकृत सतह को समतल करने के लिए प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स की अतिरिक्त मात्रा का निष्पादन किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की विशिष्टियों के अनुसार गिट्टीकृत सतह के निर्माण के समय ही प्रोफाइल करेक्शन किया जाना था, डामरीकरण करते समय नहीं।

प्रकरण शासन को अप्रैल 2004 में सूचित किया गया, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जनवरी 2005)।

4.2.3 सड़क कार्यों में मंहगे टेक कोट को अविवेकपूर्ण रूप से अपनाया जाना

सड़क कार्यों में डामर के उपयोग वाले मंहगे टेक कोट को अविवेकपूर्ण रूप से अपनाने पर 36.42 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत।

सड़क एवं पुल कार्यों हेतु भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की विशिष्टियों (तृतीय पुनरीक्षण) अप्रैल 1995 यथा संशोधित जनवरी 1998 में निर्धारित है कि टेक कोट हेतु बाइन्डर के रूप में बिटुमिनस इमल्शन अथवा कटबेक जैसा कि अनुबंध में निर्धारित है, का उपयोग किया जाए।

लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग क्रमांक 1, रायपुर के अभिलेखों की फरवरी 2003 में जाँच से प्रकट हुआ कि यातायात सतह (राइडिंग) गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत 10 कार्यों के प्राक्कलनों एवं अनुबंधों (2000-03 के दौरान) में 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर पर डामर के उपयोग वाले मंहगे टेक कोट का प्रावधान किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 6 व 43 एवं बाईपास इत्यादि के विभिन्न हिस्सों में जून 2002 से जनवरी 2003 के दौरान 18.15 करोड़ रुपये के कार्य, दर अनुसूची से 15.01 प्रतिशत से 27.27 प्रतिशत कम पर ठेके पर दिए गए। इन कार्यों में भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय विशिष्टियों द्वारा अनिवार्य इमल्शन वाले टेक कोट, जिसकी दर 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर थी, के स्थान पर डामर वाले मंहगे टेक कोट का उपयोग किया

⁴⁹ (1) खरसिसा-सक्ति- बागबुहश मार्ग (2) जतरी- लितईपाली -सेमीपावर टोरमा- नाला मार्ग (3) कानमुरा पंहुँच मार्ग (4) पटेलपाली-तंदेला मार्ग (5) वडेटा- सेंडामाल मार्ग (6) रायगढ़- खरसिसा से मक्तिडेम मार्ग एवं (7) मंडेली-पेंधवा मार्ग पर गिट्टीकृत सतह नवीनीकरण एवं डामरीकरण कार्य

गया। इसके फलस्वरूप जनवरी 2003 तक 15.72 करोड़ रुपये के भुगतान किए गए कार्यों में वास्तविक मात्रा के अनुसार टेक कोट पर 36.42 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत आई। शेष कार्यों के देयक भुगतान हेतु संभाग में लंबित हैं (जनवरी 2005)।

प्रमुख अभियंता ने बताया (अक्टूबर 2004) कि चूँकि प्रचलित दर अनुसूची में डामर के उपयोग वाली टेक कोट की मद विद्यमान है, प्राक्कलन तदनुसार बनाये गए तथा मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त की गई।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की विशिष्टियों में टेक कोट में डामर के उपयोग का प्रावधान नहीं है तथा कार्यपालन अभियंता के लिए यह अनिवार्य था कि कार्यों का निष्पादन उक्त विशिष्टियों के अनुरूप हो। और भी, कि प्रचलित दर अनुसूची मंत्रालय की विशिष्टियों के अनुरूप तैयार की जाना चाहिए।

भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की विशिष्टियों के विरुद्ध अविवेकपूर्ण रूप से डामर के उपयोग वाले मँहगे टेक कोट को अपनाने से विभाग पर 36.42 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत आई।

प्रकरण शासन को फरवरी 2004 में सूचित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जनवरी 2005)।

4.3 नियामक मुद्दे एवं अन्य बिंदु

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

4.3.1 अत्यधिक शुष्कता के कारण धान की मात्रा में कमी एवं अनुचित भंडारण के कारण क्षतिग्रस्त धान की हानि

अत्यधिक शुष्कता के कारण 20.62 करोड़ रुपये मूल्य के 3.9 लाख क्विंटल धान की कमी एवं क्षतिग्रस्त धान (2.16 लाख क्विंटल) के कारण 12.54 करोड़ रुपये की हानि।

भारत सरकार, उपभोक्ता कार्य मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग) ने अक्टूबर 2000 एवं नवम्बर 2001 में जारी किए गए अपने अनुदेशों के अनुसार मूल्य समर्थित प्रणाली (प्राइस सपोर्ट सिस्टम) के अंतर्गत धान की कुल अधिप्राप्त मात्रा पर 1 प्रतिशत की दर से शुष्कता पर हानि की अनुमति प्रदान की थी।

संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, रायपुर के अभिलेखों की नमूना जांच (सितम्बर 2003) में प्रकट हुआ कि 2000-01 में उत्पादित 46.31 लाख क्विंटल धान की अधिप्राप्ति नवम्बर 2000 एवं जुलाई 2001 के मध्य एवं 2001-02 में उत्पादित

133.42 लाख क्विंटल धान की अधिप्राप्ति अक्टूबर 2001 एवं मार्च 2002 के मध्य छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफैड) द्वारा की गई थी।

2000-01 में अधिप्राप्त धान की कुटाई (मिल में) दिसम्बर 2000 एवं फरवरी 2002 के मध्य की गई जबकि 2001-02 में अधिप्राप्त धान की कुटाई दिसम्बर 2001 एवं जनवरी 2004 के मध्य की गई थी। उपर्युक्त अधिप्राप्ति पर मार्कफैड ने 1.80 लाख क्विंटल (1 प्रतिशत की दर से) के मानदण्ड के विरुद्ध शुष्कता के कारण 5.70 लाख क्विंटल की कमी का दावा किया जिसके परिणामस्वरूप 3.9 लाख क्विंटल की शुष्कता के कारण हुई अत्यधिक कमी से 20.62 करोड़ रुपये की हानि हुई। संयुक्त संचालक (खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग) ने बताया (सितम्बर 2003) कि अत्यधिक शुष्कता के कारण हुई कमी के लिए मार्कफैड उत्तरदायी है।

जांच में आगे प्रकट हुआ कि निराकरण (कुटाई) में विलम्ब एवं उसके परिणामस्वरूप खुले स्थान पर भंडारण से वर्षा के दौरान नमी अवशोषित हो जाने से 12.54 करोड़ रुपये मूल्य का 2.16 लाख क्विंटल धान क्षतिग्रस्त हो गया था। मार्कफैड ने उत्तर में बतलाया (अगस्त 2003) कि गोदामों की कमी के कारण धान का भंडारण खुले स्थान पर किया गया एवं क्षतिग्रस्त होने का कारण वर्षा के दौरान अत्यधिक आर्द्रता थी। आगे, यह भी बताया कि क्षतिग्रस्त धान, मिल में कुटाई के लिए उपयुक्त नहीं था एवं क्षतिग्रस्त धान की नीलामी खुली निविदा के माध्यम से करने की शासन से अनुमति प्राप्त करने का प्रयास किया जा चुका था।

क्षतिग्रस्त धान की हानि के विषय में उत्तर से यह स्पष्ट है कि विभाग ने हानि को स्वीकार कर लिया है एवं इसका उत्तरदायित्व मार्कफैड पर डाल दिया है। विभाग एवं मार्कफैड द्वारा इस प्रकार की हानि की पुनरावृत्ति की रोकथाम के लिए प्रारंभ की गई कार्यवाही का उल्लेख लेखापरीक्षा को नहीं किया गया।

शुष्कता के कारण अत्यधिक कमी एवं अनुचित भंडारण के साथ मिल में धान की कुटाई में हुए विलम्ब के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को कुल 33.16 करोड़ रुपये की हानि हुई।

मामले की सूचना सरकार को फरवरी 2004 में दी गई थी; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जनवरी 2005)।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (मलेरिया) विभाग

4.3.2 क्रय पर अनधिकृत व्यय

96 लाख रुपये के आवंटन के विरुद्ध 1.37 करोड़ रुपये मूल्य के उपकरणों का अवांछित क्रय।

बस्तर संभाग में मलेरिया एवं निर्जलीकरण (डिहाइड्रेशन) से दुष्प्रभावित क्षेत्रों में औषधियां उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार को 2000-01 में विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में 96 लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई थी। संभागायुक्त, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा 8 फरवरी 2001 को संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, छत्तीसगढ़ को राशि का आवंटन किया गया।

24 फरवरी 2001 को, संभागायुक्त द्वारा संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं को दिया गया बजट आवंटन वापस ले लिया गया एवं 8 मार्च 2001 को राशि का पुनर्वन्तन, बस्तर, कांकेर एवं दन्तेवाड़ा के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों, को किया गया था। तथापि संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं ने रायपुर कोषालय से 5 मार्च 2001 को 96 लाख रुपये की सम्पूर्ण राशि को आहरित किया एवं 96 लाख रुपये के बजट आवंटन के विरुद्ध इस राशि का उपयोग औषधियों एवं उपकरणों के भुगतान पर किया जिस हेतु वे 24 फरवरी 2001 को आदेश दे चुके थे। क्रय किए उपकरणों में 63.19 लाख रुपये मूल्य के बाइनोकूलर रिसर्च माइक्रोस्कोप, 26.06 लाख रुपये मूल्य के क्यू बी सी पैरालेन्स (उपकरण) एवं 6.75 लाख रुपये की अन्य वस्तुएं थीं। इन उपकरणों के क्रय के लिए कोई मांग पत्र नहीं थे और न ही संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, इन उपकरणों की प्रतिष्ठापना एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा इनके वास्तविक उपयोग की कोई रिपोर्ट उपलब्ध करा पाए।

संभागायुक्त, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण के द्वारा 96 लाख रुपये के पुनर्वन्तन के अनुसरण में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कांकेर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दन्तेवाड़ा ने मार्च 2001 के दौरान क्रमशः 19.05 लाख रुपये एवं 21.80 लाख रुपये आहरित किए। इस प्रकार औषधियों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त 96 लाख रुपये की राशि के विरुद्ध 1.37 करोड़ रुपये का कुल व्यय किया गया क्योंकि संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा प्रारंभिक बजट आवंटन के विरुद्ध आहरण की उपेक्षा की गई थी। अन्ततोगत्वा, 96 लाख रुपये मूल्य के उपकरणों की खरीद, किसी मांग पत्र के अभाव में वांछनीय नहीं थी और न ही यह राशि वास्तव में उपकरणों के क्रय के प्रयोजनार्थ थी। उपकरणों की उपयोगिता भी संदिग्ध थी क्योंकि उनको प्रतिष्ठापित नहीं किया गया था और लेखापरीक्षा में जांच किए गए समस्त सात जिलों में ये निष्क्रिय पड़े थे।

मामले की जानकारी सरकार को दी गई थी (फरवरी 2004); उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2005)।

पाँचवा-अध्याय

आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली एवं आन्तरिक लेखापरीक्षा व्यवस्था

लोक निर्माण विभाग

मुख्य अंश

- आंतरिक नियंत्रण तंत्र, वित्तीय तथा परिचालन नियंत्रण एवं त्रुटि व कपट के प्रति सुरक्षा की सुनिश्चितता हेतु वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक औजार उपलब्ध कराता है। लोक निर्माण विभाग में आंतरिक नियंत्रण तंत्र के मूल्यांकन से बजट एवं व्यय नियंत्रण, लेन-देनों के लेखांकन, भंडार के संधारण एवं निष्पादित निर्माण कार्यों की गुणवत्ता नियंत्रण के क्षेत्र में आंतरिक नियंत्रणों की कमजोरियाँ प्रकट हुईं। विभागीय निरीक्षण की प्रणाली कुशल नहीं थी एवं आंतरिक लेखापरीक्षा का अस्तित्व ही नहीं था।

चार संभागों में प्राप्त निक्षेपों से 2.58 करोड़ रुपये का अधिक व्यय हुआ।

(कंडिका 5.1.5)

सिविल जमा के अन्तर्गत 45.84 करोड़ रुपये की निधियाँ रखकर व्यय को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया।

(कंडिका 5.1.5)

सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु नियंत्रणों की विफलता के कारण ठेकेदारों को 56.45 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ हुआ।

(कंडिका 5.1.8)

विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना नहीं की गई है।

(कंडिका 5.1.10)

निर्माण रोकड़ पुस्तिका से यात्रा भत्ता हेतु अग्रिम दिए गए।

(कंडिका 5.1.5)

5.1 आंतरिक नियंत्रण तंत्र का मूल्यांकन

5.1.1 प्रस्तावना

आंतरिक नियंत्रण तंत्र, वित्तीय तथा परिचालन नियंत्रण एवं त्रुटि व कपट के प्रति सुरक्षा की सुनिश्चितता हेतु वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक औजार उपलब्ध कराता है। ये नियंत्रण संहिताओं व नियमावलियों के विविध प्रावधानों एवं शासन के कार्यकारी अनुदेशों में सन्निहित हैं। आंतरिक नियंत्रण बजट, व्यय, परिचालन गतिविधियों एवं गुणवत्ता नियंत्रण से संबंधित विविध नियमों, संहिताओं, नियमावलियों परिपत्रों एवं अनुदेशों की रूपरेखा से

मिलकर बनता है। मध्यप्रदेश निर्माण कार्य विभाग नियमावली, मध्यप्रदेश वित्त संहिता एवं मध्यप्रदेश कोषालय संहिता नवम्बर 2000 (राज्य के निर्माण का दिनांक) से छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा अंगीकृत की गई हैं।

नए छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के समय (नवम्बर 2000) से लोक निर्माण विभाग के आंतरिक नियंत्रण तंत्र का मूल्यांकन किया गया। लोक निर्माण विभाग का नेतृत्व प्रमुख अभियंता द्वारा किया जाता है एवं इसमें 169 इकाईयाँ⁵⁰ हैं।

5.1.2 लेखापरीक्षा समावेशन

जुलाई एवं अगस्त 2004 के दौरान लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता एवं मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सेतु तथा संचालक, कोष एवं लेखा, छत्तीसगढ़ के कार्यालयों में नवम्बर 2000 से मार्च 2004 तक की अवधि के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं आंतरिक लेखापरीक्षा व्यवस्था संबंधी अभिलेखों की क्रमशः नमूना जाँच की गई। आगामी कंडिकाओं में लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा की गई है।

5.1.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

विभाग में आंतरिक नियंत्रण तंत्र की समीक्षा का उद्देश्य निम्न की यथेष्टता का परीक्षण करना था :

- बजट एवं व्यय नियंत्रण
- भंडार एवं मालसूची प्रबंधन नियंत्रण
- परिचालन नियंत्रण
- गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली, परिवीक्षण एवं आंतरिक लेखापरीक्षा

वित्तीय नियंत्रण

5.1.4 बजटीय नियंत्रण

विभाग आरंभिक अनुमानों एवं प्रदान किए गए अनुदान अथवा विनियोग के विरुद्ध व्यय पर नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। लेखापरीक्षा में नमूना जाँच से बजट अनुमान तैयार करने में निम्न कमियाँ प्रकट हुईं :

अनवरत बचतें

मध्यप्रदेश वित्त संहिता के अनुसार सही बजट अनुमान तैयार करने के लिए विभाग पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। परन्तु पाँच अनुदानों की नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि नवम्बर 2000 से मार्च 2002 एवं 2003-04 में 53.82 करोड़ रुपये की विशाल बचतें थीं जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

⁵⁰ मुख्य अभियंता स्तर: 3, मंडल: 10, संभाग: 38, उपसंभाग: 118

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	(+) बचत/आधिक्य (-)
नवम्बर 2000 से मार्च 2001	84.11	68.58	15.53
अप्रैल 2001 से मार्च 2002	252.06	217.82	34.24
अप्रैल 2002 से मार्च 2003	411.93	468.78	(-) 56.85
अप्रैल 2003 से मार्च 2004	550.68	546.63	4.05
योग	1298.78	1301.81	53.82 बचत 56.85 आधिक्य

प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग ने कहा कि मुख्यतः प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण बचतें हुईं। उत्तर स्वयं ही यह इंगित करता था कि वास्तविक आवश्यकताओं के आंकलन के बिना ही बजट प्रावधान किए गए जबकि प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान नहीं किए गए थे।

सारभूत आधिक्य

2002-03 के दौरान 56.85 करोड़ रुपये का आधिक्य भी था। आगे, 2001-02 एवं 2003-04 के दौरान तीन अनुदानों में नौ उप शीर्षों के अंतर्गत 71.07 करोड़ रुपये का आधिक्य भी परिलक्षित हुआ, यद्यपि समग्र रूप से निवल बचतें थीं (परिशिष्ट 5.1)। अधिक व्यय के संबंध में प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग ने बताया कि राज्य के निर्माण के पूर्व सड़कें एवं भवन खराब दशा में थीं। इस प्रकार, निधियों के अभाव के कारण सड़कों की दशा में सुधार हेतु भारी दबाव था, अतः निधियों की प्राप्ति की प्रत्याशा में व्यय किया गया। तथापि, संबंधित मुख्य अभियंताओं/अधीक्षण अभियंताओं/कार्यपालन अभियंताओं को समय-समय पर वित्त विभाग के जारी अनुदेशों के अनुसार व्यय करने हेतु सूचित कर दिया गया था। इससे यह प्रकट होता है कि 2002-03 में विभाग बजट सीमाओं के अंदर व्यय को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक नियंत्रण लागू करने में असफल रहा। 2001-02 एवं 2003-04 में भी विभाग आवश्यक पुनर्विनियोग आदेश पारित करने में असफल रहा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सकता था कि कोई आधिक्य नहीं था क्योंकि इन वर्षों में समग्र रूप से निवल बचत थी।

5.1.5 व्यय नियंत्रण

व्यय की अधिकता

वित्तीय नियमों के अनुसार जहाँ तक व्यावहारिक हो शासकीय व्यय को पूरे वर्ष भर समान रूप से बाँटा जाना चाहिए। वर्ष की समाप्ति के दौरान व्यय की अधिकता के कारण यह व्यय निष्फल, निरर्थक एवं अनियोजित हो सकता है। यह देखा गया कि अनुदान संख्या, 42 एवं 68 के अंतर्गत 117.11 करोड़ रुपये एवं 12.25 करोड़ रुपये के कुल व्यय में से मार्च के दौरान व्यय क्रमशः 48.27 करोड़ रुपये (41 प्रतिशत) एवं 4.04 करोड़ रुपये (33 प्रतिशत) था। प्रमुख अभियंता ने उत्तर दिया (जुलाई 2004) कि यह वर्षा ऋतु के बाद निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन के कारण था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि वर्षा ऋतु का जुलाई-अगस्त के बाद अंत हो जाता है। यह नियंत्रण में शिथिलता का सूचक था, क्योंकि विभाग अपने व्यय को प्रभावी तरीके से समान रूप से बाँटने में असमर्थ रहा।

साख-पत्र से अधिक व्यय

निर्माण कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 4.143 के अनुसार अधीक्षण अभियंता समय-समय पर साख-पत्र जारी कर व्यय पर नियंत्रण रखेगा। इसमें कार्यपालन अभियंता द्वारा निर्धारित अवधि में उप शीर्षवार व्यय की जाने वाली राशि का वर्णन किया जाएगा। कार्यपालन अभियंता द्वारा मासिक व्यय पत्रक प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है जिससे साख-पत्र के विरुद्ध अधीक्षण अभियंता को व्यय के परिवीक्षण हेतु समर्थ बनाया जा सके। यद्यपि, कार्यपालन अभियंता द्वारा व्यय के प्रपत्र प्रस्तुत किए गए थे परन्तु अधीक्षण अभियंता आवश्यक नियंत्रण रखने में असफल रहे। नमूना जॉच से प्रकट हुआ कि साख-पत्र की तुलना में उपशीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय हुआ जिसका विवरण निम्नानुसार है :

लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क) संभाग क्रमांक I, रायपुर में 2002-03 के दौरान अनुदान संख्या 24 के अंतर्गत 1.87 करोड़ रुपये के साख-पत्र के विरुद्ध 5.15 करोड़ रुपये का व्यय किया गया। लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क) संभाग क्रमांक II रायपुर में 2003-04 के दौरान उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत 3.60 करोड़ रुपये के उपलब्ध साख-पत्र के विरुद्ध 11.26 करोड़ रुपये का व्यय किया गया। कार्यपालन अभियंता ने उत्तर में बताया (जुलाई 2004) कि नए राज्य के निर्माण के कारण राजधानी में शासकीय भवनों एवं सड़कों के अपरिहार्य सुधार के कारण आधिक्य था। अधिक व्यय की पूर्ति हेतु उच्चाधिकारियों से अतिरिक्त आवंटन का निवेदन किया गया था। तथापि, आहरित किए गए कुल चैक साख पत्र की राशि से अधिक नहीं थे।

साख-पत्र से अधिक व्यय विशेष रूप से सीमाओं के अंदर व्यय रखने की दृष्टि से, नियंत्रण की असफलता का सूचक है।

आवंटन से आधिक्य

नियमों के अनुसार नियंत्रण अधिकारी को सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्माण कार्यों पर आवंटन से अधिक व्यय नहीं होना चाहिए। यह देखा गया कि 12 संभागों⁵¹ में 2001-02, 2002-03 एवं 2003-04 के दौरान क्रमशः 3.42 करोड़ रुपये, 37.24 करोड़ रुपये एवं 28.44 करोड़ रुपये आवंटन से अधिक व्यय हुए। यह इसका सूचक था कि मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता निर्माण कार्यों के व्यय पर आवश्यक नियंत्रण रखने में असफल रहे।

निक्षेप कार्य पर अधिक व्यय

अनुदेशों के अनुसार निक्षेप कार्यों पर व्यय इन कार्यों हेतु प्राप्त निक्षेप से अधिक नहीं होना चाहिए। यह देखा गया कि चार संभागों⁵² में मार्च 2004 तक इन कार्यों के क्रियान्वयन हेतु प्राप्त निक्षेपों से 2.58 करोड़ रुपये का अधिक व्यय किया गया। यह प्रभावी नियंत्रण के अभाव का सूचक था।

⁵¹ लोक निर्माण विभाग संभाग-जगदलपुर, बेमेतरा, धमतरी राजनांदगांव, अंबिकापुर, कोंडागांव, संभाग क्रमांक I, II, III रायपुर विधानसभा संभाग रायपुर, विद्युत/यांत्रिकी संभाग, रायपुर, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, क्रमांक I रायपुर

⁵² लोक निर्माण विभाग संभाग- बिलासपुर, दंतेवाड़ा, अंबिकापुर एवं जगदलपुर

व्यय आंकड़ों का पुनर्मिलान न किया जाना

महालेखाकार के आंकड़ों से व्यय के आंकड़ों का प्रतिमाह पुनर्मिलान करना विभाग का उत्तरदायित्व था। अपूर्ण पुनर्मिलान के कारण 2001-02 से 2003-04 तक की अवधि (दिसंबर 2004) के दौरान महालेखाकार, छत्तीसगढ़ के आंकड़ों एवं विभागीय आंकड़ों के मध्य चार अनुदानों के अंतर्गत 222.77 करोड़ रुपये के अंतर थे जैसा कि परिशिष्ट 5.2 में दर्शाया गया है। इस प्रकार, लेखाओं में परिशुद्धता को सुनिश्चित करने वाले महत्वपूर्ण नियंत्रण की उपेक्षा की गई।

समेकित निधि से लोक लेखे में निधियों का अंतरण

वित्तीय नियमों में प्रावधान है कि जब तक तुरंत संवितरण की आवश्यकता न हो कोषालय से किसी भी राशि का आहरण नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, विभाग ने 45.84 करोड़ रुपये (मार्च 2002 एवं मार्च 2003) का आहरण किया एवं लोक लेखा के अंतर्गत 'सिविल जमा' में रखा जैसा कि परिशिष्ट 5.3 में दिया गया है। परिणामतः समेकित निधि से अतिरिक्त व्यय आँकड़े लेखे में दर्शाए गए।

इसे इंगित करने पर प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग ने कहा कि आवंटन पूरक बजट के माध्यम से वित्तीय वर्ष के अंत में प्राप्त हुआ था एवं इसे व्यपगत होने से बचाने हेतु 'सिविल जमा' के अन्तर्गत रखा गया था।

अस्थाई अग्रिमों का समायोजन न करना

नियमानुसार लोक निर्माण विभाग संभागों में निर्माण कार्य व्यय के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों हेतु अग्रिमों का आहरण कोषालय के माध्यम से किया जाना चाहिए। इसके उल्लंघन में सादी रसीद पर ही निर्माण कार्य रोकड़ पुस्तिका से यात्रा भत्ता अग्रिम प्रदान किए गए। यहाँ तक कि नियंत्रण/प्रशासनिक कार्यालयों के अधिकारियों ने भी मुख्यालय स्थित एक संभाग यथा लोक निर्माण विभाग, संभाग क्रमांक I, रायपुर की निर्माण कार्य रोकड़ पुस्तिका से जून 2004 तक 3.99 लाख रुपये के अग्रिम प्राप्त किए। सचिव, लोक निर्माण विभाग के विरुद्ध भी जून 2004 तक 1.21 लाख रुपये की एक राशि लंबित थी। विभाग ने उत्तर दिया (जुलाई 2004) कि राशि की वसूली हेतु अनुदेश जारी किए जा रहे थे। इस प्रकार, निर्माण कार्य एवं स्थापना लेन-देनों को अलग-अलग रखने का महत्वपूर्ण नियंत्रण असफल रहा एवं कोषालय के नियंत्रण एवं अनुवर्ती जांच से भी बचा गया।

5.1.6 भंडार प्रबंधन एवं भंडार सूची नियंत्रण

आरक्षित भंडार की सीमा का निर्धारण न करना

राज्य लोक निर्माण विभाग नियमावली के प्रावधानों के अनुसार मुख्य अभियंता द्वारा नियंत्रण हेतु प्रत्येक संभाग के लिए आरक्षित भंडार की सीमा का निर्धारण किया जाना चाहिए ताकि अनावश्यक अधिक भंडारण न होने पाए। तथापि, लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि नमूना जांच किए गए 28 संभागों⁵³ में मुख्य अभियंता द्वारा आरक्षित भंडार की सीमा निर्धारित नहीं

⁵³ लोक निर्माण विभाग संभाग धमतरी, महासमुंद, अम्बिकापुर, बीजापुर, खैरागढ़ संभाग- I, II एवं III रायपुर, बेमेतरा, राजनांदगांव, कोंडागांव, मनेन्द्रगढ़, चांपा, जगदलपुर, कांकेर, जशपुर नगर, दंतेवाड़ा, विद्युत एवं यांत्रिकी संभाग रायपुर, जगदलपुर, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग-अंबिकापुर, रायपुर, जगदलपुर, बिलासपुर, सेतु संभाग-रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, अम्बिकापुर एवं विधान सभा संभाग, रायपुर

की गई थी (मार्च 2004)।

अधिप्राप्ति पर नियंत्रण का अभाव

नियमों के अनुसार आवश्यकताओं का आँकलन करने एवं अधीक्षण अभियंता व मुख्य अभियंता की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही भंडार का क्रय किया जाना चाहिए। यह देखा गया कि चार संभागों⁵⁴ में 85.03 लाख रुपये का अतिरिक्त भंडार स्कंध में उपयोग के बिना पड़ा था (मार्च 2004)। यह अधीक्षण अभियंता/मुख्य अभियंता की स्वीकृतियों के बिना एवं आवश्यकताओं से अधिक क्रय के कारण था। इसके परिणामस्वरूप अधिक क्रय के कारण शासकीय धन भी अवरूद्ध हुआ।

भौतिक सत्यापन

निर्माण कार्य विभाग नियमावली के अनुसार वर्ष में एक बार भंडार का भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए। यह देखा गया कि दो संभागों (सेतु संभाग, बिलासपुर एवं लोक निर्माण विभाग, संभाग अबिकापुर) में मार्च 2004 तक भंडार का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया जब कि आठ संभागों⁵⁵ में यह एक से आठ वर्षों से लंबित था।

स्थल सामग्री लेखे का अनुचित संधारण

निर्माण कार्य विभाग नियमावली में निर्धारित है कि निर्माण कार्य में उपयोग हेतु अधिप्राप्त या जारी सामग्री का स्थल सामग्री लेखे में लेखांकन किया जाना था एवं वर्ष में एक बार भौतिक सत्यापन किया जाना था। तीन संभागों (लोक निर्माण विभाग संभाग, मनेन्द्रगढ़, जगदलपुर एवं विद्युत/यांत्रिकी संभाग, रायपुर) में यह देखा गया कि 1.96 करोड़ रुपये की सामग्री का मार्च 2004 तक स्थल सामग्री लेखे में लेखांकन नहीं किया गया। और यह भी, कि स्थल सामग्री लेखे का वार्षिक भौतिक सत्यापन करने की विफलता ने 14 संभागों⁵⁶ में स्थल सामग्री लेखे संधारित न करने को बढ़ावा दिया।

सड़क सामग्री विवरणी

संहितीय प्रावधानों के अनुसार सभी सड़क सामग्रियों की प्राप्ति एवं निर्गम दर्शाने वाली एक पंजी सभी उप संभागों में संधारित की जाना थी। सात संभागों⁵⁷ से संबंधित अधीनस्थ उप संभागों ने सड़क सामग्री विवरणी लेखा संधारित ही नहीं किया जबकि नौ संभागों⁵⁸ में यह 2003 से संधारित नहीं किया गया।

⁵⁴ लोक निर्माण विभाग, संभाग बिलासपुर, अबिकापुर, जशपुरनगर एवं मनेन्द्रगढ़

⁵⁵ लोक निर्माण विभाग संभाग I, II रायपुर, बिलासपुर, खैरागढ़, मनेन्द्रगढ़, राजनांदगांव, विधान सभा, रायपुर एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग जगदलपुर

⁵⁶ लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 1, रायपुर, बिलासपुर, बीजापुर, बेमेतरा, मनेन्द्रगढ़, चांपा, अम्बिकापुर, जगदलपुर, जशपुरनगर, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग अम्बिकापुर, सेतु संभाग- रायपुर, बिलासपुर एवं अम्बिकापुर, विद्युत/यांत्रिक संभाग जगदलपुर

⁵⁷ लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक- 1 रायपुर, धमतरी, बेमेतरा, बिलासपुर, जगदलपुर, सेतु संभाग- जगदलपुर एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग- अम्बिकापुर

⁵⁸ लोक निर्माण विभाग, संभाग क्रमांक 1 रायपुर, राजनांदगांव, कौंडागांव, जगदलपुर, अम्बिकापुर, कांकेर, विधानसभा रायपुर एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग बिलासपुर एवं जगदलपुर

5.1.7 परिचालन नियंत्रण

अनुमोदित प्राक्कलनों से विचलन

6 संभागों⁵⁹ में मूल प्राक्कलनों में किए गए प्रावधानों के विपरीत उच्च विशिष्टियों से कार्य निष्पादित किए गए, जिसके फलस्वरूप 5.43 करोड़ रुपये की परिहार्य लागत आई।

बैंक गारंटी का नवीनीकरण न करना

निर्माण कार्य के अनुबंधों के अनुसार निर्माण कार्य आरंभ करने के पूर्व ठेकेदार को निष्पादन सुरक्षा हेतु बैंक गारंटियाँ प्रस्तुत करनी पड़ती हैं। यह देखा गया कि दो संभागों (लोक निर्माण विभाग संभाग, क्रमांक II, रायपुर एवं कोंडागांव) में चार ठेकेदारों द्वारा 88.62 लाख रुपये की बैंक गारंटियाँ प्रस्तुत नहीं की गईं।

नियमों के अनुसार वैधता समाप्त होने पर बैंक गारंटियों का नवीनीकरण किया जाना चाहिए। लोक निर्माण संभाग अंबिकापुर में 27.71 लाख रुपये की चार बैंक गारंटियों की वैधता समाप्त होने के पश्चात इनका नवीनीकरण नहीं कराया गया। यह अनियमितता परिचालनों पर उचित नियंत्रण के अभाव का सूचक थी।

प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति से आधिक्य

निर्माण कार्य विभाग नियमावली के अनुसार निर्माण कार्य पर व्यय प्रशासनिक अनुमोदन अथवा तकनीकी स्वीकृति की राशि से अधिक नहीं होना चाहिए। यह देखा गया कि तीन संभागों (लोक निर्माण विभाग संभाग- धमतरी, सेतु संभाग- रायपुर एवं अंबिकापुर) में 34 निर्माण कार्यों पर व्यय प्रशासनिक अनुमोदन से 11.70 करोड़ रुपये अधिक था जबकि नौ निर्माण कार्यों पर व्यय तकनीकी स्वीकृति से 1.25 करोड़ रुपये अधिक था।

विविध लोक निर्माण अग्रिम

नियमों के अनुसार विविध लोक निर्माण अग्रिम में लेखांकित मर्दे उचित समय सीमा में निराकृत अथवा समायोजित की जानी चाहिए। यह देखा गया कि--मार्च 2004 के अंत तक 25 संभागों⁶⁰ में 29.73 करोड़ रुपये के योग की 3,518 मर्दे पिछले दस वर्षों से लंबित थीं। इन मर्दों का निराकरण न करने के कारण इस सीमा तक हानियों की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। यह शीर्ष स्तर पर परिवीक्षण के अभाव का सूचक था।

महालेखाकार के समायोजन ज्ञापन लंबित रहना

महानिदेशक आपूर्ति और निपटान के माध्यम से किए गए क्रयों का समायोजन महालेखाकार

⁵⁹ खैरागढ़, धमतरी, रायपुर क्रमांक I एवं II अंबिकापुर, एवं कांकेर

⁶⁰ लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक I, II, एवं III रायपुर, बिलासपुर, धमतरी, महासमुंद, बीजापुर, खैरागढ़ राजनांदगांव, कोंडागांव मनेन्द्रगढ़, चांपा, जगदलपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर, कांकेर, जशपुर नगर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग-अंबिकापुर, बिलासपुर, विधानसभा संभाग-रायपुर, विद्युत एवं यांत्रिकी संभाग-रायपुर, जगदलपुर, एवं सेतु संभाग, रायपुर,

के माध्यम से किया जाता है। यह देखा गया कि 16 संभागों⁶¹ में 12.87 करोड़ रुपये की राशि वाले महालेखाकार के समायोजन ज्ञापन पिछले 10 वर्षों से समायोजन हेतु लंबित थे। समायोजन न होना उचित स्तरों पर परिवीक्षण की कमी का सूचक था।

5.1.8 सड़क निर्माण कार्यों में उपयोग की गई सामग्री का गुणवत्ता नियंत्रण

विभाग द्वारा सड़कों के डामर से नवीनीकरण में 165 ठेकेदारों द्वारा 1,051 अनुबंधों में 60/70 ग्रेड डामर (बिटूमेन) के स्थान पर निकृष्ट गुणवत्ता वाले डामर (80/100 ग्रेड) का उपयोग किया गया। इसके फलस्वरूप ठेकेदारों को 56.45 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ हुआ। विशिष्टियों के अनुसार सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित नियंत्रणों में शिथिलता के कारण निकृष्ट गुणवत्ता वाले डामर का उपयोग हुआ। शासन ने कहा कि प्रकरण में विस्तार से जांच की गई एवं दोषी ठेकेदारों से वसूली के आदेश दिए गए। लेखापरीक्षा में वसूली के विवरण प्रतीक्षित हैं (फरवरी 2005)।

निर्माण कार्य विभाग नियमावली में, विविध चरणों जैसे कि क्रय, कार्य निष्पादन एवं पूर्णता, निष्पादन के दौरान पर्यवेक्षण एवं भुगतान जारी करने के पूर्व जांच परिणामों का विश्लेषण आदि, के दौरान सामग्रियों की जांच के प्रावधान के माध्यम से निकृष्ट गुणवत्ता वाली सामग्री के उपयोग से बचने हेतु नियंत्रणों का प्रावधान है।

लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार प्रत्येक अनुबंध में यह धारा होनी चाहिए कि कार्य का निष्पादन आरंभ करने के पूर्व ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्यों में उपयोग हेतु क्रय की गई सामग्रियों की जांच प्रतिवेदन विभागीय प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

तथापि, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क) संभाग, बीजापुर एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, अम्बिकापुर में ठेकेदारों द्वारा डामर खरीदा गया एवं संभागों को कोई जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किए बिना ही नौ अनुबंधों में मार्च 2004 तक निर्माण कार्यों में उपयोग किया गया। इसके अतिरिक्त ठेकेदार द्वारा क्रय के समर्थन में बिल भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

लेखापरीक्षा (दिसंबर 2003) में इसे इंगित करने पर कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क) संभाग, बीजापुर ने कहा कि ठेकेदार से जांच प्रतिवेदन एवं क्रय बिल संग्रहित किए जा रहे थे। कार्यपालन अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, अम्बिकापुर ने कहा कि निर्माण कार्य निष्पादन के पूर्व डामर क्रय हेतु बिल एवं जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु अनुबंध में कोई स्पष्ट अनुदेश नहीं था।

इन प्रकरणों से स्पष्ट होता है कि विभागीय प्राधिकारियों ने सड़क कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु नियमों में प्रावधानित आवश्यक नियंत्रण का पालन नहीं किया गया है।

5.1.9 विभागीय निरीक्षण

अधीनस्थ कार्यालयों का विभागीय निरीक्षण यह सुनिश्चित करता है कि वे नियमों, विनियमों एवं उच्चाधिकारियों द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुरूप ही कार्यरत हैं। लोक निर्माण विभाग नियमावली में प्रावधान है कि विभागीय निरीक्षण किया जाए एवं प्रमुख अभियंता त्रैमासिक अवधि के दौरान नियत निरीक्षण एवं वास्तव में किए गए निरीक्षणों का

⁶¹ लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक I,II, रायपुर, बिलासपुर,, खैरागढ़, राजनांदगांव, कौडागांव, मनेन्द्रगढ़, चांपा, जगदलपुर, अम्बिकापुर, कांकेर, जशपुर नगर, दंतेवाड़ा, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग क्रमांक -I रायपुर, एवं जगदलपुर, व सेतु संभाग, अम्बिकापुर

एक प्रतिवेदन मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंताओं से प्रत्येक त्रैमासिक अवधि के अंतिम सप्ताह में प्राप्त करेंगे। इन प्रतिवेदनों के समेकन के पश्चात प्रमुख अभियंता द्वारा इसे शासन को प्रेषित किया जाएगा। यह देखा गया कि विभाग द्वारा संहितीय प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा था। प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग की ओर से वरिष्ठ लेखा अधिकारी ने उत्तर दिया (जुलाई 2004) कि वे नियमावली के प्रावधानों से अवगत नहीं थे।

प्रमुख अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सेतु क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, रायपुर के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह देखा गया कि संभागों के निरीक्षण प्रतिवेदन आठ से 12 माह के विलंब से जारी किए गए थे एवं निरीक्षण किए गए किसी भी संभाग ने मुख्य अभियंता को इनका अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया था। इस प्रकार, निरीक्षण ने अपना वांछित प्रयोजन पूर्ण नहीं किया एवं मुख्य अभियंता किसी भी नियंत्रण को करने में असफल रहे।

आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली का मूल्यांकन

5.1.10 आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली

विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की स्थापना नहीं की गई है। यद्यपि संचालनालय कोष एवं लेखा की आंतरिक लेखापरीक्षा नियमावली (1989) में इस विभाग के संबंध में निर्धारित विशिष्ट कर्तव्यों हेतु प्रावधान था, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की अवधि से ही आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई।

5.1.11 निष्कर्ष

आंतरिक नियंत्रणों में कमियां थीं जिसके फलस्वरूप बजटीय बचतें, अधिक व्यय, आंकड़ों का पुनर्मिलान न करना, लोक लेखे में अंतरण, अनियमित आहरण, भंडार की दोषपूर्ण अधिप्राप्ति एवं लेखांकन, अकुशल परिवीक्षण एवं निरीक्षण व अपर्याप्त गुणवत्ता नियंत्रण हुआ। आंतरिक लेखापरीक्षा का भी अस्तित्व नहीं था।

5.1.12 अनुशंसाएं

- प्रभावी गुणवत्ता जांच व्यवस्था की जानी चाहिए एवं इसका कड़ाई से अनुपालन किया जाए।
- विभागीय निरीक्षण सुदृढ़ किया जाना चाहिए एवं उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा अनुपालन प्रतिवेदनों का परिवीक्षण किया जाना चाहिए।
- आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु विस्तृत प्रक्रिया एवं अवधि की व्यवस्था करते हुए इसके लिए विभाग द्वारा नियमावली/संहिता में प्रावधान किया जाना चाहिए।
- साख-पत्र की सीमाओं में व्यय को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- निर्माण कार्य रोकड़ पुस्तिका से अग्रिमों की वसूली की जाना चाहिए एवं ऐसी पुनरावृत्ति को टालने हेतु उचित परिवीक्षण व्यवस्था की जाना चाहिए।
- सामग्री के वार्षिक भौतिक सत्यापन एवं लेखाओं के संधारण पर उचित परिवीक्षण किया जाना चाहिए।

छठवां अध्याय

सरकारी वाणिज्यिक एवं व्यापारिक गतिविधियाँ

6.1 सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन

6.1.1 प्रस्तावना

31 मार्च 2003 के समान ही 31 मार्च 2004 को छः सरकारी कम्पनियाँ तथा दो सांविधिक निगम (सभी कार्यरत) राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन थे। सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा, (कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 617 में यथा परिभाषित), कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के प्रावधानों के अनुसार इन लेखाओं की पूरक लेखापरीक्षा भी भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा व्यवस्था नीचे दर्शाए अनुसार है:

क्र.सं.	निगम का नाम	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के लिये प्राधिकार	लेखापरीक्षा व्यवस्था
1.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल	विद्युत प्रदाय (वार्षिक लेखा) नियम, 1985 के नियम 14 सहपठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 185(2) (डी) के अन्तर्गत	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा एकमात्र लेखापरीक्षा
12.	छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम	राज्य भण्डारगृह अधिनियम 1962 की धारा 31(8)	चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा पूरक लेखापरीक्षा

6.1.2 सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यरत उपक्रम

सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यरत उपक्रमों में निवेश

क्रमशः मार्च 2003 एवं मार्च 2004 की समाप्ति पर सार्वजनिक क्षेत्र के आठ कार्यरत उपक्रमों (छः सरकारी कम्पनियाँ और दो सांविधिक निगम) में कुल निवेश निम्नानुसार था:

(करोड़ रुपये में)


वर्ष	कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश			
		अंश पूंजी	अंश परायणता धन	ऋण	योग
2002-03	8 ⁶²	10.94	0.50	34.57	46.01
2003-04	8 ⁶³	73.92 ⁶⁴	2.00 ⁶⁴	37.46 ⁶⁴	113.38 ⁶⁴

कार्यरत सरकारी कंपनियों व सांविधिक निगमों में 31 मार्च 2003 के 24.86 प्रतिशत अंश पूंजी तथा 75.14 प्रतिशत के ऋण रूपी कुल निवेश की तुलना में 31 मार्च 2004 को कुल निवेश क्रमशः 66.96 प्रतिशत एवं 33.04 प्रतिशत था।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश का विश्लेषण निम्न कड़िकाओं में दिया गया है-

कार्यरत सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों में क्षेत्रवार निवेश

मार्च 2003 एवं मार्च 2004 के अंत में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश (अंश पूंजी एवं दीर्घ कालिक ऋण) और इनका प्रतिशत निम्न पाई चार्टों में दर्शाया गया है :




⁶² छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल से सम्बन्धित निवेश की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

⁶³ छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल में ऋण से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध नहीं है।

⁶⁴ वित्त लेखों के आकड़े क्रमशः अंश पूंजी 2.54 करोड़ रुपये, ऋण 1.69 करोड़ रुपये हैं, अन्तर मिलान के अधीन है।

31 मार्च 2003 को कुल निवेश का वितरण
 31 मार्च 2004 को कुल निवेश का वितरण



6.1.3 कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ

मार्च 2003 एवं मार्च 2004 के अंत में छः कार्यरत सरकारी कम्पनियों में कुल निवेश निम्नानुसार था:-

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	कम्पनियों की संख्या	कार्यरत सरकारी कम्पनियों में निवेश			
		अंश पूंजी	अंश परायणता धन	ऋण	योग
2002-03	6	10.94	-	33.75	44.69
2003-04	6	11.39	2.00	33.75	47.14

इन सरकारी कम्पनियों में शासकीय निवेश की संक्षिप्त स्थिति का अंश पूंजी और ऋण के रूप में परिशिष्ट - 6.1 में विवरण दिया गया है।

कार्यरत सरकारी कम्पनियों में 31 मार्च 2003 को 24 प्रतिशत अंश पूंजी स्वरूप एवं 76 प्रतिशत ऋण स्वरूप के कुल निवेश की तुलना में 31 मार्च 2004 को कुल निवेश क्रमशः 28.40 प्रतिशत एवं 71.60 प्रतिशत था।

6.1.4 कार्यरत सांविधिक निगम

मार्च 2003 एवं मार्च 2004 के अंत में दो कार्यरत सांविधिक निगमों में निवेश निम्नानुसार था:

(करोड़ रुपये में)

निगम का नाम	2002-03		2003-04	
	पूँजी	ऋण	पूँजी	ऋण
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल	*	* ⁶⁵	61.53	* ⁶⁵
छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम	0.50	0.82	1.00	3.71
योग	0.50	0.82	62.53	3.71

* उपलब्ध नहीं

कार्यरत सांविधिक निगमों में अंश पूँजी और ऋण के रूप में निवेश की संक्षिप्त स्थिति का विवरण परिशिष्ट- 6.1 में दिया गया है।

6.1.5 बजटीय व्यय, अनुदान/सहायता, गारन्टियाँ, देयताओं की माफी और ऋणों का अंश पूँजी में परिवर्तन

सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों के सम्बन्ध में बजटीय व्यय, अनुदान/सहायता, जारी गारन्टियाँ, देयताओं की माफी तथा राज्य सरकार द्वारा ऋणों का अंश पूँजी में परिवर्तन सम्बन्धी विवरण परिशिष्ट- 6.1 तथा 6.3 में दिए गए हैं।

2003-04 तक तीन वर्षों के लिये बजटीय व्यय (अंश पूँजी तथा ऋणों के रूप में) और राज्य सरकार द्वारा सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों को अनुदान/सहायता का विवरण नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपये में)

	2001-02				2002-03				2003-04			
	कम्पनियाँ		निगम		कम्पनियाँ		निगम		कम्पनियाँ		निगम	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
बजट से अंश पूँजी व्यय	3	2.45	--	--	--	--	--	--	2	2.45	--	--
बजट से दिए गए ऋण	1	1.00	--	--	1	27.00	--	--	-	-	1	0.85
अन्य अनुदान/सहायता	2	6.59	--	--	2	258.19	1	62.87	2	153.66	2	78.11
कुल निर्गम	4⁶⁶	10.04	--	--	3⁶⁶	285.19	1⁶⁶	62.87	4⁶⁶	156.11	2⁶⁶	78.96

वर्ष 2003-04 के दौरान एक कार्यरत सांविधिक निगम द्वारा कुल 429.30 करोड़ रुपये के प्राप्त किए गए ऋण की गारंटी सरकार द्वारा दी गई। वर्ष के अन्त में, यह लंबित थी।

⁶⁵ एक कार्यरत सांविधिक निगम अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल में ऋण के रूप में मार्च 2003 एवं मार्च 2004 के अन्त में कुल निवेश मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के मध्य सम्पत्तियों एवं दायित्वों का बंटवारा न होने के कारण उपलब्ध नहीं था।

⁶⁶ ये उन कम्पनियों/निगमों की वास्तविक संख्या है जिन्हें, वर्ष के दौरान, अंश पूँजी, ऋण, अनुदान और सहायता के रूप में राज्य सरकार से बजटीय समर्थन प्राप्त हुआ है।

6.1.6 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों को अंतिम रूप दिया जाना

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 166, 210, 230 और 619, सहपठित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 के अन्तर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये सरकारी कम्पनियों के लेखे सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के अंदर अंतिम रूप से बनाए जाने आवश्यक हैं। इन्हें वित्त वर्ष की समाप्ति से नौ माह के अंदर, विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत भी किया जाना है। इसी प्रकार, सांविधिक निगमों के प्रकरण में इनसे संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इनके लेखों को अंतिम रूप दिया जाता है, इनका लेखापरीक्षण किया जाता है तथा इन्हें विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है।

जैसा कि **परिशिष्ट-6.2** में देखा जा सकता है, छः कार्यरत सरकारी कम्पनियों तथा दो सांविधिक निगमों में से किसी भी सरकारी कम्पनी एवं सांविधिक निगम द्वारा वर्ष 2003-04 के अपने लेखों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। चार कार्यरत सरकारी कम्पनियों द्वारा अक्टूबर 2003 से सितम्बर 2004 तक की अवधि में पिछले वर्षों के छः लेखों को अंतिम रूप दिया गया। छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम मर्यादित तथा दोनों सांविधिक निगमों द्वारा प्रारंभ से ही अपने लेखों को अंतिम रूप नहीं दिया गया।

सभी कार्यरत सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के लेखे सितम्बर 2004 को एक वर्ष से तीन वर्षों की अवधि हेतु अधूरे थे, जैसा कि निम्नानुसार वर्णित हैं-

क्र.सं.	कार्यरत कम्पनी/निगमों की संख्या		अवधि जिस हेतु लेखों को अंतिम रूप दिया जाना है	अंतिम रूप दिए जाने वाले लेखों की संख्या	परिशिष्ट 6.2 के सरल क्रमांक का संदर्भ	
	सरकारी कम्पनी	सांविधिक निगम			सरकारी कम्पनी	सांविधिक निगम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	2	1	2001-02 से 2003-04	3	का- 4,6	खा-1
2	2	1	2002-03 से 2003-4	2	का- 2,3	खा- 2
3	2	-	2003-04	1	का- 1,5	
	6	2				

6.1.7 कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की वित्तीय स्थिति एवं कार्यरत परिणाम

कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सरकारी/कम्पनी एवं सांविधिक निगम) द्वारा अंतिम रूप से तैयार किए गए लेखों के अनुसार संक्षिप्त वित्तीय परिणाम **परिशिष्ट- 6.2** में दिए गए हैं।

अंतिम रूप से तैयार किये गए नवीनतम लेखों के अनुसार एक कार्यरत सरकारी कम्पनी को 16.18 लाख रुपये का घाटा हुआ तथा चार सरकारी कम्पनियों द्वारा 3.97 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया गया। तथापि, एक सरकारी कम्पनी द्वारा वर्ष 2003-04 के लिए 1.02 करोड़ रुपये का लाभांश घोषित किया गया है।

6.1.8 निरीक्षण प्रतिवेदनों, प्रारूप कंडिकाओं और समीक्षाओं पर प्रतिक्रिया

लेखापरीक्षा के दौरान दृष्टिगत हुई लेखापरीक्षा आपत्तियाँ, जिनका स्थल पर निराकरण नहीं हो पाता, को निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रमुखों तथा शासन से सम्बन्धित विभागों को सूचित किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम प्रमुखों द्वारा संबंधित विभाग प्रमुखों के माध्यम से निरीक्षण प्रतिवेदनों का उत्तर, छः सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करना अपेक्षित है। सितम्बर 2004 तक आठ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सम्बन्धी जारी, निरीक्षण प्रतिवेदनों में नवम्बर 2004 के अंत तक 535 निरीक्षण प्रतिवेदनों की 1399 कंडिकाएं लम्बित थीं। इनमें से 1233 कंडिकाओं वाले 487 निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तर, एक वर्ष से अधिक समय से नहीं दिए गए थे। 30 सितम्बर 2004 को लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा आपत्तियों का विभाग-वार विवरण **परिशिष्ट- 6.4** में दिया गया है।

इसी प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्य प्रणाली पर प्रारूप कंडिकाएं, तथ्यों तथा आँकड़ों की पुष्टि और उन पर टिप्पणियाँ, छः सप्ताह में भेजने हेतु सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को अर्द्धशासकीय पत्र द्वारा अग्रेषित की जाती है। तथापि, अगस्त और अक्टूबर 2004 के मध्य खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को अग्रेषित आठ प्रारूप कंडिकाओं में से मात्र तीन कंडिकाओं का ही उत्तर प्राप्त हो पाया है (नवम्बर 2004)।

यह अनुशंसा की जाती है कि शासन यह सुनिश्चित करे कि (क) निरीक्षण प्रतिवेदन/प्रारूप कंडिकाओं का निर्धारित समय-सीमा में उत्तर भेजने में असफल कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही के लिये प्रक्रिया विद्यमान है, (ख) हानि/लंबित अग्रिमों/अधिक भुगतान की वसूली हेतु समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही की गई है और (ग) लेखापरीक्षा आपत्तियों पर प्रतिक्रिया की व्यवस्था में सुधार किया गया है।

6.1.9 सार्वजनिक उपक्रमों की समिति द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) की चर्चा की स्थिति

30 सितम्बर 2004 को सार्वजनिक उपक्रमों की समिति में चर्चा के लिए लंबित कंडिकाओं और लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की चर्चा की स्थिति नीचे दर्शाई गई है :

निरीक्षण प्रतिवेदन का वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदन में दर्शित समीक्षाओं और कंडिकाओं की संख्या	चर्चा के लिये लम्बित कंडिकाओं की संख्या
1999-2000	5 ⁶⁷	2
2000-01	7 ⁶⁸	7
2001-02	2	2
2002-03	7	7

⁶⁷ मध्यप्रदेश सरकार के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) की दो समीक्षाओं से संबंधित।

⁶⁸ मध्यप्रदेश सरकार के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) की एक समीक्षा से संबंधित।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

6.2 छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम मर्यादित की कार्यप्रणाली में कमियाँ

6.2.1 प्रस्तावना

तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य के अलग होने के परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम मर्यादित (निगम) अस्तित्व में आया (मार्च 2001)। निगम का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं⁶⁹ के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को बेचने के लिए खाद्यान्न यथा चावल, गेहूँ, तथा लेवी की शक्कर की अधिप्राप्ति, परिवहन, भण्डारण एवं वितरण करना है और 1 अप्रैल 2001 से तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम मर्यादित द्वारा नवगठित राज्य के 16 जिलों में चलाई जा रही उपरोक्त गतिविधियों को अपने हाथ में लेना था।

अप्रैल 2001 से मार्च 2004 तक की अवधि के निगम के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच में लेवी की शक्कर की अधिक अधिप्राप्ति, दावों को प्रस्तुत करने में असाधारण देरी, अधिक झाड़न और शक्कर में नमी के कारण हानि, क्षतिग्रस्त एवं प्रयोग में न लाने योग्य जूट के बोरों के भण्डारण पर निष्फल व्यय, बैंक कमीशन का परिहार्य भुगतान, निधियाँ मुख्यालय अंतरित करने में विलंब के कारण परिहार्य ब्याज भुगतान प्रकट हुए जैसी कि उत्तरवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

6.2.2 अधिप्राप्ति, विक्रय, वितरण एवं भण्डारण

राज्य में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले उपभोक्ताओं को बेचने के लिए, भारत सरकार से आवंटन प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक माह लेवी की शक्कर का आवंटन निगम को किया गया था। निगम द्वारा लेवी की शक्कर, शक्कर कारखानों से क्रय कर रेलवे के रकों में प्राप्त की जाती है, परिवहन कर गोदामों में भण्डारित की जाती है तथा भारत सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित एकरूप दरों पर उचित मूल्य की दूकानों के माध्यम से बेचने हेतु वितरित की जाती है।

6.2.3 लेवी शक्कर की परिहार्य अधिक अधिप्राप्ति

वर्ष 2002-03 में भारत सरकार द्वारा 4,512 मैट्रिक टन शक्कर प्रतिमाह आवंटित की गई। जुलाई 2002 से नवम्बर 2002 तक शक्कर के क्रय एवं विक्रय का विवरण तथा 30 नवम्बर 2002 को भण्डार की स्थिति निम्नानुसार दर्शाई गई है :

लेवी की शक्कर की अधिक अधिप्राप्ति के फलस्वरूप निधियाँ अवरूद्ध हुईं और परिणामतः 64.29 लाख रुपये के परिहार्य भण्डार प्रभार तथा ब्याज की हानि हुईं।

⁶⁹ गरीबी रेखा से ऊपर, गरीबी रेखा के नीचे, अन्त्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, मध्यान्न भोजन

(मैट्रिक टन)

माह	प्रारंभिक शेष	क्रय	योग	विक्रय	अंतिम शेष
जुलाई 2002	1,442	8,970	10,412	2,743	7,669
अगस्त 2002	7,669	4,510	12,179	2,394	9,785
सितम्बर 2002	9,785	5,519	15,304	2,919	12,385
अक्टूबर 2002	12,385	4,600	16,985	3,635	13,350
नवम्बर 2002	13,350	3,600	16,950	2,362	14,588

यह देखा गया कि यद्यपि, जुलाई 2002 के अंत में भण्डार एक महीने के आवंटन/आवश्यकता से 3,157 मैट्रिक टन अधिक था, फिर भी निगम द्वारा अगस्त 2002 और नवम्बर 2002 के मध्य इन माहों में गरीबी रेखा से नीचे के उपभोक्ताओं को वास्तव में बेची गई लेवी की शक्कर की मात्रा से कहीं अधिक मात्रा की अधिप्राप्ति की गई, जिसके परिणामस्वरूप 14,588 मैट्रिक टन के भंडार का जमाव हुआ (नवम्बर 2002)। निगम द्वारा दिसम्बर 2002 से (अक्टूबर 2003 तक) अधिप्राप्ति बंद कर दी गई। निगम 14,588 मैट्रिक टन में से 11,475 मैट्रिक टन के शेष को छोड़ कर (मार्च 2003) 3113 मैट्रिक टन शक्कर ही बेच सका।

निगम द्वारा शक्कर की बिक्री में गिरावट को उचित मूल्य की दुकानों पर बेची गई शक्कर के मूल्य की तुलना में खुले बाजार में प्रचलित समान अथवा कम मूल्य को गुणारोपित किया गया तथा भारत सरकार से निवेदन किया गया (जून 2003) कि उसे अपने भण्डार को खुले बाजार में प्रचलित बाजार मूल्य पर बेचने की अनुमति दी जाए। भारत सरकार द्वारा निगम को परामर्श दिया गया (नवंबर 2003) कि वह केवल उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से बेचने की संभावना का पता लगाए। निगम अप्रैल 2003 से जुलाई 2004 की अवधि में 1,546 मैट्रिक टन के शेष को छोड़कर मात्र 9,929 मैट्रिक टन शक्कर ही बेच सका।

लेखापरीक्षा में आगे देखा गया कि सितम्बर 2001, अक्टूबर 2001 एवं मई 2002 में जब पर्याप्त भण्डार उपलब्ध था, निगम द्वारा शक्कर की अधिप्राप्ति नहीं की गई एवं आवंटन को कालातीत हो जाने दिया गया। ऐसी ही कार्यवाही अगस्त 2002 से नवम्बर 2002 के मध्य आवश्यक मात्रा की अधिप्राप्ति के नियमन हेतु नहीं की गई।

इस प्रकार विक्रय में गिरावट के बावजूद परिहार्य अधिक अधिप्राप्ति के परिणामस्वरूप निधियां अवरूद्ध हुईं जिसके कारण 49.29 लाख रुपये ब्याज की हानि हुई (सितम्बर 2003 तक), इसके अतिरिक्त 15 लाख रुपये का परिहार्य माल भण्डारण प्रभार भी वहन करना पड़ा।

सरकार द्वारा बताया गया (सितम्बर 2004) कि जुलाई से नवम्बर 2002 के मध्य वर्षा के मौसम के दौरान दूरस्थ क्षेत्रों की मांग की पूर्ति हेतु लेवी की शक्कर का भण्डार किया गया था और वर्तमान में भण्डार आवंटन/बिक्री के अनुपात में था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आवंटन जब महीना दर महीना के आधार पर किया जाता है और उपभोक्ताओं को शक्कर जारी किए जाने की अवधि हर माह के अंत में समाप्त हो जाती है, बिक्री में गिरावट के बावजूद शक्कर के विशाल भण्डार का जमाव न्यायोचित नहीं था। पुनः न तो सम्पूर्ण राज्य ही दूरस्थ क्षेत्र है और न ही सम्पूर्ण भण्डार को दूरस्थ क्षेत्रों के लिए रखा गया था।

6.2.4 विक्रय दर में संशोधन न होने से हानि

मार्च से दिसम्बर 2002 तक बेची गई शक्कर पर संशोधित विक्रय दर लागू न किये जाने के परिणामस्वरूप 57.52 लाख रुपये की हानि हुई।

भारत सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे के उपभोक्ताओं के लिए उचित मूल्य की दूकानों के माध्यम से लेवी की शक्कर का खुदरा विक्रय मूल्य 1 मार्च 2001 से 13.25 रुपये प्रति किलोग्राम निश्चित किया गया था (फरवरी 2001)। यह मूल्य 1 मार्च 2002 से संशोधित कर 13.50 रुपये प्रति किलोग्राम किया गया (फरवरी 2002)। निगम द्वारा 31 दिसम्बर 2002 तक छत्तीसगढ़ राज्य में संशोधित मूल्य इस तर्क पर लागू नहीं किया गया कि राज्य सरकार को सूचित भारत सरकार के आदेश, निगम को प्राप्त नहीं हुए थे और निगम द्वारा दिसम्बर 2002 तक पूर्व संशोधित मूल्य 13.25 रुपये प्रति किलोग्राम पर शक्कर बेचना जारी रहा। तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि मूल्य में संशोधन पहले से ही निगम की जानकारी में था। भारतीय खाद्य निगम ने संशोधन के बारे में निगम को अप्रैल 2002 में सूचित किया था। लेकिन, निगम छत्तीसगढ़ सरकार और स्थानीय भारतीय खाद्य निगम के कार्यालय से भारत सरकार के आदेशों की प्राप्ति हेतु समन्वय करने एवं संशोधन को अविलम्ब लागू करने में असफल रहा। निगम ने संशोधित विक्रय मूल्य 13.50 रुपये प्रति किलोग्राम 1 जनवरी 2003 से ही लागू किया। अप्रैल से दिसम्बर 2002 तक की अवधि में 2,30,053 क्विंटल शक्कर की कुल मात्रा पूर्व संशोधित दर 13.25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर बेची गई और 57.52 लाख रुपये की हानि हुई।

यदि निगम भारतीय खाद्य निगम एवं राज्य सरकार से यथेष्ट समन्वय/परिचीक्षण रखता एवं अप्रैल 2002 में संशोधित विक्रय मूल्य प्रभावी किया जाता तो 57.52 लाख रुपये की हानि टाली जा सकती थी।

शासन द्वारा बताया गया (सितम्बर 2004) कि वह दिसम्बर 2002 तक शक्कर के संशोधित मूल्य के बारे में अनभिज्ञ था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मूल्य में संशोधन भारतीय खाद्य निगम द्वारा अप्रैल 2002 में ही सूचित कर दिया गया था। निगम की भारतीय खाद्य निगम/राज्य सरकार के साथ समन्वय में असफलता के परिणामस्वरूप हानि हुई जो पूर्णतः परिहार्य थी।

6.2.5 शक्कर में अधिक झाड़न एवं नमी के कारण हानि

शक्कर में 0.25 प्रतिशत का स्वीकार्य सीमा से अधिक झाड़न एवं नमी होने के परिणामस्वरूप 55.76 लाख रुपये की हानि हुई।

निगम द्वारा खरीदी गई लेवी की शक्कर रेल के डिब्बों में प्राप्त की जाती है, छः रेल रिक बिन्दुओं⁷⁰ पर इसकी उतराई की जाती है और सम्पूर्ण राज्य के उपभोक्ताओं को बेचने के लिए विभिन्न भण्डार बिन्दुओं/वितरण केन्द्रों तक परिवहन की जाती है।

भारत सरकार द्वारा निगम को दिए जाने वाले थोक विक्रेताओं संबंधी मार्जिन में क्रय की गई एवं रेल द्वारा परिवहन की गई मात्रा पर 0.25 प्रतिशत की दर से भण्डारण/परिवहन हानि पर ही ध्यान दिया गया है और निर्धारित प्रतिशत से अधिक किसी भी हानि को निगम द्वारा वहन किया जाना है।

2001-04 के मध्य लेखापरीक्षा में देखा गया कि निगम द्वारा कुल 7,75,283 क्विंटल शक्कर की मात्रा की अधिप्राप्ति की गई व परिवहन तथा भण्डारण किया गया। इस दौरान उपरोक्त छः जिलों में 6,116 क्विंटल झाड़न तथा 3,805 क्विंटल शक्कर गीली हुई। अन्य जिलों में भी धरा-उठाई एवं भण्डारण के दौरान 457 क्विंटल झाड़न एवं 986 क्विंटल गीली शक्कर संचित हुई। मार्जिन में ध्यान रखे गए 0.25 प्रतिशत के विरुद्ध कुल झाड़न एवं गीली शक्कर क्रमशः 0.85 तथा 0.62 प्रतिशत थी। झाड़न एवं गीली शक्कर का आधिक्य क्रमशः 4,635 एवं 4,791 क्विंटल था।

निगम द्वारा नवम्बर 2001, जुलाई एवं नवम्बर 2002 तथा जनवरी 2004 में 5,402 क्विंटल झाड़न और 3,642 क्विंटल गीली शक्कर का निस्तारण किया गया एवं क्रमशः 856.77 रुपये तथा 335.09 रुपये प्रति क्विंटल की औसतन हानि हुई। इस प्रकार, अधिक झाड़न (39.71 लाख रुपये) एवं गीली शक्कर (16.05 लाख रुपये) पर 55.76 लाख रुपये की हानि की गणना की गयी।

निगम द्वारा शक्कर मूल्य समानता निधि के माध्यम से भारतीय खाद्य निगम से 41.84 लाख रुपये की हानि (नवम्बर 2002 तक निस्तारित शक्कर के संबंध में 663.65 रुपये प्रति क्विंटल की औसतन दर पर 6,304.95 क्विंटल) का दावा किया गया (दिसम्बर 2002)। लेकिन भारतीय खाद्य निगम द्वारा दावा निरस्त कर दिया गया क्योंकि नीलामी द्वारा निस्तारण से पूर्व भारत सरकार से अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी। तब दावा स्वीकृत कराने हेतु भारतीय खाद्य निगम को निर्देश दिए जाने के लिए प्रकरण भारत सरकार के समक्ष उठाया गया (सितम्बर 2000)। लेकिन, भारत सरकार द्वारा अब तक (जनवरी 2005) कोई प्रतिक्रिया नहीं थी।

इस प्रकार मार्जिन में ध्यान दिए गए प्रतिशत के अंदर झाड़न एवं गीली शक्कर के नियंत्रण में असफल होने तथा भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त करने में असफलता की परिणति 55.76 लाख रुपये की परिहार्य हानि में हुई।

70

बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव और विश्रामपुर (अम्बिकापुर)

6.2.6 क्षतिग्रस्त एवं उपयोग न करने योग्य बोरो के भण्डारण पर निष्फल व्यय

अनुपयोगी एवं क्षतिग्रस्त बोरो का तीन वर्षों तक अनावश्यक भण्डारण के परिणामस्वरूप 23.10 लाख रुपये का निष्फल भण्डारण व्यय हुआ।

खरीफ बाजार मौसम 2002-03 में, धान की अधिप्राप्ति और इसकी कस्टम मिलिंग का कार्य निगम से वापिस लेकर राज्य विपणन संघ को दिया गया। इसके परिणामस्वरूप निगम के पास राज्य विपणन संघ से मिल से कुटे धान का क्रय और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राज्य में इसके वितरण का कार्य ही शेष रहा। फलस्वरूप, खरीफ बाजार मौसम 2001-02 तथा इससे पूर्व अवधि में अधिप्राप्त परन्तु प्रयोग न किए गए बोरो फालतू हो गये और चूँकि राज्य विपणन संघ को इनकी आवश्यकता थी, निगम द्वारा अपने जिला कार्यालयों को नये के साथ ही उपयोगी पुराने बोरो भी राज्य विपणन संघ को बेचने के निर्देश दिए गए (अक्टूबर 2002)। तदनुसार, छः जिला कार्यालयों⁷¹ द्वारा 8.70 करोड़ रुपये कीमत के 39.25 लाख बोरो राज्य विपणन संघ को बेचे गए। इसके पश्चात जिला कार्यालयों में उपलब्ध शेष नये तथा उपयोगी पुराने बोरो की संख्या के संबंध में निगम द्वारा समय-समय पर आंकलन नहीं किया गया।

नये तथा उपयोगी बोरो के निस्तारण में दो वर्षों की देरी के परिणामस्वरूप 2.50 करोड़ रुपये अवरूद्ध हुए।

सितम्बर 2004 में, निगम ने जिला कार्यालयों से सुनिश्चित किया कि लगभग 2.50 करोड़ रुपये मूल्य के 7.25 लाख नये तथा पुराने उपयोगी बोरो निस्तारण हेतु उपलब्ध हैं। इस मात्रा के अतिरिक्त, 26.29 लाख अनुपयोगी तथा 10.61 लाख क्षतिग्रस्त बोरो भी पिछले तीन वर्षों से जिला कार्यालयों में उपलब्ध थे। निगम द्वारा अनुपयोगी एवं क्षतिग्रस्त बोरो के निस्तारण की कार्यवाही बहुत विलंब से प्रारम्भ की गई है (सितम्बर 2004)।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि 2001-04 के दौरान निगम द्वारा अनुपयोगी एवं क्षतिग्रस्त बोरो के भण्डारण एवं बीमा पर 23.10 लाख रुपये का व्यय किया गया।

चूँकि बोरो अनुपयोगी एवं क्षतिग्रस्त थे, इनके निस्तारण में अविलम्ब कार्यवाही का न किया जाना न्यायसंगत नहीं था एवं परिणामस्वरूप इनके भण्डारण पर 23.10 लाख रुपये का निष्फल व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त, नये तथा उपयोगी बोरो का पिछले दो वर्षों (अक्टूबर 2002 से सितम्बर 2004 तक) के दौरान निस्तारण न किये जाने के परिणामस्वरूप 2.50 करोड़ रुपये (अनुमानतः) की निधियाँ भी अवरूद्ध हुईं।

6.2.7 दावों के प्रस्तुतीकरण में असाधारण विलम्ब

मार्जिन दावे प्रस्तुत करने एवं राशि प्राप्त करने में असाधारण विलम्ब के परिणामस्वरूप 50.93 लाख रुपये के ब्याज की परिहार्य हानि हुई।

लेवी की शक्कर का क्रय, भण्डारण, परिवहन तथा उचित मूल्य की दूकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को बेचने की व्यवस्था की सेवाओं के लिए, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित थोक विक्रेता मार्जिन के साथ ही प्रत्येक माह इस पर हुई परिवहन एवम् वितरण लागत की प्राप्ति के दावे का निगम हकदार है। इस सुविधा हेतु राज्य सरकार के माध्यम से दावे मासिक आधार पर भारतीय खाद्य निगम को प्रस्तुत किए जाते हैं। यदि एक माह में किया गया व्यय एवं भुगतान योग्य मार्जिन, विक्रय-राजस्व प्राप्ति से अधिक है तो अन्तर की राशि भारतीय खाद्य निगम द्वारा नगद भुगतान की

71

बिलासपुर, रायगढ़, जांजगीर, अम्बिकापुर, जगदलपुर और कांकेर

जाती है, और यदि किए गए व्यय एवं देय मार्जिन से विक्रय राजस्व अधिक है तब लेखे का निराकरण शककर मूल्य समानता निधि को समायोजित कर किया जाता है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि मार्जिन दावे के प्रस्तुतीकरण में निगम की ओर से असाधारण देरी थी। अप्रैल 2001 से दिसम्बर 2002 तक की अवधि के 6.66 करोड़ रुपये की राशि के दावे राज्य सरकार को एक से 19 माह तक की देरी से प्रस्तुत किए गए। प्रस्तुतीकरण में इस असाधारण विलंब के परिणामस्वरूप 50.93 लाख रुपये की हानि हुई। यदि निगम द्वारा दावे समय पर प्रस्तुत किए गए होते तो राशि जल्दी मिलती एवम् कैश क्रेडिट का उपयोग कम होता जिससे ब्याज पर किए गए सारभूत व्यय में बचत होती।

शासन द्वारा बताया गया (सितम्बर 2004) कि दावों को प्रस्तुत करने में देरी का कारण दावों को प्रस्तुत करने की कार्यप्रणाली से अवगत होने में लगा समय तथा मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम मर्यादित, भोपाल से दिनांक 1 अप्रैल 2001 को इसके अलग होने की स्थिति में मूल्य सहित शककर के भंडार का प्रारम्भिक शेष प्राप्त करने में विलंब था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निगम दावे प्रस्तुत करने की कार्य प्रणाली से अवगत था जहां राज्य विभाजन से पूर्व ऐसे प्रकरणों पर कार्य किया गया था। फिर भी, पैतृक निगम के सम्बन्धित कर्मचारी को प्रतिनियुक्त कर एवं शककर के भंडार का प्रारम्भिक शेष प्राप्त कर कार्यवाही समय पर प्रारम्भ की जा सकती थी।

6.2.8 रोकड़ प्रबंधन

बैंक कमीशन का परिहार्य भुगतान

करेन्ट अकाउंट के माध्यम से निशुल्क अंतरण सुविधा का उपयोग न करने के फलस्वरूप डिमांड ड्राफ्टों पर 1.01 करोड़ रुपये के बैंक कमीशन का परिहार्य व्यय हुआ।

खाद्यान्न क्रय करने, परिवहन प्रभार तथा अन्य व्ययों के भुगतान में सुलभता हेतु निगम मुख्यालय द्वारा अपने 16 जिलों के कार्यालयों को सम्बन्धित जिले की भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में कैश क्रेडिट (फूड क्रेडिट) अकाउन्ट/करेन्ट अकाउन्ट में व्यवहार के लिए प्राधिकृत किया गया था। इस सुविधा के अतिरिक्त, मुख्यालय का भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा, रायपुर में करेन्ट अकाउंट है, वह भी जब कभी आवश्यकता हो जिला कार्यालयों को निधियाँ अंतरित करता है। जिला कार्यालय खाद्यान्नों की बिक्री राशि अपने संबंधित कैश क्रेडिट अकाउंट/करेन्ट अकाउंट में जमा करते हैं और अतिरिक्त निधियाँ यदि कोई हों, तो उन्हें नियमित रूप से मुख्यालय अंतरित करते हैं।

तथापि, लेखा परीक्षा में देखा गया कि निगम के मुख्यालय एवं जिला कार्यालयों दोनों ही के भारतीय स्टेट बैंक में करेन्ट अकाउंट होने के बावजूद निःशुल्क अंतरण सुविधा का उपयोग नहीं किया गया। अपितु, निधियों का परस्पर अंतरण भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से बैंक ड्राफ्ट प्राप्त कर किया गया, इससे बैंक कमीशन का भुगतान करना पड़ा। इसका 2001-04 के दौरान ऑकलन 1.01 करोड़ रुपये किया गया जैसा कि निम्नानुसार वर्णित है :-

(लाख रुपये में)

वर्ष	बैंक कमीशन		योग
	मुख्यालय	जिला कार्यालय	
2001-02	22.34	38.55	60.89
2002-03	1.58	16.31	17.89
2003-04	2.45	20.23	22.68
			101.46

इस प्रकार निःशुल्क अंतरण सुविधा का उपयोग न करके 1.01 करोड़ रुपये का परिहार्य व्यय किया गया।

6.2.9 मुख्यालय को निधियों के अंतरण में विलंब से ब्याज का परिहार्य भुगतान

जिला कार्यालयों द्वारा मुख्यालय को तुरन्त निधियाँ अंतरित करने में असफलता के परिणामस्वरूप 41.73 लाख रुपये के ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ।

निगम द्वारा 2001-03 के दौरान कैश क्रेडिट के उपयोग के कारण 41.73 लाख रुपये के ब्याज का परिहार्य भुगतान किया गया जैसी कि उत्तरवर्ती कंडिका में चर्चा की गई है :

वित्तीय प्रशासन को सुदृढ़ करने एवं निगम के वित्त पर यथेष्ट व्यय नियंत्रण करने के लिए मुख्यालय द्वारा अपने नौ जिला कार्यालयों हेतु रोकड़ (25,000 से 50,000 रुपये प्रतिदिन) तथा चैक (दो लाख रुपये से पांच लाख रुपये प्रतिदिन) आहरण हेतु सीमाएं निर्धारित की गईं (अगस्त 2002) जिन्हें जिला कार्यालयों की आवश्यकतानुसार समय-समय पर संशोधित किया गया। संबंधित जिला कार्यालयों के करेन्ट अकाउंट में जमा की गई विक्रय राशि का परिवीक्षण दैनिक आधार पर किया जाना था एवं निर्धारित सीमा से अधिक शेष मुख्यालय को अंतरित किए जाने थे, ताकि जिला कार्यालयों पर निधियों के अनावश्यक संचय से बचा जा सके और मुख्यालय द्वारा भारतीय स्टेट बैंक शाखा रायपुर के साथ कैश क्रेडिट के उपयोग को कम किया जा सके।

लेखापरीक्षा द्वारा सात जिला कार्यालयों⁷² के करेन्ट अकाउंट के अंतिम रोकड़ शेषों (बैंक विवरण के अनुसार) का सत्यापन किया गया और देखा गया कि 2002-03 के दौरान जिला कार्यालयों ने अपने करेन्ट अकाउंट में निर्धारित सीमाओं (रोकड़ आहरण में चैक द्वारा आहरण जोड़ कर) से अत्यधिक शेष रखा एवं निधियां मुख्यालय को अत्यधिक विलंब से अंतरित की जिससे कैश क्रेडिट का मजबूरन उपयोग किया गया। इसके फलस्वरूप 2002-03 के दौरान मुख्यालय द्वारा उपयोग किए गए कैश क्रेडिट पर 27.58 लाख रुपये के ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ।

- 1 अप्रैल 2002 से निगम द्वारा सात जिलों⁷³ में नये जिला कार्यालय खोले गए थे। ये जिला कार्यालय अधिकतम 10,000 रुपये तक का शेष अपने करेन्ट अकाउंट में रखने के लिए अधिकृत थे, शेष राशि मुख्यालय को प्रेषित करनी थी।

⁷² अम्बिकापुर, जांजगीर, रायपुर, रायगढ़, दुर्ग, बिलासपुर एवम् राजनांदगांव

⁷³ धमतरी, दन्तेवाड़ा, जशपुरनगर, कोरबा, कोरिया, कवर्धा और महासमुन्द

लेखापरीक्षा में देखा गया कि पांच जिला कार्यालयों द्वारा इन अनुदेशों का पालन नहीं किया गया और मुख्यालय को अविलंब अंतरित किए बिना निर्धारित सीमा से अधिक शेष करेन्ट अकाउंट में रोका गया। इसके परिणामस्वरूप 2001-02 में मुख्यालय द्वारा केश क्रेडिट उपयोग पर 14.15 लाख रुपये के ब्याज का परिहार्य भुगतान किया गया।

इस प्रकार, जिला कार्यालयों द्वारा मुख्यालय को निधियों के अंतरण में निर्धारित समय सूची के पालन में असफलता के परिणामस्वरूप 41.73 लाख रुपये की हानि हुई।

उपरोक्त प्रकरण सरकार/प्रबंधन को सूचित किए गए थे (अगस्त एवं अक्टूबर 2004 के मध्य)। कंडिका 6.2.3, 6.2.4 और 6.2.7 के उत्तर सितम्बर 2004 में प्राप्त हुए थे। शेष कंडिकाओं के उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (जनवरी 2005)।

छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम

6.3 गोदामों में चावल के दोषपूर्ण भण्डारण से हानि

धमतरी शाखा के गोदामों का दोषपूर्ण रख-रखाव और निरोधक दवाओं के प्रयोग न करने से 2,345.257 मैट्रिक टन चावल में भारी संक्रमण के परिणामस्वरूप 1.37 करोड़ रुपये की हानि हुई।

मध्य प्रदेश राज्य भण्डारगृह निगम से पृथक होने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम द्वारा विभिन्न गोदामों में खाद्यान्न के भंडार को अपने आधिपत्य में लिया गया है। भारतीय खाद्य निगम, छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम में अनाज के प्रमुख जमाकर्ताओं में से एक है।

गोदामों में वैज्ञानिक रूप से भंडारण हेतु तकनीकी एवं गुण नियंत्रण की नियमावली में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी निर्धारित है कि गोदामों का उचित संधारण होना चाहिए, ये साफ-सुथरे होना चाहिए और इनमें समय-समय पर निरोधक दवाइयों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य भण्डारगृह निगम को चावल के भण्डार की दशा के बारे में समय-समय पर सूचित किया गया (सितम्बर 1999 से) तथा इंगित किया गया कि सफाई न बरते जाने के कारण अत्यधिक संक्रमण था। छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम द्वारा स्थिति में सुधार हेतु समय पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

लेखापरीक्षा में आगे देखा गया (अगस्त 2004) कि -

- तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य भण्डारगृह निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक के तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (अगस्त 2001) में गोदामों के दोषपूर्ण संधारण एवं उपलब्ध भण्डार में संक्रमण के बारे में वर्णन किया गया था।
- शाखा में उपलब्धता के बावजूद निरोधक दवाइयों का प्रयोग नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप अत्यधिक संक्रमण हुआ।

- युक्तिसंगत अवधि के अंदर ऐसे पुराने भण्डार (1992-93 से 1997-98 तक) को हटाने हेतु भारतीय खाद्य निगम को सूचना नहीं दी गई। भारतीय खाद्य निगम द्वारा ध्यान न दिये जाने की स्थिति में भण्डार की नीलामी हेतु भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम द्वारा प्रथम आगमन प्रथम निर्गम के आधार पर भण्डार हटाने हेतु कभी आग्रह नहीं किया गया।

इसके परिणामस्वरूप भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की एक समिति द्वारा अक्टूबर 2001 तथा फरवरी 2002 में धमतरी शाखा के विभिन्न गोदामों में भंडारित 2,345.257 मैट्रिक टन⁷⁴ पी बी सी एवं पी बी ग्रेड ए के चावल को डी श्रेणी से भी नीचे वर्गीकृत किया गया। भारतीय खाद्य निगम की समिति ने देखा कि भण्डार में कीड़ों सहित भूसी का प्रतिशत बहुत अधिक था और यह डी श्रेणी से नीचे चला गया था जिसमें दुर्गंध आ रही थी व यह खाद्य एवं अपमिश्रण से बचाव के मानदंड से परे था तथा ठेके के माध्यम से इसके निस्तारण हेतु अनुशंसा की गई।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा जनवरी एवं अक्टूबर 2002 में निविदाओं के माध्यम से नीलामी द्वारा चावल का भण्डार बेचा गया। 2.68 करोड़ रुपये मूल्य के 2,345.257 मैट्रिक टन चावल में से 2.16 करोड़ रुपये⁷⁵ मूल्य का 1887.491 मैट्रिक टन चावल 90.85 लाख रुपये⁷⁶ में बेचा गया। इसके परिणामस्वरूप 1.25 करोड़ रुपये की हानि हुई। छत्तीसगढ़ राज्य भंडारगृह निगम के विभिन्न गोदामों हेतु भुगतानयोग्य भंडारण प्रभारों से भारतीय खाद्य निगम ने भौतिक रूप से उपलब्ध 173.119 मैट्रिक टन के संक्रमित भंडार के लिए 12.03 लाख रुपये सहित, उठाई गई हानि हेतु 1.37 करोड़ रुपये वसूले। 284.647 मैट्रिक टन की शेष मात्रा के निस्तारण की कार्यवाही अभिलेख पर उपलब्ध नहीं थी।

इस प्रकार गोदामों के दोषपूर्ण संधारण एवं संहितीय प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक निरोधक दवाइयों का भण्डार में प्रयोग न करने के फलस्वरूप भंडार में भारी संक्रमण हुआ इसके कारण 1.37 करोड़ रुपये की हानि हुई।

प्रकरण शासन/प्रबन्धन को अगस्त 2004 में सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (जनवरी 2005)।

⁷⁴ पर बायल्ड कोर्स (पी.बी.सी.): 1,998.685 मैट्रिक टन तथा पर बायल्ड (पी.बी.) ग्रेड "ए": 346.572 मैट्रिक टन चावल गोदामों में 1992-93 से 1994-95, 1997-98 तथा 1999-2000 से पड़ा था ।

⁷⁵ 1642.68 मैट्रिक टन पी.बी.सी.चावल का 11350 रुपये प्रति मैट्रिक टन की दर पर मूल्य 1.87 करोड़ रुपये तथा 244.811 मैट्रिक टन पी.बी.ग्रेड "ए" चावल का 11,900 रुपये प्रति मैट्रिक टन की दर पर मूल्य 29.13 लाख रुपये ।

⁷⁶ 1,642.68 मैट्रिक टन पी.बी.सी.चावल औसत दर 4,328.30 रुपये प्रति मैट्रिक टन एवम् 244.811 मैट्रिक टन पी.बी.ग्रेड "ए" चावल औसत दर 4,885.30 रुपये प्रति मैट्रिक टन ।

सातवां अध्याय

राजस्व प्राप्तियाँ

सामान्य

7.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2003-04 के दौरान छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संग्रहित कर तथा कर-भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त विभाज्य संघीय करों का राज्यांश एवं सहायता अनुदान एवं इससे संबंधित विगत तीन वर्षों के आँकड़े नीचे दिए गए हैं:

स.क्र.	विवरण	(करोड़ रुपये में)			
		2000-01 (नवम्बर 2000 से मार्च 2001)	2001-02	2002-03	2003-04
I	राज्य सरकार द्वारा संग्रहित राजस्व				
(क)	कर राजस्व	749.69	1993.13 ⁷⁷	2327.44	2588.25
(ख)	कर-भिन्न राजस्व	288.23	722.38	956.56	1124.41
	योग:-	1,037.92	2,715.51	3,284.00	3,712.66
II	भारत सरकार से प्राप्तियाँ				
(क)	विभाज्य संघीय करों का राज्यांश	509.94	1,175.80 ⁷⁷	1,349.90	1,569.70
(ख)	सहायता अनुदान	335.06	484.39 ⁷⁷	783.40	676.96
	योग:-	845.00	1660.19⁷⁷	2,133.30	2246.66
III	राज्य की कुल प्राप्तियाँ (I+II)	1,882.92	4,375.70 ⁷⁷	5417.30	5,959.32
IV	I से III का प्रतिशत	55	62	61	62

⁷⁷

वर्ष 2001-02 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की तुलना में भारत सरकार से प्राप्तियों-विभाज्य संघीय करों का राज्यांश और राज्य सरकार द्वारा संग्रहित राजस्व के मध्य राजस्व प्राप्तियों के पुनः समायोजन के कारण आँकड़ों में अंतर है।

7.1.1 विगत तीन वर्षों के आंकड़ों सहित वर्ष 2003-04 के दौरान संग्रहित कर राजस्व के विवरण नीचे दिए गए हैं:-

स. क.	राजस्व शीर्ष	(करोड़ रुपये में)				2002-03 की तुलना में 2003-04 में आधिक्य (+) या कमी (-) का प्रतिशत
		2000-01 (नवम्बर 2000 से मार्च 2001)	2001-02	2002-03	2003-04	
1	(क) वाणिज्यिक कर	353.60	563.91	768.08	989.23	(+) 28.79
	(ख) केन्द्रीय विक्रय कर	-	376.19	334.35	309.39	(-) 7.47
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	122.64	313.61	361.73	402.35	(+) 11.23
3.	मुद्रांक एवं पंजीयन फीस	62.37	121.35	148.10	170.87	(+) 15.37
4.	विद्युत पर कर और शुल्क	79.76	226.06	244.33	268.36	(+) 9.84
5.	वाहनों पर कर	35.21	124.88	157.81	167.07	(+) 5.87
6.	माल और यात्रियों पर कर	60.97	196.27	251.55	230.08	(-) 8.53
7.	आय एवं व्यय पर अन्य कर, होटल प्राप्ति कर सहित व्यवसाय, वृत्ति, व्यापार एवं रोजगार पर कर	28.56	47.62*	42.41	42.96	(+) 1.30
8.	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	2.77	6.67*	6.52	4.13	(-) 36.66
9.	भू-राजस्व	3.81	16.57	12.56	3.81	(-) 69.66
10.	कृषि आय पर कर	-	-	-	-	-
	योग	749.69	1993.13	2327.44	2588.25	(+) 11.21

* वर्ष 2001-02 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की तुलना में भारत सरकार से प्राप्तियों 'विभाज्य संघीय करों का राज्यांश' और राज्य सरकार द्वारा संग्रहित राजस्व के मध्य राजस्व प्राप्तियों के पुनः समायोजन के कारण, आंकड़े भिन्न हैं।

विभागों से अन्तर्गतों के कारण माँगे गए थे, उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (दिसम्बर 2004)।

7.1.2 वर्ष 2003-04 के दौरान संग्रहित मुख्य कर-भिन्न राजस्व के विवरण विगत तीन वर्षों के आँकड़ों सहित नीचे दिए गए हैं-

स.क.	राजस्व शीर्ष	(करोड़ रुपये में)				2002-03 की तुलना में 2003-04 में आधिक्य (+) या कमी (-) का प्रतिशत
		2000-01 (नवम्बर 2000 से मार्च 2001)	2001-02	2002-03	2003-04	
1.	ब्याज प्राप्तियाँ	3.47	49.12	95.65	122.46	(+) 28.03
2.	अन्य कर-भिन्न प्राप्तियाँ	19.54	48.42	77.26	86.38	(+) 11.80
3.	वानिकी और वन्य जीवन	45.77	98.19	105.84	140.94	(+) 33.16
4.	अलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग	199.19	454.04	538.14	629.68	(+) 17.01
5.	विविध सामान्य सेवाएं (लॉटरी प्राप्तियों सहित)	0.71	6.04	1.99	67.47	(+) 3290*
6.	वृहद एवं मध्यम सिंचाई	10.38	38.20	53.73	44.85	(-) 16.53
7.	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	0.17	3.28	2.40	2.43	(+) 1.25
8.	सहकारिता	2.72	3.58	3.99	4.14	(+) 3.76
9.	लोक निर्माण	1.89	6.95	10.03	8.56	(-) 14.66*
10.	पुलिस	0.90	2.70	2.59	6.80	(+) 162.55
11.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	3.49	11.86	64.94	10.70	(-) 83.52*
	योग	288.23	722.38	956.56	1124.4 1	(+) 17.54

* विविध, सामान्य सेवाएं शीर्ष के अंतर्गत राजस्व में असाधारण वृद्धि हुई जबकि अन्य प्रशासनिक सेवाएं एवं लोक निर्माण में असाधारण कमी हुई। यद्यपि, विभागों से अन्तरों के कारण मांगे गए थे परन्तु प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर 2004)।

7.2 बजट अनुमानों एवं वास्तविक आंकड़ों में अन्तर

वर्ष 2003-04 में कर एवं कर भिन्न राजस्व के प्रमुख शीर्षों के सम्बन्ध में बजट अनुमानों एवं वास्तविक राजस्व प्राप्तियों के मध्य अन्तर नीचे दिए गए हैं:-

(करोड़ रुपये में)

स.क्र.	राजस्व शीर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक	अन्तर अधिक (+) या कमी (-)	अन्तर प्रतिशत
(क)	कर राजस्व				
1.	विक्रय, व्यापार पर कर आदि	1267.75	1298.62	(+) 30.87	(+)2.44
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	429.01	402.35	(-) 26.66	(-)6.21
3.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	252.67	268.36	(+)15.69	(+)6.21
4.	माल एवं यात्रियों पर कर	270.25	230.08	(-)40.17	(-)14.86
5.	वाहनों पर कर	150.00	167.07	(+)17.07	(+)14.86
6.	मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस	200.00	170.87	(-)29.13	(-)14.57
7.	भू-राजस्व	11.52	3.81	(-)7.71	(-)66.93
8.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	10.33	4.13	(-)6.20	(-)60.02
9.	आय एवं व्यय पर अन्य कर	60.00	42.33	(-)17.67	(-)29.45
10.	होटल शुल्क प्राप्तियाँ कर	1.25	0.63	(-)0.62	(-)49.60
	योग	2652.77	2588.25	64.52	(-) 2.43
(ख)	कर भिन्न राजस्व				
1.	वानिकी एवं वन्य जीवन	116.77	140.94	(+)24.17	(+)20.70
2.	अलौह धातु खनन एवं धातु कर्म उद्योग	709.00	629.68	(-)79.32	(-)11.19
3.	ब्याज प्राप्तियाँ	69.48	122.46	(+)52.98	(+)76.25
4.	वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई	98.44	55.01	(-)43.43	(-)44.12
5.	जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	2.10	5.22	(+)3.12	(+)148.57
6.	अन्य	118.83	171.10	(+)52.27	(+)43.99
	योग	1114.62	1124.41	(+)9.79	(+)00.88

यद्यपि अन्य शीर्षों के संबंध में अंतरों के कारण मांगे गए थे, पर संबंधित विभागों से प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर 2004)।

7.3 संग्रहण की लागत

2002-03 हेतु संग्रहण पर व्यय के अखिल भारतीय औसत प्रतिशत सहित 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के वर्षों के दौरान मुख्य राजस्व प्राप्तियों के सम्बन्ध में सकल संग्रहण, संग्रहण पर किए गए व्यय एवं सकल संग्रहण पर किए गए व्यय के प्रतिशत निम्नानुसार थे : -

(करोड़ रुपये में)

स. क्र.	राजस्व शीर्ष	वर्ष	संग्रहण	राजस्व संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत	2002-03 के लिए अखिल भारतीय औसत प्रतिशत
1.	वाणिज्यिक कर	2001-02	940.09	10.44	1.11	
		2002-03	1102.43	11.60	1.05	1.18
		2003-04	1298.62	15.90	1.22	
2.	वाहनों पर कर	2001-02	124.88	3.61	2.89	
		2002-03	157.81	3.94	2.50	2.86
		2003-04	167.07	4.18	2.50	
3.	राज्य उत्पादन शुल्क	2001-02	313.61	39.71	12.66	
		2002-03	361.73	22.94	6.34	2.92
		2003-04	402.35	19.12	4.75	

वर्ष 2002-03 के लिए राज्य उत्पाद शुल्क राजस्व हेतु संग्रहण की लागत अखिल भारतीय औसत प्रतिशत से अधिक थी।

7.4 प्रति निर्धारित वाणिज्यिक कर का संग्रहण

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	निर्धारितियों की संख्या	वाणिज्यिक कर राजस्व	राजस्व/निर्धारित
2001-02	42,581	940.10	0.022
2002-03	44,644	1,102.43	0.025
2003-04	48,233	1,298.62	0.027

7.5 बकाया राजस्व का विश्लेषण

राजस्व के कुछ प्रमुख शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च 2004 की स्थिति में 130.12 करोड़ रुपये का राजस्व बकाया था जिसमें से 58.44 करोड़ रुपये पाँच वर्षों से अधिक के समय से लम्बित थे जैसा निम्न तालिका में वर्णित है :-

(करोड़ रुपये में)

स.क्र.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2004 को लम्बित राशि	31 मार्च 2004 को 5 वर्षों से अधिक के समय से लम्बित राशि
1.	वाणिज्यिक कर	96.57	52.03
2.	वाहनों पर कर	4.06	4.06
3.	राज्य उत्पाद शुल्क	20.25	2.16
4.	मुद्रांक एवं पंजीयन फीस	1.51	0.19
5.	विद्युत पर कर एवम् शुल्क	7.73	-
		130.12	58.44

7.6 निर्धारण हेतु बकाया

वर्ष 2003-04 के प्रारंभ में कर निर्धारण के लम्बित प्रकरण, वर्ष के दौरान निर्धारण योग्य प्रकरण, वर्ष के दौरान निराकृत प्रकरण और वर्ष के अन्त में निराकरण हेतु लम्बित प्रकरणों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है :-

कर का नाम	प्रारंभिक शेष	2003-04 के दौरान निर्धारण योग्य नये प्रकरण	कुल निर्धारण योग्य	2003-04 के दौरान निराकृत प्रकरण	वर्ष के अन्त में शेष	स्तंभ 5 का 3 से प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
वाणिज्यिक कर	37,723	62,493	1,00,216	58,640	41,576	93.83
वृत्ति कर	25,466	19,520	44,986	23,830	21,156	122.08
प्रवेश कर	15,965	30,427	46,392	28,654	17,738	94.17
विलासिता कर	112	90	202	100	102	111.11
योग	79,266	1,12,530	1,91,796	1,11,224	80,572	98.84

वर्ष के दौरान निराकृत किए गए प्रकरणों का प्रतिशत वर्ष के दौरान निर्धारण योग्य नए प्रकरणों की तुलना में कम था। विभागों के लिए यह आवश्यक होगा कि निराकरण हेतु लंबित कर निर्धारण को पूर्ण करने के लिए समयबद्ध योजना तैयार करें।

7.7 कर अपवंचन

वाणिज्यिक कर एवम् राज्य उत्पाद शुल्क विभागों द्वारा कर अपवंचन के खोजे गए प्रकरणों, अन्तिम रूप से निराकृत किए गए प्रकरणों एवम् विभागों द्वारा यथा सूचित अतिरिक्त कर की माँगों के विवरण नीचे दिए गए हैं :-

क्र. सं.	कर/शुल्क का नाम	31 मार्च 2003 को लम्बित प्रकरण	2003-04 के दौरान खोजे गए प्रकरण	योग	प्रकरणों की संख्या जिनमें निर्धारण/जाँच पूर्ण की गई एवम् शास्ति सहित अतिरिक्त माँग की गई		31 मार्च 2004 को अन्तिम निराकरण हेतु लम्बित प्रकरणों की संख्या
					प्रकरणों की संख्या	माँग की राशि (लाख रुपये में)	
1.	वाणिज्यिक कर	20	17	37	16	13.18	21
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	17	03	20	03	1.37	17

7.8 प्रतिदाय

विभागों द्वारा सूचित किए गए अनुसार वर्ष 2003-04 के प्रारंभ में लम्बित प्रतिदाय प्रकरणों, वर्ष के दौरान प्राप्त दावों, वर्ष के दौरान किए गए प्रतिदायों और वर्ष 2003-04 के अन्त में लम्बित प्रकरणों की संख्या नीचे दी गई है :-

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.		वाणिज्यिक कर		राज्य उत्पाद शुल्क	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	वर्ष के प्रारंभ में लम्बित दावे	208	1.27	05	00.05
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	2,644	9.27	29	00.76
3.	वर्ष के दौरान किए गए प्रतिदाय	2,586	9.21	21	00.52
4.	वर्ष के अन्त में लम्बित शेष	266	1.33	13	00.29

7.9 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2003-04 के दौरान वाणिज्यिक कर, भू-राजस्व, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, मुद्रांक एवं पंजीयन फीस, विद्युत शुल्क, अन्य कर प्राप्तियों, वन प्राप्तियों एवं अन्य कर-भिन्न प्राप्तियों के अभिलेखों की नमूना जाँच में निरीक्षण प्रतिवेदनों के 377 प्रकरणों में 100.52 करोड़ रुपये के राजस्व के अव-निर्धारण/कम करारोपण/हानि प्रकट हुई। लेखापरीक्षा के दौरान 2003-04 में इंगित किए गए 127 प्रकरणों में विभागों ने 51.24 करोड़ रुपये का अव-निर्धारण स्वीकार किया। शेष प्रकरणों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे।

इस प्रतिवेदन में एक समीक्षा सहित 46.72 करोड़ रुपये के करों, शुल्कों, ब्याज एवं शास्तियों का अनारोपण/कम करारोपण वाली 23 कंडिकाएं सन्निहित हैं। विभाग/ शासन ने 12.40 करोड़ रुपये की लेखापरीक्षा आपत्तियाँ स्वीकार कीं जिनमें से दिसम्बर 2004 तक 0.15 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी थी। अन्य प्रकरणों में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

7.10 प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर विभागों की प्रतिक्रिया

लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा समीक्षा एवं कंडिकाओं के लेखापरीक्षा निष्कर्षों को सम्बन्धित विभागों के विभागाध्यक्षों के ध्यान में लाने हेतु अग्रेषित किया जाता है एवं उनसे आग्रह किया जाता है कि वे अपने उत्तर 6 सप्ताह के अन्दर प्रेषित करें। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रत्येक कंडिका के अन्त में विभाग से उत्तर प्राप्त न

होने के तथ्य सतत रूप से दर्शाए गए हैं ।

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित तेईस प्रारूप कंडिकाएं सम्बन्धित विभागाध्यक्षों के नाम से भेजी गई थीं (मई 2004 एवं अक्टूबर 2004 के मध्य)। अनुस्मारक पत्र जारी करने पर भी विभागाध्यक्षों ने उत्तर नहीं भेजे थे (जनवरी 2005)।



निष्पादन मूल्यांकन

लेखापरीक्षा समीक्षाएँ

कर राजस्व

वाणिज्यिक कर

7.11 नये उद्योगों को वाणिज्यिक कर की छूट/आस्थगन

7.11.1 मुख्य अंश

- छूट की सीमा के विरुद्ध 17.36 करोड़ रुपये की गलत कटौती एवं समायोजन न होना।
(कण्डिका 7.11.8)
- ऐसी इकाइयों से 55.40 लाख रुपये के वाणिज्यिक कर की वसूली नहीं की गई जिन्होंने निर्धारित समय के पूर्व व्यवसाय बन्द कर दिया था।
(कण्डिका 7.11.9)
- गलत कर छूट प्रमाण पत्र जारी करने के कारण 86.11 लाख रुपये की राजस्व हानि।
(कण्डिका 7.11.11)
- कर छूट की गलत स्वीकृति के कारण 4.18 करोड़ रुपये की राजस्व हानि।
(कण्डिका 7.11.12)

7.11.2 प्रस्तावना

तत्कालीन मध्यप्रदेश शासन ने पूंजीनिवेश आकर्षित कर एवम् अतिरिक्त रोजगार जुटाकर राज्य के औद्योगिक एवम् सामाजिक-आर्थिक विकास के प्रवर्तन हेतु 1 अप्रैल 1981 को या उसके पश्चात यथा स्थापित नवीन औद्योगिक इकाइयों को कर छूट/आस्थगन (विक्रय कर/क्रय कर) हेतु एक योजना प्रारंभ की ।

तत्पश्चात यह योजना कच्चे माल एवम् निर्मित वस्तुओं पर कर से छूट हेतु 1986, 1992 एवम् 1994 में संशोधित की गई। उपरोक्त के अतिरिक्त, 100 करोड़ रुपये या अधिक की स्थिर आस्तियों में पूंजीनिवेशों वाले उद्योगों एवं उद्योगों यथा सीमेन्ट वनस्पति घी, पेन्ट्स, रंग, टाइल्स, इत्यादि हेतु कर छूट स्वीकृत करने वाली योजनाएँ भी हैं । 1,000 करोड़ रुपये या अधिक की स्थिर आस्तियों में पूंजीनिवेशों वाले एकीकृत इस्पात संयंत्रों, नये होटलों, गैर परम्परागत ऊर्जा उत्पन्न करने वाली इकाइयों, अनिवासी भारतीयों एवम् 100 प्रतिशत निर्यात मूलक इकाइयों, 10 करोड़ रुपये या अधिक पूंजीनिवेशों वाली इकाइयों एवम् फ्लार्ड एश ब्रिक्स इकाइयों हेतु भी कर की छूट उपलब्ध है ।

दो विभाग क्रमशः उद्योग विभाग एवं वाणिज्यिक कर विभाग इन योजनाओं के कार्यान्वयन से संबद्ध हैं।

7.11.3 संगठनात्मक संरचना

उद्योग आयुक्त उद्योग विभाग का प्रमुख होता है, इसका मुख्यालय रायपुर है। इनकी सहायतार्थ अतिरिक्त संचालक, संयुक्त संचालक एवम् उप संचालक होते हैं। जिला स्तर पर महाप्रबंधक प्रत्येक जिला उद्योग केन्द्र का प्रभारी होता है। करमुक्ति/कर आस्थगन पात्रता प्रमाण पत्र जिला स्तरीय समिति/राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदन पर उद्योग विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं।

आयुक्त वाणिज्यिक कर, छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर विभाग का प्रमुख होता है, इसका मुख्यालय रायपुर, है। इनके सहायतार्थ दो अतिरिक्त आयुक्त एवं आठ उपायुक्त, 21 सहायक आयुक्त, 50 वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं 88 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी हैं।

7.11.4 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

1998-99 से 2002-03 की अवधि के लिए दिसम्बर 2003 एवं मई 2004 के मध्य 50 लाख रुपये और अधिक के विक्रय टर्न ओवर का कर निर्धारण करने वाले 10 सहायक आयुक्तों एवं सात वाणिज्यिक कर अधिकारियों के अभिलेखों की नमूना जांच निम्नानुसार आंकलन करने के दृष्टिकोण से की गई कि -

- (i) क्या कर निर्धारण प्राधिकारी ने प्रकरणों में कर निर्धारण अधिनियम/नियमों के अनुसार किया है और क्या उद्योग विभाग द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं,
- (ii) क्या इकाई द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र की शर्तें पूर्ण की जा रही हैं एवं करदाता के प्रकरणों के कर निर्धारण के समय इस पर ध्यान रखा जा रहा है,
- (iii) क्या कर मुक्ति/कर आस्थगन योजना का दुरुपयोग रोकने हेतु उचित आंतरिक नियंत्रण तंत्र विद्यमान है?

7.11.5 लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

यह देखा गया कि पूंजी निवेश एवं अतिरिक्त रोजगार सृजन को आकर्षित करने वाली नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु शासन द्वारा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए।

7.11.6 उद्योगों की स्थापना की प्रवृत्ति

मध्य प्रदेश औद्योगिक नीति एवं कार्य योजना 1994 का लक्ष्य औद्योगिक विकास को गति प्रदान करना एवं इसे सशक्त बनाना था, इसके लिए कर मुक्ति/कर आस्थगन योजना प्रारंभ की गई थी।

“उद्योग विहीन” विकास प्रखण्डों में अतिरिक्त सुविधाओं को उपलब्ध करवाकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और गरीबी रेखा के नीचे वाले वर्गों में उद्यमिता, नारी उद्यमिता, विशेष सुविधाओं का सृजन, अनिवासी भारतीयों द्वारा 100 प्रतिशत निर्यात मूलक इकाइयों में निवेश एवं औद्योगिक विकास हेतु प्रणोद क्षेत्र व सहकारिता क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना के द्वारा संतुलित क्षेत्रीय विकास को प्रेरित करना औद्योगिक नीति एवं कार्य योजना 1994 के कुछ प्रमुख उद्देश्य थे।

समीक्षा अवधि के दौरान 16 जिलों में से 10 जिलों⁷⁸ में स्थापित उद्योगों की संख्या निम्नानुसार थी:-

वर्ष	उद्योगों की संख्या
1998-99	39
1999-2000	39
2000-01	33
2001-02	39
2002-03	26
योग	176

उपरोक्त में से विभिन्न क्षेत्रों (सेक्टर) में स्थापित उद्योग निम्नानुसार थे:

स.क्रं.	क्षेत्र	उद्योगों की संख्या	जिला
1.	नारी उद्यमिताएँ	3	(2) बिलासपुर + (1) रायपुर
2.	अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ और पिछड़े वर्ग	2	रायपुर
3.	निर्यात मूलक इकाइयाँ	1	रायपुर
4.	प्रणोद क्षेत्र ⁷⁹	49	रायपुर

⁷⁸ बिलासपुर, दन्तेवाड़ा, धमतरी, जांजगीर, जशपुर, कबीरघाम, कांकेर, कोरिया, रायपुर एवं सरगुजा

⁷⁹ उद्योग यथा- ऑटोमोबाइल, खेलकूद सामग्री, सिली सिलाई पोषाक, कृषि आधारित, खनिज संसाधन, जीवन रक्षक दवाइयों, खाद्य प्रसंस्करण, सिल्क एवं चमड़ा, दूरसंचार आदि प्रणोद क्षेत्र में सम्मिलित हैं।

उपरोक्त स्थिति दर्शाती है कि पांच वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/पिछड़े वर्गों द्वारा मात्र दो उद्योग स्थापित किए गए, यद्यपि छत्तीसगढ़ राज्य में इन्हीं की अधिकतम जनसंख्या है।

7.11.7 नवीन उद्योगों के लिए वाणिज्यिक कर छूट एवं कर आस्थगन की स्वीकृति हेतु प्रणाली एवं प्रक्रिया

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, छत्तीसगढ़ शासन नवीन उद्योगों के लिए कर छूट/कर आस्थगन की योजना का निरूपण करता है। लाभ प्राप्त करने हेतु एक इकाई द्वारा महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को आवेदन करना होता है जो कर छूट/कर आस्थगन की स्वीकृति की पात्रता हेतु लघु उद्योग के आवेदक को प्रमाण पत्र जारी करता है व मध्यम या बड़े उद्योग का प्रार्थना पत्र आयुक्त, वाणिज्य एवं उद्योग की ओर ऐसा प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अग्रेषित करता है।

1998-99 से 2002-03 की अवधि के दौरान उद्योग विभाग जारी किए गए पात्रता प्रमाण पत्रों (दुर्ग संभाग के अतिरिक्त) की स्थिति निम्नानुसार थी:

वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्त आवेदनों की संख्या	योग	निराकरण		शेष
				जारी	अस्वीकृत	
1998-1999	-	64	64	31	2	31
1999-2000	31	36	67	34	2	31
2000-01	31	35	66	29	4	33
2001-02	33	30	63	34	3	26
2002-03	26	19	45	10	2	33

पांच प्रकरणों में कर छूट की अवधि की समाप्ति के पश्चात प्रमाण पत्र जारी किए गए।

उपरोक्त तालिका से यह परिलक्षित हुआ कि पात्रता प्रमाण पत्र समय से जारी नहीं किए गए। जांच से प्रकट हुआ कि पांच प्रकरणों में प्रमाण पत्र जिसके लिए इकाइयों ने आवेदन किया था, कर छूट की अवधि की समाप्ति के पश्चात जारी किए गए एवं 25 प्रकरणों में पात्रता प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के एक से पांच वर्ष पश्चात जारी किए गए।

129 प्रकरणों में प्रमाण पत्र/शपथ पत्र न तो प्रस्तुत ही किए गए और न ही इसका आग्रह किया गया।

अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत कर छूट प्राप्त करने हेतु एक व्यवसाई को राज्य के वास्तविक निवासियों को रोजगार प्रदान करना अनिवार्य है, जिनकी संख्या उसकी औद्योगिक इकाई में पात्रता की अवधि के प्रत्येक वर्ष के दौरान कर्मचारियों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी। आगे, ऐसा व्यवसायी प्रत्येक वर्ष की विवरणी के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र/शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा। फिर भी, जांच के दौरान यह देखा गया कि 129 प्रकरणों में निर्माताओं द्वारा न तो प्रमाण पत्र/शपथ पत्र ही प्रस्तुत किए गए और न ही कर निर्धारण के समय इनके लिए आग्रह किया गया, इसमें असफलता के कारण राज्य के निवासियों को अतिरिक्त रोजगार के अवसर सुनिश्चित नहीं किए जा सके।

7.11.8 कर छूट की सीमा के विरुद्ध कर की गलत कटौती एवं समायोजन न होना

कर मुक्ति योजना, 1994 (योजना) के अंतर्गत वाणिज्यिक कर अधिनियम एवं केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के तहत सकल विक्रय से कर की कटौती अनुमत्य नहीं है क्योंकि निर्धारिती द्वारा कर संग्रह करना आवश्यक नहीं है। यदि कर भुगतान के घोषणा पत्र के बिना कच्चा माल क्रय किया जाता है तो क्रय कर भी आरोपणीय है। औद्योगिक इकाई के पूंजी निवेश के आधार पर कर छूट की कुल सीमा निर्धारित की जाती है। कर छूट की सीमा पर निगाह रखने हेतु क्रय कर एवं केन्द्रीय विक्रय कर सहित वाणिज्यिक कर की गणना की जानी चाहिए एवं कर निर्धारण में उल्लेख किया जाना चाहिए ताकि इकाई द्वारा अधिक छूट प्राप्त न की जा सके।

कर छूट की सीमा के विरुद्ध 17.36 करोड़ रुपये की गलत कटौती का समायोजन नहीं किया गया।

छः⁸⁰ सहायक आयुक्त कार्यालयों एवं तीन⁸¹ वाणिज्यिक कर कार्यालयों से संबंधित 1998-99 एवं 2000-01 की अवधि के नवम्बर 1998 एवं सितम्बर 2003 के मध्य निर्धारित 21 प्रकरणों में यह देखा गया कि कर निर्धारण को अंतिम रूप देते समय कर छूट की सीमा के विरुद्ध या तो 17.36 करोड़ रुपये की गलत कटौती अनुमत्य की गई या गलत दर पर आरोपित कर/क्रय कर का समायोजन नहीं किया गया। पात्रता प्रमाण पत्र में उल्लिखित कर छूट की कुल राशि की सीमा पर निगरानी रखने हेतु कोई पंजी संधारित नहीं की गई। 50 लाख रुपये से अधिक कराधान वाले कुछ प्रकरण नीचे दिए गए हैं:-

(करोड़ रुपये में)

स.क्र.	कर निर्धारण अधिकारी का नाम	कर निर्धारण वर्ष	कर निर्धारण का माह	औद्योगिक इकाइयों की संख्या (प्रकरण)	कर की राशि	अनियमितता की प्रकृति
1.	सहायक आयुक्त, रायपुर	1998-99	दिसम्बर 2001	1	7.78	विक्रय कर/क्रय कर गलत दरों पर आरोपित किया गया एवं कर छूट की सीमा के विरुद्ध समायोजित नहीं किया गया क्योंकि कर निर्धारण में न तो कोई समायोजन दर्शाया गया था और न ही कोई पंजी संधारित की गई थी।
2.	सहायक आयुक्त, रायपुर	1999-2000	जनवरी 2003	1	3.75	कर निर्धारण में कर छूट की सीमा के विरुद्ध वाणिज्यिक कर/क्रय कर का समायोजन नहीं किया गया और न ही कोई पंजी संधारित की गई।
3.	सहायक आयुक्त, बिलासपुर	1999-2000	जनवरी 2003	2	5.29	यद्यपि वाणिज्यिक कर एवं क्रय कर संगणित किए गए परन्तु कर छूट की सीमा के विरुद्ध न तो समायोजन ही किया गया और न ही कोई पंजी संधारित की गई।

⁸⁰ सहायक आयुक्त कार्यालय, बिलासपुर (2) सहायक आयुक्त कार्यालय, रायपुर (4)

⁸¹ वाणिज्यिक कर कार्यालय वृत्त I एवं II, बिलासपुर, वाणिज्यिक कर कार्यालय वृत्त v, रायपुर

7.11.9 नियत अवधि के पूर्व इकाइयों के बन्द होने पर कर की वसूली न होना

योजना के अंतर्गत, निर्माता कर छूट/कर आस्थगन की पात्रता अवधि के दौरान औद्योगिक इकाई को चालू रखेगा एवं कर छूट/कर आस्थगन हेतु पात्रता की अवधि की समाप्ति के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि तक भी चालू रखेगा जिसमें असफल रहने पर प्रमाण पत्र निरस्त माना जाएगा। इकाइयों की सतत कार्यशीलता पर निगरानी हेतु वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं महाप्रबंधक जिला व्यापार केन्द्र को कच्चे माल के क्रय उसकी खपत एवं अनुज्ञप्त वस्तुओं के उत्पादन के विवरण वाला तिमाही पत्रक प्रस्तुत करने के संबंध में अधिसूचना में प्रावधान है।

दो सहायक आयुक्तों⁸² एवं दो वाणिज्यिक कर कार्यालयों⁸³ के अभिलेखों की नमूना जांच एवं सात वाणिज्यिक कर कार्यालयों⁸⁴ (19 वृत्तों में से) प्राप्त जानकारी से प्रकट हुआ कि वाणिज्यिक कर की छूट/आस्थगन का लाभ प्राप्त करने वाली 75 इकाइयों ने छूट/आस्थगन की अवधि के दौरान या छूट/आस्थगन की अवधि की समाप्ति के पश्चात पांच वर्ष के अंदर या तो उत्पादन बंद कर दिया था या इकाइयाँ बन्द कर दी थीं और न तो वाणिज्यिक कर अधिकारी ने और न ही उद्योग विभाग ने अधिसूचना की शर्त के अंतर्गत अपेक्षित तिमाही पत्रकों की मांग की। पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने वाले उद्योग विभाग एवं छूट/आस्थगन स्वीकृत करने वाले वाणिज्यिक कर विभाग के मध्य समन्वय तंत्र नहीं था। विभागों द्वारा समय-समय पर पात्रता प्रमाण पत्र स्वीकृति प्राप्त इकाइयों के निष्पादन का आंकलन भी नहीं किया गया था। 55.40 लाख रुपये की छूट (68 इकाइयों के अतिरिक्त जिनकी राशि विभाग के पास उपलब्ध नहीं है) वसूली योग्य है परन्तु एक प्रकरण के अतिरिक्त, पात्रता प्रमाण पत्र अस्वीकृत करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई।

7.11.10 विक्रय का गलत निर्धारण

योजना के अंतर्गत निर्माता के द्वारा सही लेखे रखना एवं इन्हें कर निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है।

सकल विक्रय का गलत निर्धारण होने के कारण तीन प्रकरणों में 3.95 करोड़ रुपये का कम करारोपण हुआ।

1998-99 से 1999-2000 की अवधि के लिए अगस्त 2000 एवम् जनवरी 2003 के मध्य दो इकाइयों के तीन कर निर्धारण प्रकरणों की नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि वार्षिक लेखानुसार सकल विक्रय एवम् कर निर्धारण आदेश के अनुसार निर्धारित सकल विक्रय के मध्य अन्तर था। इसके परिणामस्वरूप 3.95 करोड़ रुपये की राशि का कम करारोपण हुआ। एक प्रकरण में छूट की सीमा से 3.68 करोड़ रुपये की राशि का आधिक्य हुआ जो निम्नानुसार वसूली योग्य थी:

⁸² सहायक आयुक्त, विलासपुर एवं सहायक आयुक्त रायपुर

⁸³ वाणिज्यिक कर कार्यालय IV एवं V

⁸⁴ वाणिज्यिक कर कार्यालय -विलासपुर-II, दुर्ग-II, रायपुर, I, II, III, IV, एवं V

(करोड़ रुपये में)

स. क्र.	कर निर्धारण अधिकारी का नाम	कर निर्धारण वर्ष	कर निर्धारण का माह	औद्योगिक इकाइयों की संख्या (प्रकरण)	कर की राशि	अनियमितता की प्रकृति
1.	सहायक आयुक्त, रायपुर	1999-2000	जून 2003	1(1)	3.84	वार्षिक लेखानुसार 197.58 करोड़ रुपये का सकल विक्रय है जबकि कर निर्धारण आदेशानुसार सकल विक्रय 114.06 करोड़ रुपये है। कर निर्धारण आदेश में अंतर के कारण की चर्चा नहीं की गई। अंतर की राशि पर 3.84 करोड़ रुपये कर आरोपणीय था। कर छूट की सीमा के विरुद्ध इस राशि का समायोजन करने के पश्चात् इसका 3.68 करोड़ रुपये का आधिक्य हुआ जो वसूली योग्य था।
2.	सहायक आयुक्त, बिलासपुर	1998-99 एवम् 1999-2000	अगस्त 2000 एवं जून 2002	1(2)	0.11	वार्षिक लेखानुसार कुल विक्रय 2.79 करोड़ रुपए था जबकि कर निर्धारण आदेश में 1.49 करोड़ रुपये दर्शाया गया। कर निर्धारण आदेश में अंतर पर चर्चा नहीं की गई। बिलासपुर शाखा के लेखे की सत्यापित प्रतिलिपि एवं क्रय किए गए तैयार माल की प्रतिलिपि भी स्थिति के सत्यापन हेतु उपलब्ध नहीं थी।
	योग			2(3)	3.95	

7.11.11 गलत कर मुक्ति प्रमाण पत्र जारी होने के कारण राजस्व हानि

कर मुक्ति योजनांतर्गत अधिसूचना में प्रावधान था कि कुछ निश्चित औद्योगिक इकाइयाँ जो लोहा एवम् इस्पात के उत्पादों की रिसेलिंग, तेल शोधन व कम्प्यूटर की लेखन सामग्री के निर्माण/प्रसंस्करण संबंधी प्रक्रिया में कार्यरत हैं, कर छूट हेतु पात्र नहीं हैं।

गलत प्रमाण पत्र जारी होने के कारण 7 इकाइयों के 9 प्रकरणों में 86.11 लाख रुपये की राजस्व हानि हुई।

1998-99 से 2000-2001 की अवधि के लिए अक्टूबर 2001 एवम् दिसम्बर 2003 के मध्य 7 इकाइयों के 9 कर निर्धारित प्रकरणों के अभिलेखों की नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि अपात्र इकाइयों को कर छूट स्वीकृत की गई जिसके परिणामस्वरूप शासन को 86.11 लाख रुपये की हानि हुई, विवरण निम्नानुसार है :-

(लाख रुपये में)

स. क्रं.	कर निर्धारण अधिकारी का नाम	कर निर्धारण वर्ष	कर निर्धारण का माह	औद्योगिक इकाइयों की संख्या (प्रकरण)	कर की राशि	अनियमितता की प्रकृति
1.	सहायक आयुक्त कर, रायपुर (4) वाणिज्यिक कर अधिकारी (5) रायपुर	1998-99 से 2000-01	अक्टूबर 2001 से दिसम्बर 2003	5(5)	53.75	अधिसूचना के अंतर्गत रिरोलिंग उत्पाद के ऐसे निर्माता कर छूट का लाभ प्राप्त करने हेतु अधिकृत थे जिनका पूँजीनिवेश 1 अप्रैल 1995 से 1 करोड़ रुपये से अधिक है। जबकि इन प्रकरणों में पूँजीनिवेश 1 करोड़ रुपये से कम थे। एक प्रकरण में उत्पादन के प्रारंभ का दिनांक 1 अप्रैल 1995 के पूर्व का था।
2.	वाणिज्यिक कर कार्यालय- बिलासपुर II	1998-99 से 2000-01	अगस्त 2000 से जून 2002	1(3)	21.15	कम्प्यूटर की लेखन सामग्री का निर्माण करने वाली इकाई कर छूट हेतु पात्र नहीं है जबकि पात्रता प्रमाण पत्र 28 दिसम्बर 1998 को जारी किए गए।
3.	वाणिज्यिक कर कार्यालय- रायपुर II,	1998-99	दिसम्बर 2001	1(1)	11.21	11 वर्ष हेतु पात्रता प्रमाण पत्र अधिक अवधि के लिए ऐसी वस्तुओं हेतु जारी किया गया जिन पर 7 वर्ष तक कर छूट हेतु पात्रता थी। इस प्रकार चार वर्ष की अधिक अवधि के लिए छूट गलत ढंग से अनुमत्य की गई।
	योग			7(9)	86.11	

7.11.12 गलत छूट

कर मुक्ति योजना, 1994 में निश्चित मात्रा तक निर्मित वस्तुओं और माल एवम् पात्रता प्रमाण पत्र में उल्लिखित दिनांक से कर से छूट हेतु प्रावधान है। विद्यमान औद्योगिक इकाई के विस्तार की स्थिति में मूल स्थापित क्षमता के 100 प्रतिशत से अधिक का उत्पादन, छूट हेतु स्वीकार्य है। निर्यात करने वाली औद्योगिक इकाई की स्थिति में कृषि, उद्यानिकी या रेशम आधारित उद्योग के प्रकरण में एक वर्ष में उनके उत्पादन का कम से कम 40 प्रतिशत मूल्य की वस्तुओं का निर्यात करने के पश्चात ही कर छूट स्वीकार्य है।

विस्तार अवधि के दौरान 6 इकाइयों को 4.18 करोड़ रुपये की गलत छूट अनुमत्य की गई।

वर्ष 1998-99 एवम् 1999-2000 के मध्य की समयावधि के लिए फरवरी 2001 एवम् जनवरी 2003 के मध्य छः इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि बाद की तारीख में मदों को सम्मिलित कर, पात्रता प्रमाण पत्रों को भूतलक्षी प्रभाव से संशोधित करते हुए विस्तार की अवधि के दौरान अधिक/कम उत्पादन के कारण 4.18 करोड़ रुपये के कर की गलत छूट वहाँ अनुमत्य की गई, जहाँ पात्रता प्रमाण पत्रों में विक्रय की राशि का उल्लेख नहीं था एवं वस्तुओं का निर्यात उत्पादन के निश्चित प्रतिशत से कम था, विवरण निम्नानुसार है :-

(करोड़ रुपये में)

स. क्रं.	कर निर्धारण अधिकारी का नाम	कर निर्धारण वर्ष	कर निर्धारण का माह	औद्योगिक इकाइयों की संख्या (प्रकरण)	कर की राशि	अनियमितता की प्रकृति
1.	सहायक आयुक्त कार्यालय, बिलासपुर (2) वाणिज्यिक कर कार्यालय रायपुर	1998-99 1999-2000	फरवरी 2001 से जनवरी 2003	2(4)	0.55	ये इकाइयाँ विस्तार इकाइयाँ होते हुए भी मूल इकाई की संस्थापित क्षमताओं के उत्पादन को भी प्राप्त न कर सकी। इसलिए, अनुमत्य की गई छूट स्वीकार्य नहीं थी।
2.	सहायक आयुक्त कार्यालय रायपुर वाणिज्यिक कर कार्यालय, रायपुर	1998-99 1999-2000	दिसम्बर 2001 से जनवरी 2003	2(4)	1.30	निर्मित वस्तुएँ पात्रता प्रमाण पत्र में उल्लिखित वस्तुओं से भिन्न थी।
3.	सहायक आयुक्त कार्यालय, रायपुर	1998-99	दिसम्बर 2001 से जनवरी 2003	2(2)	2.33	वर्ष में वस्तुओं की निर्यात बिक्री, कुल बिक्री एवं उत्पादक मूल्य के निश्चित प्रतिशत से कम थी। छूट स्वीकार्य नहीं थी। पात्रता प्रमाण पत्र के निबंधन एवम् शर्तें अधिसूचना के प्रावधान के अनुसार नहीं थीं।
	योग			6(10)	4.18	

7.11.13 घोषणा पत्र के बिना या गलत घोषणा पत्र से वस्तुओं की बिक्री

कर मुक्ति योजना, 1994 के अंतर्गत नवीन औद्योगिक इकाई में वस्तुओं का निर्माण करने वाला एक पंजीकृत व्यवसायी या ऐसी वस्तुओं की बाद में बिक्री करने वाला एक पंजीकृत व्यवसायी, क्रय करने वाले व्यवसायी को एक घोषणा पत्र जारी करेगा एवम् घोषणा पत्र की दो प्रतियाँ कर निर्धारण में उपयोग हेतु उपयुक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी की ओर भेजेगा।

घोषणा पत्र के बिना/या गलत घोषणा पत्र से बिक्री के कारण 1.57 करोड़ रुपये के कर की गलत छूट।

तीन सहायक आयुक्त, रायपुर एवम् एक वाणिज्यिक कर अधिकारी, रायपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच से यह प्रकट हुआ कि 1998-99 से 2000-01 की अवधि के लिए जुलाई 2001 से मार्च 2003 की अवधि के मध्य 10 इकाइयों का कर निर्धारण करते समय यह पाया गया कि घोषणा पत्र जारी किए बिना बिक्री की गई या जारी घोषणा पत्र इस योजना से संबंधित नहीं थे। इसकी परिणति 1.57 करोड़ रुपये की गलत छूट में हुई।

7.11.14 कर की गलत दर लागू करना

मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (यथा प्रयोज्य) विभिन्न वस्तुओं पर आरोपणीय वाणिज्यिक कर की दरों को विनिर्दिष्ट करता है।

सहायक आयुक्त कार्यालय, बिलासपुर एवम् दो वाणिज्यिक कर अधिकारी, बिलासपुर/रायपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान यह देखा गया कि 1998-99 से 2000-01 की अवधि के लिए तीन इकाइयों के कर निर्धारण (अगस्त 2000 एवम्

निम्न (कम) दर पर करारोपण के परिणाम स्वरूप 33.12 लाख रुपये कम करारोपण हुआ।

जून 2002 के मध्य) के छः प्रकरणों में 3.96 करोड़ रुपये की सकल बिक्री पर विनिर्दिष्ट दर से कम दर पर करारोपण किया गया। इसके परिणामस्वरूप 33.12 लाख रुपये का कम करारोपण हुआ। और भी कि, एक प्रकरण में, कम करारोपण के कारण छूट की सीमा 14.63 लाख रुपये से पार कर गई।

7.11.15 आन्तरिक नियंत्रण तंत्र

आन्तरिक नियंत्रण की कमी। योजना का परीक्षण करने के लिए कोई नियत कालिक विवरणी निर्धारित नहीं की गई।

प्रत्येक वाणिज्यिक कर वृत्त में औद्योगिक इकाइयों, जिनको कर छूट/कर आस्थगन स्वीकृत किया गया था, का विवरण दर्शाते हुए एवम् इकाइयों द्वारा प्राप्त कर छूट/कर आस्थगन की राशि दर्शाते हुए अभिलेख संधारित करना आवश्यक है :-

- यह देखा गया कि वर्ष-प्रतिवर्ष कर से छूट की अधिकतम राशि की निगरानी करने हेतु वृत्त कार्यालयों द्वारा कोई अभिलेख संधारित नहीं किया गया, परिणामतः वृत्त कार्यालय नियत समयावधि के अंदर बन्द इकाइयों के संबंध में कर छूट की राशि का विवरण प्रस्तुत नहीं कर सके। देय कर छूट/कर स्थगन के संबंध में जानकारी का परीक्षण करने के लिए वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा कोई नियत कालिक विवरणी निर्धारित नहीं की गई थी परिणामतः आयुक्त, वाणिज्यिक कर के पास कर छूट/स्थगन की राजस्व राशि के विवरण नहीं थे।
- उद्योग विभाग अथवा आयुक्त वाणिज्यिक कर द्वारा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इकाइयाँ अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्य कर रही हैं, निरीक्षण/सर्वेक्षण की कोई पद्धति निर्धारित नहीं की गई। यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या औद्योगिक इकाई नियत समयावधि के पूर्व या योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पश्चात बन्द कर दी गई, दोनों विभागों में से किसी के भी द्वारा कोई सर्वे नहीं किया गया।
- उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करना ही उद्योगों को छूट का उद्देश्य है जो कि राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है व रोजगार एवम् राजस्व पैदा करती है। इकाइयों के बंद होने के कारण बेरोजगारी सहित राजस्व की हानि के साथ ही पूँजीनिवेश की समस्या बढ़ेगी। परिणामतः, कर मुक्ति योजना के दुरुपयोग को रोकने के दृष्टिकोण से कार्य प्रणाली एवम् प्रक्रिया का परीक्षण करना शासन के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

प्रकरण शासन एवम् आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग को सूचित किया गया (दिसम्बर 2004); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (जनवरी 2005)।

7.11.16 अनुशंसाएँ

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि इकाइयाँ नियत समयावधि हेतु कार्यरत रहें, योजना के अंतर्गत छूट प्राप्त इकाइयों के निष्पादन का नियमित अन्तराल पर मूल्यांकन किया जाना चाहिये।
- उद्योग एवम् वाणिज्यिक कर विभाग के मध्य समन्वय को सशक्त बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि पात्रता प्रमाण पत्रों की संस्वीकृति में विलंब न हो।
- योजना के दुरुपयोग को रोकने के लिए नियतकालिक विवरणियों एवम् निरीक्षण/सर्वेक्षण के रूप में आंतरिक नियंत्रण तंत्र निर्धारित किया जाना चाहिए।

लेन-देन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

लेखापरीक्षा कंडिकाएं

वाणिज्यिक कर

7.12 कर का अनारोपण

कर मुक्त कच्चे माल से निर्मित माल के विक्रय पर 35 लाख रुपये के कर का अनारोपण ।

मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 सह पठित केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 एवं इनके अधीन जारी अधिसूचना के अंतर्गत ऐसे माल जो अधिनियम के अंतर्गत पूर्व में ही कर भारित है, से निर्मित लोहे एवं इस्पात की वस्तुओं का विक्रय पंजीकृत व्यवसाई द्वारा किया जाता है, तो वह कर के भुगतान से मुक्त होता है ।

अक्टूबर, 2002 में सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, रायपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि कर निर्धारण अधिकारी ने अप्रैल, 2001 में 1998-99 की अवधि के लिए व्यवसाई का कर निर्धारण करते समय यह कहते हुए कि कच्चे माल पर करारोपण किया जा चुका है, 17.50 करोड़ रुपये मूल्य के माल के विक्रय पर 35 लाख रुपये का करारोपण नहीं किया । कर निर्धारण अधिकारी का संकथन सही नहीं था क्योंकि व्यवसाई द्वारा एक नवीन औद्योगिक इकाई से कच्चे माल का क्रय किया गया था, जो कर के भुगतान से मुक्त थी । इसके परिणामस्वरूप 35 लाख रुपये के कर का अनारोपण हुआ ।

अक्टूबर, 2002 में इसे इंगित करने के पश्चात् निर्धारण अधिकारी ने उत्तर दिया कि नवीन औद्योगिक इकाई जिससे कच्चा माल क्रय किया गया था, कर मुक्ति का नहीं वरन् कर भुगतान के आस्थगन का लाभ प्राप्त कर रही थी । कर निर्धारण अधिकारी का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पात्रता प्रमाण पत्र के अनुसार औद्योगिक इकाई जिससे कच्चा माल क्रय किया गया था, कर के भुगतान से मुक्त थी और कर आस्थगन का लाभ प्राप्त नहीं कर रही थी ।

प्रकरण मार्च, 2004 में शासन/आयुक्त, वाणिज्यिक कर को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (जनवरी 2005)।

7.13 कर एवम् शास्ति का अनारोपण

अन्तर्राज्यीय विक्रय में कर मुक्त कच्चे माल के विक्रय पर शास्ति सहित 28.79 लाख रुपये के कर का अनारोपण ।

मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 की धारा 9 सहपठित धारा 21 (यथा अंगीकृत) के अंतर्गत एवम् इनके अधीन जारी अधिसूचना के अनुसार, एक रोलिंग मिल में कच्चे माल के रूप में उपयोग हेतु कर से मुक्ति प्राप्त इकाइयों से माल क्रय करने वाला एक पंजीकृत व्यवसाई अधिसूचना के अंतर्गत उसी माल को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से कर मुक्त करते हुए घोषणा पत्र/प्रमाण पत्र के विरुद्ध ही अन्य पंजीकृत व्यवसाई को विक्रय कर सकता है। किसी प्रकार अन्यथा निराकृत करने पर व्यवसाई ऐसे माल के क्रय मूल्य पर पूर्ण दर से कर एवं अधिनियम के अंतर्गत भुगतान योग्य कर की राशि की 25 प्रतिशत के तुल्य शास्ति के भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा।

अक्टूबर 2002 में सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, रायपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि जून 2001 में एक व्यवसाई जिसका कर निर्धारण 1998-99 की अवधि हेतु किया गया था, ने एक कर मुक्त इकाई से 2.87 करोड़ रुपये का कच्चा माल क्रय किया और कर भुगतान किए बिना उसी माल का अन्तर्राज्यीय विक्रय के रूप में विक्रय कर दिया। इस प्रकार, कच्चे माल का उपयोग न तो स्वयं की रोलिंग मिल में किया गया और न ही कच्चे माल के रूप में उपयोग हेतु घोषणा पत्र के विरुद्ध अन्य पंजीकृत व्यवसाई को विक्रय किया गया। अतः, 28.79 लाख रुपये के कर एवं शास्ति की राशि आरोपणीय थी।

अक्टूबर 2002 में इसे इंगित करने के पश्चात कर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि कर मुक्त इकाई से क्रय किया गया कच्चा माल व्यापारिक उद्देश्य के लिए था न कि इसके उपभोग के लिए, अतः कोई कर दायित्व नहीं था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित व्यापार खातों में दर्शाया गया है कि क्रय कच्चे माल के रूप में किया गया न कि व्यापारिक उद्देश्य के लिए और कर मुक्त इकाइयों से क्रय किए गए कच्चे माल का ही अन्तर्राज्यीय विक्रय किया गया।

प्रकरण मई 2003 में आयुक्त, वाणिज्यिक कर एवं शासन को सूचित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (जनवरी 2005)।

7.14 गलत कटौती के कारण कर का अनारोपण

आयातित कर योग्य वायर रॉड्स से निर्मित वायर पर 17.25 लाख रुपये के कर का अनारोपण ।

मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (यथा अंगीकृत) के अंतर्गत जारी शासकीय अधिसूचना में प्रावधान है कि एक नवीन कर मुक्त इकाई द्वारा निर्मित वायर रॉड्स से बनाए गए वायर का विक्रय कर से मुक्त है । राज्य के बाहर से क्रय किए गए वायर रॉड्स से बनाए गए वायर के विक्रय पर कर मुक्ति प्राप्य⁸⁵ नहीं है ।

अक्टूबर 2003 में सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, दुर्ग के अभिलेखों की नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि दिसम्बर 2002 में 1999-2000 की अवधि के लिए एक व्यवसाई का कर निर्धारण करते समय यह देखा गया कि राज्य के बाहर से क्रय किए गए 24.93 करोड़ रुपये के मूल्य के वायर रॉड्स से बनाए गए वायर के विक्रय पर राजस्व मण्डल द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय⁸⁶ का निर्णय उद्धृत करते हुए कटौती अनुमत्य की गई, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि कर भुगतान किए गए वायर रॉड्स से बनाये गए वायर के विक्रय पर कर का आरोपण नहीं होगा। इस प्रकार 17.25 लाख रुपये के कर की राशि का आरोपण नहीं किया गया ।

लेखापरीक्षा में अक्टूबर 2003 में इसे इंगित किए जाने के पश्चात कर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश⁸⁷ के निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए आयातित वायर के विक्रय पर कटौती अनुमत्य की गई । इस निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि निर्धारित रियायती दर और पूर्ण दर पर कच्चे माल के क्रय से संबंधित अलग खाता न रखने के कारण शास्ति हेतु उत्तरदायी नहीं होगा। निर्णय इस प्रकरण में लागू नहीं था क्योंकि यह शास्ति के प्रावधानों से संबंधित है। वर्तमान प्रकरण में वायर पर कर आरोपणीय था क्योंकि यह कर योग्य वायर रॉड्स से बनाया गया था।

प्रकरण आयुक्त, वाणिज्यिक कर एवं शासन की जानकारी में लाया गया (मार्च 2004), उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (जनवरी 2005)।

⁸⁵ मैसर्स भिलाई वायर लिमिटेड विरुद्ध आयुक्त विक्रय कर, मध्यप्रदेश के प्रकरण में राजस्व मण्डल का निर्णय दिनांक 1 दिसम्बर 1992 ।

⁸⁶ मैसर्स प्यारे लाल मल्होत्रा 37 एस.टी.सी.319 के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय ।

⁸⁷ आयुक्त विक्रय कर विरुद्ध ग्वालियर ऑयल मिल्स व्हाल्यूम 62 (1986) एस.टी.सी.299 एवम् मे.राजसिनेट केमीकल कम्पनी प्रकरण में चर्चित, के प्रकरणों में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय का निर्णय ।

7.15 कर का अनारोपण

चावल भूसी को कर मुक्त के रूप में मानने के फलस्वरूप 15.44 लाख रुपये के कर का अनारोपण ।

मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (यथा अंगीकृत) में माल के विक्रय पर कर की विभिन्न दरों का प्रावधान है ।

अक्टूबर 2003 में सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, दुर्ग के अभिलेखों की नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि 1 अप्रैल 1999 से 31 दिसम्बर 1999 की अवधि में 1.68 करोड़ रुपये मूल्य की चावल भूसी (कांदा) को कर मुक्त मानकर विक्रय किया गया, यद्यपि यह अनुसूची-II की अवशिष्ट प्रविष्टि के अंतर्गत करयोग्य थी । इसके फलस्वरूप 15.44 लाख रुपये के कर का अनारोपण हुआ ।

अक्टूबर 2003 में इसे इंगित किए जाने के पश्चात, कर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि चावल भूसी अनुसूची-I की प्रविष्टि 39 (31 दिसम्बर 1999 तक) एवं प्रविष्टि क्रमांक 18 (1 जनवरी 2000 से 14 मार्च 2000 तक) एवम् प्रविष्टि-5 (15 मार्च 2000 से 31 मार्च 2000 तक) के अनुसार कर मुक्त है । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि भूसी को 1 जनवरी 2000 से कर मुक्त किया गया था इसके पूर्व नहीं ।

प्रकरण आयुक्त, वाणिज्यिक कर को सूचित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जनवरी 2005)।

7.16 क्रय कर का अनारोपण

अपंजीकृत व्यवसाइयों से क्रय किए गए माल पर 8.94 लाख रुपये के क्रय कर का अनारोपण ।

मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (यथा अंगीकृत) के अन्तर्गत, यदि एक व्यवसाई उपयोग या निर्माण में उपयोग अथवा अन्य वस्तुओं के प्रसंस्करण हेतु अपंजीकृत व्यवसाई से माल क्रय करता है तो वह क्रय कर भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है ।

दिसम्बर 2001 में सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर रायपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि फरवरी 2001 में 1997-98 की अवधि हेतु एक व्यवसाई जिसने अपंजीकृत व्यवसाइयों से 8.94 करोड़ रुपये के मूल्य के पुराने आभूषण क्रय किए और उनका बुलियन के निर्माण में उपयोग किया, के कर निर्धारण प्रकरण में क्रय कर का आरोपण नहीं किया गया। इसके फलस्वरूप 8.94 लाख रुपये के क्रय कर का अनारोपण हुआ।

दिसम्बर 2001 में इसे इंगित करने के पश्चात, कर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि बुलियन पर कर की दर 0.5 प्रतिशत थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने क्रय कर का अनारोपण इंगित किया था जबकि कर निर्धारण अधिकारी ने बुलियन के विक्रय पर वाणिज्यिक कर आरोपित किया।

प्रकरण मार्च 2002 में आयुक्त, वाणिज्यिक कर एवम् शासन को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (जनवरी 2005)।

7.17 ब्याज का कम आरोपण

कर जमा न करने एवम् विवरणी दाखिल न करने के फलस्वरूप 6.90 लाख रुपये के ब्याज का कम आरोपण।

मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (यथा अंगीकृत) में प्रावधान है कि यदि एक व्यवसाई पर्याप्त कारण के बिना विवरणी के अनुसार भुगतान योग्य कर की राशि का भुगतान करने में असफल रहता है या किसी भी अवधि के लिए विवरणी जमा नहीं करता तो ऐसा व्यवसाई उस दिनांक से जिस पर ऐसा भुगतान योग्य कर देय हो चुका था या कर निर्धारण आदेश के दिनांक से, जो भी पहले हो, 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा।

अक्टूबर 2002 में सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, रायपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि वर्ष 2001 में 1998-99 की अवधि के लिए एक व्यवसाई का कर निर्धारण करते समय कर जमा न करने एवं विवरणी दाखिल न करने के कारण आरोपणीय 10.32 लाख रुपये के ब्याज के विरुद्ध 3.42 लाख रुपये के ब्याज का आरोपण किया गया। इसके फलस्वरूप 6.90 लाख रुपये के ब्याज का कम आरोपण हुआ।

अक्टूबर 2002 में इसे इंगित करने के पश्चात, कर निर्धारण अधिकारी ने अक्टूबर 2002 में बताया कि भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय⁸⁸ के निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए विवरणी के अनुसार देय कर पर ब्याज का आरोपण नहीं किया जा सका। निर्णय इस प्रकरण पर लागू नहीं होता क्योंकि व्यवसाई ने अपनी प्रस्तुत प्रथम विवरणी के आधार पर कर जमा नहीं किया था। उसने तीन तिमाहियों अर्थात् 1 जुलाई 1998 से 31 मार्च 1999 के लिए विवरणियां भी दाखिल नहीं की थीं।

प्रकरण शासन/आयुक्त, वाणिज्यिक कर को सूचित किया गया (मार्च 2004); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (जनवरी 2005)।

⁸⁸

फ्रिक इण्डिया विरुद्ध हरियाणा राज्य (1994) 95 एस.टी.सी.198

7.18 सकल विक्रय का गलत निर्धारण

विक्रय मूल्य में भाड़ा प्रभारों का गलत अपवर्जन सम्मिलित करने के फलस्वरूप 3.42 लाख रुपये का कम आरोपण ।

मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर, अधिनियम 1994 (यथा अंगीकृत) एवम् इस पर निर्णय⁸⁹ के अंतर्गत, किराया भाड़ा या द्वार परिदान आधार पर परिदान प्रभार पर किया गया व्यय विक्रय मूल्य का भाग होगा ।

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त II, दुर्ग के अभिलेखों की नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि 1998-99 की अवधि के लिए जून 2001 एवम् दिसम्बर 2001 में निर्धारित दो व्यवसायों के प्रकरणों में 74.41 लाख रुपये के परिवहन प्रभारों को कर योग्य टर्न ओवर में सम्मिलित नहीं किया गया यद्यपि यह विक्रय मूल्य का भाग था । इसके फलस्वरूप 3.42 लाख रुपये के कर का कम आरोपण हुआ ।

जनवरी 2003 में इसे लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के पश्चात कर निर्धारण अधिकारी ने उत्तर दिया कि किराया भाड़ा प्रभार पृथक रूप से प्रभारित किए गए थे एवम् माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय⁹⁰ के प्रकाश में विक्रय मूल्य में सम्मिलित नहीं किए गए । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उद्धृत प्रकरण में संविदा के अन्तर्गत परिवहन के लिए अलग अनुबन्ध हेतु प्रावधान था, अतः यह विक्रय मूल्य का भाग नहीं था जबकि वर्तमान प्रकरण में क्रय आदेशों के अनुसार भाड़ा प्रभार मूल्य में सम्मिलित किए गए थे ।

प्रकरण आयुक्त, वाणिज्यिक कर एवम् शासन को सूचित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (जनवरी 2005)।

⁸⁹ मैसर्स बिरला जूट एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड विरुद्ध कोल इण्डिया लिमिटेड एवम् अन्य (1997) 19 टी.एल.डी.233 के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश का निर्णय ।

⁹⁰ कर्नाटक राज्य एवम् अन्य विरुद्ध बंगलोर सोफ्ट ड्रिंक प्राइवेट लिमिटेड (2000) एस.टी.सी.117 पृष्ठ 413-419

7.19 कर का अनारोपण

विक्रय मूल्य से छूट (रिबेट) की गलत कटौती के फलस्वरूप 2.03 लाख रुपये के कर का अनारोपण ।

मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (यथा अंगीकृत) के अंतर्गत सामान्य व्यापारिक प्रथा के अनुसार नकद छूट (कैश डिस्काउंट) ही विक्रय मूल्य से अनुमत्य कटौती है ।

नवम्बर 2003 में सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर, रायपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि 1998-99 की अवधि के लिए नवम्बर 2001 में निर्धारित एक व्यवसाई के प्रकरण में विक्रय मूल्य से छूट (रिबेट) हेतु 44.03 लाख रुपये की कटौती की गई । रिबेट विक्रय मूल्य से एक अनुमत्य कटौती⁹¹ नहीं है । इसके फलस्वरूप 2.03 लाख रुपये के कर का अनारोपण हुआ ।

इसे इंगित किए जाने के पश्चात, कर निर्धारण अधिकारी ने अगस्त 2004 में उत्तर दिया कि प्रकरण की जाँच की जा रही थी। अंतिम उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2004)।

प्रकरण अप्रैल 2004 में आयुक्त, वाणिज्यिक कर, रायपुर को सूचित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जनवरी 2005)।

7.20 सही दर पर कर का अनारोपण

कर की गलत दर लागू करने के फलस्वरूप 1.01 लाख रुपये का कम आरोपण ।

मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 एवम् उसके अधीन जारी अधिसूचना, छत्तीसगढ़ द्वारा यथा अंगीकृत के अंतर्गत मशीनरी आठ प्रतिशत की दर से कर योग्य है। साथ ही, कर पर 15 प्रतिशत की दर से अधिभार भी आरोपणीय है ।

सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, दुर्ग के अभिलेखों की नमूना जाँच (जनवरी 2003) से प्रकट हुआ कि दिसम्बर 2001 में 1998-99 की अवधि के लिए एक व्यवसाई का कर निर्धारण करते समय, यह अवलोकन किया गया कि 21.85 लाख रुपये मूल्य की क्रेन के विक्रय पर गलत दर पर अधिभार सहित कर का आरोपण किया गया। इसके फलस्वरूप 1.01 लाख रुपये के कर का कम आरोपण हुआ।

जनवरी 2003 में इसे इंगित करने के पश्चात, कर निर्धारण अधिकारी ने अगस्त 2004 में बताया कि पुनर्करनिर्धारण हेतु प्रकरण पुनः खोलने के लिए व्यापारी को नोटिस जारी किया जा चुका है। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही प्रतीक्षित है।

⁹¹ मैसर्स वन्दना सेल्स कॉर्पोरेशन विरुद्ध आयुक्त, विक्रय कर मध्यप्रदेश 1996 (29 व्ही.के.एन.376)

प्रकरण मार्च 2004 में आयुक्त, वाणिज्यिक कर एवम् शासन को सूचित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (जनवरी 2005)।

राज्य उत्पाद शुल्क

7.21 चूककर्ता अनुज्ञप्ति धारियों से अनुज्ञप्ति शुल्क की वसूली न होने के कारण राजस्व हानि

मदिरा की दूकानों के पुनः आवंटन पर 33.24 लाख रुपये की हानि की चूककर्ता अनुज्ञप्तिधारियों से वसूली नहीं की गई ।

मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 31 की उपधारा 4, जैसा कि छत्तीसगढ़ में लागू है, में प्रावधान है कि यदि एक मदिरा की दूकान की अनुज्ञप्ति का उसकी अवधि की समाप्ति के पूर्व पुनः आवंटन किया जाता है, तो पूर्व अनुज्ञप्तिधारक से शेष अवधि के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क राज्य उत्पाद राजस्व के रूप में संग्रहित करना होता है ।

सहायक आयुक्त आबकारी, राजनांदगांव के अभिलेखों की नमूना जाँच (जून 2003) से प्रकट हुआ कि वर्ष 2002-03 के लिए दो अनुज्ञप्तिधारियों को 1.27 करोड़ रुपये के अनुज्ञप्ति शुल्क पर दो मदिरा की दुकानों हेतु अनुज्ञप्तियाँ आवंटित की गईं। एक से चार माह की अवधि तक व्यवसाय करने के पश्चात अनुज्ञप्तिधारियों के निवेदन पर अनुज्ञप्तियाँ निरस्त कर दी गईं । अनुज्ञप्ति निरस्तीकरण के दिनांक तक पूर्व-अनुज्ञप्ति धारकों द्वारा भुगतान किया गया अनुज्ञप्ति शुल्क 31.67 लाख रुपये था। इसके पश्चात, ये दुकानें दो अन्य अनुज्ञप्तिधारियों को 62.38 लाख रुपये के अनुज्ञप्ति शुल्क पर पुनः आवंटित की गईं । इस प्रकार, अनुज्ञप्तियों के पुनः आवंटन पर 32.95 लाख रुपये की हानि हुई । यद्यपि यह हानि पूर्व-अनुज्ञप्तिधारकों से वसूल की जानी थी, पर ऐसा नहीं किया गया फलस्वरूप 32.95 लाख रुपये की राजस्व हानि हुई ।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने (जून 2003) के पश्चात सहायक आयुक्त, आबकारी, राजनांदगांव ने बताया कि एक प्रकरण में 2.24 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी थी । दूसरे प्रकरण में कार्यवाही प्रतीक्षित थी (जनवरी 2005)।

प्रकरण आबकारी आयुक्त, रायपुर एवं शासन को जुलाई-अगस्त 2003 के मध्य एवं मार्च 2004 में सूचित किया गया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (जनवरी 2005)।

वाहनों पर कर

7.22 वाहनों पर कर एवम् शास्ति का अनारोपण

172 वाहनों पर कर एवं शास्ति के अनारोपण के फलस्वरूप 1.01 करोड़ रुपये की राजस्व हानि ।

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991, जैसा छत्तीसगढ़ राज्य में लागू है एवं उसके अधीन बनाए गए नियम के अनुसार राज्य में उपयोग किए गए या उपयोग हेतु रखे गए प्रत्येक वाहन पर निर्धारित दर पर करारोपण किया जावेगा । देय कर जमा न करने की स्थिति में, वाहन स्वामी देय कर भुगतान करने के अतिरिक्त प्रतिमाह या उसके भाग की चूक के लिए कर की भुगतान न की गई राशि के एक तिहाई की दर पर, परन्तु जो कर की भुगतान न की गई राशि के दो गुने से अधिक नहीं होगी, शास्ति के भुगतान करने हेतु उत्तरदायी होगा ।

अप्रैल 2001 एवम् मार्च 2002 के मध्य की अवधि के लिए तीन क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों⁹² के अभिलेखों की नमूना जाँच से प्रकट हुआ (मार्च 2003 एवम् मई 2003) कि 172 लोक वाहनों, माल वाहनों, ऑम्नीबसेज एवम् निजी वाहनों आदि पर 33.66 लाख रुपये का वाहन कर आरोपित नहीं किया गया । इसके अलावा, 67,32 लाख रुपये की शास्ति भी आरोपणीय थी । इसके परिणामस्वरूप 1.01 करोड़ रुपये के कर एवम् शास्ति का अनारोपण हुआ ।

मार्च 2003 एवम् मई 2003 में लेखापरीक्षा में इसे इंगित करने के पश्चात, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बिलासपुर एवम् दुर्ग ने मार्च/मई 2003 में बताया कि प्रकरणों की जाँच के पश्चात डिमांड नोटिस जारी किए जाएंगे । जबकि क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, राजनांदगांव ने मई 2003 में बताया कि जुलाई 2002 में कुछ प्रकरणों में डिमांड जारी कर दी गई थी और कुछ प्रकरणों में जारी की जा रही थी । अन्य प्रकरणों में उत्तर एवम् वसूली की स्थिति प्रतीक्षित थी (जनवरी 2005)।

प्रकरण शासन एवम् परिवहन आयुक्त को सूचित किया गया था (जुलाई 2003 एवम् मार्च 2004 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (जनवरी 2005)।

⁹² क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बिलासपुर, दुर्ग एवम् राजनांदगांव

अन्य कर राजस्व

मुद्रांक शुल्क एवम् पंजीयन फीस

7.23 मुद्रांक शुल्क एवम् पंजीयन फीस का कम आरोपण

रॉयल्टी की गलत दर प्रयोग करने फलस्वरूप 11.50 करोड़ रुपये के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण हुआ ।

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 के प्रावधानों के अनुसार, पट्टे के हस्तांतरण विलेख पर मुद्रांक शुल्क हस्तांतरणाधीन सम्पत्ति के बाजार मूल्य के साढ़े सात प्रतिशत की दर पर प्रभारित किया जाता है। किसी भी सम्पत्ति के बाजार मूल्य का आंकलन उस कीमत पर किया जाएगा जो कलेक्टर अथवा अपीलीय प्राधिकारी, जैसा भी प्रकरण हो, के मतानुसार विलेख के निष्पादन के दिनांक को ऐसी सम्पत्ति का खुले बाजार में विक्रय करने पर प्राप्त होती अथवा हो चुकी होती । इसके अतिरिक्त, विलेखों पर मूल्यानुसार पंजीयन फीस भी प्रभार्य है।

उप पंजीयक, जांजगीर के अभिलेख की नमूना जाँच (मार्च, 2002) से प्रकट हुआ कि एक पट्टेदार को 31 मई 1999 से 20 वर्ष की अवधि हेतु खनन पट्टा प्रदान किया गया था, जिसमें कलेक्टर द्वारा 8 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की दर से रायल्टी निश्चित की गई थी । 17 जनवरी 2001 को यह पट्टा 18 वर्ष एवम् 4^{1/2} माह की अवधि हेतु अन्य पट्टेदार के पक्ष में हस्तांतरित कर दिया गया । इस अवधि हेतु रायल्टी 147 करोड़ रुपये संगणित की गई। आरोपणीय पंजीयन फीस एवम् मुद्रांक शुल्क 12.20 करोड़ रुपये संगणित किया गया, परन्तु विभाग द्वारा 70.35 लाख रुपये आरोपित किया गया । इसके परिणामस्वरूप 11.50 करोड़ रुपये के मुद्रांक शुल्क एवम् पंजीयन फीस का कम आरोपण हुआ ।

जून 2003 में इसे शासन को इंगित किए जाने के पश्चात शासन ने जुलाई 2004 में उत्तर दिया कि राशि की वसूली के लिए संशोधन हेतु प्रकरण राजस्व मण्डल के समक्ष दायर कर दिया गया है, आगामी कार्यवाही प्रतीक्षित थी (जनवरी 2005)।

7.24 प्रकरणों के निराकरण में विलम्ब

सम्पत्तियों के बाजार मूल्य का निर्धारण न करने के फलस्वरूप 80.43 लाख रुपये के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की वसूली न होना ।

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 के अनुसार किसी भी विलेख में आरोपणीय मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के निर्धारण की सुविधा के लिए सम्पत्ति के बाजार मूल्य का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक है। यदि यह विश्वास करने के कारण हों कि सम्पत्ति का बाजार मूल्य वस्तुतः विलेख में सही रूप से नहीं दर्शाया गया है, तो उप पंजीयक विलेख को सम्पत्ति के बाजार मूल्य का निर्धारण करने हेतु कलेक्टर मुद्रांक की ओर भेजेगा।

5 उप पंजीयकों⁹³ के अभिलेखों की नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि सम्पत्तियों के बाजार मूल्य के निर्धारण हेतु उप पंजीयकों द्वारा अप्रैल 1998 एवम् जून 2002 के मध्य कलेक्टर मुद्रांक की ओर संदर्भित 172 विलेखों का निराकरण नहीं किया गया था। उप पंजीयकों द्वारा प्रस्तावित मूल्य के आधार पर इन विलेखों पर वसूली योग्य मुद्रांक शुल्क एवम् पंजीयन फीस 80.43 लाख रुपये संगणित की गई जो वसूली हेतु शेष रही।

नवम्बर 2003 एवम् जनवरी 2004 के मध्य प्रकरण महानिरीक्षक पंजीयन एवम् अधीक्षक मुद्रांक तथा शासन को सूचित किया गया। महानिरीक्षक पंजीयन ने उत्तर में बताया (सितम्बर 2004) कि 38 प्रकरणों में 4.60 लाख रुपये की राशि की वसूली की जा चुकी है; शेष प्रकरणों में वसूली की प्रगति प्रतीक्षित थी (जनवरी 2005)।

मनोरंजन शुल्क

7.25 केबल आपरेटरों से मनोरंजन शुल्क की कम वसूली होना

126 केबल आपरेटरों से 7.30 लाख रुपये के मनोरंजन शुल्क की कम वसूली होना ।

छत्तीसगढ़ मनोरंजन कर एवं विज्ञापन फीस अधिनियम (यथा संशोधित) 2002 के अंतर्गत 10,000 से 50,000 के मध्य एवं 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले स्थानों के लिए केबल आपरेटरों पर क्रमशः 10 रुपये एवम् 20 रुपये प्रति संयोजन प्रतिमाह की दर से मनोरंजन कर आरोपणीय है ।

7 जिला आबकारी अधिकारियों⁹⁴ के अभिलेखों की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि अप्रैल 2002 एवम् मार्च 2004 की अवधि के लिए, मनोरंजन शुल्क की 32.60 लाख रुपये की भुगतान योग्य राशि के विरुद्ध 21,266 संयोजनों के लिए 126 केबल आपरेटरों से

⁹³ उप पंजीयक अम्बिकापुर, गुरू (दुर्ग), जगदलपुर, खरसिया एवम् रायपुर

⁹⁴ बिलासपुर, जगदलपुर, जांजगीर, कवर्धा, कोरबा, कोरिया एवम् राजनांदगांव

25.30 लाख रुपये की वसूली हुई । इसके परिणामस्वरूप 7.30 लाख रुपये की राशि के मनोरंजन शुल्क की कम वसूली हुई ।

अप्रैल 2004 में इसे इंगित करने के पश्चात विभाग ने बताया कि 5.63 लाख रुपये की राशि की वसूली की गई । शेष राशि की वसूली की जानकारी प्रतीक्षित थी (जनवरी 2005)।

कर भिन्न राजस्व

वन प्राप्तियाँ

7.26 कूपों से वनोपज के अवैध निष्कासन के कारण राजस्व हानि

कूपों से वनोपज का परिवहन न होने के कारण चोरी एवं 33.23 लाख रुपये की राजस्व हानि ।

समय-समय पर जारी विभागीय अनुदेशों में निर्धारित था कि आग, चोरी इत्यादि के कारण हानि से बचने हेतु कूप में उत्पादित माल का डिपो तक परिवहन प्रत्येक वर्ष 30 जून के पूर्व हो जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त, मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता में प्रावधान है कि हानि का एक प्रारंभिक प्रतिवेदन भी शीघ्र ही विभागाध्यक्ष के साथ ही महालेखाकार को भी प्रस्तुत किया जाना चाहिये एवं किसी प्रकार की हानि की जानकारी होने के 6 माहों के अन्दर जाँच पूरी कर ली जानी चाहिये।

नवम्बर 2003 में वन मण्डलाधिकारी, नारायणपुर एवं वन मण्डलाधिकारी, कोरबा के अभिलेखों की नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि 33.23 लाख रुपये मूल्य के 69.279 नोशनल टन व्यापारिक बाँस, 474.930 नोशनल टन औद्योगिक बाँस, 164.278 घन मीटर इमारती लकड़ी एवम् 315 जलाऊ लकड़ी के चट्टों का 30 जून 2001 तक डिपो तक परिवहन नहीं किया गया एवं 2001-02 की कार्य अवधि के दौरान कूपों में छोड़ दिया गया। अगले वर्ष 2002-03 में, उपरोक्त बाँस कूपों में नहीं पाया गया। इसके परिणामस्वरूप शासन को 33.23 लाख रुपये की राजस्व हानि हुई ।

खोए हुए बाँस का पता लगाने के लिए वन मण्डलाधिकारियों द्वारा न तो कोई कार्यवाही की गई और न ही उन परिस्थितियों, जिनके अंतर्गत बाँस, इमारती लकड़ी एवम् जलाऊ लकड़ी के चट्टे लुप्त हो रहे थे, की जाँच करने हेतु कोई प्राथमिकी दर्ज कराई गई और न ही लुप्त माल का पता लगाने हेतु कोई प्रयास किया गया।

इसे इंगित करने के पश्चात् वन मण्डलाधिकारी, नारायणपुर एवम् कोरबा ने नवम्बर 2003 में उत्तर दिया कि वसूली हेतु कार्यवाही की जा रही थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है

क्योंकि उपरोक्त बाँस, इमारती लकड़ी एवम् ईंधन के ढेर कूपों से चुराए गए थे और दर्ज की जाने वाली एक प्राथमिकी तक के अभाव में इस संबंध में यह समझ में नहीं आता कि किससे वसूली होना प्रस्तावित थी। यहाँ तक कि, अनुचित लाभ उठाने की कीमत की वसूली के आदेश देने के अतिरिक्त, वन मण्डलाधिकारी, नारायणपुर द्वारा कोई अगली कार्यवाही नहीं की गई। वन मण्डलाधिकारी, कोरबा ने 2 वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की है।

प्रकरण मार्च 2004 एवं अप्रैल 2004 में शासन एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (जनवरी 2005)।

7.27 डिपो पर वनोपज लेखाबद्ध न करने के कारण राजस्व हानि

कूपों से डिपो तक परिवहन की गई वनोपज की गैरसुपुर्दगी के परिणामस्वरूप 12.84 लाख रुपये की राजस्व हानि हुई।

मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता में प्रावधान है कि वनोपज की हानि का प्रारंभिक प्रतिवेदन शीघ्र ही विभागाध्यक्ष के साथ महालेखाकार की ओर भी भेजा जाना चाहिये एवम् हानि का पता लगाने के 6 माह के अंदर जाँच पूरी कर ली जानी चाहिये।

वन मण्डलाधिकारी, कोरबा के कूप की कार्यप्रणाली के अभिलेखों की नमूना जाँच से (अक्टूबर 2003 में) प्रकट हुआ कि 2002-03 के दौरान चार कूपों से 12.84 लाख रुपये के मूल्य की 39.531 घन मीटर इमारती लकड़ी एवम् 889 जलाऊ लकड़ी के चट्टे भेजे गए परन्तु डिपो पर लेखाबद्ध नहीं किए गए। इसके परिणामस्वरूप 12.84 लाख रुपये की राजस्व हानि हुई। हानि की जाँच करने, जिम्मेदारी निश्चित करने एवम् भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए संबंधित प्राधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, न तो कोई प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और न ही हानि के प्रकरण तैयार किए गए हैं एवम् यथा आवश्यक विभागाध्यक्ष एवम् महालेखाकार की ओर प्रकरणों का प्रतिवेदन भी नहीं भेजा गया है। इस उपज के दुर्विनियोग या चोरी की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता था।

अक्टूबर 2003 में इसे इंगित किए जाने के पश्चात वन मण्डलाधिकारी, कोरबा ने अक्टूबर 2003 में उत्तर दिया कि धनात्मक एवं ऋणात्मक राशियों के समायोजन के पश्चात निवल हानि नगण्य थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि धन-ऋण पत्रक डिपो पर पूर्व में ही उपलब्ध वनोपज के पुनः मापन के पश्चात तैयार किए गए थे। परन्तु इस प्रकरण में ये हानियाँ परिवहन के समय डिपो में इमारती लकड़ी एवम् जलाऊ लकड़ी के चट्टों की सुपुर्दगी न करने के कारण थीं और इसीलिए धनात्मक और ऋणात्मक राशियों का प्रश्न नहीं उठता।

प्रकरण मार्च 2004 में शासन एवम् प्रधान मुख्य वन संरक्षक को सूचित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जनवरी 2005)।

खनन प्राप्तियाँ

7.28 स्टॉक की गलत घटौत्री के कारण राजस्व हानि

अंतिम स्टॉक से अनुपयोगी चूना-पत्थर की अस्वीकार्य घटौत्री के परिणामस्वरूप 1.15 करोड़ रुपये की राजस्व हानि हुई ।

खनन एवम् खनिज (विनियमन एवम् विकास) अधिनियम, 1957 में प्रावधान है कि एक पट्टेदार निश्चित दिनांक तक एवम् निश्चित दरों पर एक माह के दौरान पट्टा क्षेत्र से निकाले गए एवं हटाए गए खनिजों पर रॉयल्टी का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी है ।

दिसम्बर 2002 में खनिज अधिकारी, रायपुर के अभिलेखों की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि 1 जनवरी 2001 से 31 दिसम्बर 2001 की अवधि हेतु कर निर्धारण आदेश एवम् मैसर्स ग्रेसिम सीमेन्ट उद्योग द्वारा प्रस्तुत छः माही विवरणियों के अनुसार 31 दिसम्बर 2001 को चूना-पत्थर के अंतिम स्टॉक 4.31 लाख मीट्रिक टन के शेष के विरुद्ध विवरणी में 1.43 लाख मीट्रिक टन दर्शाया गया था। पट्टेदार ने बताया कि अंतिम स्टॉक में 2.88 लाख मीट्रिक टन की घटौत्री छनाई में अस्वीकृति के कारण थी यद्यपि नियमानुसार इस प्रकार की कोई घटौत्री अनुमत्य नहीं है। विभाग ने भी इस रॉयल्टी की वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की थी। इसके परिणामस्वरूप 1.15 करोड़ रुपये की राजस्व हानि हुई।

दिसम्बर 2002 में इसे इंगित किए जाने के पश्चात, खनिज अधिकारी, रायपुर ने अगस्त 2004 में बताया कि पट्टेदार द्वारा अनुपयोगी चूना-पत्थर अस्वीकृत कर दिया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अधिनियम/नियमावली में इस प्रकार की अस्वीकृति के लिए कोई प्रावधान नहीं था।

प्रकरण मई 2003 एवम् मार्च 2004 में शासन एवम् संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (जनवरी 2005)।

7.29 ब्याज का कम आरोपण

वसूली योग्य रॉयल्टी पर ब्याज की माँग न करने के परिणामस्वरूप 98.72 लाख रुपये के ब्याज की वसूली नहीं हुई ।

मध्यप्रदेश शासन, ने अपने आदेश दिनांक 25.10.1999 के तहत 7 अक्टूबर 1997 को देय, भुगतान न की गई रॉयल्टी की ब्याज सहित राशि 10 वार्षिक किश्तों में जमा करने के लिए मैसर्स अम्बुजा सीमेन्ट ईस्टर्न लिमिटेड, बलोदाबाजार, जिला रायपुर को अनुमति प्रदान की ।

दिसम्बर 2002 में खनिज अधिकारी, रायपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि नवम्बर 1993 से नवम्बर 1997 की अवधि के लिए मैसर्स अम्बुजा सीमेन्ट पर 1.32 करोड़ रुपये की रॉयल्टी बकाया थी एवम् उसने दिसम्बर 1999 और जनवरी 2002 के मध्य 12.00 लाख रुपये प्रत्येक की तीन किशतों का भुगतान किया। यद्यपि 7 अक्टूबर 1997 से आपत्ति से संबंधित अवधि तक के लिए रॉयल्टी पर आरोपणीय ब्याज 1.25 करोड़ रुपये संगणित किया गया, विभाग ने केवल 26.46 लाख रुपये की माँग की जिसके परिणामस्वरूप 98.72 लाख रुपये ब्याज का कम आरोपण हुआ।

दिसम्बर 2002 में लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने के पश्चात, खनिज अधिकारी, रायपुर ने अगस्त 2004 में बताया कि ब्याज की वसूली की प्रगति से अवगत कराया जाएगा। इसके बाद, उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2005)।

प्रकरण मई 2003 एवम् मार्च 2004 में शासन एवम् संचालक, भौमिकी एवम् खनिकर्म को सूचित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (जनवरी 2005)।

अन्य कर भिन्न राजस्व

जल संसाधन

7.30 सिंचाई प्रभारों की कम वसूली होने के कारण राजस्व हानि

गलत जल दरों के प्रयोग के परिणामस्वरूप 22.99 लाख रुपये की राजस्व हानि हुई।

मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग ने आदेश दिनांक 8 जून 1999 (छत्तीसगढ़ द्वारा अंगीकृत) के अनुसार कृषि संबंधित उद्देश्य हेतु जल की आपूर्ति के लिए 15 जून 1999 से 81 रुपये प्रति एकड़ की दर पर सिंचाई प्रभार संशोधित किए।

कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, कवर्धा के अभिलेखों की नमूना जांच (नवंबर 2002) से प्रकट हुआ कि वर्ष 1999-2000 में फसल (खरीफ) मौसम में 46,920.92 एकड़ भूमि सिंचित की गई और इस पर करारोपण किया गया। संभाग द्वारा गलत दर प्रयोग करने के कारण 38.01 लाख रुपये के स्थान पर 15.02 लाख रुपये के जल प्रभारों की वसूली की गई। इसके परिणामस्वरूप 22.99 लाख रुपये के राजस्व की कम वसूली हुई।

नवम्बर 2002 में लेखापरीक्षा में इसे इंगित करने के बाद, कार्यपालन अभियंता ने जून 2004 में बताया कि माँग संशोधित की जा चुकी थी। तथापि, लेखापरीक्षा में वसूली प्रतीक्षित थी (जनवरी 2005)।

प्रकरण मार्च 2004 में प्रमुख अभियन्ता एवं शासन को सूचित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (जनवरी 2005)।

7.31 विलम्बित भुगतान पर शास्ति का अनारोपण

बकाया राशि के संग्रहण पर शास्ति के अनारोपण के फलस्वरूप 10.54 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

मध्यप्रदेश सिंचाई अधिनियम, 1931 एवम् इसके अधीन बनाई गई नियमावली में, देय दिनांक से एक वर्ष के अंदर किए गए विलम्बित भुगतान की राशि पर 10 प्रतिशत की दर से एवम् तत्पश्चात् 13 प्रतिशत की दर से शास्ति के आरोपण का प्रावधान है।

नवम्बर 2002 में जल संसाधन विभाग, कवर्धा के अभिलेखों की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि विभाग ने 1998-99 से 2001-02 के दौरान 81.06 लाख रुपये की बकाया राशि का संग्रहण किया, यह किसी प्रकार की शास्ति के आरोपण के बिना एक से अधिक वर्ष की अवधि से संबंधित थी। इसके परिणामस्वरूप 10.54 लाख रुपये की राजस्व हानि हुई।

नवम्बर 2002 में लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने के पश्चात्, कार्यपालन अभियन्ता ने जून 2004 में बताया कि शास्ति राजस्व की वसूली के साथ वसूल की जावेगी। माँग वसूली पंजी में अंकित कर दी गई थी। वसूली की स्थिति प्रतीक्षित थी (जनवरी 2005)।

प्रकरण जनवरी 2003 में शासन एवम् विभाग को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (जनवरी 2005)।

लोक निर्माण विभाग

7.32 अनुज्ञप्ति शुल्क की कम वसूली

अनुज्ञप्ति शुल्क की गलत दर प्रयोग करने के परिणामस्वरूप 2.34 लाख रुपये की कम वसूली हुई।

मध्यप्रदेश निर्माण कार्य विभाग नियमावली (छत्तीसगढ़ में यथा अंगीकृत) के अनुसार व्यक्तियों, क्लबों, स्थानीय निकायों, आदि को पट्टे पर दिए गए शासकीय भवनों के संबंध में मूल नियम 45-ख के अधीन निर्धारित दर या स्थानीय बाजार दर, जो भी उच्चतर हो, पर अनुज्ञप्ति शुल्क वसूली योग्य है।

कार्यपालन अभियन्ता, लोक निर्माण संभाग-I (भवन एवं सड़क), बिलासपुर के अप्रैल 1999 से मार्च 2002 की अवधि के अभिलेखों की नमूना जाँच से फरवरी 2003 में प्रकट

हुआ कि अप्रैल 1984 में 6,637 रुपये के मासिक किराए पर 1,275 वर्गफीट के कारपेट एरिया वाला एक शासकीय भवन प्रसार भारती बोर्ड (एक स्वायत्त निकाय) को आवंटित किया गया। यह देखा गया कि विभाग ने सितम्बर 2000 तक 260 रुपये प्रति माह की दर पर किराए की वसूली की। इसके परिणामस्वरूप 2.34 लाख रुपये के अनुज्ञप्ति शुल्क की कम वसूली हुई।

फरवरी 2003 में इसे इंगित किए जाने के पश्चात, कार्यपालन अभियंता ने अगस्त 2004 में बताया कि कलेक्टर, बिलासपुर ने राजस्व वसूली की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी थी। वसूली की स्थिति प्रतीक्षित थी (जनवरी 2005)।

प्रकरण अप्रैल 2004 में शासन एवं प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग के ध्यान में लाया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (जनवरी 2005)।

खाद्य एवम नागरिक आपूर्ति विभाग

7.33 राजसात/जब्त वस्तुओं का निपटान न करना

जब्त वस्तुओं का निपटान न करने के परिणामस्वरूप 7.23 लाख रुपये का राजस्व अवरुद्ध हुआ।

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 जिलों के कलेक्टर को अधिनियम के प्रावधानों के संदेहास्पद उल्लंघन की स्थिति में अनुज्ञप्ति प्राप्त व्यापारियों की आवश्यक वस्तुओं एवं खाद्यान्नों को राजसात करने की शक्ति प्रदान करता है। अपराध सिद्ध होने के पश्चात, राजसात/जब्त वस्तुओं की नीलामी की जाती है एवम् इसकी बिक्री से प्राप्त राशि शासकीय खाते में जमा की जाती है।

दो खाद्य कार्यालयों, रायपुर एवम् बिलासपुर के अभिलेखों की दिसम्बर 2002 एवम् जून 2003 में नमूना जांच से प्रकट हुआ कि 1998-99 एवम् 2001-02 के दौरान 37 प्रकरणों में 7.23 लाख रुपये मूल्य की नष्ट होने वाली वस्तुएँ यथा खाद्यान्न, तेल बीज एवम् दालें इत्यादि राजसात/जब्त की गईं। यद्यपि, व्यापारियों के विरुद्ध अपराध सिद्ध हुए, विभाग द्वारा जब्तशुदा वस्तुओं के निराकरण हेतु प्रभावकारी कदम नहीं उठाए गए, परिणामस्वरूप राजसात/जब्त वस्तुओं का निपटान नहीं हुआ एवं 7.23 लाख रुपये⁹⁵ का राजस्व अवरुद्ध हुआ।

⁹⁵ कलेक्टर रायपुर: 1.95 लाख रुपये

कलेक्टर बिलासपुर: 5.28 लाख रुपये

दिसम्बर 2002 एवम् जून 2003 में इसे इंगित करने के पश्चात्, कलेक्टर (खाद्य विभाग) रायपुर ने सूचित किया कि 1.63 लाख रूपये की राशि की वसूली हो चुकी थी (मई 2004)। कलेक्टर (खाद्य विभाग), बिलासपुर ने मई 2004 में सूचित किया कि 13 प्रकरणों में राजस्व वसूली की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई थी एवम् 5 प्रकरणों में संबंधित निरीक्षकों को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए निर्देश दिए गए थे। आगे, उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2005)।

प्रकरण मार्च 2004 में संचालक एवम् शासन को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (जनवरी 2005)।

रायपुर
दिनांक

(मीरा स्वरूप)
महालेखाकार, छत्तीसगढ़

प्रतिहस्ताक्षर

नई दिल्ली
दिनांक

(विजयेन्द्र नाथ कौल)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट 1.1

(संदर्भ कंडिका 1.8)

31 मार्च 2004 को छत्तीसगढ़ सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति

(करोड़ रुपये में)

31-03-2003 को	देयताएं	31-03-2004 को
3682.63	आंतरिक ऋण	5571.68
1872.36	ब्याज सहित बाजार ऋण	2466.11
1.24	ब्याज रहित बाजार ऋण	1.75
289.28	अन्य संस्थाओं से ऋण	908.18
निरंक	अर्थोपाय अग्रिम	--
निरंक	भारतीय रिजर्व बैंक से अधिविकर्ष	--
1519.25	केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत योजनाओं हेतु जारी विशेष प्रतिभूति	2195.64
3172.78	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	2937.87
105.76	1984-85 से पूर्व के ऋण	92.87
667.24	योजनेत्तर ऋण	118.55
2348.48	राज्य आयोजनागत योजनाओं हेतु ऋण	2676.00
14.18	केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं हेतु ऋण	13.13
37.12	केन्द्र प्रवर्तित आयोजनागत योजनाओं हेतु ऋण	37.32
40.02	आकस्मिकता निधि	40.00
*1148.37	लघु बचत, भविष्य निधियां आदि	1511.17
640.20	निक्षेप	772.83
350.87	आरक्षित निधियां	491.17
-196.99	उचन्त एवं विविध शेष	-262.05
8837.88	योग	11062.67
परिसंपत्तियां		
3001.15	अचल परिसम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय	4016.64
35.84	कम्पनियों, निगमों इत्यादि के अंशों में निवेश	56.94
2965.31	अन्य पूंजीगत परिव्यय	3959.70
223.58	ऋण एवं अग्रिम	770.62
10.13	ऊर्जा परियोजनाओं हेतु ऋण	514.50
214.76	अन्य विकास ऋण	258.72
(-)1.30	सरकारी सेवकों को ऋण एवं विविध ऋण	(-)2.60

	--	आरक्षित निधि निवेश	--	--
	निरंक	आकस्मिक निधि को विनियोग		40.00
-2.76		अग्रिम		-2.69
178.99		प्रेषण शेष		168.40
718.16		नगद		415.49¹
	(-)12.13	कोषालय में नगद एवं स्थानीय प्रेषण	(-)1.21	
	(-)246.29	रिजर्व बैंक में निक्षेप	(-)1.58 ²	
	6.05	स्थाई नगद अग्रदाय सहित विभागीय नगद शेष	5.51	
	970.53	नगद शेष निवेश एवं चिन्हित निधि निवेश	412.78	
4692.10		शासकीय लेखे में घाटा		5627.56
	112.70	(i) चालू वर्ष/अवधि का राजस्व घाटा	641.10	
	--	(ii) विविध शासकीय लेखा	294.36	
	4579.40	(iii) संचित घाटा	4692.10	
26.65		अन्तर्राज्यीय समाशोधन		26.65
8837.88		योग		11062.67

* पूर्णांक करने के कारण एक लाख रुपये की वृद्धि

1. 415.49 करोड़ रुपये में ही आरक्षित निधि निवेश के 140.42 करोड़ रुपये सम्मिलित हैं।
2. रोकड़ शेषों में सम्मिलित 'भारतीय रिजर्व बैंक में निक्षेप के संबंध में' लेखे में दर्शित आंकड़े यथा 1.58 करोड़ रुपये (क्रेडिट) एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित आंकड़े 63.18 लाख रुपये (क्रेडिट) के मध्य 2.21 करोड़ रुपये (क्रेडिट) का अंतर था। मार्च 2004 के लेखे बंद करने के पश्चात 2.21 करोड़ रुपये (क्रेडिट) के निवल अंतर का पुनर्मिलान किया जाना था।

परिशिष्ट 1.2

(संदर्भ कडिका 1.8)

वर्ष 2003-04 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(करोड़ रुपये में)

प्राप्तियां			संवितरण					
2002-03		2003-04	2002-03		2003-04			
					योजनेतर	योजनागत	योग	
अनुभाग 'क' राजस्व								
5417.30	I.	राजस्व प्राप्तियां	5959.32	5530.00	राजस्व व्यय	5059.36	1541.06	6600.42
2327.44		कर राजस्व	2588.25	1838.86	सामान्य सेवाएं	2151.94	2.42	2154.36
				2086.45	सामाजिक सेवाएं	1366.03	902.43	2268.46
956.56		कर भिन्न राजस्व	1124.41	744.25	शिक्षा, खेल-कूद, कला एवं संस्कृति	603.87	328.55	932.42
				251.91	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	142.43	115.94	258.37
1349.90		संघीय करों का राज्यांश	1569.70	233.44	जल प्रदाय, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	58.72	184.40	243.12
195.15		आयोजनेतर अनुदान	135.09	11.50	सूचना एवं प्रसारण	9.64	0.66	10.30
				522.30	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	382.81	100.18	482.99
263.69		राज्य आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	308.33	21.02	श्रम एवं श्रम कल्याण	14.39	6.21	20.60
				300.93	सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार	152.68	166.40	319.08
324.55		केन्द्रीय एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	233.54	1.10	अन्य	1.49	0.09	1.58
				1443.06	आर्थिक सेवाएं	1281.02	636.21	1917.23
				656.92	कृषि एवं संलग्न गतिविधियां	703.55	337.51	1041.06
		--		311.04	ग्रामीण विकास	112.56	181.94	294.50
		--		--	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	--	--	--
		--		158.83	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	97.50	35.12	132.62
		--		86.22	ऊर्जा	170.70	37.16	207.86
		--		38.67	उद्योग एवं खनिज	26.26	29.34	55.60
		--		181.70	परिवहन	163.60	8.44	172.04
		--		.58	विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	.44	.43	0.87
		--		9.09	सामान्य आर्थिक सेवाएं	6.41	6.27	12.68
				161.64	सहायता अनुदान एवं अंशदान	260.37	--	260.37
112.70	II.	अनुभाग ख को अग्रेनित 641.10 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा	641.10	--	II- अनुभाग ख को अग्रेनीत राजस्व बचत	--	--	--
5530.00		योग - क	6600.42	5530.00	योग - क	5059.36	1541.06	6600.42

अनुभाग ख अन्य								
210.89	III	स्थाई अग्रिमों तथा रोकड़ शेष निवेश सहित प्रारंभिक रोकड़ शेष	718.16	--	III भारतीय रिजर्व बैंक से प्रारंभिक अधिविकर्ष	--	--	--
	IV	विविध पूंजीगत प्राप्तियां		--	IV पूंजीगत परिव्यय			
--				19.22	सामान्य सेवाएं	--	21.80	21.80
				136.82	सामाजिक सेवाएं	.55	184.91	185.47
				6.22	शिक्षा, खेल-कूद, कला एवं संस्कृति		37.02	37.02
				19.61	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	.55	33.16	33.71
				47.80	जल प्रदाय, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास		44.12	44.12
				--	सूचना एवं प्रसारण	--	--	--
				49.11	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण		36.61	36.61
				14.03	सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार		33.79	33.79
				0.05	अन्य सामाजिक सेवाएं	--	.22	0.22
				663.75	आर्थिक सेवाएं	1.60	806.63	808.23
				23.18	कृषि एवं संलग्न गतिविधियां	1.59	21.76	23.35
				23.68	ग्रामीण विकास	--	48.47	48.47
				365.88	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण		417.24	417.24
				--	ऊर्जा	--	--	--
				4.42	उद्योग एवं खनिज	.01	4.94	4.95
				246.59	परिवहन	--	311.80	311.80
				--	सामान्य आर्थिक सेवाएं		2.42	2.42
				819.79	योग (पूंजीगत लेखे)	2.15	1013.34	1015.50

परिशिष्ट 1.2 (लगातार)

प्राप्तियां				संवितरण			
2002-03			2003-04	2002-03		2003-04	
0.23	V	अन्तर्राज्यीय समाशोधन	--	1.10	V अन्तर्राज्यीय समाशोधन	-	--
18.46	VI	ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियां	10.65	57.70	VI ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण		557.68
--		विद्युत परियोजनाओं से	.38	5.00	विद्युत परियोजनाओं हेतु	504.76	
2.46		सरकारी सेवकों से	2.59	2.68	सरकारी सेवकों को	1.29	
16.00		अन्य से	7.68	50.02	अन्य को	51.63	
--	VII	अधनीत राजस्व बचत		112.70	VII अधनीत राजस्व घाटा	--	641.10
1613.31	VIII	लोक ऋण प्राप्तियां	2431.98	413.00	VIII लोक ऋणों का पुनर्भुगतान		777.84
1179.19		अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधिविकर्ष के अलावा आंतरिक ऋण	1977.60	46.52	अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधिविकर्ष के अलावा आंतरिक ऋण	88.54	
--		अधिविकर्ष सहित अर्थोपाय अग्रिमों के अधीन निवल लेन देन	--	--	अधिविकर्ष सहित अर्थोपाय अग्रिमों के अधीन निवल लेन देन		
434.12		केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	454.39	366.48	केन्द्र सरकार को ऋणों एवं अग्रिमों का पुनर्भुगतान	689.30	
--	IX	आकस्मिता निधि को विनियोग	--	--	IX आकस्मिता निधि को विनियोग	--	--
--	X	आकस्मिकता निधि को अन्तरित राशि	(-).02	निरंक	X आकस्मिकता निधि से व्यय	--	--
6923.52	XI	लोक लेखा प्राप्तियां	7070.53	6643.95	XI लोक लेखा संवितरण		6823.69
374.75		लघु बचत एवं भविष्य निधियां	473.30	336.31	लघु बचत एवं भविष्य निधियां	375.43	
256.20		आरक्षित निधियां	158.23	101.92	आरक्षित निधियां	17.93	
3389.04		उच्च एवं विविध	3611.66	3504.38	उच्च एवं विविध	3676.71	
1845.57		प्रेषण	2056.06	1783.15	प्रेषण	2045.46	
1057.96		निक्षेप एवं अग्रिम	771.28	918.19	निक्षेप एवं अग्रिम	708.16	
--	XII	भारतीय रिजर्व बैंक से अंत में अधिविकर्ष	--	718.16	XII वर्ष के अंत में रोकड़ शेष		415.49
				(-) 12.13	कोषालयों में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण	- 1.21	
				(-) 246.29	रिजर्व बैंक के पास जमा	- 1.58	
				6.05	स्थायी रोकड़ अग्रदाय सहित विभागीय रोकड़ शेष	5.51	
				970.53	रोकड़ शेष निवेश तथा चिन्हित निधियों का निवेश	412.77	
8766.40		योग 'ख'	10231.30	8766.40	योग 'ख'		10231.30

परिशिष्ट - 1.3
(संदर्भ कंडिका 1.8)
निधियों के स्रोत एवं उपयोग

(करोड़ रुपये में)

2002-03	स्रोत	2003-04	
राशि		राशि	राशि
5417.30	1. राजस्व प्राप्तियां		5959.32
18.46	2. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली		10.65
1200.30	3. लोक ऋण में वृद्धि		1654.15
394.91	4. लोक लेखे से प्राप्तियां		311.88
	अ. लघु बचतों में वृद्धि	97.87	
	ब. निक्षेपों एवं अग्रिमों में वृद्धि	63.12	
	स. आरक्षित निधियों में वृद्धि	140.30	
	द. प्रेषण लेन-देनों का प्रभाव	10.59	
	ई. उचन्त एवं विविध		
	अंतिम नगद शेष में कमी		302.66
7030.97	योग		8238.66
	उपयोग		
5530	1. राजस्व व्यय		6600.42
57.70	2. विकास एवं अन्य प्रयोजनों हेतु उधार		557.68
819.79	3. पूंजीगत व्यय		1015.50
--	4. आकस्मिकता निधि लेन-देनों का निवल प्रभाव		
115.34	5. लोक लेखे से उपयोग		65.06
	अ. उचन्त एवं विविध लेन-देनों का निवल प्रभाव	65.06	
	ब. विविध सरकारी लेखा		
	स. प्रेषण लेन-देनों का प्रभाव		
507.27	6. अंतिम नगद शेषों में वृद्धि		
0.87	7. अन्तर्राज्यीय समाशोधन		
7030.97	योग		8238.66

परिशिष्ट 1.1, 1.2 एवं 1.3 हेतु स्पष्टीकरण टिप्पणियां:

- विवरण पत्रों में दर्शाए गए संक्षिप्त लेखे वित्त लेखे में दी गई टिप्पणियों एवं स्पष्टीकरणों के साथ ही पढ़े जाएँ।
- सरकारी लेखे मुख्यतः नकद आधार पर होने के कारण **परिशिष्ट-1.1** में यथादर्शित सरकारी लेखे में घाटा, वाणिज्यिक लेखांकन में उपाजित आधार के विपरीत रोकड़ आधार पर स्थिति का सूचक है। परिणामतः भुगतान योग्य अथवा प्राप्ति योग्य मदें या मूल्य ह्रास या भण्डार के आंकड़े इत्यादि में भिन्नता जैसी मदें लेखे में नहीं दर्शाई गई हैं।
- उचन्त एवं विविध शेषों में जारी परन्तु भुगतान नहीं किए गए चैक, राज्य की ओर से किए गए भुगतान तथा अन्य लंबित समाशोधन सम्मिलित हैं।
- रोकड़ शेष में समाविष्ट 'रिजर्व बैंक में जमा' से संबंधित लेखों में प्रतिबिम्बित आंकड़ों यथा 1.58 करोड़ रुपये (क्रेडिट) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित 63.18 लाख रुपये (क्रेडिट) के मध्य 2.21 करोड़ रुपये (क्रेडिट) का अंतर था। 31 मार्च 2004 के लेखों को बंद करने के पश्चात मिलान योग्य निवल अंतर की राशि 2.21 करोड़ रुपये (क्रेडिट) थी।

परिशिष्ट - 1.4

(संदर्भ कंडिका 1.8)

राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण

(करोड़ रुपये में)

2002-03	भाग - क प्राप्तियां	2003-04
5417 (77)	1. राजस्व प्राप्तियां	5959 (71)
2327 (43)	(i) कर राजस्व	2588 (43)
1102 (47)	विक्रय, व्यापार, आदि पर कर	1299 (50)
362 (16)	राज्य उत्पाद शुल्क	402 (15)
148 (6)	मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	171 (7)
252 (11)	माल एवं यात्रियों पर कर	230 (9)
463 (20)	अन्य कर	486 (19)
957 (18)	(ii) कर भिन्न राजस्व	1124 (19)
538 (56)	खनन तथा धातुकर्म उद्योग	630 (56)
106 (11)	वानिकी तथा वन्य जीवन	141 (13)
313 (33)	अन्य	353 (31)
1350 (25)	(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश	1570 (26)
783 (14)	(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	677 (12)
--	2. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	
5417	3. कुल राजस्व एवं ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियां (1+2)	5959
19	4. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	11
--	4 (अ) अन्तर्राज्यीय समाशोधन	--
1613 (23)	5. लोक ऋण प्राप्तियां	2432 (29)
1179 (73)	आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अतिरिक्त)	1978 (81)
--	अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अंतर्गत निवल लेन देन	--
434 (27)	भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	454 (19)
7049	6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (3+4+4(अ)+5)	8402
निरंक	7. आकस्मिक निधि प्राप्तियां	--
6924	8. लोक लेखा प्राप्तियां	7071
13973	9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)	15473
	भाग - ख व्यय/संवितरण	
5530 (86)	10. राजस्व व्यय	6600 (81)
1270 (23)	आयोजनागत	1541 (23)
4260 (77)	योजनेत्तर	5059 (77)
1839 (33)	सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतान सहित)	2154 (33)
2086 (38)	सामाजिक सेवाएँ	2269 (34)
1443 (26)	आर्थिक सेवाएँ	1917 (29)
162 (03)	सहायता अनुदान एवं अंशदान	260 (4)

2002-03			2003-04
820	(13)	11. पूंजीगत व्यय	1016 (12)
819	(99.9)	आयोजनागत	1014 (99.8)
01	(0.1)	योजनेत्तर	2 (.2)
19	(02)	सामान्य सेवाएँ	22 (2)
137	(17)	सामाजिक सेवाएँ	186 (18)
664	(81)	आर्थिक सेवाएँ	808 (80)
58	(01)	12. ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	558 (7)
01		12 (अ) अंतर्राज्यीय समाशोधन	--
6409		13. कुल व्यय (10+11+12+12(अ))	8174
413		14. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	778
47	(11)	आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अतिरिक्त)	89 (11)
--		अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अंतर्गत निवल लेन देन	--
366	(89)	भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	689 (89)
--		15. आकस्मिक निधि में विनियोग	--
6822		16. समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	8952
--		17. आकस्मिक निधि संवितरण	
6644		18. लोक लेखा संवितरण	6824
13466		19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	15776
		भाग - ग घाटा	
113		20. राजस्व घाटा (1-10)	641
973		21. राजकोषीय घाटा (3+4+4(अ)-13)	2204
163		22. प्राथमिक घाटा (21-23)	1150
		भाग - घ अन्य आंकड़े	--
810		23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	1054
3.56		24. राजस्व बकाया (कर एवं कर भिन्न राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत)	-- 3.5
211		25. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	247
--		26. लिए गए अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष (दिन)	--
--		27. अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष पर ब्याज	--
29715**		28. सकल राज्य घरेलू उत्पाद	32321
8429		29. बकाया ऋण (वर्षान्त)	11282
266		30. बकाया गारंटियां* (वर्षान्त)	295
309		31. गारंटीकृत अधिकतम राशि (वर्षान्त)	807
72		32. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	70
2023		33. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी	2438

टिप्पणियाँ :

(i) कोष्टक में आंकड़े प्रत्येक उप शीर्ष के पूर्ण योग के निकटतम प्रतिशत को दर्शाते हैं।

* उत्तरवर्ती मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों के मध्य बंटवारे हेतु मध्य प्रदेश में 9,667 करोड़ रुपये रोके गए।

** सकल राज्य घरेलू उत्पाद हेतु वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 के राज्य सरकार द्वारा संशोधित आंकड़े क्रमशः 29,517.90 करोड़ रुपये एवं 29,714.68 करोड़ रुपये हैं।

परिशिष्ट 1.5

(संदर्भ कंडिका 1.4)

पहले अध्याय में उपयोग में लिए गए शब्दों की शब्दावली एवं उनकी संगणना का आधार

शब्द	संगणना के आधार
तरलशीलता मापसूचक	माप सूचक की वृद्धि की दर (प्रतिशत) सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर (प्रतिशत)
अन्य माप सूचक (Y) से तरलशीलता का मापसूचक (X)	माप सूचक की वृद्धि दर (X) माप सूचक की वृद्धि दर (Y)
वृद्धि की दर	$[(\text{चालू वर्ष की राशि/पिछले वर्ष की राशि})-1]*100$
प्रवृत्ति/औसत	पिछले 5 वर्षों में वृद्धि की प्रवृत्ति (लॉगरेस्ट (1996-97 की राशि: 2001-02की राशि)-1)*100
अंश परिवर्तन/माप सूचक की परिवर्तन दर	व्यय अथवा राजस्व जैसा भी प्रकरण हो, में पांच वर्षों में अंश प्रतिशत की प्रवृत्ति के माप सूचक
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएँ + आर्थिक सेवाएँ
भारित ब्याज दर (राज्य द्वारा औसत ब्याज भुगतान)	ब्याज भुगतान/[पूर्व वर्षों की राजकोषीय देयताओं की राशि + चालू वर्ष की राजकोषीय देयताएं]/2]*100
ब्याज वृद्धि	सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि - भारित ब्याज दरें
दिए गए ऋणों पर प्राप्त ब्याज का प्रतिशत	ब्याज की प्राप्ति [(प्रारंभिक शेष ऋणों एवं अग्रिमों का अंतिम शेष)/2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियां - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम - राजस्व प्राप्तियां - विविध पूंजीगत प्राप्तियां
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान
चालू राजस्व से शेष	राजस्व प्राप्तियां ऋण '2408 - ऋण की कमी या परिहार्यता' के अंतर्गत ऋणों के अतिरिक्त सभी आयोजनागत अनुदानों एवं योजनेत्तर राजस्व व्यय

परिशिष्ट - 1.6

(संदर्भ कंडिका 1.7.1)

उपयोग न किये गये अनुदानों एवं ऋणों का विवरण पत्रक

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	विभाग का नाम	संस्थाओं की संख्या	कुल जारी अनुदान	व्यय ऋण/अनुदान	शेष राशि	बचत का प्रतिशत
1.	संचालक, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर	53	46.32	45.34	0.98	2.12
2.	आयुक्त, अनुसूचित जन जाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण, छत्तीसगढ़, रायपुर	07	3.91	--	3.91	100
3.	संचालक, लोक शिक्षण, छत्तीसगढ़, रायपुर	30	65.85	65.85	--	--
4.	संचालक, तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर	9	2.65	--	2.65	100
5.	संचालक, खाद्य एवं आपूर्ति, छत्तीसगढ़, रायपुर	3	0.86	0.86	--	--
6.	मुख्य विद्युत निरीक्षक, छत्तीसगढ़, रायपुर	1	88.27	--	88.27	100
7.	संचालक, कृषि, छत्तीसगढ़, रायपुर	1	11.29	11.29	--	--
8.	कार्यपालक संचालक, छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं तकनीकी परिषद, रायपुर	1	0.87	0.87	--	--
9.	आयुक्त, महिला एवं बाल विकास, छत्तीसगढ़, रायपुर	19	0.07	0.07	--	--
10.	सचिव, कानून एवं विधायी विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर	1	0.60	0.55	0.05	8.33
11.	संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, छत्तीसगढ़, रायपुर	117	26.73	--	26.73	100
	योग	242	247.42	124.83	122.59	

परिशिष्ट - 1.7

(संदर्भ कंडिका 1.7.1)

उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने वाली इकाइयों का विवरण पत्रक

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	वर्ष							
		2000-01		2001-02		2002-03		2003-04	
		इकाइयों की संख्या	राशि	इकाइयों की संख्या	राशि	इकाइयों की संख्या	राशि	इकाइयों की संख्या	राशि
1.	संचालक, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर		--	--	--	--	--	14	0.79
2.	आयुक्त, अनुसूचित जन जाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण, छत्तीसगढ़, रायपुर	--	--	--	--	--	--	7	3.91
3.	संचालक, लोक शिक्षण, छत्तीसगढ़, रायपुर	--	--	--	--	--	--	30	65.85
4.	संचालक, तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर	8	0.75	18	2.06	12	2.47	9	2.65
5.	संचालक, खाद्य एवं आपूर्ति, छत्तीसगढ़, रायपुर	--	--	--	--	--	--	3	0.86

6.	मुख्य विद्युत निरीक्षक, छत्तीसगढ़, रायपुर	--	--	--	--	--	--	1	88.27
7.	संचालक, कृषि, छत्तीसगढ़, रायपुर	--	--	--	--	--	--	1	11.29
8.	कार्यपालक संचालक, छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं तकनीकी परिषद, रायपुर	--	--	--	--	1	0.58	1	0.87
9.	आयुक्त महिला एवं बाल विकास, छत्तीसगढ़, रायपुर	--	--	--	--	--	--	--	--
10.	सचिव, कानून एवं विधायी विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर	--	--	1	0.01	1	0.05	1	0.60
11.	संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, छत्तीसगढ़, रायपुर	--	--	--	--	--	--	117	26.73
	योग	8	0.75	19	2.07	14	3.10	184	201.82

परिशिष्ट - 2.1

(संदर्भ कंडिका 2.3.1)

वे प्रकरण जिनमें व्यय 1 करोड़ रुपये से अधिक राशि से कम पड़ा तथा कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक से भी कम रहा

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	बचत की राशि (प्रावधान का प्रतिशत)	बचत के मुख्य कारण
1.	2.	3.	4.
(क) राजस्व (दत्तमत)			
1.	01 सामान्य प्रशासन	9.30 (24.73%)	स्वीकृति प्राप्त न होना, आदर्श आचार संहिता लागू होना, रेजीडेंट कमिश्नर का कार्यालय स्थापित न होना एवं पद रिक्त रहना। अंतिम बचतों के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2004)।
2.	02 सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	1.94 (58.85%)	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2004)।
3	03 पुलिस	46.06 (14.77%)	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2004)।
4	05 जेल	3.28 (11.67%)	शासन द्वारा स्वीकृति प्राप्त न होना, पद रिक्त रहना। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2004)।
5	06 वित्त विभाग से संबंधित व्यय	100.23 (17 %)	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2004)।
6	07 वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	13.79 (25.38)	बचत के कारण स्पिरिट की कम खरीदी दर, विभागीय शराब की दुकानों का कम चलन, पद रिक्त रहना। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2004)।
7	08 भू राजस्व एवं जिला प्रशासन	20.53 (19.08%)	पद रिक्त रहना, मितव्ययता, आवंटन एवं स्वीकृतियां प्राप्त न होने के कारण बचत हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2004)।
8	09 राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	1.33 (25 %)	पद रिक्त रहना एवं मितव्ययता, शासकीय मुद्रणालय की स्थापना न होने के कारण बचत हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2004)।
9	11 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	13.26 (50.10%)	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2004)।
10	13 कृषि	56.06 (31.33%)	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2004)।
11	14 पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	9.12 (15 %)	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2004)।
12	15 अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना के अधीन त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	8.89 (37.46%)	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2004)।
13	17 सहकारिता	34.96 (25%)	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2004)।
14	18 श्रम	2.75 (30 %)	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2004)।
15	19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	27.31 (14.02%)	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2004)।
16	21 आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	16.65 (67.63 %)	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2004)।

17	23	जल संसाधन विभाग	11.88 (11.47%)	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2004)।
18	25	खनिज संसाधन विभाग से संबंधित व्यय	1.90 (11.10 %)	पद रिक्त रहने एवं मितव्ययता के कारण बचत हुई (जुलाई 2004)।
19	26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	1.79 (28.92 %)	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2004)।
20	27	शालेय शिक्षा	119.66 (17.41%)	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2004)।
21	28	राज्य विधायिका	2.93 (29.60%)	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2004)।
22	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	18.94 (29.53 %)	मतदाता सूचियों एवं राज्य विधान सभा चुनाव के लंबित देयकों का भुगतान न होने के कारण बचत हुई।
23	30	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	217.16 (65.80%)	जिला पंचायतों को सीधे ही केन्द्रांश जारी किए जाने के कारण बचत हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2004)।
24	31	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय	2.30 (34.86%)	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2004)।
25	32	जन संपर्क विभाग से संबंधित व्यय	3.12 (18.23%)	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2004)।
26	34	समाज कल्याण	4.27 (35.49%)	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2004)।
27	36	परिवहन	4.52 (41.53 %)	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2004)।
28	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	447.78 (47.55 %)	संबंधित संस्थाओं को भारत सरकार द्वारा सीधे ही भुगतान, वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति प्राप्त न होना, संबंधित संस्थाओं से उचित प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण बचत हुई।
29	41	आदिवासी क्षेत्र उप-योजना	311.24 (44.60%)	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2004)।
30	43	खेल एवं युवा कल्याण	1.58 (41.80%)	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2004)।
31	47	तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन विभाग	7.81 (18.88%)	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2004)।
32	48	11 वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन के स्तरोन्नयन के लिए अनुदान	12.37 (63.81 %)	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2004)।
33	49	अनुसूचित जाति कल्याण	2.31 (13.24%)	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2004)।
34	54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय	5.43 (32.50%)	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2004)।
35	55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	32.51 (24.74%)	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2004)।
36	56	ग्रामोद्योग	5.19 (30.71%)	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2004)।

37	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा राहत पर व्यय	49.48 (33.53%)	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2004)।
38	59	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	10.00 (100 %)	वित्त विभाग से संस्वीकृति प्राप्त न होने के कारण बचत हुई।
39	64	अनुसूचित जाति हेतु विशेष घटक योजना	87.50 (45.56%)	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2004)।
40	69	शहरी प्रशासन एवं विकास विभाग शहरी कल्याण	18.74 (88.25%)	भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश सीधे ही प्राप्त होने के कारण बचत हुई।
41	77	बिलासपुर संभाग में आदिवासी क्षेत्रों के विकास से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	6.00 (75%)	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2004)।
42	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	6.81 (12.18%)	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2004)।
43	80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	98.37 (29.26%)	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2004)।
44	82	आदिवासी क्षेत्र उप-योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	27.83 (22.64%)	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2004)।
45	83	आदिवासी क्षेत्र उप-योजना के अंतर्गत शहरी निकायों को वित्तीय सहायता	1.89 (31.16 %)	योजना से योजनेतर हेतु मद शीर्ष के स्थानांतरण के कारण बचत होना सूचित किया गया।
		(ख) राजस्व (भारित)		
1	01	सामान्य प्रशासन	1.53 (29.18%)	पद रिक्त रहने, स्वीकृति प्राप्त न होने एवं प्रशासनिक अकादमी की स्थापना न होने के कारण
2	07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	2.27 (17.63%)	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2004)।
3	12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	6.00 (72.27%)	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2004)।
4	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	1.06 (26.07%)	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2004)।
5	81	शहरी निकायों को वित्तीय सहायता	2.63 (43.76 %)	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2004)।
		(ग) पूंजीगत (दत्तमत)		
1	06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	5.58 (71.15 %)	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2004)।
2	08	भू राजस्व एवं जिला प्रशासन	2.83 (69.44%)	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2004)।
3	10	वन	2.80 (48.16%)	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2004)।

परिशिष्ट

4	11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	2.59 (64.47%)	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2004)।
5	17	सहकारिता	52.61 (66.71%)	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2004)।
6	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1.06 (34.95%)	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2004)।
7	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	21.44 (90.66%)	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2004)।
8	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	65.30 (75.92 %)	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2004)।
9	24	लोक निर्माण सड़क एवं पुल	35.50 (21.37 %)	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2004)।
10	37	पर्यटन	8.58 (78 %)	चालू वित्त वर्ष में योजनाओं का क्रियान्वयन न होने के कारण बचत हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2004)।
11	41	आदिवासी क्षेत्र उप योजना	164.35 (54.82%)	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2004)।
12	42	आदिवासी क्षेत्र उप योजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य सड़क एवं पुल	64.33 (26.55 %)	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2004)।
13	45	लघु सिंचाई कार्य	12.95 (16.35 %)	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2004)।
14	47	तकनीकी शिक्षा एवं जन शक्ति नियोजन विभाग	3.55 (56 %)	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2004)।
15	48	11 वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन के उन्नयन के लिए अनुदान	8.16 (18.21%)	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2004)।
16	53	अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना के अंतर्गत शहरी निकायों को वित्तीय सहायता	1.00 (100%)	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2004)।
17	55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	2.60 (19.31%)	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2004)।
18	57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना	1.04 (41.52 %)	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2004)।
19	58	प्राकृतिक आपदाएं एवं सूखा राहत पर व्यय	1.55 (100 %)	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2004)।
20	59	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना	50.00 (100 %)	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2004)।
21	64	अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना	48.53 (54.94%)	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2004)।
22	65	विमानन विभाग	2.00 (100%)	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2004)।

23	66	पिछड़े वर्ग का कल्याण	1.99 (79 %)	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2004)।
24	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	16.17 (34.61%)	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2004)।
25	68	आदिवासी क्षेत्र उपयोगना भवनों से संबंधित लोक निर्माण कार्य	58.43 (72.47%)	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2004)।
26	69	शहरी प्रशासन एवं विकास विभाग शहरी कल्याण	1.20 (35.78 %)	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2004)।
27	75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	37.76 (47.79%)	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2004)।
28	78	ग्रामोद्योग विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	1.91 (63.71%)	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2004)।
29	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	2.35 (52.15%)	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2004)।

परिशिष्ट 2.2
(संदर्भ कंडिका 2.3.1)
योजनाओं के अंतर्गत सारभूत बचत वाले प्रकरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	योजना का नाम	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत की राशि	बचत का प्रतिशत	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
(क) - राजस्व दत्तमत							
1	12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	2501-01-101-0101-राज्य अयोजनागत योजनाएँ (सामान्य) - 5415-ग्राम ऊर्जा को सहायता	18.00	0.00	18.00	100%
2	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2211-800-0801-केन्द्रीय क्षेत्र योजना (सामान्य)- 2498 परम्परागत गर्भ निरोधकों की आपूर्ति	5.86	--	5.86	100%
3			2211-800-0801-केन्द्रीय क्षेत्र योजना (सामान्य)- 6106- व्यापक टीकाकरण	12.18	--	12.18	100%
4	27	शालेय शिक्षा	2202-01-109-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य) 5396-सर्वशिक्षा अभियान	60.00	10.51	49.49	82.4%
5			2) 2202-02-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य) 5409-परिवर्तित क्लास परियोजनांतर्गत कंप्यूटर प्रदाय	6.70	0.00	6.70	100%
6	41-	आदिवासी क्षेत्र उप-योजना - 20 शालेय शिक्षा विभाग	2202-01-796-101-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना, आदिवासी क्षेत्र उप-योजना 5396- सर्वशिक्षा अभियान	47.12	5.14	41.98	89%
7			2202-04-796-200-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना, आदिवासी क्षेत्र उप-योजना -4479 सामाजिक शिक्षा कक्षाएं	7.02	0.21	6.81	97%
8.	41	आदिवासी क्षेत्र उप-योजना अनाज उत्पादन	2401-796-110-0102 आदिवासी क्षेत्र उप-योजना 8702-राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	6.04	--	6.04	100%
9.	41-	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना - 25 अनुसूचित जन जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	2225-02-796-102-0102- आदिवासी क्षेत्र उप-योजना-5211- एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना में स्थानीय विकास कार्यक्रम	15.32	0.00	15.32	100%
10.	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा रहत पर व्यय	2402-102-3142-भू संरक्षण योजना, कंटूर निर्माण	12.05	1.87	10.18	84%
11.	81	शहरी निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-800-4845-आधारभूत सेवाओं के लिए 11 वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर स्थानीय निकायों को अनुदान	5.62	--	5.62	100%
			योग (क)	195.91	17.73	178.18	

(ख) पूँजीगत दत्तमत							
1	17	सहकारिता	(2) 6425-107-010-राज्य आयोजनागत योजनाएँ (सामान्य) 6568-कृषि साख स्थिरीकरण निधि के सुदृढीकरण के लिए मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक को ऋण	24.00	--	24.00	100%
2	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	6215-01-101-0101- राज्य आयोजनागत योजनाएँ (सामान्य) 5368- नवीन शहरी जल प्रदाय योजनाओं को जीवन बीमा निगम ऋण	20.00	0.00	20.00	100%
3	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	4217-01-050--0101-राज्य आयोजनागत योजनाएँ (सामान्य) 3115-भू अर्जन मुआवजा	50.00	0.00	50.00	100%
4	24	लोक निर्माण विभाग सड़क एवं पुल	5054-03-337-0801-केन्द्रीय क्षेत्र योजना (सामान्य) 8716- केन्द्रीय सड़क निधि	50.74	8.46	42.28	83%
5	41-	आदिवासी क्षेत्र उप-योजना 31- जल संसाधन विभाग	4702-796-800-0802-केन्द्रीय क्षेत्र योजना, आदिवासी क्षेत्र उप- योजना 4860- अधूरी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करना	10.00	0.39	9.61	96%
6.	67-	लोक निर्माण कार्य भवन	4059-01-051-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य) 2450- न्याय प्रशासन	8.09	0.79	7.30	90%
			योग (ख)	162.83	9.64	153.19	
			योग (क) + (ख)	358.74	27.37	331.37	

परिशिष्ट - 2.3

(संदर्भ कंडिका 2.3.1)

वे प्रकरण जिनमें केन्द्रीय योजनाओं के अधीन सम्पूर्ण बजट प्रावधान अप्रयुक्त रहा

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	अप्रयुक्त बजट प्रावधान
1.	2.	3.	4.
(क) केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ			
1	08 भू राजस्व एवं जिला प्रशासन	2029-102-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ (सामान्य)-4729- हवाई सर्वेक्षण हेतु योजना	0.85
2	11 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	2852-80-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ (सामान्य)- 5417-निर्यात आधारिक संरचना विकास हेतु अनुदान	3.00
3	15 अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को आर्थिक सहायता	34-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी-2215-01-789-191-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ विशेष घटक योजना - 1194-ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं का रख-रखाव	0.40
4	18 श्रम	1) 2230-01-103-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ (सामान्य)- 8352- राज्य के बीड़ी श्रमिकों के लिए गृह निर्माण	0.36
5		2) 2230-01-112-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ (सामान्य)- 2837-बंधुवा मजदूरों हेतु पुनर्वास योजना	0.12
6		3) 2230-01-112-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ (सामान्य)-5432-बंधुवा मजदूरों का सर्वेक्षण	0.10
7	26 संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	2205-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ (सामान्य)-3077-बहुउद्देशीय सांस्कृतिक संस्थाएँ	1.00
8	27 शालेय शिक्षा	2) 2202-02-109-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ (सामान्य)-5409-परिवर्तित क्लास परियोजना के अंतर्गत कम्प्यूटर प्रदाय	6.70
9	30 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	2501-01-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ (सामान्य)-5077-एकीकृत पड़त भूमि विकास कार्यक्रम	0.60
10		2) 2501-01-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ (सामान्य)-5078-रोजगार आशवासन योजना (सूखा उन्मुख क्षेत्र विकास कार्यक्रम)	0.92
11		3)2501-01-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ (सामान्य)-8701-स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना	4.41

12	31	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय	3454-01-111-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ (सामान्य)-5501-नागरिकता पंजीयन तथा जन्म एवं मृत्यु सांख्यिकी प्रणाली का सुदृढीकरण	0.11
13	37	पर्यटन	5452-01-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ (सामान्य)-7630-केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश	2.76
14	56	ग्रामोद्योग	2851-105-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ (सामान्य)-5406-छत्तीसगढ़ हाट की स्थापना	1.61
15			2) 2851-105-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ (सामान्य)-5515-ग्रामोद्योग प्रशिक्षण शाला	0.40
			योग (क)	23.34
(ख) - केन्द्रीय क्षेत्र योजनाएँ				
1	18	श्रम	2230-01-101-0801-केन्द्रीय क्षेत्र योजनाएँ (सामान्य)-5019-मंडियों में कार्यरत हम्मालों के लिए आवास योजनाएँ	0.45
2	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-01-110-0801-केन्द्रीय क्षेत्र योजनाएँ (सामान्य)-993-क्षय रोग चिकित्सालय	0.55
3			2211-800-0801-केन्द्रीय क्षेत्र योजनाएँ (सामान्य)- 6106- व्यापक टीकाकरण	12.18
4			2211-800-0801-केन्द्रीय क्षेत्र योजनाएँ (सामान्य)- 2498-परम्परागत गर्भ निरोधकों की आपूर्ति	5.86
5	41	आदिवासी क्षेत्र उप-योजना	2406 - 01-796-800-0802- केन्द्रीय क्षेत्र योजना, आदिवासी क्षेत्र उप-योजना- 5231- लघु वनोपज कार्य के लिए लघु वनोपज संघ को अनुदान	2.57
6			2202-02-796-109-0802-केन्द्रीय क्षेत्र योजना, आदिवासी क्षेत्र उप-योजना- 5232- आवासीय विद्यालय समिति को अनुदान	1.50
7			2236-02-796-101-0802-केन्द्रीय क्षेत्र योजना, आदिवासी क्षेत्र उप-योजना- 5467- सरगुजा जिले में मिनीमाता पोषाहार कार्यक्रम	3.00
			योग (ख)	26.11
			योग (क) + (ख)	49.45

परिशिष्ट 2.4
(संदर्भ कंडिका 2.3.2)
बजट प्रावधान के बिना किया गया व्यय

(करोड़ रूपयें में)

क्र. सं.	मांग संख्या एवं मांग का वर्णन	लेखा शीर्ष	विधायिका के अनुमोदन के बिना किया गया व्यय
1	2	3	4
राजस्व दत्तमत			
1	06-वित्त विभाग से संबंधित व्यय	2071-01-101-9997-उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ राज्य हेतु 2071-01-101-9999-संयुक्त मध्य प्रदेश राज्य हेतु 2071-01-104-9997-उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ राज्य हेतु 2071-01-104-9999-संयुक्त मध्य प्रदेश राज्य हेतु 2071-01-105-9997-उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ राज्य हेतु 2071-01-105-9999-संयुक्त मध्य प्रदेश राज्य हेतु 2071-01-115-9997-उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ राज्य हेतु 2071-01-115-9999-संयुक्त मध्य प्रदेश राज्य हेतु	227.41 42.34 76.70 19.10 26.00 13.31 19.99 6.35
2	12-ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	2801-02-800-5533-विद्युत मण्डल द्वारा विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के पक्ष में भुगतान योग्य राशि का समायोजन	93.43
3	15-अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	25-अनुसूचित जन जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग-2202-01-789-0103- अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना 4717-हरिजन छात्रावास	0.15
4	30-पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	2501-06-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-8701-स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण स्वरोजगार योजना 2501-06-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)8775-जिला पंचायत (जिला ग्रामीण विकास अभिकरण) प्रशासनिक योजनाएँ	3.91 1.66
5	41-आदिवासी क्षेत्र उप योजना 22-पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	2501-02-796-800-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं, आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-5078-रोजगार आश्वासन योजना वाटर शेड क्षेत्र (सूखा उन्मुख क्षेत्र विकास कार्यक्रम) 2501-06-796-101-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं, आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-8701-स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण स्वरोजगार 2501-06-796-800-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं, आदिवासी क्षेत्र उपयोजना.-8775-प्रशासनिक योजना (जिला स्तर)	0.50 2.58 0.71
6	64-अनुसूचित जाति हेतु विशेष घटक योजना 22-पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	2501-02-789-800-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं, विशेष घटक योजना-9464-वाटर शेड उपचार/विकास कार्य/क्रियाकलाप 2501-06-789-101-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं, विशेष घटक योजना-8701-स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण स्वरोजगार योजना	0.59 1.05
योग			535.78
पूंजीगत दत्तमत			
1	17- सहकारिता	4408-02-195-0910-राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम -5054-गोदामों का निर्माण	6.40
योग			6.40
महायोग			542.18

परिशिष्ट - 2.5

(संदर्भ कंडिका 2.3.3)

अनुदान/विनियोग जिनमें आधिक्य के नियमन की आवश्यकता है

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	कुल अनुदान/विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य की राशि	मुख्य कारण
1.	2.	3.	4.	5.	6.
(क) राजस्व दत्तमत					
1	12 ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	134.95	191.64	56.69	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2004)।
2.	33 आदिवासी कल्याण	364.41	368.77	4.36	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2004)।
3	67 लोक निर्माण कार्य-भवन	83.14	87.65	4.51	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2004)।
योग (क)		582.50	648.06	65.56	
(ख) राजस्व भारित					
1.	ब्याज भुगतान एवं ऋण सेवा	1053.52	1109.80	56.28	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2004)।
2.	06 वित्त विभाग से संबंधित व्यय	0.02	0.07	0.05	--तदैव--
योग (ख)		1053.54	1109.87	56.33	
(ग) पूंजीगत दत्तमत					
1.	12 ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	25.00	494.22	469.22	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2004)।
2	40 आयकर विभाग से संबंधित व्यय	2.00	2.01	0.01	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2004)।
योग (ग)		27.00	496.23	469.23	
योग (क)+(ख)+(ग)		1663.04	2554.15	591.12	

परिशिष्ट - 2.6

(संदर्भ कंडिका 2.3.5)

प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं विवरण	मूल अनुदान /विनियोग	पूरक अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत
1.	2.	3.	4.	5.	6.
(क) राजस्व दत्तमत					
1.	01 सामान्य प्रशासन	34 .50	3.12	28.31	9.31
2.	02 सामान्य प्रशासन से संबंधित अन्य व्यय	3.08	0.21	1.35	1.94
3.	03 पुलिस	309.86	1.90	265.70	46.06
4.	04 गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	2.52	0.10	1.90	0.72
5.	06 वित्त विभाग से संबंधित व्यय	563.34	25.08	488.18	100.24
6.	07 वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	50.41	3.92	40.54	13.79
7.	08 भू राजस्व एवं जिला प्रशासन	99.32	8.26	87.05	20.53
8.	09 राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	4.83	0.50	4.00	1.33
9.	10 वन	262.77	6.55	260.92	8.40
10.	11 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	24.86	1.61	13.21	13.26
11.	13 कृषि	177. 54	1.37	122. 85	56.06
12.	14 पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	55.96	3.00	49.84	9.12
13.	15 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	23.70	0.01	14.83	8.88
14.	19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	188.98	5.79	167.45	27.32
15.	20 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	114.90	1.80	108.79	7.91
16.	23 जल संसाधन विभाग	103.54	0.11	91.76	11.89
17.	25 खनिज संसाधन विभाग से संबंधित व्यय	16.60	0.56	15.26	1.90
18.	26 संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	5.21	1.00	4.42	1.79

19.	27	शालेय शिक्षा	678.09	9.12	567.56	119.65
20.	28	राज्य विधान सभा से संबंधित व्यय	9.77	0.15	6.99	2.93
21.	30	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	322.39	7.61	112.84	217.16
22.	31	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय	6.01	0.58	4.29	2.30
23.	32	जन संपर्क विभाग से संबंधित व्यय	15.14	1.95	13.98	3.11
24.	34	समाज कल्याण	11.85	0.20	7.77	4.28
25.	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	747.11	194.57	493.90	447.78
26.	41	आदिवासी क्षेत्र उप-योजना	657.51	40.35	386.63	311.23
27.	44	उच्च शिक्षा	102.39	9.20	101.10	10.49
28.	47	तकनीकी शिक्षा एवं जन शक्ति नियोजन विभाग	40.74	0.62	33.55	7.81
29.	53	अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना के अधीन शहरी निकायों को आर्थिक सहायता	1.03	0.50	0.84	0.69
30.	55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	125.05	6.34	98.88	32.51
31.	56	ग्रामोद्योग	15.24	1.65	11.71	5.18
32.	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा राहत पर व्यय	141.60	5.99	98.11	49.48
33.	59	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	0.00	10.00	0.00	10.00
34.	64	अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना	190.36	1.71	104.57	87.50
35.	69	शहरी प्रशासन एवं विकास विभाग - शहरी कल्याण	7.24	14.00	2.5	18.74
36.	80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	244.13	92.07	237.83	98.37
37.	82	आदिवासी क्षेत्र उप-योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	122.78	0.10	95.05	27.83
		योग (क)	5480.34	461.60	4144.46	1797.48

(ख) राजस्व भारित					
1	01 सामान्य प्रशासन	4.64	0.60	3.71	1.53
2	12 ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	6.00	2.30	2.30	6.00
	योग (ख)	10.64	2.90	6.01	7.53
(ग) पूंजीगत दत्तमत					
1	10 वन	3.64	2.17	3.01	2.80
2	17 सहकारिता	67.12	11.75	26.26	52.61
	24 लोक निर्माण कार्य-सड़क एवं पुल	165.94	0.20	130.64	35.50
3	41 आदिवासी क्षेत्र उप-योजना	299.75	17.25	152.66	164.35
4	45 लघु सिंचाई निर्माण कार्य	78.17	1.00	66.22	12.95
5	64 अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना	88.34	5.71	45.52	48.53
6	67 लोक निर्माण भवन	33.27	13.45	30.55	16.17
7	68 आदिवासी क्षेत्र उप-योजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन	76.84	3.79	22.20	58.43
8	75 जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	70.00	9.00	41.24	37.76
9	79 चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	3.16	1.35	2.16	2.35
	योग (ग)	886.23	65.67	520.46	560.30
	योग (क + ख + ग)	6377.21	530.17	4670.93	2365.31

परिशिष्ट - 2.7

(संदर्भ कंडिका 2.3.5)

प्रकरण जिनमें प्राप्त अनुपूरक प्रावधान अधिक सिद्ध हुआ

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग की संख्या का विवरण	मूल अनुदान/विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत
(क) राजस्व दत्तमत					
1	01 सामान्य प्रशासन 2015-101-6262-राज्य चुनाव आयोग	1.35	1.04	1.65	0.74
2	17 सहकारिता	11.98	125.89	102.91	34.96
3	29 न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	39.16	24.95	45.18	18.94
4	78 ग्रामोद्योग विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	2.95	1.50	4.01	0.45
5	79 चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	48.14	7.74	49.08	6.8
6	81 शहरी निकायों को वित्तीय सहायता	272.20	40.89	305.71	7.38
7	83 आदिवासी क्षेत्र उप-योजना के अधीन शहरी निकायों को वित्तीय सहायता	2.56	3.50	4.17	1.89
	योग (क)	378.34	205.51	512.71	71.14
(ख) पूंजीगत दत्तमत					
1	23 जल संसाधन विभाग	176.07	78.54	239.62	14.99
2	57 जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	0.20	2.30	1.46	1.04
3	60 जिला आयोजनागत योजना से संबंधित व्यय	13.88	8.00	20.13	1.75
	योग (ख)	190.15	88.84	261.21	17.78
(ग) पूंजीगत भारित					
1	11 वाणिज्य एवं उद्योगों से संबंधित व्यय	0.15	0.64	0.33	0.46
	योग (ग)	0.15	0.64	0.33	0.46
	महायोग (क+ख+ग)	568.64	294.99	774.25	89.38

परिशिष्ट - 2.8

(संदर्भ कंडिका 2.3.5)

प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त था

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं विवरण	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य
1.	2.	3.		4	
(क) राजस्व दत्तमत					
1	12 ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	134.91	0.04	191.64	56.69
2	33 आदिवासी कल्याण	320.22	44.19	368.76	4.36
	योग (क)	455.13	44.23	560.40	61.04

परिशिष्ट - 2.9

(संदर्भ कंडिका 2.3.6)

योजना के अंतर्गत सारभूत आधिक्य वाले प्रकरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	योजना का नाम	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	आधिक्य की राशि	आधिक्य का प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
(क) राजस्व दत्तमत						
1	03 पुलिस	2055-001-3680-राज्य मुख्यालय	3.37	10.70	7.33	218%
2		2055-108-5067-विधि चिकित्सा विज्ञान	0.60	12.01	11.41	1902%
3	07 वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	2040-001-3569-मुख्यालय स्थापना व्यय	6.46	12.97	6.51	101%
4	29 न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	2015-105-4311-राज्य विधान मण्डल के चुनाव कराने के लिए प्रभार	4.65	10.43	5.78	125%
5	41 आदिवासी क्षेत्र उप - योजना - 25 - अनुसूचित जन जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	2225-02-794-102-0602- आदिवासी उप-योजना हेतु भारत सरकार से प्राप्त अतिरिक्त निधि से योजना का वित्त पोषण-5211- एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना में स्थानीय विकास कार्यक्रम	8.50	25.09	16.59	195%
6		2225-02-796-277-0102- आदिवासी क्षेत्र उप-योजना - 2299-निर्देशन एवं प्रशासन	0.23	24.96	24.73	10752%
7	67 लोक निर्माण कार्य-भवन	2059-80-799-4056- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	2.50	10.07	7.57	302.8%
8	79 चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	2210-05-105-0101-राज्य आयोजनागत योजना (सामान्य))-5386-चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़ की स्थापना हेतु अनुदान	1.00	6.00	5.00	500%
योग (क)			27.31	112.23	84.92	

(ख) पूंजीगत दत्तमत							
1.	12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	6801-800-0101-राज्य आयोजनागत योजना (सामान्य)-4842-ऊर्जा विकास परियोजना हेतु ऋण	25.00	494.22	469.22	(1877%)
2	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	4702-101-0101 राज्य आयोजनागत योजना (सामान्य)-4416-सर्वेक्षण	1.00	16.07	15.07	(1507%)
			योग (ख)	26.00	510.29	484.29	
			योग (क)+(ख)	53.31	622.52	569.21	

परिशिष्ट 2.10

(संदर्भ कंडिका 2.3.7)

गलत पुनर्विनियोग

कुछ प्रकरण जिनमें निधियां समर्पण द्वारा अविवेकपूर्ण ढंग से आहरित की गईं यद्यपि लेखाओं में पहले से ही प्रावधान से अधिक व्यय दर्शाया गया था, का उल्लेख नीचे किया गया है।

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	मांग संख्या तथा लेखा शीर्ष	मूल+ पूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	पुनर्विनियोग से पूर्व आधिक्य	पुनर्विनियोग/ समर्पण	अंतिम आधिक्य
1	2	3	4	5	6	7
1	05-जेल 2056-102-1524-जेल उत्पादन	0.81	0.92	0.11	-0.25	0.36
2	07-वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय 2039-001-1470- जिला कार्यपालिक स्थापना	7.94	8.57	0.63	-1.09	1.72
3	08-भूराजस्व एवं जिला प्रशासन 2029-001-456- आयुक्त, भू अभिलेख एवं बंदोबस्त का कार्यालय	0.89	1.26	0.37	-0.01	0.38
4	15-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता - (20)-शालेय शिक्षा विभाग 2202-01-789-101-0103-अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना 5037-कनिष्ठ प्राथमिक शालाएं (25)-अनुसूचित जन जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग 2225-02-789-800-0103- अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना 6171- स्थानीय दाइयों के लिए प्रोत्साहन योजना	0.10 0.02	0.50 0.18	0.40 0.16	-0.06 -0.02	0.46 0.18
5.	27-शालेय शिक्षा 2202-01-001-0101-राज्य आयोजनागत योजनाएं (सामान्य)- 3930-खण्ड विकास कार्यालय की स्थापना (आधारभूत न्यूनतम सेवा के लिए) 2202-02-109-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)-4193-सरकारी शालाओं में 10+2 शिक्षा पद्धति एवं शिक्षा का व्यवसायीकरण	3.90 4.60	4.62 6.53	-0.72 -1.93	-0.07 -0.70	0.79 2.63
6.	29-न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन 2015-105-4311-संसद के चुनाव प्रभार 2015-106-4006-राज्य विधान मंडल से चुनाव प्रभार	0.25 10.18	2.74 10.43	2.49 -0.25	-0.04 -5.53	2.53 5.78

7	41-आदिवासी क्षेत्र उप-योजना 25- अनुसूचित जन जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग 2202-01-796-101-0102- आदिवासी क्षेत्र उप-योजना-5092- मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु योजना 2225-02-796-277-0102- आदिवासी क्षेत्र उप-योजना-2299- निर्देशन एवं प्रशासन 4225-02-796-277-0102- आदिवासी क्षेत्र उप-योजना-9832- विभागीय एजेंसी	1.00	6.83	5.83	-0.91	6.74
		0.24	24.96	24.72	-0.01	24.73
		4.01	4.73	0.72	-0.18	0.9
8	44-उच्च शिक्षा 2202-03-104-0101राज्य आयोजनागत योजनाएँ (सामान्य)1-- 3444-महाविद्यालय को पोषाहार अनुदान	5.57	6.12	0.55	-0.15	0.70
9	80-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता 2235-60-102-4858-इंदिरा सहारा योजना	16.27	28.64	-12.37	-0.67	13.04
10	81-शहरी निकायों को वित्तीय सहायता 2235-60-102-4858-इंदिरा सहारा योजना	3.00	7.64	4.64	-0.09	4.73
11	82-आदिवासी क्षेत्र उप-योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता 25-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग 2202-01-796-101-0102- आदिवासी क्षेत्र उप-योजना-3496 माध्यमिक शालाएं 2225-02-794-277-0602- आदिवासी क्षेत्र उप-योजना हेतु भारत सरकार से प्राप्त अतिरिक्त निधि से योजना वित्त पोषण-5496- विद्यालय छात्रावासों में पेयजल व्यवस्था	5.36	5.89	-0.53	-0.11	0.64
		0.16	2.56	-2.4	-0.01	2.41

परिशिष्ट - 2.11

(संदर्भ कंडिका 2.3.7)

गलत पुनर्विनियोग

कुछ प्रकरण जिनमें उपलब्ध बचत से अधिक निधियों का समर्पण द्वारा अविवेकपूर्ण ढंग से प्रत्याहरण किया गया परिणामस्वरूप निम्नानुसार अंतिम रूप से आधिक्य हुआ।

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या तथा लेखा शीर्ष	मूल +पूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	उपलब्ध बचत	पुनर्विनियोग / समर्पण	अंतिम आधिक्य
1	2	3	4	5	6	7
1	01-सामान्य प्रशासन 7610-800-9439-मंत्रियों को चिकित्सा अग्रिम 2051-102-3689-राज्य लोक सेवा आयोग	0.10 2.40	0.03 1.71	0.07 0.69	-0.10 -0.73	0.03 0.04
2	03-पुलिस 2070-107-2710-प्रधान सेनानी का कार्यालय तथा अन्य अधीनस्थ कार्यालय 2070-107-492-आव्हान पर व्यय	6.73 11.15	4.52 9.13	2.21 2.02	-2.24 -2.03	0.03 0.01
3	08-भू राजस्व एवं जिला प्रशासन 2052-099-3657-राजस्व मण्डल	0.41	0.12	0.29	-0.32	0.03
4	09-राजस्व विभाग से संबंधित व्यय 2058-102-2820-प्रपत्रों का मुद्रण, भण्डारण एवं वितरण	4.49	3.89	0.60	-0.67	0.07
5	10-वन-4406-01-102-0801-केन्द्रीय क्षेत्र योजनाएँ (सामान्य)-5317-वनों में आधुनिक अग्नि सुरक्षा योजना	1.60	0.03	1.57	-1.60	0.03
6	41-आदिवासी क्षेत्र उप-योजना 25-अनुसूचित जन जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग 4225-02-794-102-0602-आदिवासी उप-योजना हेतु भारत सरकार से प्राप्त अतिरिक्त निधि से वित्त पोषित योजना-5211- एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना में स्थानीय विकास कार्यक्रम 4225-02-796-277-0102-आदिवासी क्षेत्र उप-योजना-9840-शैक्षणिक संस्थाओं के भवन निर्माण	18.00 7.92	13.46 3.41	4.54 4.51	-5.50 -4.62	0.96 0.11
7	47-तकनीकी शिक्षा एवं जन शक्ति नियोजन विभाग 2203-105-0101-राज्य आयोजनागत योजनाएँ (सामान्य)-2668-पोलीटेकनीक संस्थाएँ 2203-112-0101-राज्य आयोजनागत योजनाएँ (सामान्य)-502-इंजीनियरिंग महाविद्यालय	9.13 8.09	7.75 6.78	1.38 1.31	-1.70 -1.36	0.32 0.05
8	82-आदिवासी क्षेत्र उप-योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता (25)-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग 2202-01-796-101-0802-केन्द्रीय क्षेत्र योजना आदिवासी क्षेत्र उप-योजना -7587-आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना	2.00	0.18	1.82	-2.00	0.18

परिशिष्ट- 2.12

(संदर्भ कंडिका 2.3.7)

बचत होने पर भी पुनर्विनियोग द्वारा निधियों के अनावश्यक आवर्धन के प्रकरण नीचे दिए गए हैं

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या एवं लेखा शीर्ष	मूल +पूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	उपलब्ध बचत	पुनर्विनियोग	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	लोक ऋण 6004-01-102-292- अल्प बचत संग्रह का अंश	657.59	546.16	111.43	18.40(आर)	129.83

परिशिष्ट 2.13
(संदर्भ कंडिका 2.3.8)
बजट प्रावधान का व्यपगत होना

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल उपलब्ध बचत	समर्पित न की गई राशि (कुल बचत का प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(क) राजस्व दत्तमत				
1)	02	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	1.94	1.94 (100%)
2)	03	पुलिस	46.06	40.13 (87.12%)
3)	04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	0.72	0.59(82%)
4)	06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	100.24	96.82 (96.59%)
5)	07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	13.79	5.15 (37..35%)
6)	08	भू राजस्व एवं जिला प्रशासन	20.53	5.95 (28.98%)
7)	10	वन	8.40	7.46 (88.81%)
8)	11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	13.26	13.23 (99.77%)
9)	13	कृषि	56.06	56.06 (100 %)
10)	14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	9.12	9.12 (100%)
11)	15	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	8.89	3.17 (35.68%)
12)	16	मत्स्यपालन	0.52	0.52(100%)
13)	17	सहकारिता	34.96	34.96 (100%)
14)	18	श्रम	2.76	0.58 (21. %)
15)	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	27.31	27.31 (100%)
16)	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	7.90	7.90 (100%)
17)	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	16.66	16.66(100%)
18)	23	जल संसाधन विभाग	11.88	11.88 (100%)
19)	24	लोक निर्माण सड़क एवं पुल	2.68	2.68 (100%)
20)	26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	1.80	1.80 (100%)
21)	27	शालेय शिक्षा	119.66	89.47 (74.77%)
22)	28	राज्य विधान मंडल	2.94	2.94 (100%)
23)	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	18.94	6.83 (36.00%)
24)	31	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय	2.29	1.97(85.80%)
25)	36	परिवहन	4.52	3.24(71.68%)

26)	41	आदिवासी क्षेत्र उप-योजना	311.24	108.89 (34.99%)
27)	43	खेल एवं युवा कल्याण	1.58	1.58 (100%)
28)	44	उच्च शिक्षा	10.50	7.25 (69%)
29)	47	तकनीकी शिक्षा एवं जन शक्ति नियोजन विभाग	7.81	0.27 (3.52%)
30)	54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय	5.44	5.44 (100%)
31)	56	ग्रामोद्योग	5.19	4.12 (79.%)
32)	57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	1.03	1.03 (100%)
33)	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा राहत पर व्यय	49.48	10.54 (21.30%)
34)	61	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	0.83	0.83(100 %)
35)	64	अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना	87.50	22.31 (25.50%)
36)	71	पशुपालन विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	0.40	0.40 (100%)
37)	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	6.81	3.15 (46%)
38)	80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	98.37	59.88 (60.87%)
39)	81	शहरी निकायों को वित्तीय सहायता	7.39	5.76 (78%)
40)	82	आदिवासी क्षेत्र उप-योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	27.83	8.47 (30.43%)
		योग (क)	1155.23	688.28
		(ख) राजस्व भारित		
1	07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	2.27	2.27 (100%)
2	12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	6.00	6.00(100%)
3	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	1.07	1.07 (100%)
		योग (ख)	9.34	9.34
		(ग) पूंजीगत दत्तमत		
1.	06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	5.58	5.51 (98.75%)`
2.	08	भू राजस्व एवं जिला प्रशासन	2.83	1.12 (39.58%)
3.	10	वन	2.80	1.20 (42.86%)
4.	11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	2.59	2.59 (100%)

5.	17	सहकारिता	52.61	52.61 (100%)
6.	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1.06	1.06 (100%)
7.	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	21.44	21.44 (100%)
8.	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	65.30	65.30 (100%)
9.	24	लोक निर्माण-सड़क एवं पुल	35.50	35.50 (100%)
10.	23	जल संसाधन विभाग	15.00	15.00 (100%)
11.	37	पर्यटन	8.58	2.77 (32.26%)
12.	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	0.58	0.58 (100%)
13.	41	आदिवासी क्षेत्र उप-योजना	164.35	89.01(54.16%)
14.	42	आदिवासी क्षेत्र उप-योजना से संबंधित लोक निर्माण-सड़क एवं पुल	64.33	64.33(100%)
15.	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	12.95	12.95 (100%)
16.	47	तकनीकी शिक्षा एवं जन शक्ति नियोजन विभाग	3.55	1.38(38.81%)
17.	55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	2.6	2.6 (100%)
18.	57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	1.04	1.04 (100%)
19.	60	जिला आयोजनागत योजनाओं से संबंधित व्यय	1.75	1.75 (100%)
20.	64	अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना	48.53	34.32 (70.72%)
21.	65	विमानन विभाग	2.00	2.00(100%)
22.	67	लोक निर्माण-भवन	16.17	16.17 (100%)
23.	68	आदिवासी क्षेत्र उप-योजना से संबंधित लोक निर्माण-भवन	58.43	58.43 (100%)
24.	75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	37.76	37.76 (100%)
25.	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	2.35	2.35 (100%)
26.	80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	0.94	0.94(100%)
		योग (ग)	630.62	529.71
		महायोग (क+ख+ग)	1795.19	1227.33

परिशिष्ट -2.14

(संदर्भ कंडिका 2.3.8)

निधियों का समर्पण

31 मार्च 2004 को कुल राशि के समर्पण के लिए जारी स्वीकृतियां

(रूपये में)

क्र.सं.		लेखा की प्रकृति	28.2.2004 तक	1.3.2004 से 30.3.2004	31 मार्च 2004 को	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	लोक ऋण	पूँजीगत (भारित)	--	--	1825056000	1825056000
2	01	राजस्व (दत्तमत)	--	--	42939000	42939000
3		राजस्व (भारित)	--	--	14300000	14300000
4		पूँजीगत (दत्तमत)			1000000	1000000
5	03	राजस्व (दत्तमत)	--	--	59342000	59342000
6		राजस्व (भारित)	--	--	200000	200000
7	04	राजस्व (दत्तमत)	--	--	1280000	1280000
8	05	राजस्व (दत्तमत)	--	--	30369000	30369000
9	06	राजस्व (दत्तमत)	--	--	34204000	34204000
10		राजस्व (भारित)	--	--	10000	10000
11		पूँजीगत (दत्तमत)	--	--	765000	765000
12	07	राजस्व (दत्तमत)	--	--	86448000	86448000
13	08	राजस्व (दत्तमत)	--	--	145783000	145783000
14		राजस्व (भारित)	--	--	3246000	3246000
15		पूँजीगत (दत्तमत)	--	--	17047000	17047000
16	09	राजस्व (दत्तमत)	--	--	13352000	13352000
17		पूँजीगत (दत्तमत)	--	--	600000	600000
18	10	राजस्व (दत्तमत)	85,00,000	---	900000	9400000
19		पूँजीगत (दत्तमत)	1,60,00,000	--	0	16000000
20	11	राजस्व (दत्तमत)			285000	285000
21	15	राजस्व (दत्तमत)	5,04,00,000	--	6757000	57157000
22	18	राजस्व (दत्तमत)	--	--	21736000	21736000
23		राजस्व (भारित)	--	--	25000	25000
24	22	राजस्व (दत्तमत)	--	--	1288000	1288000
25	25	राजस्व (दत्तमत)	--	--	16800000	16800000

26		राजस्व (भारित)	---	--	36000	36000
27		पूंजीगत (दत्तमत)	--	--	3000000	3000000
28	27	राजस्व (दत्तमत)	--	--	301914000	301914000
29	29	राजस्व (दत्तमत)	--	--	121136000	121136000
30	30	राजस्व (दत्तमत)	--	--	2078259000	2078259000
31		राजस्व (भारित)	--	--	3000	3000
32	31	राजस्व (दत्तमत)	--	--	3263000	3263000
33	32	राजस्व (दत्तमत)	--	--	31716000	31716000
34		पूंजीगत (दत्तमत)	--	--	1665000	1665000
35	33	राजस्व (दत्तमत)	--	--	89265000	89265000
36		पूंजीगत (भारित)	--	--	100000	100000
37	34	राजस्व (दत्तमत)	--	---	43719000	43719000
38		राजस्व (भारित)	--	--	40000	40000
39	35	राजस्व (दत्तमत)	--	--	3233000	3233000
40		राजस्व (भारित)	--	--	50000	50000
41		पूंजीगत (दत्तमत)			5182000	5182000
42	36	राजस्व (दत्तमत)	--	---	12776000	12776000
43		राजस्व (भारित)	--	--	4000	4000
44	37	राजस्व (दत्तमत)	--	--	100000	100000
45		पूंजीगत (दत्तमत)	--	--	58125000	58125000
46	39	राजस्व (दत्तमत)	--	--	4461954000	4461954000
47		राजस्व (भारित)	--	--	75000	75000
48	40	राजस्व (दत्तमत)	--	--	2276000	2276000
49		पूंजीगत (दत्तमत)	--	--	3000	3000
50	41	राजस्व (दत्तमत)	--	--	2023479000	2023479000
51		पूंजीगत (दत्तमत)	--	--	753368000	753368000
52	44	राजस्व (दत्तमत)	--	--	32528000	32528000
53	46	राजस्व (दत्तमत)	--	--	3474000	3474000
54	47	राजस्व (दत्तमत)	--	--	75318000	75318000
55		पूंजीगत (दत्तमत)	--	--	21745000	21745000
56	48	राजस्व (दत्तमत)	--	---	140032000	140032000
57		पूंजीगत (दत्तमत)	--	--	93805000	93805000

58	49	राजस्व (दत्तमत)	--	---	20656000	20656000
59		राजस्व (भारित)	--	--	1000	1000
60	53	राजस्व (दत्तमत)	--	--	6864000	6864000
61		पूंजीगत (दत्तमत)	--	--	10000000	10000000
62	55	राजस्व (दत्तमत)	--	--	293391000	293391000
63	56	राजस्व (दत्तमत)	--	--	10704000	10704000
64		पूंजीगत (दत्तमत)	--	--	784000	784000
65	58	राजस्व (दत्तमत)	--	--	389404000	389404000
66		राजस्व (भारित)			2000000	2000000
67		पूंजीगत (दत्तमत)			15500000	15500000
68	59	राजस्व (दत्तमत)	--	--	100000000	100000000
69		पूंजीगत (दत्तमत)	500000000	--	---	500000000
70	64	राजस्व (दत्तमत)	--	--	651943000	651943000
71		पूंजीगत (दत्तमत)	--	--	142141000	142141000
72	66	राजस्व (दत्तमत)	--	--	2573000	2573000
73		पूंजीगत (दत्तमत)			19700000	19700000
74	67	राजस्व (दत्तमत)	--	--	734000	734000
75	69	राजस्व (दत्तमत)	--	--	187407000	187407000
76		पूंजीगत (दत्तमत)	--	--	12022000	12022000
77	77	राजस्व (दत्तमत)	--	--	60000000	60000000
78	78	राजस्व (दत्तमत)	--	--	3222000	3222000
79		पूंजीगत (दत्तमत)	1,50,00,000	--	4111000	19111000
80	79	राजस्व (दत्तमत)	--	--	36617000	36617000
81	80	राजस्व (दत्तमत)	23,10,00,000	--	153899000	384899000
82	81	राजस्व (दत्तमत)	---	--	16264000	16264000
83		राजस्व (भारित)	--	--	26258000	26258000
84	82	राजस्व (दत्तमत)	13,86,00,000	--	55023000	193623000
85	83	राजस्व (दत्तमत)	--	--	18876000	18876000
		योग	959500000	--	14925470000	15884970000

परिशिष्ट - 2.15

(संदर्भ कंडिका 2.5)

पुनर्विनियोग/समर्पण की दोषपूर्ण स्वीकृतियां

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	स्वीकृतियों की संख्या	अनुदान संख्या	राशि	अनियमितताओं के विवरण
(1)	(2)	(3)		(5)
1	25	56,15,64,82,49,43, 41,33,10,7,6,5,2,1, 14,58,80,71,41,64, 78,14	33.18	स्वीकृति की प्राप्ति में विलम्ब
2	10	4,41,23,65,32,30	117.38	स्वीकृति नियमानुसार नहीं है
3	7	60,41,64,43,26,12	45.80	वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद स्वीकृतियां जारी की गई थी
4	9	33,36,29,6,3,1	21.12	समुचित ब्योरे का अभाव
5	1	41	0.40	दोहरी स्वीकृति के कारण अस्वीकृत
6	1	1	0.59	प्रावधानों के अभाव में
		योग	218.47	

परिशिष्ट - 2.16
(संदर्भ कंडिका 2.6)
2003-04 के दौरान व्यय की अधिकता

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	अनुदान का विवरण	कुल प्रावधान 2003-04	कुल व्यय 2003-04	मार्च 2004 के दौरान व्यय	कुल व्यय की तुलना में मार्च में व्यय का प्रतिशत
1	02- सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	3.29	1.35	0.54	40
2	05- जेल	28.15	24.86	10.17	40.9
3	07- वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	67.23	51.16	20.41	39.9
4	17-सहकारिता	216.74	129.17	96.56	74.8
5	25- खनिज संसाधन विभाग से संबंधित व्यय	17.91	15.70	11.14	70.9
6	37- पर्यटन	17.01	8.40	2.63	31.3
7	39- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	943.19	494.81	207.77	42
8	41-आदिवासी क्षेत्र उप-योजना	1014.92	539.28	175.95	32.6
9	48- 11 वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन के उन्नयन के लिए अनुदान	64.19	43.66	13.86	31.7
10	49- अनुसूचित जाति कल्याण	17.48	15.17	6.03	39.8
11	64- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	286.12	150.09	45.49	30.3
12	69- शहरी प्रशासन एवं विकास विभाग-शहरी कल्याण	24.60	4.65	3.16	68
13	77- बिलासपुर संभाग के आदिवासी क्षेत्रों के विकास से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनायें	8.0	2.0	1.0	50
	योग	2708.83	1480.3	594.71	

परिशिष्ट - 2.17

(संदर्भ कंडिका 2.7)

विभिन्न उप शीर्षों के अंतर्गत व्यपगत बजट

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या 19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण		उपलब्ध अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत	उपलब्ध अनुदान का प्रतिशत
1.	2071-01-000-5499	सेवा निवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा	0.90	0.73	0.17	18.88
2.	2210-001-001-2283	निर्देशन एवं प्रशासन (राजीव गांधी मिशन)	2.92	2.09	0.83	28.42
3.	2210-01-110-748	औषधालय	2.60	1.52	1.08	41.54
4.	2210-01-110-2777	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	5.35	2.51	2.84	53.08
5.	2210-03-110-1227	ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र	1.09	0.94	0.16	14.68
6.	2210-05-105-2502	महिला स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण	0.68	0.32	0.36	52.94
7.	2210-06-003-2216	परिचारिकाओं को बुनियादी प्रशिक्षण	0.60	0.27	0.33	55.00
8.	2210-06-101-4244	मलेरिया	2.17	0.82	1.35	62.21
9.	2210-06-101-8150	बहुदेशीय कार्यक्रम योजना	6.88	6.06	0.82	11.91
10.	2210-01-110-1473	जिला चिकित्सालय	1.55	.37	1.18	76.12
11.	2210-01-110-1491	ब्लड बैंक	1.31	1.02	0.29	22.14
12.	2210-06-110-5026	छत्तीसगढ़ के रोगों के लिए वित्तीय सहायता	3.00	2.75	0.25	8.33
13.	2210-01-200-077	अंधत्व	2.56	1.83	0.73	28.52
14.	2210-06-101-858	कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम	8.62	7.00	1.62	18.79
15.	2211-0801-001-1508	वेतन एवं भत्ते	4.04	3.05	0.99	24.50
16.	2211-0801-003-1007	क्षेत्रीय महिला कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र	0.70	0.30	0.40	57.14
17.	2211-0801-003-336	औक्सीलियरी नर्स, मिडवाइफ	1.38	1.17	0.21	15.22
18.	2211-0801-003-2880	बहुदेशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता	0.75	0.55	0.20	26.67
19.	2211-0801-101-621	अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केन्द्र	2.45	2.29	0.16	6.53
20.	2211-0801-101-1200	ग्रामीण महिला कार्यकर्ता सेवाएं	18.49	15.49	3.00	16.22
21.	2211-0801-101-4051	ग्राम स्वास्थ्य गाइड	0.44	0.03	0.41	93.18
22.	2211-0801-102-2703	वेतन एवं भत्ते	1.96	1.29	0.67	34.18
23.	224-0101-105-4601	बंध्यकरण	3.17	1.98	1.19	37.54
24.	2211-0801-200-1890	प्रसवोत्तर केन्द्र (तहसील स्तर)	1.81	1.59	0.22	12.15
25.	2211-0801-200-6216	प्रसवोत्तर केन्द्र (जिला स्तर)	1.35	1.10	0.25	18.52
26.	2211-0801-800-2498	परंपरागत गर्भ निरोधकों की आपूर्ति	5.86	5.05	0.81	13.82
27.	2211-0801-800-6106		12.18	3.05	9.13	74.96
		योग	94.81	65.17	29.64	74.96

	अनुदान संख्या - 81 स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता					
28.	2217-05-800-4845	ग्यारहवां वित्त आयोग	5.62	2.87	2.75	48.93
		योग	100.43	68.04	32.39	32.25
	अनुदान संख्या- 25 खनिकर्म					
	मुख्य शीर्ष - 2853					
1.	2853-4639	मुख्यालय स्थापना	0.80	0.75	0.05	6.25
2.	2853-4640	जिला स्थापना	1.70	1.59	0.11	6.47
3.	2853-5522	जांच चौकी (स्थापना)	0.37	0.36	0.01	2.7
4.	2853-2713	प्रयोगशाला	0.83	0.78	0.05	6.02
5.	2853-182	अन्य खनिजों का सर्वेक्षण	0.89	0.86	0.03	3.37
		योग	4.59	4.34	0.25	5.45
		महायोग	105.02	72.38	32.64	31.07

परिशिष्ट - 2.18
(संदर्भ कंडिका 2.7)
योजनाओं के अंतर्गत समर्पित राशि

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या एवं मुख्य शीर्ष	योजनाओं की संख्या	बजट अनुमान	समर्पित राशि (31 मार्च 2004 को)
राजस्व				
55- महिला एवं बाल कल्याण				
1.	2235 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (आयोजना)	16	87.96	25.56
2.	2236 पोषाहार - तदैव -	2	34.50	0.91
3.	2235 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण आयोजनेत्तर	5	4.22	2.71
4.	2236 पोषाहार - तदैव -	1	2.73	0.16
	योग	23	129.413	29.34
81 स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता				
	3604 पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों को क्षतिपूर्ति एवं सुपुर्दगी	2	8.50	3.10
25 खनन				
	2853- अलौह धातु खनन	9	17.16	1.68
23 जल संसाधन विभाग				
	2701 वृहद एवं मध्यम सिंचाई	1	54.17	1.40
कुल राजस्व			209.24	35.52
पूंजीगत				
25 खनन				
	4853-अलौह धातु खनन पर पूंजीगत परिव्यय	1	00.75	00.30
अनुदान संख्या 23 (जल संसाधन विभाग)				
	4701 लघु एवं मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय		241.67	3.34
	कुल पूंजी		242.42	3.64
	कुल राजस्व + पूंजी		451.66	39.16

परिशिष्ट - 2.19

(संदर्भ कंडिका 2.7)

अनुदान/योजना के अंतर्गत अप्रयुक्त बजट प्रावधान

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना का नाम	अनुदान संख्या एवं लेखा शीर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	शेष
		अनुदान संख्या - 19			
1.	लघु निर्माण कार्य एवं मरम्मत	19-2210-800-3821	0.01	0.00	0.01
2.	चार क्षेत्रीय नैदानिक केन्द्रों की स्थापना	19-2210-101-5058	0.40	0.00	0.40
3.	क्षय रोग चिकित्सालय	19-2210-801-993	0.55	0.00	0.55
4.	100 शय्या वाला चिकित्सालय	19-2210-101-6948	0.20	0.00	0.20
5.	अतिसार उन्मूलन	19-2210-801-2260	0.01	0.00	0.01
6.	प्रसूति एवं शिशु स्वास्थ्य	19-2211-103-2749	0.03	0.00	0.03
7.	एकीकृत शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम	19-2211-801-6096	0.12	0.00	0.12
8.	अन्य आपूर्ति एवं सेवाएं अन्य व्यय	19-2211-801-264	0.05	0.00	0.05
9.	सामुहिक शिक्षा	19-2211-801-4510	0.10	0.00	0.10
		योग	1.47	निरंक	1.47
		अनुदान संख्या - 55			
1.	विविध अनुदान	55-2235-9048-0101	0.03	0.00	0.03
		महायोग	1.50	निरंक	1.50

परिशिष्ट - 2.20

(संदर्भ कंडिका 2.7)

योजनाओं के अंतर्गत नियमित न किया गया अधिक व्यय

(करोड़ रुपये में)

योजना का नाम (योजनेतर)	अनुदान संख्या 19	उपलब्ध बजट अनुमान	व्यय	अधिक व्यय
अंधत्व नियंत्रण	2210-200-077	1.87	1.97	(-) 0.10
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	2210-103-2777	43.16	45.12	(-) 1.96
औषधालय	2210-110-748	1.83	3.08	(-) 1.25
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	2210-103-2777	5.57	6.43	(-) 0.86
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	2210-103-5998	0.93	1.03	(-) 0.09
उप स्वास्थ्य केन्द्र	2210-103-620	2.26	2.69	(-) 0.43
बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना	2210-003-6203	2.29	2.98	(-) 0.70
मलेरिया	2210-101-4244	8.91	10.50	(-) 1.59
योग		66.82	73.82	(-) 6.99 या 7

परिशिष्ट - 2.21

(संदर्भ कंडिका 2.7)

मार्च 2004 के दौरान योजनाओं के अंतर्गत व्यय की अधिकता

अनुदान संख्या एवं मुख्य शीर्ष	मार्च 2004 तक व्यय	मार्च 2004 के दौरान व्यय	मार्च 2004 के दौरान व्यय का प्रतिशत
81-स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता			
2217- विशेष प्रयोजन हेतु अनुदान	4.00	4.00	100
2217-11वें वित्त आयोग- सफाई एवं आधुनिकीकरण	2.86	2.86	100
2217- राष्ट्रीय झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र आयोजना	2.16	2.16	100
6217- विशेष कार्य के लिए ऋण	6.00	6.00	100
3604- प्रवेश कर के लिए अनुदान	185.00	68.47	37
2217-11वाँ वित्त आयोग	12.99	7.44	57
योग (योजनाओं की संख्या-6)	213.01	90.93	42
अनुदान संख्या - 19			
2210 परिचारिकाओं हेतु बुनियादी प्रशिक्षण	0.27	0.22	83
2210 महिला स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण	0.54	0.19	35
2210 मलेरिया	0.82	0.26	32
2210 पोस्ट मार्टम के लिए मानदेय	0.02	0.01	66
2210 जिला चिकित्सालय	0.37	0.21	58
2210 जिला चिकित्सालय में ब्लड बैंक	1.02	0.80	78
2210 प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना	1.87	1.32	70
2210 अकजीलियरी नर्स मिडवाइफ एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1.17	0.37	31
2211 प्रत्यक्ष व्यय (पेट्रोल, तेल एवं चिकनाई)	0.60	0.46	76
2211 बंध्यकरण	1.98	0.74	37
2211 सामूहिक शिक्षा	0.33	0.14	41
योग (योजनाओं की संख्या-11)	8.99	4.72	52
योग (योजनाओं की संख्या-17)	222.00	95.65	43

परिशिष्ट - 2.22

(संदर्भ कंडिका 2.8)

क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा सार्वजनिक अंशदान की प्राप्ति के बिना सरकारी निधि से किए गए व्यय का विवरण दर्शाने वाला विवरण पत्रक

क्र. सं.	एजेन्सी का नाम	निरीक्षण प्रतिवेदन की अवधि	कंडिका संख्या	राशि (लाख रुपये में)	कार्य की संख्या	लेखापरीक्षा का माह
1.	कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवाएँ, रायपुर	6/02 से 8/03	1	78.73	33	3/04
2.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कांसाबेल जिला-जशपुर	10/95 से 7/04	1	15.44	6	8/04
3.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव	4/99 से 2/04	2(क)	1.12	5	3/04
4.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत धरसीवा, जिला-रायपुर	4/99 से 5/2004	4	2.14	18	6/04

परिशिष्ट - 3.1

(संदर्भ कंडिका 3.2.7)

परिवार नियोजन शल्यक्रिया के अंतर्गत क्षतिपूर्ति, दवाइयां एवं पेट्रोल, तेल एवं चिकनाई पर किए गए अधिक व्यय को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(लाख रुपये में)

जिले का नाम	वर्ष	शल्य क्रिया प्रकरण के प्रकार ⁵					क्षतिपूर्ति पर व्यय			दवाओं पर व्यय ³			पेट्रोल, तेल, चिकनाई पर व्यय ⁴		
		श.क्रि. * र.न.	पु.न.*	म.न.*	दू.प.न.*	शल्य क्रिया की कुल संख्या	मानदण्डों के अनुसार भुगतान योग्य राशि	भुगतान की गई वास्तविक राशि	अधिक भुगतान	मानदण्डों के अनुसार भुगतान योग्य राशि	भुगतान की गई वास्तविक राशि	अधिक भुगतान	मानदण्डों के अनुसार भुगतान योग्य राशि	भुगतान की गई वास्तविक राशि	अधिक भुगतान
दुर्ग	2000-01	307	88	1284	13940	15619	6.64	8.24	1.60	--	--	--	--	--	--
	2001-02	252	31	1240	13572	15095	6.32	6.56	0.24	--	--	--	2.06	5.17	3.11
	2002-03	262	47	1272	15970	17551	--	--	--	--	--	--	2.41	4.20	1.79
जगदलपुर	2000-01	574	694	298	2470	4036	2.88	7.70	4.82	2.51	4.00	1.49	0.48	2.25	1.77
	2001-02	481	566	352	2032	3431	2.42	4.50	2.08	1.51	3.95	2.44	0.47	1.50	1.03
	2002-03	465	495	258	4805	6023	3.37	4.64	1.27	--	--	--	0.83	1.50	0.67
	2003-04	302	525	226	6289	7342	--	--	--	5.54	7.25	1.71	1.02	2.18	1.16
रायगढ़	2001-02	9	37	456	6232	6734	--						0.92	5.00	4.08
	2002-03	24	14	418	6623	7079	2.87	3.46	0.59	5.65	6.42	0.77	0.97	1.06	0.09
रायपुर	2001-02	19	115	11671	5787	17592	7.17	7.40	0.23	14.02	20.52	6.50	--	--	--
	2002-03	33	136	13835	5798	19802	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	2003-04	39	86	13032	4841	17998	7.32	8.42	1.10	14.35	17.98	3.63	--	--	--
राजनांदगांव	2001-02	0	38	2536	5274	7848	3.18	4.37	1.19	--	--	--	--	--	--
	2002-03	4	42	2628	5929	8603	3.49	4.43	0.94	6.86	8.17	1.31	--	--	--
महायोग		2832	3186	64631	117743	188392	45.66	59.72	14.06	50.44	68.29	17.85	9.16	22.86	13.70
अधिक भुगतान की गई राशि का महायोग रु. 14.06 +17.85+13.70= 45.61 लाख रुपये															

- - अनुपलब्ध

*श.क्रि.र.न. - शल्य क्रिया रहित नसबंदी

* दू.प.न.- दूरबीन पद्धति से नसबन्दी

* पु.न. - पुरुष नसबन्दी

* म.न.- महिला नसबन्दी

5 श.क्रि.र.न. एवं पु.न. 140 रुपये प्रति प्रकरण की दर पर एवं म.न. एवं दू.प.न. 40 रुपये प्रति प्रकरण की दर पर

3 श.क्रि.र.न. एवं पु.न. 40 रुपये प्रति प्रकरण की दर पर एवं म.न. एवं दू.प.न. 80 रुपये प्रति प्रकरण की दर पर

4 श.क्रि.र.न., पु.न. एवं दू.प.न. 14 रु. प्रति प्रकरण की दर पर एवं म.न. 10 रुपये प्रति प्रकरण की दर पर

परिशिष्ट - 3.2

(संदर्भ कंडिका 3.2.8)

विभाग में अनुपलब्ध लेखों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	चिकित्सालय का नाम	मरीजों की संख्या	विमोचित सहायता राशि	विभागों में उपलब्ध लेखे	चिकित्सालय द्वारा प्रत्यर्पित राशि	राशि जिनके लेखे विभाग में उपलब्ध नहीं थे
1.	एस्कॉर्ट हॉर्ट एंड रिसर्च सेन्टर, नई दिल्ली	35	50.95	0.35	1.15	49.45
2.	एस्कॉर्ट हॉर्ट सेन्टर, रायपुर	35	46.80	0.35	1.15	45.30
3.	इन्सटीट्यूट किडनी डिजीज रिसर्च सेंटर, अहमदाबाद	2	3.00	--	--	3.00
4.	इन्द्रप्रस्थ अपोलो, नई दिल्ली	3	3.91	--	--	3.91
5.	बी.एस.आर.कैंसर हॉस्पिटल, भिलाई	51	25.47	9.43	0.02	16.02
6.	बौम्बे हास्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, मुम्बई	4	5.50	1.03	0.47	4.00
7.	कैंसर हास्पिटल एंड रिसर्च सेटर, ग्वालियर	1	0.75	--	--	0.75
8.	के.ई.एम.हास्पिटल, मुम्बई	8	4.46	1.63	1.36	1.47
9.	मॉडर्न मेडीकल इन्सटीट्यूट, लालपुर, रायपुर	25	20.35	--	--	20.35
10.	मद्रास मेडीकल केयर एंड हेल्थ सेन्टर	2	3.00	--	--	3.00
11.	क्रिश्चियन मेडीकल कॉलेज एंड हास्पिटल, वैलूर, तमिलनाडु	12	15.00	2.06	--	12.94
12.	विद्या हास्पिटल एंड किडनी सेन्टर, शंकरनगर, रायपुर	1	0.28	--	--	0.28
13.	हैदराबाद किडनी एवं लैपरोसी सेन्टर, हैदराबाद	1	1.50	--	--	1.50
14.	पोदार हास्पिटल, बैतूल	4	2.85	--	--	2.85
15.	मेडीकल साईंस एवं टेक्नोलाजी केरल, त्रिवेन्द्रम	1	1.40	0.96	0.44	निरंक
16.	राष्ट्रीय संत तुकोजी कैंसर हास्पिटल, नागपुर	5	0.78	0.08	0.42	0.28
17.	शंकर नेत्रालय, चैन्नई, तमिलनाडु	2	0.50	--	--	0.50
18.	गवर्नमेन्ट मेडीकल कालेज, सुपर स्पेशियैलिटी, नागपुर	5	4.70	--	--	4.70
19.	संजय गांधी हास्पिटल लखनऊ, उत्तर प्रदेश	2	3.00	--	--	3.00
20.	सी.बी.टी.एस.डी.एफ.एल हास्पिटल, सिओन, मुम्बई	2	2.10	--	--	2.10

परिशिष्ट

21.	स्पंदन हार्ट इन्सटीट्यूट, नागपुर	6	5.20	3.25	1.40	0.55
22.	सरटेक रिसर्च इन्सटीट्यूट, नागपुर	1	1.50	--	--	1.50
23.	सूरज हास्पिटल नेहरू नगर, भिलाई	1	0.20	--	--	0.20
24.	स्टरलिंग हास्पिटल, अहमदाबाद	1	1.35	--	--	1.35
25.	डॉ. बी.आर.अम्बेडकर हास्पिटल, रायपुर	19	3.34	--	--	3.34
26.	छत्तीसगढ़ हास्पिटल, रायपुर	2	0.67	--	--	0.67
27.	वी.एस.एस.मेडीकल कॉलेज, उरला, सम्बलपुर, उड़ीसा	9	3.20	--	--	3.20
28.	जीवन मेमोरियल हास्पिटल, न्यू शांतिनगर, रायपुर	1	0.25	--	--	0.25
29.	जसलोक हास्पिटल, मुम्बई	1	1.50	--	--	1.50
30.	एस.एल.एन.हास्पिटल, भिलाई	25	19.21	2.74	0.20	16.27
31.	न्यू रूबी हास्पिटल, जालंधर, पंजाब	1	1.50	--	--	1.50
32.	नानावती हास्पिटल, मुम्बई	1	1.50	--	--	1.50
33.	अवन्ती इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलोजी, नागपुर	4	3.57	1.83	0.29	1.45
34.	ए.आई.आई.एम.एस., न्यू दिल्ली	33	29.41	2.64	0.85	25.92
35.	अपोलो हास्पिटल, चैन्नई	7	10.30	--	--	10.30
36.	अपोलो हास्पिटल, विशाखापट्टनम, आन्ध्रप्रदेश	5	6.99	--	--	6.99
37.	अपोलो हास्पिटल, हैदराबाद आंध्रप्रदेश	3	4.50	--	--	4.50
38.	आर.एस.बी. मेमोरियल हास्पिटल, बिलासपुर	1	0.60	--	--	0.60
39.	टाटा मेमोरियल हास्पिटल, मुम्बई	5	5.50	--	--	5.50
40.	लीलावती हास्पिटल, मुम्बई	1	1.50	--	--	1.50
41.	डॉ. बी.आर.अम्बेडकर हास्पिटल, रायपुर	--	10.00	--	--	10.00
42.	अपोलो हास्पिटल, बिलासपुर	153	192.15	75.09	14.32	102.74
	योग	645	500.24	101.44	22.07	376.73

परिशिष्ट - 3.3

(संदर्भ कंडिका 3.3.5)

वेतन एवं भत्ते तथा दवाइयों पर किए गए व्यय को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(लाख रुपये में)

वर्ष	2000-01		2001-02		2002-03		2003-04	
	व्यय	कुल व्यय का प्रतिशत	व्यय	कुल व्यय का प्रतिशत	व्यय	कुल व्यय का प्रतिशत	व्यय	कुल व्यय का प्रतिशत
वेतन एवं भत्ते	636.11	92	1613.44	83	1647.44	87	1538.70	87
दवाइयां एवं उपकरण	27.71	4	214.11	11	143.05	7	133.53	8
अन्य	30.77	4	114.46	6	117.11	6	90.95	5
योग	694.59		1942.01		1907.60		1763.18	

परिशिष्ट - 3.4

(संदर्भ कंडिका 3.3.6)

चिकित्सालयों में शय्याओं की स्वीकृत क्षमता, उपलब्धता आदि की स्थिति दर्शाने वाला विवरण पत्रक

क्र. सं.	चिकित्सालय का नाम	स्वीकृति का माह/वर्ष	स्वीकृत शय्या की संख्या	उपलब्ध शय्या	अवधि (जनवरी से दिसम्बर)	उपलब्ध शय्या का दिवस	वास्तविक शय्या अधिभोग	अनुपयुक्त क्षमता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	आयुर्वेदिक चिकित्सालय जगदलपुर	2/1983	30	20	2001-03	1095x20/ 21900	2662	88 प्रतिशत
2.	आयुर्वेदिक चिकित्सालय दुग	4/1980	30	30	2001-03	1095x30/ 32850	4803	85 प्रतिशत
3.	आयुर्वेदिक चिकित्सालय दल्ली राजहरा	1/1985	30	05	जनवरी 2003- दिसम्बर 2003	365x5/ 1825	149	92 प्रतिशत
4.	आयुर्वेदिक चिकित्सालय बिलासपुर	--	30	30	2001-03	1095x30/ 32850	8273	75 प्रतिशत
5.	आयुर्वेदिक चिकित्सालय अम्बिकापुर	1979	30	निरंक	- तदैव -	1095x 0/0	निरंक	निरंक
6.	आयुर्वेदिक चिकित्सालय रायगढ़	2/1983	30	10	- तदैव -	1095x10/ 10950	232	98 प्रतिशत
	योग		180	95		1,00,375	16,119 (16.05प्रतिशत)	

परिशिष्ट - 5.1
(संदर्भ कंडिका 5.1.4)

बजट प्रावधान के विरुद्ध आधिक्य (लोक निर्माण विभाग) दर्शाने वाला विवरण पत्रक
(लाख रुपये में)

अनुदान संख्या एवं मुख्य शीर्ष		2001-02			2003-04		
		बजट प्रावधान	व्यय	आधिक्य	बजट प्रावधान	व्यय	आधिक्य
24/3054	साधारण मरम्मत नवीकरण जामरीकरण	2800	3254.72	454.72	8000	10061.30	2061.30
		1250	2049.62	799.62			
		250	434.68	184.68			
24/5054	केन्द्रीय सड़क निधि नाबार्ड की सहायता से ग्रामीण सड़कों का निर्माण	3117.80	3264.07	146.27	3700	4436.87	736.87
67/2059	साधारण मरम्मत विविध लोक निर्माण अग्रिम	100	505.48	405.48	800	996.19	196.19
		300	537.02	237.02	250	1005.57	755.57
67/2316	साधारण मरम्मत	400	614.99	214.99			
42/5854	(पी) (2) (6589)				2050	2964.39	914.39
		8217.80	10660.58	2442.78 (अ)	14800	19464.32	4664.32(ब)
						योग (अ +ब)	71.07 करोड़

परिशिष्ट - 5.2

(संदर्भ कंडिका 5.1.5)

1 दिसम्बर 2004 तक पुनर्मिलान न किए जाने की स्थिति दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(करोड़ रुपये में)

अनुदान	2001-02			2002-03			2003-04		
	विभागीय आंकड़े	महालेखाकार के आंकड़े	अंतर	विभागीय आंकड़े	महालेखाकार के आंकड़े	अंतर	विभागीय आंकड़े	महालेखाकार के आंकड़े	अंतर
24	143.91	173.28	29.37	253.33	255.94	2.61	276.66	298.19	21.53
42	18.06	40.38	22.32	117.11	119.65	2.54	175.71	177.97	2.26
67	46.96	100.53	53.57	82.64	120.48	37.84	71.92	118.21	46.29
68	7.05	7.22	0.17	12.25	13.10	0.85	18.78	22.20	3.42
	215.98	321.41	105.43	465.33	509.17	43.84	543.07	616.57	73.50
कुल अंतर = 222.77 करोड़ रुपये									

परिशिष्ट - 5.3

(संदर्भ कंडिका 5.1.5)

(वर्ष के दौरान सिविल जमा के अंतर्गत रखी गई राशि का विवरण दर्शाने वाला विवरण पत्रक)

वर्ष	अनुदान संख्या		मुख्य शीर्ष	(लाख रुपये में)	योग
2001-02	42	लोक निर्माण आदिवासी क्षेत्र उपयोजना सड़क एवं पुल	5054-04-796-800-0802-4871 सड़क एवं पुलों का निर्माण (अनुच्छेद 975(i))	1974.77	
	67	लोक निर्माण-भवन	(i)2059--01-051-3643 (राज्यपाल भवन)	33.88	
			(ii) 2059-01-051-3692 (राज्य विधान मण्डल)	15.86	
			(iii)202-03-103-3645 (शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/महाविद्यालय भवन का रख-रखाव)	2.66	
			(iv)4059-01-051-0701-2450 (न्याय प्रशासन)	163.78	
			(v) 4059-01-051-0701-4485 (सामान्य प्रशासन)	107.81	
			(vi) 4059-01-051-0701-5049 (राज्य विधान मण्डल)	17.09	
			(vii) 4216-01-106-0701-6222 (न्यायिक प्रशासन कर्मचारी निवास का निर्माण)	41.54	
			(viii) 4216-800-0101-5918 (राज्यपाल भवन)	802.46	3159.85
2002-03	67	लोक निर्माण भवन	(i) 4059-01-051-0701-2450 (न्यायिक प्रशासन)	100	
			(ii) 4059-01-051-0101-5374 (परिवहन जांच चौकी का कम्प्यूटराइजेशन)	538.21	
			(iii) 4216-01-106-0701-622 (न्यायिक प्रशासन(कर्मचारी निवास का निर्माण))	114.00	
			(iv) 4216-01-106-0101-2450 (न्यायिक प्रशासन)	91.75	
			(v) 4216-01-800-0101-5918 (सामान्य प्रशासन)	580	1423.96
					45.84 करोड़ रुपये

परिशिष्ट - 6.1

(संदर्भ कंडिका 6.1.3, 6.1.4 एवं 6.1.5)

सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों के संबंध में बजट से प्राप्त पूंजी, ऋण/अंशपूंजी, अन्य ऋण एवं 31 मार्च 2004 को लंबित ऋणों का विवरण दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(कालम 3 (क) से 4(च) तक के आंकड़े लाख रुपये में)

क्र. सं.	कम्पनी / निगम के क्षेत्र एवं नाम	चालू वर्ष के अंत में प्रदत्त पूंजी					वर्ष के दौरान बजट से प्राप्त अंशपूंजी/ऋण		वर्ष के दौरान प्राप्त अन्य ऋण [®]	वर्ष 2003-04 की समाप्ति पर लंबित ऋण**			2003-04 के लिए ऋण अंशपूंजी का अनुपात (पूर्व वर्ष) 4च/3ड
		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	धारक कम्पनी	अन्य	योग	अंश पूंजी	ऋण		सरकार	अन्य	योग	
1.	2.	3 (क)	3 (ख)	3 (ग)	3 (घ)	3 (ङ)	4 (क)	4 (ख)	4 (ग)	4 (घ)	4 (ङ)	4 (च)	5
क	कार्यरत सरकारी कम्पनियां												
	उद्योग												
1.	छत्तीसगढ़ राज्य बेबरजेज निगम मर्यादित	14.54	--	--	--	14.54	--	--	--	--	--	--	--
	योग (क)	14.54	--	--	--	14.54	--	--	--	--	--	--	--
(ख)	वन												
2.	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम मर्यादित	562.09	92.40	--	--	654.49	--	--	--	--	574.78	574.78	0.88:1 (0.88:1)
	योग (ख)	562.09	92.40	--	--	654.49	--	--	--	--	574.78	574.78	0.88:1 (0.88:1)
(ग)	खनन												
3	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम मर्यादित	100.00				100.00	45.00	--	--	--	--	--	--
	योग (ग)	100.00				100.00	45.00						
(घ)	सार्वजनिक वितरण												

1.	2.	3 (क)	3 (ख)	3 (ग)	3 (घ)	3 (ङ)	4 (क)	4 (ख)	4 (ग)	4 (घ)	4 (ङ)	4 (च)	5
4.	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम मर्यादित	90.00	--	--	0.07	90.07	--	--	--	100.00	--	100.00	1.11:1 (1.11:1)
	योग (घ)	90.00	--	--	0.07	90.07	--	--	--	100.00	--	100.00	1.11:1 (1.11:1)
(ङ)	वित्त												
5.	छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम मर्यादित	320.00	--	--	--	320.00	200.00	--		2700.00	--	2700.00	8.44:1 (22.5:1)
6.	छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम मर्यादित	160.00	--	--	--	160.00	--	--	--	--	--	--	--
	योग (ङ)	480.00	--	--	--	480.00	200.00	--	--	2700.00	--	2700.00	5.63:1 (9.64:1)
	योग क	1246.63	92.40	--	0.07	1339.10	245.00	--	--	2800.00	574.78	3374.78	2.52:1 (3.08:1)
ख	सांविधिक निगम												
1.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल	6153.00 ^{\$}	--	--	--	6153.00	--	--	--	--	--	--	--
2.	छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम	50.00	50.00	--	--	100.00	--	84.95	303.00	68.54	303.00	371.54	3.72:1 (1.64:1)
	योग ख	6203.00	50.00	--	--	6253.00	--	84.95	303.00	68.54	303.00	371.54	5.94:1 (1.64:1)
	महायोग क+ख	7449.63	142.40	--	0.07	7592.10	245.00	84.95	303.00	2868.54	877.78	3746.32	0.49:1 (3.02:1)

नोट : आंकड़े अनन्तिम और कम्पनियों/निगमों द्वारा प्रेषित किए अनुसार हैं।

** 2003-04 की समाप्ति पर लंबित ऋण, केवल दीर्घावधि ऋणों को दर्शाते हैं।

@ बॉर्ड, ऋण पत्र, अंतर निगम जमाओं को सम्मिलित करते हुए।

\$ अनन्तिम रूप से बंटित

परिशिष्ट - 6.2

(संदर्भ कंडिका 6.1.6.एव 6.1.7)

सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों का वर्ष जिस तक लेखों को अंतिम रूप दिया जा चुका था, के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम

(स्तम्भ 7 से 12 एवं 15 के आंकड़े लाख रुपये में)

क्र. सं.	क्षेत्र एवं कंपनियों का नाम	विभाग का नाम	निगमन का दिनांक	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों को अंतिम रूप दिया गया	शुद्ध लाभ (+)/हानि (-)	लेखा परीक्षा टिप्पणी का निवल प्रभाव	प्रदत्त पूंजी	संचयी लाभ (+)/ हानि (-)	लगाई गई पूंजी (अ)	लगाई गई पूंजी से कुल वापसी (ब)	लगाई गई पूंजी से कुल वापसी का प्रतिशत	लेखों में विलम्ब वर्षों में	टर्न ओवर	जन शक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10	11	12	13.	14.	15	16
क.	सरकारी कंपनियां														
	क्रियाकलाप														
(क)	उद्योग														
1	छत्तीसगढ़ राज्य बेबरेज निगम मर्यादित	आबकारी	7.11.2001	2002-03	2004-05	114.57	--	14.54	(+)8.83	20.30	114.57	564.38	1	1092.46	32
	योग (क)	--	--	--	--	114.57	--	14.54	(+)8.83	20.30	114.57	564.38	1	1092.46	32
(ख)	वन														
2	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम मर्यादित	वन	22.5.2001	2001-02	2004-05	167.00	--	654.49	(+)167.00	4526.02	167.00	3.69	2	1509.80	644
	योग (ख)	--	--	--	--	167.00	--	654.49	(+)167.00	4526.02	167.00	3.69	2	1509.80	644
(ग)	खनन														
3	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम मर्यादित	भौमिकी एवं खनन	7.6.2001	2001-02	2004-05	79.23	--	55.00	(+)79.23	130.42	79.23	60.75	2	403.13	246
	योग (ग)	--	--	--	--	79.23	--	55.00	(+)79.23	130.42	79.23	60.75	2	403.13	246

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
(घ)	सार्वजनिक वितरण														
4	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	13.3. 2001	--	--	--	--	90.00	--	--	--	--	3	--	270
	योग (घ)		--	--	--	--	--	90.00	--	--	--	--	3	--	270
(ङ)	वित्त														
5	छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम मर्यादित	वित्त	26.2.2001	2002-03	2004-05	(-)16.18	--	120.00	(-)27.22	41.26	(-)16.18	--	1	35.88	924
6.	छत्तीसगढ़ राज्य उद्योग विकास निगम	वाणिज्य एवं उद्योग	16.11.1981	2000-01	2001-02	35.85	--	160.00	(+)220.25	362.81	35.85	9.88	3	153.95	155
	योग (ङ)		--	--	--	19.67	--	280.00	(+)193.03	404.07	19.67	4.87	4	189.83	1079
	योग (क)					380.47		1094.03	(+)448.09	5080.81	380.47	7.49	12	3195.22	2271
ख	सांविधिक निगम														
1.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल	ऊर्जा	15.11.2000	--	--	--	--	6153.00	--	--	--	--	3	--	17569
2.	छत्तीसगढ़ राज्य भाण्डार गृह निगम	खाद्य	2.5.2002	--	--	--	--	50.00	--	--	--	--	2	--	478
	योग (ख)		--	--	--	--	--	6203.00	--	--	--	--	5	--	18047
	महायोग (क +ख)					380.47		7297.03	(+)448.09	5080.81	380.47	7.49	17	3195.22	20318

(अ) लगाई गई पूंजी निवल स्थायी परिसम्पत्तियों (वर्क-इन-प्रोग्रेस पूंजी सहित) तथा कार्यरत पूंजी का योग, वित्त कम्पनियों/निगमों के उस प्रकरण को छोड़कर जहां लगाई गई पूंजी को, प्रदत्त पूंजी, रक्षित निधि, बांडों, जमाओं और उधारियों (पुनर्वित्त सहित) के प्रारम्भिक शेष और अंतिम शेष के योग के मध्यमान के रूप में निकाला गया हो को प्रदर्शित करती हैं।

(ब) लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल निवल आधिक्य में लाभ-हानि लेखे में प्रभारित उधार ली गई निधियों पर ब्याज के योग अथवा निवल हानियों में लाभ-हानि लेखे में उधार ली गई निधियों पर ब्याज को घटाने को प्रदर्शित करता है।

परिशिष्ट - 6.3

(संदर्भ कंडिक 6.1.5)

वर्ष के दौरान प्राप्त सहायता, प्राप्त गारंटियां, बकाया का स्वत्व त्याग, ऋण जिन पर ऋण स्थगन प्रदान किया गया हो एवं वर्ष के दौरान अंशपूजी में परिवर्तित ऋण और मार्च 2004 के अंत तक लंबित प्राप्य सहायता तथा लंबित गारंटियों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(कालम 3(क) से 7 तक में दर्शाये गये आंकड़े लाख रूपयों में)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	वर्ष के दौरान प्राप्त सहायता और अनुदान*				वर्ष के दौरान प्राप्त एवं वर्ष के अंत में लंबित गारंटी*					वर्ष के दौरान बकाया पर स्वत्व त्याग				ऋण जिन पर ऋण स्थगन प्रदान किया गया	वर्ष के दौरान अंश पूंजी में परिवर्तित ऋण
		केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य	योग	बैंकों से नगद साख	अन्य श्रोतों से ऋण	आयात के संबंध में बैंकों द्वारा दिये गये साख पत्र	विदेशी सलाहकारों या ठेकेदारों से करार के अंतर्गत भुगतान बंधन	योग	अपलिखित किये गये ऋणों का पुनर्भुगतान	स्थगित ब्याज	स्थगित दंडिक ब्याज	योग		
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	6	7
क	कार्यरत सरकारी कंपनियां															
(क)	सार्वजनिक वितरण															
1.	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम	-- (--)	14853.00 (--)	--	14853.00 (--)											
	योग (क)	-- (--)	14853.00 (--)	--	14853.00 (--)											
(ख)	वित्त															
2	छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम	507.00 (--)	512.71 (--)	--	1019.71 (--)											
	योग (ख)	507.00 (--)	512.71 (--)	--	1019.71 (--)											
	योग (क)	507.00 (--)	15365.71 (--)	--	15872.71 (--)											

1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	6	7
ख	सांविधिक निगम															
1.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल	3231.68 (2153.50)	7726.53 (123.00)	--	10958.51 (2276.50)		42930.00 (42930.00)		42930.00 (42930.00)							
2.	छत्तीसगढ़ राज्य भाण्डार गृह निगम	-- --	84.95 (-)	--	84.95 (-)		-- (-)		-- (-)							
	योग (ख)	3231.68 (2153.50)	7811.48 (123.00)	--	11043.16 (2276.50)		42930.00 (42930.00)		42930.00 (42930.00)							
	योग (क +ख)	3738.68 (2153.50)	23177.19 (123.00)	--	26915.87 (2276.50)		42930.00 (42930.00)		42930.00 (42930.00)							

* स्तंभ 3 (क) से 3 (घ) में कोष्टक के आंकड़े अनुदानों को प्रदर्शित करते हैं और स्तंभ 4 (क) से 4 (ङ) के आंकड़े वर्ष के अंत में लंबित गारंटियों को प्रदर्शित करते हैं।

परिशिष्ट - 6.4

(संदर्भ कंडिका 6.1.8)

विभाग वार लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

क्र.सं.	विभाग का नाम	सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	लंबित कंडिकाओं की संख्या	वर्ष जब से कंडिकाएं लंबित हैं
1.	ऊर्जा	1	514	1278	1985-86
2.	वाणिज्य एवं उद्योग	1	7	23	1994-95
3.	वन	1	3	12	2001-02
4.	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	2	4	48	2001-02
5.	वित्त	1	2	6	2002-03
6.	भौमिकी एवं खनन	1	3	18	2001-02
7.	उत्पाद शुल्क	1	2	14	2002-03
	योग	8	535	1399	